VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अगस्त - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन 6

1.2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 8

1.3. सोशल मीडिया का विनियमन....10

1.4. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क....11

1.5. उच्चतम न्यायालय हेतु और अधिक न्यायाधीश....13

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 14

2.1. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध 14

2.2. भारत-फ्रांस 16

2.3. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन....18

2.4. मेकांग गंगा सहयोग....20

2.5. जी-7 20

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 23

3.1. प्रत्यक्ष कर संहिता 23

3.2. जालान समिति की रिपोर्ट....25

3.3. बैंकों का विलय....27

3.4. विकास बैंक 27

3.5. भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट....29

3.5.1. ऑटोमोबाइल उद्योग में गिरावट 31

3.6. बॉण्ड यील्ड और बॉण्ड इनवर्जन....32

3.7. सोशल स्टॉक एक्सचेंज 33

3.8. सूक्ष्म ऋण....35

3.9. चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 36

3.10. कोल इंडिया....37

3.11. समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र 40

3.12. हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ....42

3.13. पर्यटन उद्योग....43

3.14. भारत में चीनी उद्योग....44

VISION IAS

3.15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 47

4. सुरक्षा (Security) **50**

4.1. एकीकृत युद्धक समूह 50

4.2. साइबर सुरक्षा नीति 52

4.3. भारत का रक्षा बाजार से निर्यात केंद्र की ओर संक्रमण 53

4.4. रक्षा क्षेत्र का वित्तपोषण 55

5. पर्यावरण (Environment) **58**

5.1. जलवायु परिवर्तन और भूमि 58

5.2. नदियों का अंतर्योजन 61

5.3. महासागरीय ऊर्जा 63

5.4. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 65

5.5. राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 67

5.6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क 69

5.7. कुसुम 70

5.8. साइट्स कॉप-18 73

5.9. नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करना 74

5.10. गोगाबिल झील 75

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **77**

6.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 77

6.2. जनसंख्या नीति 80

6.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 82

6.4. विद्यालय का युक्तिकरण 84

6.5. इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस 86

6.6. भारत में डिजिटल अंतराल 86

6.7. मॉब लिंचिंग 88

6.8. कॉमन सर्विस सेंटर 90

6.9. विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति, 2019 91

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **94**

7.1. ग्रेविटेशनल लेंसिंग 94

VISION IAS

7.2. श्रीनिवास रामानुजन 95
7.3. हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन 95
8. संस्कृति (Culture) 97
8.1. महापाषाण संस्कृति 97
8.2. भौगौलिक संकेतक दर्जा 98
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 99
9.1. असहमति का अधिकार 99
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Short) 101
10.1. हांगकांग में विरोध प्रदर्शन 101
10.2. सबका विश्वास - विरासत विवाद समाधान 101
10.3. अंगीकार अभियान 101
10.4. सतत संकल्प परियोजना 102
10.5. मेघदूत ऐप 102
10.6. पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क 102
10.7. नियामकीय सैंडबॉक्स 102
10.8. सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 103
10.9. टाइड वाटर ग्लेशियर 103
10.10. टार्डीग्रेड 104
10.11. अंतरिक्ष में रूस द्वारा प्रेषित मानवरूपी रोबोट 104
10.12. आईसीएआर-फ्यूजीकॉण्ट 104
10.13. शगुन 104
10.14. बायोमैट्रिक डेटा आधारित नाविक पहचान दस्तावेज 105
10.15. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 105
10.16. राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची 105
10.17. सुपरा योजना 106
10.18. पश्मीना उत्पादों को BIS प्रमाणन की प्राप्ति 106
10.19. नेशनल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट 106
10.20. बाल कल्याण सूचकांक 106
10.21. रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए कार्य योजना 107

VISION IAS

10.22. सन साधन हैकथॉन.....107
10.23. आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन.....107
10.24. हीलियम हाइड्राइड.....107
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 108
11.1. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना.....108
11.2. निष्ठा (राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल).....109
11.3. समर्थ योजना.....109
11.4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन.....110

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन

(Removal of Article 370 and 35A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रपति ने "जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति" से **संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019 {The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019}** प्रख्यापित किया है। इस आदेश में यह उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में प्रवर्तनीय होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वे सभी प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर हेतु एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, **अनुच्छेद 35A** स्वत: निरसित हो गया है।
- इसके साथ ही, राष्ट्रपति के उक्त आदेश के प्रभाव से व्युत्पन्न प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक **सांविधिक संकल्प** को भी अनुमोदित किया गया, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (के अधिकांश प्रावधान) को निष्प्रभावी (abrogate) करते हैं।
- साथ ही, संसद द्वारा **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019)** को भी पारित किया गया है। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, यथा- जम्मू और कश्मीर डिवीज़न (विधानसभा युक्त) तथा लद्दाख (विधानसभा रहित)।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A : एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति उन परिस्थितियों का परिमाण थी, जिसमें राज्य का भारत में विलय हुआ। भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि जम्मू और कश्मीर की जनता अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए अपने संविधान और भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगी।
- जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में संविधान के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता (applicability) एक अंतरिम व्यवस्था की भांति थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में निहित प्रावधान का सार था।
- अनुच्छेद 370 **जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था,** जो राज्य को इसके पृथक संविधान होने की अनुमति के साथ-साथ विशिष्ट शक्तियाँ (special powers) भी प्रदान करता था।
- अनुच्छेद 370 के अनुसार **रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार** को छोड़कर अन्य सभी कानूनों के प्रवर्तन हेतु **संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता** होती थी।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 से ही व्युत्पन्न हुआ था, राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशेषाधिकारों तथा विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करने हेतु जम्मू और कश्मीर विधान सभा को शक्तियाँ प्रदान करता था।

अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन कैसे संभव हुआ?

- राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 370 (1) के अंतर्गत एक राष्ट्रपतीय आदेश (presidential order)** जारी किया था। यह खंड राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राज्य में प्रवर्तनीय मामलों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **इस आदेश** द्वारा **अनुच्छेद 367** में भी **संशोधन** किया गया। अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों के पठन अथवा उनकी व्याख्या संबंधी रीति का समावेश है। संशोधित अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370 (3) में उल्लिखित राज्य की **"संविधान सभा"** अभिव्यक्ति को राज्य की **"विधान सभा"** पढ़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि, अनुच्छेद 370 (3) में यह प्रावधानित था कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधान सभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। हालांकि, इस संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधान-मंडल की अनुशंसा के आधार पर भी सम्पादित किया जा सकता है।
- दूसरे शब्दों में, सरकार ने संविधान के एक प्रावधान (अनुच्छेद 367) में संशोधन करने हेतु अनुच्छेद 370 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया तथा तत्पश्चात अनुच्छेद 370 (3) को संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप यह सांविधिक संकल्प (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन हेतु संकल्प) को प्रस्तुत करने का कारक बना। चूँकि, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था, इसलिए राज्यपाल की सहमति को ही "जम्मू और कश्मीर सरकार" की सहमति स्वीकार कर लिया गया।

VISION IAS

उठाए गए कदम के संभावित निहितार्थ

- जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान की पूर्ण प्रवर्तनीयता।
- पृथक ध्वज के विशेषाधिकार का उन्मूलन।
- जम्मू और कश्मीर विधान सभा के पूर्ववर्ती छह वर्षीय कार्यकाल के स्थान पर पांच वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान।
- रणबीर दंड संहिता (जम्मू और कश्मीर हेतु पृथक दंड संहिता) का भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापन।
- अनुच्छेद 356, जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु भी प्रवर्तनीय होगा।
- विद्यालय-महाविद्यालयों में एडमिशन और राज्य की सरकारी नौकरियों में केन्द्रीय कोटा संबंधी कानून लागू होंगे।
- अन्य राज्यों के लोग सम्पत्ति और निवास अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- सूचना का अधिकार अधिनियम प्रवर्तनीय होगा।
- जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधान जो किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करने वाली राज्य की महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करते हैं, अवैध घोषित हो सकते हैं।

अनुछेद 370 का निरसन: संवैधानिक और विधायी चुनौतियाँ

जम्मू और कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार की हालिया कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित वैधानिक मुद्दे न्यायिक विवेचनाओं के दौरान चर्चा का विषय हो सकते हैं:

- **राष्ट्रपतीय आदेश की वैधानिकता (Legality of the Presidential order):** अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यद्यपि, यह आदेश अनुच्छेद 367 को संशोधित करता है, तथापि इन संशोधनों के विषय अनुच्छेद 370 में भी संशोधन करते हैं और जैसा कि विभिन्न अवसरों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि - जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उसे आप परोक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। इस प्रकार, इस आदेश की वैधानिकता - जहाँ तक यह अनुच्छेद 370 में संशोधन करता है - संदेहास्पद है।
- **राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग और राज्यपाल को निर्वाचित विधान सभा का एक प्रतिनिधि बनाना:** राज्यपाल, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार, वास्तव में इस मामले में केंद्र सरकार ने स्वयं से ही परामर्श किया है।
    - इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति शासन अस्थायी होता है तथा यह माना जाता है कि इसका अस्तित्व केवल निर्वाचित सरकार की पुनर्स्थापना से पहले तक ही है। ऐसे में, निर्वाचित विधान सभा की सहमति के बिना केवल राज्यपाल की सहमति से एक राज्य के सम्पूर्ण दर्जे में परिवर्तन जैसे स्थायी चरित्र के निर्णय अपने आप में संदिग्ध हैं।
- **राज्य विधान सभा की संविधान सभा के साथ साम्यता:** दोनों के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि, जहाँ विधान सभा को संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है, वहीं संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। यह विभेद, जो कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का मर्म है, इस आधार पर कुछ संवैधानिक संशोधनों को निषिद्ध करता है कि संसद जो प्रतिनिधित्व प्राधिकार का प्रयोग करती है, उसकी शक्तियाँ सीमित हैं तथा वह एक नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर सकती है और इसलिए संप्रभु प्राधिकार का प्रयोग करने में भी असक्षम है।
- **जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध उठाया गया कदम:** राष्ट्रपतीय आदेश (Presidential order) में यह स्वीकृत किया गया है कि विधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरसित करने की शक्ति प्राप्त है। जबकि, जम्मू और कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 147 इस तरह के कदम को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 147 यह स्पष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु विधान सभा के दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- ज्ञातव्य है कि, जब जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने कार्य करना बंद किया था, तब अनुच्छेद 370 की प्रकृति के संबंध में दीर्घकालिक वाद-विवाद आरम्भ हुए। विघटन से पूर्व संविधान सभा ने न तो अनुच्छेद 370 के उन्मूलन की अनुशंसा की थी तथा न ही इसके स्थायित्व का समर्थन किया था। अभी भी यह पर्यवेक्षण करना शेष है कि क्या वह रीति जिसके तहत अनुच्छेद 370 का निरसन किया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
- उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 राज्य के लोगों को शासन के विषयों में अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता था जोकि अपनी पहचान के मामलों में अत्यधिक सुभेद्य अनुभव करते हैं और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। हालांकि, ये चिंताएं भी प्रकट की

गई हैं कि न तो यह कदम जम्मू और कश्मीर राज्य के सामान्य-जन के अनुकूल होगा तथा न ही यह शेष भारत के साथ राज्य के एकीकरण को सुविधाजनक बनाएगा। तथापि, यह अपेक्षा की गई है कि यह कदम जम्मू और कश्मीर हेतु विकास एवं समावेशन के एक नव प्रभात का सृजन करेगा, जो राज्य के वंचित व हाशिये पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा में सम्मिलित करेगा।

1.2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

(National Register Of Citizens: NRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम के प्रामाणिक भारतीय नागरिकों की पुष्टि करने वाले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) के अपडेटेड (अद्यतित) और अंतिम प्रारूप को प्रकाशित किया गया। ज्ञातव्य है कि 19 लाख से अधिक आवेदक इस सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में विफल हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- NRC का मूल **असम स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन** और **भारत सरकार** के मध्य वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित **समझौता ज्ञापन (Memorandum of Settlement)** अथवा **असम समझौते (Assam Accord)** में निहित है। यह समझौता 1980 के दशक के प्रवासी विरोधी हिंसक आंदोलन का परिणाम था तथा इसमें अवैध प्रवास (illegal migration) को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न खंडों का समावेश किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि **असम समझौते** के पश्चात् 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से आए सभी भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु **नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** किया गया था।
    - वे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के मध्य भारत आए थे, उन्हें पंजीकरण कराने और 10 वर्षों तक राज्य में निवास करने के पश्चात् नागरिकता हेतु पात्र समझा गया था, जबकि वे जिन्होंने 25 मार्च 1971 के पश्चात् राज्य में प्रवेश किया था उन्हें निर्वासित किया जाना था। हालांकि, विगत दशकों इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।
- वर्ष 2014 में **उच्चतम न्यायालय** ने **राज्य सरकार** को एक समयबद्ध रीति में **NRC, 1951 को अद्यतित करने का निर्देश जारी किया था।** वर्तमान प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय के निरीक्षण में संचालित किया जा रहा है।

असम समझौता (The Assam Accord)

- यह भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आन्दोलन के नेताओं के मध्य 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Settlement) था।
- इसमें यह प्रावधान शामिल था कि उन सभी "विदेशियों" की पहचान की जाएगी, जिन्होंने 25 मार्च 1971 के पश्चात् असम में प्रवेश किया है तथा तत्पश्चात उन्हें **अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983** {Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 (IMDT)} के तहत पता लगाकर निर्वासित किया जाएगा। इसमें निर्वाचक नामावली से विदेशियों के नामों को हटाने का भी उपबंध किया गया है।

NRC क्या है?

- **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर** असम के सभी वैध (प्रमाणित) नागरिकों की एक सूची है तथा यह रजिस्टर केवल असम राज्य से ही संबंधित है।
- यह **नागरिकता अधिनियम, 1955** व **नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003** (वर्ष 2009 में संशोधित) तथा भारत के राजपत्र में **वर्ष 2010** में प्रकाशित **गृह मंत्रालय के एक आदेश** द्वारा शासित होता है।
- इसमें, 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि से पूर्व किसी निर्वाचक नामावली या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल व्यक्तियों और उनके वंशजों को सम्मिलित किया जाएगा।
- **NRC बनाम जनगणना:** जनगणना कार्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दशक में संपादित किया जाता है तथा यह भारत की जनसंख्या के आकार और प्रकृति का विवरण प्रदान करता है। परन्तु NRC नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित करने के दायित्व हेतु एक विशिष्ट अभ्यास है। इसके तहत नागरिकों के लिए एक दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह दर्शाना अनिवार्य है कि वे कैसे असम में रहने वाले भारत के नागरिक बन गए हैं।

निर्दिष्ट तिथि (Cut of Date) का महत्व

- बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की स्थिति को निर्धारित करने के संदर्भ में कट ऑफ़ डेट (निर्दिष्ट तिथि) का मुद्दा **विवाद का एक प्रमुख विषय** था। उल्लेखनीय है कि 25 मार्च 1971 को ही पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों पर कठोर कार्यवाही की शुरुआत की थी।

VISION IAS

- कठोर दमन-चक्र और क्रूरता के कारण 10 मिलियन से अधिक लोगों को भारत में शरण लेना पड़ा तथा आरंभ में ये शरणार्थी मुख्यत: असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बस गए।

NRC का महत्व

- **दीर्घकालिक समाधान:** यह बांग्लादेश से अवैध प्रवास को नियंत्रित करने हेतु उपायों की व्यवस्था करता है, क्योंकि कूटनीतिक और सीमा प्रबंधन प्रयास इस मुद्दे का पूर्णत: समाधान करने में विफल रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- **i.)** बांग्लादेश अपने क्षेत्र से भारत में **किसी भी प्रकार की घुसपैठ को स्वीकार नहीं करता है** तथा **ii.)** भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित **छिद्रिल सीमा,** प्रभावी सीमा प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार, अवैध प्रवास के संकट से निपटने हेतु NRC को एक वैकल्पिक साधन और एक दूरदर्शी प्रशासनिक समाधान स्वीकार किया गया है।
- **पहचान अभिनिश्चित करना (Ascertaining the identity):** NRC **अवैध प्रवास के विस्तार पर** एक अत्यावश्यक परिप्रेक्ष्य (perspective) उपलब्ध कराएगा। यह अवैध प्रवासियों द्वारा **राज्य की जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने** तथा राज्य की राजनीति को प्रभावित किए जाने की आशंका का भी निवारण करेगा।
- **एक निवारक साधन (A deterring tool):** यह अपेक्षा की गई है कि NRC भविष्य में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को असम में प्रवेश करने से निरुद्ध करेगा, क्योंकि इसके प्रारूप (ड्राफ्ट) के प्रकाशन ने इस संभावना का सृजन किया है कि वैध दस्तावेजों के बिना असम में निवास करना निरोध/कारावास और निर्वासन का कारण बनेगा।

NRC से संबद्ध मुद्दे

- **निष्कासन का भय:** इस संबंध में चिंताएं विद्यमान हैं कि NRC से सूची में लोगों का अनुचित रीति से समावेशन अथवा निष्कासन हो सकता है।
    - **D मतदाताओं से संबंधित मुद्दे भी मौजूद हैं। D-मतदाता** वे मतदाता होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण-पत्रों के कथित अभाव के आधार पर मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है तथा उनका समावेशन **विदेशी विषयक अधिकरण (Foreigners Tribunal)** के निर्णय पर निर्भर करेगा।
- **अल्पसंख्यकों की चिंताएं:** यह आशंका प्रकट की गई है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां देश के अल्पसंख्यकों को लक्षित कर सकती हैं।
    - **नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016** अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हेतु पात्रता प्रदान करता है, जबकि यह कदम इस प्रक्रिया से अल्पसंख्यकों को हटाने (alienation) के संबंध में आशंकाओं का सृजन कर सकता है।
- **लोगों के भाग्य को अभिनिश्चित करने हेतु किसी विशिष्ट नीति का न होना:** सरकार ने NRC प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् (पोस्ट NRC) कोई क्रियान्वयन योजना निर्मित नहीं की है, क्योंकि-
    - **अवैध प्रवासियों का बांग्लादेश में निर्वासन की संभावना अत्यल्प** है, क्योंकि सूची से बहिष्कृत लोगों को बांग्लादेश के प्रामाणिक नागरिक के रूप में सिद्ध करना होगा तथा इस हेतु **बंगलादेश से सहयोग की भी आवश्यकता होगी।**
    - जिनकी पहचान "अवैध प्रवासियों" के रूप में की जाएगी, उन्हें उनके निर्वासन तक निरोध शिविरों (detention camps) में रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये निरोध शिविर अपनी अमानवीय निवास परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** ज्ञातव्य है कि पहले से ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं प्रकट की जा रही हैं।
- **राज्यविहीनता का मुद्दा (Issue of Statelessness):** ऐसी आशंकाएं विद्यमान हैं कि भारत राज्यविहीन लोगों के नवीनतम समूह का सृजन करेगा, जिससे एक स्वदेशी संकट का भय उत्पन्न होगा तथा यह म्यांमार से बांग्लादेश पलायन कर गए रोहिंग्या लोगों की कहानी दोहराएगा।

NRC सूची में नाम दर्ज करवाने में विफल लोगों हेतु प्रावधान

- असम सरकार ने NRC सूची में नाम दर्ज करवाने से चूक गए लोगों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से "विदेशी" अथवा "अवैध प्रवासी" घोषित **नहीं** किया जाएगा।
- ऐसे लोगों को **विदेशी विषयक अधिकरण** के समक्ष अपने पक्ष को रखने (अर्थात् विरोध दर्ज कराने) की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वे इस मामले में उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।
- राज्य सरकार NRC सूची से वंचित **निर्धन लोगों** को **विधिक सहायता** भी प्रदान करेगी।

VISION IAS

आगे की राह

- **अंतिम रूप से सूची से निष्कासित व्यक्तियों के संदर्भ में:** वे आधिकारिक रूप से नागरिकता से वंचित हो जाएंगे, जबकि भारत के पास "राज्यविहीन" लोगों हेतु कोई निर्धारित नीति नहीं है। निश्चित रूप से उनके पास मताधिकार के अधिकार नहीं होंगे, परन्तु "मानवीय आधारों" पर उन्हें कुछ सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं, जैसे- रोजगार का अधिकार आदि।
- **अवैध प्रवासन के मुद्दे को व्यापक रूप से हल करना :** केवल असम में अवैध प्रवासन से संबंधित मुद्दे को हल करने से संपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह संभव है कि ऐसे प्रवासी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चले जाएँ और तत्पश्चात देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो जाएँ। इसलिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
  - **व्यापक सीमा प्रबंधन:** बाड़बंदी सहित 24x7 निगरानी, नवीन इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि।
  - पड़ोसी देशों के साथ **ऐसे द्विपक्षीय समझौतों को संपादित करना,** जिसमें अन्य देश में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों को उचित सत्यापन के पश्चात् वापस उनके मूल देश में निर्वासित करने का प्रावधान हो।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता:** जैसे- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR), इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) तथा इस प्रकार के जटिल मुद्दों में अनुभव रखने वाली अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है।
  - **एक सार्क (SAARC) कन्वेंशन की स्थापना:** भारत को शरणार्थियों के संबंध में एक सार्क कन्वेंशन या घोषणा-पत्र के विकास हेतु सार्क क्षेत्र में अन्य देशों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करनी चाहिए, जिसमें सदस्य देश रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1951 को अनुसमर्थित (ratify) करने हेतु सहमत होंगे।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सभी आशंकाओं के मध्य भारतीय नागरिकों के दस्तावेजीकरण और घुसपैठ की निगरानी एवं रोकथाम के संदर्भ में **NRC एक दूरदर्शी उपाय** है। वर्तमान NRC प्रक्रिया न्यायिक अभिप्रेरण और राजनीतिक शक्ति संतुलन दोनों का ही एक परिणाम है, क्योंकि NRC का संचालन उच्चतम न्यायालय के तत्वावधान में किया जा रहा है तथा यह सम्पूर्ण प्रक्रिया की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है। ज्ञातव्य है कि राज्यों का सहयोग NRC की सफलता हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

1.3. सोशल मीडिया का विनियमन

(Regulating Social Media)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया है कि **प्रयोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को उनके आधार संख्या से लिंक किया जाना चाहिए।**

पृष्ठभूमि

- पहचान के प्रमाणीकरण (authentication of identity) हेतु मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई दो याचिकाओं के उपरांत तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़ने की इच्छा व्यक्त की है।
  - परन्तु, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया अकाउंट से आधार को लिंक करने हेतु दायर मूल याचिक को अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि यह **आधार के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय का उल्लंघन करती है।**
- वहीं दूसरी ओर, **फेसबुक** जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी किसी भी कार्यवाही के **विरोध में अपना मत प्रस्तुत किया है,** क्योंकि उन्हें भय है कि इसका उनके विरुद्ध दुरुप्रयोग किया जा सकता है।
  - **विभिन्न उच्च न्यायालय इस संदर्भ में परस्पर विरोधी मत प्रस्तुत कर रहे हैं** तथा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि **ऑनलाइन निजता के अधिकार** तथा घृणास्पद संदेशों और फेक न्यूज़ की **उत्पत्ति का पता लगाने हेतु राज्य के अधिकार** के मध्य एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, विवाद उस रीति पर है जिसके माध्यम से **सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए।**

सोशल मीडिया के विनियमन में चुनौतियाँ

- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा खराब अनुपालन:** उदाहरणार्थ, जब औपचारिक निवेदन के पश्चात् सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा किसी सामग्री को हटाने की बात आती है, तब सरकार इसे अनुपालन के अभाव के रूप में संदर्भित करती है।
- **बोझिल प्रक्रिया:** उदाहरणार्थ, यहां तक कि जब पुस्तकों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, तो इस संबंध

में राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उल्लेखित किया जाता कि पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों आरोपित किया जा रहा है तथा साथ लोगों को इस निर्णय को चुनौती देने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।
    - जब तक निर्णय दिया जाता है तब तक क्षति हो चुकी होती है। सोशल मीडिया के मामले में यह प्रक्रिया और भी बोझिल है।

सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता

- **घातांकीय वृद्धि (Exponential increase):** व्हाट्स ऐप, फेसबुक इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया प्रोफाइलों में घातांकीय वृद्धि हुई है।
- **सूचना का त्वरित प्रसार:** यदि विश्व के किसी एक हिस्से में कोई घटना घटित होती है, तो इसकी सूचना अथवा दुष्प्रचार मिनटों में प्रसारित हो जाती है, जिससे अराजकता एवं भय के परिवेश का सृजन हो सकता है।
- **उपलब्ध सूचना की असमानता:** सूचनाओं के स्रोतों एवं तथ्यों की जाँच प्रणालियों के विषय में सीमित जानकारी के कारण उपलब्ध सूचनाओं में असमानता बनी रहती है।
- **अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु:** जैसे- फेक न्यूज़, अश्लील साहित्य और अन्य प्रचार सामग्रियों के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी सामग्रियां।
- **यह सुनिश्चित करना कि हिंसा न हो:** जैसे- धार्मिक और नृजातीय समूहों के विरुद्ध हिंसा (उदाहरणार्थ- मुज़फ़्फरनगर दंगे)।

विनियमों के विपक्ष में तर्क

- **असंवैधानिक कार्यवाही:** क्योंकि यह कदम संविधान के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए **निजता के अधिकार के विरुद्ध** तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **पुट्टास्वामी वाद (निजता के अधिकार के संबंध में निर्णय)** में प्रदत्त निर्णय की भावना के भी विपरीत है।
    - यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों, गरिमा और व्यक्तिगत सूचना का उल्लंघन कर सकता है।
- **आधार के वाणिज्यिक उपयोग का कारण बन सकता है:** इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता के संदेश और पोस्ट्स गोपनीय नहीं रह जाएंगे। पुनः, विभिन्न हितधारकों द्वारा इसका उपयोग प्रोफाइल्स/प्रयोक्ताओं को लक्षित करने हेतु किया जा सकता है।
    - यदि आधार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के पंजीकरण, PAN, सामजिक सुरक्षा लाभ आदि सहित सम्पूर्ण डेटाबेस से लिंक कर दिया जाता है, तो **डेटा संग्रहण** में वृद्धि होगी। जब इस सूचना को आधार के साथ संबद्ध किया जाएगा, तो यह एक व्यक्ति के संपूर्ण प्रोफाइल (360 डिग्री) के सृजन का कारण बन सकती है। इसका विभिन्न कंपनियों एवं एप्लीकेशन्स द्वारा दुरुपयोग अथवा ट्रैक किया जा सकता है।
- **कुछ वर्गों को असमर्थ बनाएगा:** यह कदम वैसे व्यक्तियों को असमर्थ बनाएगा, जिन्हें सोशल मीडिया की **अनामिकता** (anonymity) द्वारा सशक्त किया गया है, जैसे कि-
    - **महिलाएं-** कई महिलाओं ने मी टू (MeToo) आन्दोलन के माध्यम से दैहिक और अतीत में हुए यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर करने हेतु अनामिकता का उपयोग किया है।
    - **जातीय समूह-** कई जातीय समूहों ने इसका प्रयोग यह दर्शाने हेतु किया है कि कुछ संस्थान (विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता), किस प्रकार उनके विरुद्ध जातीय भेदभाव करते हैं।
- **दुरुप्रयोग के प्रति प्रवण:** कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निगरानी उपकरणों के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- **सोशल मीडिया के साथ कुछ मुद्दों को लिंक करना गलत है:** उदाहरणार्थ, फेक न्यूज़ वर्तमान डिजिटल युग की देन नहीं है, अपितु यह बहुत पहले से ही विद्यमान है। ये मुद्दे इन प्लेटफॉर्म्स से स्वत: संबद्ध नहीं हैं।

आगे की राह

- कंपनियों, कानून प्रवर्तन अभिकरणों, नागरिक समाजों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों के मध्य एक व्यापक **हितधारक वार्ता** आवश्यक है।

सोशल मीडिया को **डेटा संरक्षण कानूनों के अंगीकरण** द्वारा अल्प विनियमन के दायरे के अंतर्गत लाया जा सकता है। यदि ये कंपनियां अत्यधिक डाटा का संग्रहण नहीं करें या उन्हें डाटा को सही करने का अधिकार प्राप्त है तो, यह लोगों को उच्च सुरक्षात्मक परिवेश उपलब्ध कराएगा।

1.4. इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क

(India Enterprise Architecture Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (National Conference on e-Governance: NCeG) में **ई-गवर्नेंस पर शिलांग घोषणा-पत्र** को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र में **इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)** के विषय में उल्लेख किया गया है।

इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है?

- IndEA वस्तुतः एक **समग्र संरचना के विकास के लिए एक ढांचा** है। इसके तहत सरकार को कार्यात्मक रूप से अंतर-संबंधित उद्यमों के एक एकल उद्यम के रूप में स्वीकार किया गया है।
- IndEA एक **व्यापक ढांचा उपलब्ध कराता है**, जिसमें संरचना संदर्भ प्रतिमानों (architecture reference models) का एक समुच्चय शामिल है तथा जिसे एक एकीकृत संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है।
- IndEA के तहत, **प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकल व्यक्तिगत अकाउंट होगा** और वह उस अकाउंट से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। यह सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न साइटों पर जाने और उन पर अलग-अलग लॉग इन करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा।

IndEA के मुख्य सिद्धांत

निम्नलिखित सिद्धांतों का समूह IndEA ढांचे को सूचित और निर्देशित करता है:

- **SDG लिंकेज:** प्रदर्शन परिमापन प्रणालियाँ (Performance Measurement Systems) सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त सतत विकास लक्ष्यों से संबद्ध हैं।
- **एकीकृत सेवाएं:** एकल सरकार (ONE Government) के विजन (दृष्टिकोण) को साकार करने हेतु एकीकृत सेवाओं (पृथक-पृथक सरकारी अभिकरणों से संबद्ध) को अभिनिर्धारित (identified), अभिकल्पित (designed) और सुपुर्द (delivered) किया गया है।
- **साझाकरण और पुन: प्रयोज्यता (Sharing & Reusability):** अर्थात्, सामान्य रूप से आवश्यक सभी एप्लिकेशन को एकबारगी विकसित करने हेतु संक्षिप्त किया गया है और पुनरुपयोग तथा साझाकरण के माध्यम से सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, अभिकरणों आदि में परिनियोजित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकीय स्वावलंबन:** एप्लिकेशन डिजाइन खुले मानक आधारित और प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष हैं।
- **डेटा-साझाकरण:** सरकार में सर्वत्र डेटा-साझाकरण, व्यक्ति के अधिकारों और विशेषाधिकारों के अधीन है, ताकि विभिन्न अभिकरणों द्वारा डेटा के प्रतिलिपित (duplicative) संग्रह के विकास तथा उपयोग को निरुद्ध किया जा सके।
- **मोबाइल अनिवार्य:** सभी सेवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्ति माध्यमों के बीच, मोबाइल चैनल्स का उपयोग अनिवार्य है।

परिकल्पित लाभ

- यह संपर्क रहित और बाधा रहित रीति से बहुविध चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाओं के प्रस्तुतिकरण द्वारा **नागरिकों तथा व्यवसायों को एकल सरकार (ONE Government) का अनुभव** प्रदान करता है।
- अत्यधिक उच्च क्रम के सेवा स्तरों को परिभाषित और प्रवर्तित कर, यह **सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि** करता है।
- यह समग्र प्रदर्शन प्रबंधन के माध्यम से विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की **प्रभावशीलता में सुधार** करता है।
- यह सूचना तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराते हुए **कर्मचारियों और अभिकरणों की उत्पादकता को बढ़ाता** है।
- यह संपूर्ण सरकारी तंत्र में निर्बाध अन्तरसंक्रियता (interoperability) के माध्यम से **एकीकृत और अंत:संबद्ध सेवाएं** प्रदान करता है।
- यह सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने तथा नवीतनम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु प्रणालियों (सिस्टम) में **परिवर्तन करने के लिए लोचशीलता एवं स्फूर्ति का समावेश** करता है।
- साझी अवसंरचनाओं और सेवाओं के उपयोग के माध्यम से **लागत-प्रभावशीलता** सुनिश्चित करता है।
- समावेशी विकास के लिए कार्य करने वाली एक संबद्ध सरकार (Connected Government) की स्थापना करने में मदद करता है।
- **डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के मध्य उचित संतुलन** बनाए रखने में मदद करता है।

चुनौतियां

- **IndEA ढांचे की अभिकल्पना जेनेरिक है।** किसी भी उद्यम द्वारा इसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता। अत: व्यावसायिक दृष्टिकोण और उद्यम के उद्देश्यों की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस ढांचे को अनुकूलित करना होगा।
- **कार्यान्वयन की पद्धतियाँ उद्यमों में व्यापक रूप से विविधतापूर्ण होती हैं,** जो शासन के पारितंत्र और उद्यम में ई-गवर्नेंस के विकास के वर्तमान चरण पर निर्भर करती हैं। उदाहरणार्थ- कार्यान्वयन के चरण के दौरान किसी भी सिद्धांत या विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करना अत्यंत कठिन होता है।
- एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में कई भागों के मध्य जटिल निर्भरता और परस्पर संबद्धता विद्यमान होती है। व्यक्तिगत घटकों का निष्कर्षण और उन्हें पृथकत्व (isolation) में पुन:अभिकल्पित / क्रियान्वित करना संभव नहीं है, क्योंकि यह सरकार में सर्वत्र अन्तरसंक्रियता और एकीकरण क्षमताओं को गंभीर रूप से क्षीण करेगा।

निष्कर्ष

- IndEA को अपनाकर, भारत डिजिटल गवर्नेंस के करीब पहुंच जाएगा और डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत परिकल्पित ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए IndEA योजनाकारों द्वारा इसके महत्व की पहचान करनी चाहिए तथा नियोजन चरण में विशेषीकृत संसाधन उपलब्ध कराते हुए इस संदर्भ में पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

VISION IAS

1.5. उच्चतम न्यायालय हेतु और अधिक न्यायाधीश

(More Judges for Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 करने हेतु एक कानून पारित किया है।

पृष्ठभूमि

- मूल रूप से, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गयी थी।
- **अनुच्छेद 124 (1)** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।
- संसद ने **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956** के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी थी।
- न्यायाधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 31 करने हेतु इस अधिनियम में **वर्ष 2009 में अंतिम संशोधन** किया गया था।

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता

- **वादों का व्यापक तौर पर लंबित होना:** विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 59,331 वाद लंबित हैं। न्यायाधीशों के अभाव के कारण विधि के प्रश्न को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई हेतु आवश्यक संख्या में संविधान पीठों का गठन नहीं किया गया था।
- **निम्न निपटान दर:** उच्चतम न्यायालय में वाद निपटान दर 55 से 59% तक बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को न्याय प्राप्त करने में अत्यंत विलंब होता है।

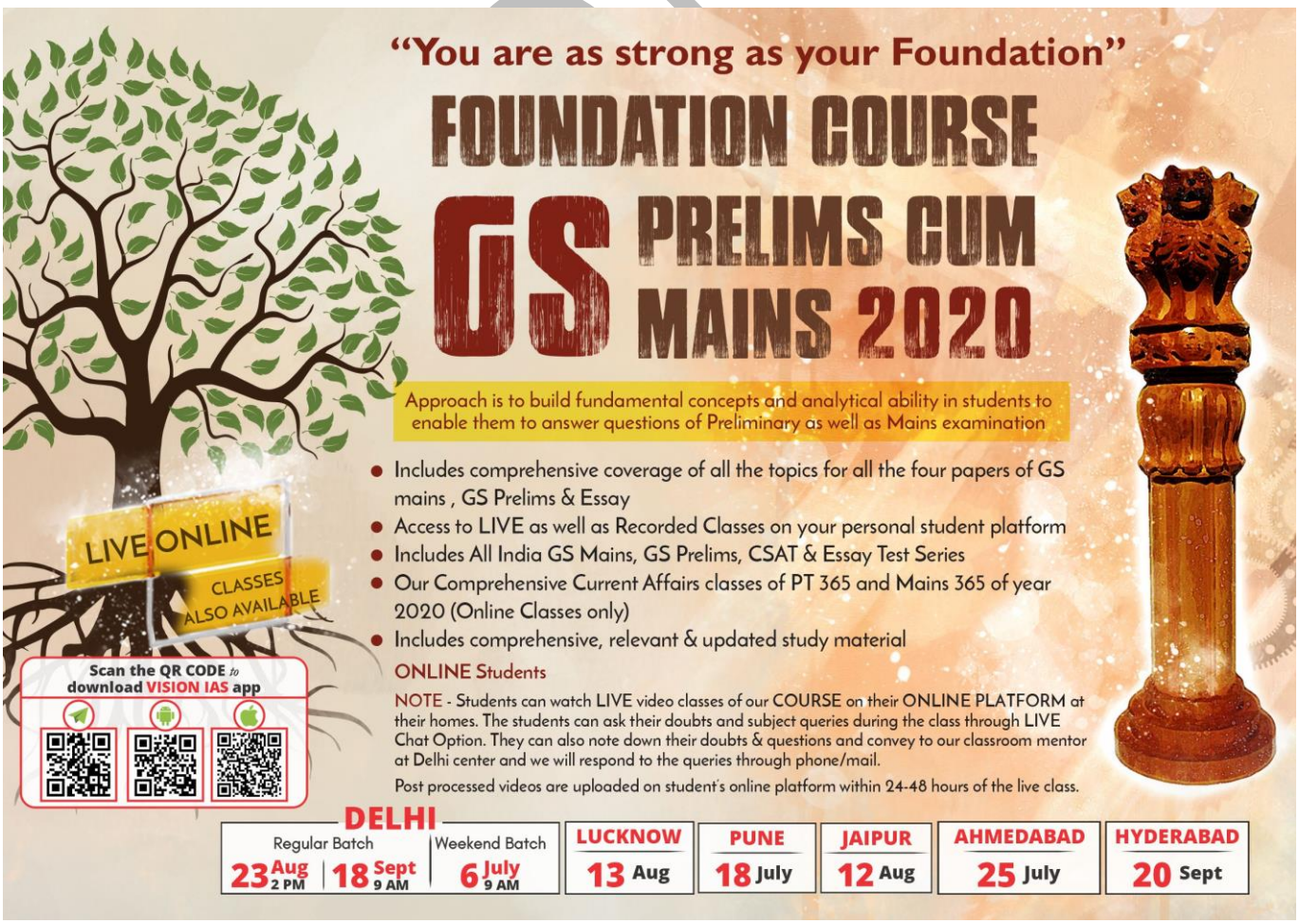

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

(US-China Trade War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में,अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ हेरफेर करने वाला देश (currency manipulator) घोषित किया है। इस कदम ने चीन के साथ USA के व्यापार युद्ध को और आगे बढ़ाया है।

मुद्रा में हेरफेर (Currency manipulation) क्या है?

करेंसी मैनिपुलेशन वह स्थिति है, जब सरकारें व्यापार में 'अनुचित लाभ' प्राप्त करने हेतु विनिमय दर को कृत्रिम रूप से परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1990 के दशक के पश्चात् यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि उस समय भी चीन को लक्षित किया जा रहा था।
- यह कदम चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) द्वारा युआन के मूल्य में डॉलर के सापेक्ष आकस्मिक रूप से 1.9 प्रतिशत (एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट) की कमी करने (अवमूल्यन) की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् उठाया गया था।
- इससे यह संकेत परिलक्षित हुआ है कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य चल रहा व्यापार युद्ध अब करेंसी वार के रूप में परिवर्तित हो रहा है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- अमेरिका और चीन दोनों देशों के मध्य व्यापार चीन के अत्यधिक पक्ष में है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में, अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 419.2 बिलियन डॉलर का था।
- अगस्त 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों को चीनी वस्तुओं पर संभावित प्रशुल्क (टैरिफ) वृद्धि के संबंध में जांच शुरू करने का आदेश दिया था।
    - यह जनवरी 2018 के पश्चात् से ही शुरू हो गया था, जब ट्रम्प ने विदेशी सौर पैनलों पर 30 प्रतिशत प्रशुल्क और उसी वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली प्रथम 1.2 मिलियन वाशिंग मशीनों पर 20 प्रतिशत प्रशुल्क आरोपित किए थे। दोनों कदम मुख्य रूप से चीनी हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
    - अमेरिका ने चीन से आयातित स्टील और एल्युमीनियम वस्तुओं पर अत्यधिक प्रशुल्क आरोपित किया है तथा इसी के प्रतिउत्तर में चीन द्वारा भी अमेरिका से आयातित अरबों डॉलर के सामान पर प्रशुल्क आरोपित किया गया है।
- व्यापार युद्ध से संबंधित विवादों में वृद्धि हुई है, जिसमें अमेरिका ने चीन से 375 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने की मांग की है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और चीनी बाजारों में अमेरिकी वस्तुओं की अधिक पहुंच के लिए "सत्यापन योग्य उपाय (verifiable measures)" शुरू किए हैं।
- चीन की 'मेड इन चाइना 2025' नीति ने भी अमेरिका की नाराज़गी को बढ़ाया है क्योंकि इस नीति का मुख्य बल चीन को प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के उभरते क्षेत्रों में प्रमुख अभिकर्ता बनाने के साथ-साथ घरेलू फर्मों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

व्यापार युद्ध का वैश्विक प्रभाव

- **वैश्विक GDP में गिरावट:** इस वर्ष की शुरुआत में IMF की रिपोर्ट में कहा गया था कि USA-चीन व्यापार तनाव एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने विगत वर्ष के अंत में "अत्यल्प वैश्विक व्यापार विस्तार" में योगदान दिया था, क्योंकि इस परिस्थिति के कारण वर्ष 2019 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कटौती की गयी थी।
    - **ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट** के अनुसार, व्यापार युद्ध रहित परिदृश्य की तुलना में व्यापार से संबंधित अनिश्चितता वर्ष 2021 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद को 0.6 प्रतिशत तक कम कर सकती है।
    - यदि अमेरिका और चीन द्वारा प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाओं को निरंतर बढ़ाया जाता है, तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर अपने सात वर्षों के 2.8% के निचले स्तर तक गिर सकती है तथा इससे भी गंभीर स्थिति यह उत्पन्न होगी कि निकट भविष्य में विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

VISION IAS

- **मुद्राओं पर प्रभाव:** यह तनाव "प्रशुल्क वार" को संभावित "करेंसी वार" में परिवर्तित कर सकता है। यह न केवल अमेरिका और चीनी मुद्राओं या उनके शेयरों (वैश्विक वित्तीय निवेशकों के 60% से अधिक) का व्यापार करने वालों के लिए अधिक जोखिम उत्पन्न करेगा, बल्कि उभरते बाजारों में पूँजी प्रवाह के लिए भी नकारात्मक सिद्ध हो सकता है जो डॉलर के लिए अपनी मुद्राओं को स्थिर (peg) करते हैं।
- **ब्रेक्जिट (BREXIT) के साथ युग्मित:** अमेरिका एवं चीन के मध्य चल रहे व्यापार तनाव तथा ब्रेक्जिट के कारण अनिश्चितताओं ने यूरोपीय देशों, विशेष रूप से जर्मनी, के निर्यात को प्रभावित किया है, जो (जर्मनी) अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है।
- **ग्लोबल वैल्यू चेन (GVCs) का पुनर्गठन:** अमेरिका द्वारा चीन से किए जाने वाले आयात में 60% हिस्सा मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उपकरणों का है। इन्हें GVC के माध्यम से निर्मित किया जाता है जिन्हें एक दर्जन या अधिक देशों में उत्पादित किया जाता है। अमेरिका की कम मांग का आशय होगा कि चीन द्वारा जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड से कम कंपोनेंट्स और सब-असेंबली यूनिट्स की खरीद की जाएगी। यह व्यापार में कमी और GVC मॉडल को कमजोर करेगा।
- **दक्षिण-एशिया में कपड़ा उद्योगों के लिए लाभ:** अमेरिका द्वारा किए जाने वाले वस्त्र आयात अब चीन से दक्षिण-एशिया के अन्य देशों (वियतनाम और बांग्लादेश) की ओर स्थानांतरित हो गए हैं तथा इन देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
    - वैकल्पिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन द्वारा किए जाने वाले कपास के आयात में वर्ष 2019 की पहली छमाही में गिरावट आई है तथा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित अन्य देशों से किए जाने वाले आयात में वृद्धि हुई है।
- **WTO को कमजोर बनाएगा:** राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मार्च 2018 में स्टील एंड एल्यूमीनियम के आयात को लेकर अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम WTO की मूल भावना के विरुद्ध हैं।
    - WTO के दोहा एजेंडे को आगे बढ़ाने में अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके द्वारा अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति न किया जाना, WTO के विवाद निपटान पैनल को कमजोर कर रहा है।

भारत के लिए निहितार्थ

US-चीन व्यापार की तुलना में, वर्ष 2018 में अमेरिका के साथ भारत का कुल व्यापार 142 बिलियन डॉलर था। भारत-US व्यापार का आकार US-चीन व्यापार के पांचवें भाग से कम है। हालाँकि, यह भारत को लाभ पहुंचा सकता है क्योंकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने अन्य देशों के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं।

- **सकारात्मक प्रभाव**
    - **निर्यात में वृद्धि:** UNCTAD की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अमेरिका और चीन के मध्य विवाद के कारण, दीर्घकालिक रूप में अपने निर्यात में 11 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि उन वस्तुओं के संबंध में होगी जो वर्तमान में चीन से आयात की जा रही हैं जहां अमेरिकी कंपनियों के पास भारत से मुकाबले के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं है।
        - भारतीय निर्यात चीन में उन सामानों हेतु लाभ प्रदान करेगा जिन्हें वर्तमान में चीन, अमेरिका से आयात करता है।
        - दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार युद्ध के पश्चात् भारत द्वारा चीन को किए जाने वाला निर्यात अमेरिका की तुलना में तेजी से बढ़ा है।
    - **कुछ घरेलू कंपनियों को लाभ:** प्लास्टिक, कपास, अकार्बनिक रसायनों और मछली जैसे उत्पादों को चीन को अधिक निर्यात करके, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत लाभान्वित हुआ है। इनमें से कुछ वस्तुओं में भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ है।
        - भारतीय निर्यातक तीन विविध क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं: यथा- वस्त्र, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (ICT) तथा कुछ सीमा तक मोटर वाहन घटक।
    - **FDI में वृद्धि:** भारत एवं अमेरिका तथा भारत एवं चीन के मध्य निवेश एवं पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है क्योंकि चीन और अमेरिका स्वयं को पृथक करना चाहते हैं।
        - चीनी कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत में निवेश के क्षेत्र में विशेष रूप से दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
    - **इस्पात क्षेत्र के लिए लाभ:** अमेरिका विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा आयातक देश है और भारत ने वैश्विक इस्पात उद्योग में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है तथा वर्ष दर वर्ष इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही, भविष्य में इस क्षेत्र में विकास की संभावना भी अत्यधिक है।
- **नकारात्मक प्रभाव**
    - **रुपये का मूल्य:** अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के कारण (जो स्वतः भारत के व्यापार घाटे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है) क्रमिक रूप से एक श्रृंखला अभिक्रिया (चेन रिएक्सन) को बढ़ावा मिलता है।

VISION IAS

- **भारतीय शेयर बाजार:** वैश्विक व्यापार युद्ध से संबंधित चिंताओं के मध्य, भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांकों में गिरावट निवेशकों के आशंकित दृष्टिकोण के कारण हुई है।
- **भारत-अमेरिकी शुल्क:** चूंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया है, अतः इसके कारण भारत को अब अमेरिका को लगभग 241 मिलियन डॉलर कर का भुगतान करना होगा।
  - जहां तक विनिर्माण उद्योग का संबंध है, आरोपित अतिरिक्त शुल्क के हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी।

निष्कर्ष

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के आलोक में, अवसरों और चुनौतियों दोनों का सृजन हुआ है। भारत को अमेरिका के साथ संलग्नता को सुदृढ़ करने और व्यापार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य उचित प्रयास किए गए हैं जिसमें भारत दोनों देशों में अपनी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने हेतु उत्सुक है और उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है जहां निर्यात बढ़ाने की संभावना विद्यमान है।

2.2. भारत-फ्रांस

(India-France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा ने भारत-फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

हालिया विकास

- दोनों देशों ने **"म्युचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट"** पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को भारतीय तटों पर लौटने के लिए ऑपरेशनल टर्नअराउंड हेतु पुनः ईंधन भरने के लिए जिबूती स्थित फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।
- दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी के "उपग्रह समूह (constellation)" के एक भाग के रूप में 8-10 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई है।
- **नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (CNES)** और इसरो ने वर्ष **2022 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान (गगनयान)** के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व बायो-एस्ट्रोनॉटिक्स हेतु एक समझौता किया है।
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) ने फ्रेंच नेशनल रेलवे (SNCF) और AFD (भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम की सहायता करने हेतु एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- इस चर्चा का व्यापक फोकस, भविष्य के रक्षा अधिग्रहण, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में प्रगति, अभिसरण, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक एवं राजनीतिक प्राथमिकताओं सहित फ्रांस और भारत को प्रमुख रणनीतिक तथा समान विचारधारा वाले भागीदार के रूप में पुन: पुष्टि करने एवं रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने पर रहा।
- डिजिटल स्पेस में, दोनों देशों ने **एक साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी रोड मैप** को अपनाया है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व एक्सास्केल सुपरकंप्यूटिंग** के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने हेतु सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग और एटोस (Atos) के मध्य एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

सहयोग के क्षेत्र

- **समुद्री सुरक्षा सहयोग / इंडो-पैसिफिक क्षेत्र:**
  - **द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन** और **समुद्री निगरानी के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान**।
  - **बहुपक्षीय निकायों में सहयोग को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** में फ्रांस की दावेदारी को भारत का समर्थन तथा वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS) में फ्रांस की अध्यक्षता, जैसे सहयोगात्मक कदम से फ्रांस की प्राथमिकताओं के साथ भारत के निकटता से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगे।
  - जिबूती, अबूधाबी और रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे भारत के लिए संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि भारत स्वयं ओमान (ड्यूक), मॉरीशस और सेशेल्स (अजंपशन आइलैंड) में नौसेना की सुविधाओं का निर्माण करना चाहता है।
- **अंतरिक्ष**
  - वर्ष 2015 में ही फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) के मध्य परियोजनाओं को संवर्द्धित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- इसने जलवायु मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग हेतु भारत के ओशनसैट-3 उपग्रह (जिसमें फ्रांस के आर्गोस सिस्टम की सहायता ली जा रही) के वर्ष 2019 में लांच संबंधी संयुक्त मिशन को अंतिम रूप देने में नेतृत्व प्रदान किया है।
- इसके परिणामस्वरूप थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए संयुक्त रूप से विकसित तीसरे उपग्रह, 'तृष्णा' को प्रक्षेपित किया गया है।
- फ्रांस, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो के, **मंगल (Mars) और शुक्र (Venus) पर भविष्य में भेजे जाने वाले अंतर-ग्रहीय मिशनों** में योगदान देने पर भी विचार कर रहा है।

  - अंतरिक्ष सहयोग के लिए वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित महत्वाकांक्षी संयुक्त विजन ने अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा समुद्री निगरानी हेतु सूक्ष्म उपग्रहों के एक समूह (constellation) पर कार्य शुरू करने में सक्षम बनाया।

- **राजनीतिक/विदेशी संबंध:** आतंकवाद एवं कश्मीर संबंधी मुद्दों पर भारत के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में फ्रांस का उदय हुआ है।
- फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है तथा इसने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कण्ट्रोल रिजीम) (जून 2016 में MTCR में, वर्ष 2017 में वासेनार अरेंजमेंट, जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में प्रवेश) में भारत के प्रवेश का समर्थन किया है।
- **रक्षा संबंध:**
  - फ्रांस और इसके रक्षा उद्योग, रक्षा क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।
  - प्रथम परंपरागत पनडुब्बी, स्कॉर्पीन {जिसका निर्माण वर्ष 2008 में DCNS (फ्रांस की एक नौसैन्य क्षेत्र की कंपनी) से प्रौद्योगिकी एवं सहयोग प्राप्त होने पर भारत में शुरू हुआ} का वर्ष 2015 में समुद्री परीक्षण शुरू किया गया और दूसरी स्कॉर्पीन पनडुब्बी का जलावतरण जनवरी 2017 में हुआ।
  - सितंबर 2016 में **36 राफेल लड़ाकू** विमानों के अधिग्रहण (भारत द्वारा) पर एक समझौता हुआ।
- **आतंकवाद का मुकाबला करना:** हाल के वर्षों में फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों ने साइबर सुरक्षा एवं चरमपंथ पर चर्चाओं सहित आतंकवाद का मुकाबले करने संबंधी सहयोग के दायरे को बढ़ा दिया है।
- **वस्तुओं से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार:** वर्ष 2018 में, भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार विगत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.60% वृद्धि के साथ 11.52 बिलियन यूरो रहा। इस अवधि के दौरान भारत का फ्रांस में निर्यात, 11.77% वृद्धि के साथ 5.99 बिलियन यूरो था।
- **भारत में फ्रांस द्वारा निवेश:** फ्रांस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। फ्रांस भारत में 10वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
  - फ्रांस, **फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ़ स्मार्ट सिटीज** के तहत चंडीगढ़, नागपुर और पुदुचेरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **परमाणु क्षेत्र:** परमाणु क्षेत्र में, छः EPR (यूरोपियन प्रेशराइज्ड रियक्टर) परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिए लगभग एक दशक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी कुल क्षमता 9.6 GW थी, जिसके लिए NPCIL (भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड) और अरेवा तथा अब ईडीएफ (EdF) के मध्य वार्ता चल रही है।
  - NPCILऔर EdF के मध्य औद्योगिक उपायों पर अग्रेसित समझौता, जिसके तहत जैतापुर में चल रहे कार्य को वर्ष 2018 के अंत से पूर्व पूरा करने की घोषणा की गयी।
- **शैक्षणिक संबंध:** संभावित रूप से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम युवा एवं विद्यार्थियों के आदान-प्रदान (student exchanges) पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रति वर्ष चीन से फ्रांस जाने वाले 2,50,000 से अधिक छात्रों की तुलना में लगभग 2,500 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं।
- **पर्यटन:** वर्ष 2020 के लिए एक लाख भारतीय पर्यटकों तथा 3,35,000 फ्रांसीसी पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** वर्ष 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत फ्रांस और भारत द्वारा सक्रिय रूप से अपने सहयोग को सुदृढ़ रूप प्रदान किया गया था। साथ ही, इन्होंने इस समझौते के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया है। इन्होंने संयुक्त रूप से **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** का शुभारंभ किया है।

निष्कर्ष

भारत और फ्रांस जैसे राष्ट्रों के लिए नेतृत्व करने तथा इतिहास बनाने के साथ-साथ उदयमान संस्थागत ढांचे को आकार देने हेतु यह उपयुक्त समय है। इस यात्रा के कारण भारत-फ्रांस की द्विपक्षीय भागीदारी में अपरिमित संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व उनका दोहन करने हेतु उत्सुक हैं।

VISION IAS

2.3. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन

(No First Use Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत को भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर अपनी 'नो फर्स्ट यूज' (परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति) नीति को परिवर्तित करने का अधिकार है। ज्ञातव्य है कि यह सिद्धांत दशकों से भारत की परमाणु नीति का आधार रहा है।

पृष्ठभूमि

- **"नो फर्स्ट यूज़" (NFU) एक देश द्वारा किया गया एक संकल्प** है जिसके अनुसार वह देश तब तक अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग युद्ध के एक साधन के रूप में नहीं करेगा जब तक कि कोई प्रतिद्वंदी राष्ट्र पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है।
- इन नीतियों की प्रकृति सामान्यत: घोषणात्मक रही हैं और इसे सत्यापित करने या लागू करने हेतु कोई कूटनीतिक व्यवस्था मौजूद नहीं है।
  - वे राष्ट्र जिन्होंने इस प्रकार का संकल्प किया है वे अभी भी संघर्ष की स्थिति में पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं।
- भारत ने **पोखरण II** परीक्षण के पश्चात् वर्ष 1998 में "NFU" नीति को यह कहते हुए अपनाया था कि इसने हाल ही में परमाणु हथियार प्राप्त किए हैं और उसके द्वारा इसका प्रयोग केवल एक निवारक/भयादोहन (detterent) के रूप में किया जाएगा।
- हाल के दिनों में, कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस नीति को रद्द करने की मांग की है।
  - पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नवंबर 2016 में कहा था कि भारत को इस प्रकार के संकल्प का कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए"।
  - स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के पूर्व कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बी. एस. नागपाल ने हाल ही में इसे "फार्मूला फॉर डिजास्टर" के रूप में वर्णित किया है।

अन्य देशों में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी

- वर्ष 1964 में परमाणु शक्ति बनने के पश्चात् **चीन** इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम देश बना था, जिसने इसे देश की परमाणु रणनीति के "विशुद्ध रूप से आत्मरक्षात्मक प्रकृति" के संकेत के रूप में वर्णित किया था।
- अमेरिका द्वारा कभी भी **NFU नीति घोषित नहीं** की गयी है।
- वर्ष 1982 में, सोवियत संघ ने संकल्प किया कि उसके द्वारा एक NFU नीति को अपनाया जाएगा और वह संघर्ष के दौरान परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि, वर्ष 1993 में रूस ने इस विचार से अपने को अलग करते हुए कहा कि अन्य राष्ट्रों के समान वह उन दूसरे देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है।
- पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है।
- वर्तमान में केवल **चीन** और **भारत** ही ऐसे परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं जिन्होंने शर्तरहित NFU संकल्प को अपनाया हुआ है।

भारत का परमाणु सिद्धांत

- **भारत का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत 4 जनवरी 2003 को जारी किया गया था।** इसमें दो आकस्मिक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था, जिसके तहत परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता था:
  - जब भारतीय राज्य क्षेत्र पर परमाणु हमला हुआ हो, या
  - भारत के बाहर भारतीय सेना पर हमला किया गया हो।
- भारतीय सिद्धांत में यह भी उल्लेख किया गया था कि भारत द्वारा **गैर-परमाणु-संपन्न राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा** और इस प्रकार के पदार्थों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कठोर नियंत्रण स्थापित करेगा।
- **जवाबी कार्रवाई में हमले करने का अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सिविलियन राजनीतिक नेतृत्व के पास** होता है।
- **हालांकि, इस सिद्धांत में एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण चेतावनी शामिल है:** "भारत के विरुद्ध या कहीं पर भी भारतीय बलों पर, जैविक या रासायनिक हथियारों से एक बड़े हमले की स्थिति में, भारत के पास परमाणु हथियारों के द्वारा जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प होगा"।
- भारत वैश्विक, सत्यापनीय और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से **परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है।**

VISION IAS

भारत के लिए NFU का महत्व

- **यह जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की छवि का निर्माण करता है:** राजनयिकों ने प्राय: देश को एक 'उत्तरदायी' राज्य के तौर पर सिद्ध करते हुए पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करने की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया है और इस तरह वे किसी भी ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करने संबंधी दबाव का विरोध करते हैं जो इनके परमाणु हथियारों को प्रभावित करती हैं। इससे भारत को भी NSG में छूट प्राप्त करने तथा MTCR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे विशिष्ट परमाणु समूहों में प्रवेश करने में सहायता मिली है।
- **परंपरागत युद्ध से बचने हेतु:** पाकिस्तान की अस्पष्ट परमाणु नीति के विपरीत, भारत की NFU नीति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले तथा 2008 में मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के मध्य परंपरागत युद्ध को टाला गया है।
- **फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता हेतु सुदृढ़ सेकंड स्ट्राइक क्षमता की आवश्यकता होती है:** फर्स्ट स्ट्राइक के लिए एक देश को सेकंड स्ट्राइक क्षमता की आवश्यकता होती है क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर ऐसी कोई "भयावह" स्थिति नहीं होती है जिसके द्वारा विरोधी देश की संपत्ति और नेतृत्व को 100% समाप्त कर दिया गया हो।
- **सिविलियन कंट्रोल (Civilian control):** यह सुनिश्चित करता है कि कमांड एंड कंट्रोल सिविलियन राजनीतिक नेतृत्व के पास दृढ़ता से रहना चाहिए।
- **ग्लोबल नो फर्स्ट यूज (GNFU) व्यवस्था:** भारत के लिए NFU, ग्लोबल नो फर्स्ट यूज (GNFU) व्यवस्था की ओर चीन के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सहयोग का अवसर भी प्रदान करती है। विशेषत: परमाणु हथियारों को राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रखने संबंधी विचारों में एकरूपता है।

दृष्टिकोण में बदलाव की मांग के कारण

- **पाकिस्तान के सामरिक परमाणु खतरे:** पाकिस्तान समय-समय पर यह चर्चा करता रहता है कि यदि भारतीय सैन्य बलों द्वारा उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई प्रयास किया गया तो वह उनके विरुद्ध सामरिक परमाणु हथियारों (TNW) का प्रयोग कर सकता है। साथ ही, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों जैसे सब-कन्वेंशनल साधनों के प्रयोग के माध्यम से भारत के परंपरागत लाभ को अवरुद्ध किया गया है।
- **चीन की परंपरागत शक्ति:** भारत और चीन के मध्य परंपरागत असमानता न केवल अधिक है, बल्कि यह अधिक सुस्पष्ट भी है। यह भारत की NFU नीति पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है।
- **भारत को जवाबी कार्रवाई (retaliated) करने से पूर्व फर्स्ट स्ट्राइक से प्रभावित होना पड़ेगा:** यह तर्क दिया जाता है कि जब भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ युद्ध की स्थिति में होने तथा दोनों के द्वारा एक साथ आक्रामक हमला किया जाता है तो ऐसी स्थिति में NFU सिद्धांत एक आदर्श नहीं हो सकता है।

बदलती परिस्थितियों के कारण भारत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **भारत की छवि:** NFU नीति पर पुनर्विचार करने से भारत द्वारा लंबे समय से जिम्मेदार राज्य के रूप में अर्जित प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं:** फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाने से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित होंगे क्योंकि इनमें भारत के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इनकी निकटता चीन के साथ बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक NFU की नीति के प्रति इसकी (चीन) प्रतिबद्धता के कारण चीन उनका एक वैकल्पिक संरक्षक बन सकता है।
- **मौजूदा परमाणु संरचना:** यदि भारत को NFU नीति में अकस्मात परिवर्तन करना पड़ा, तो भारत को इसके लिए मौजूदा परमाणु संरचनाओं, चेतावनी संबंधी व्यवस्था, तैनाती और कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन करने होंगे। साथ ही, वितरण प्रणाली और युद्धक सामग्री में भी अत्यधिक वृद्धि करनी होगी।
- **चीन भी अपनी NFU नीति को संशोधित कर सकता है:** यदि भारत अपनी NFU नीति में परिवर्तन करता है, तो इससे दक्षिण एशिया में अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तथा साथ ही यह चीन को भी अपनी NFU नीति को संशोधित करने का अवसर प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

- सभी सिद्धांतों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता होती है और भारत का परमाणु सिद्धांत कोई अपवाद नहीं हैं। तेजी से परिवर्तित हो रहे सामरिक परिवेश में यदि भारत के नीति निर्माताओं को राष्ट्र के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें इसमें शामिल लागतों को ध्यान में रखना चाहिए। एक सुदृढ़ नीतिगत वाद-विवाद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक तथाकथित नीतिगत स्थानांतरण की लागत और लाभों पर व्यापक रूप से चर्चा एवं वाद-विवाद किया गया है।

VISION IAS

2.4. मेकांग गंगा सहयोग

(Mekong Ganga Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, थाईलैंड के बैंकाक में मेकांग-गंगा सहयोग की 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक {10th Mekong-Ganga Cooperation Ministerial Meeting (10th MGC MM)} का आयोजन किया गया।

हालिया बैठक पर एक नज़र

- इस बैठक में एक नई **MGC प्लान ऑफ़ एक्शन 2019-2022** को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **MGC कोऑपरेशन के सात क्षेत्रों में परियोजना-आधारित सहयोग** प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है, जिनमें मुख्यतः पर्यटन और संस्कृति; शिक्षा; सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा; कृषि व संबद्ध क्षेत्र; परिवहन और संचार; तथा सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम (MSMEs) सम्मिलित हैं।
  - इसके द्वारा **सहयोग के तीन नए क्षेत्रों** की भी परिकल्पना की गयी है। इसके तहत जल संसाधन प्रबंधन; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; तथा कौशल विकास और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।
- बैठक के दौरान, वर्ष 2020 में MGC की 20वीं वर्षगांठ के आयोजन हेतु सहमति प्रदान की गई।
- मंत्रियों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर पुन: बल दिया गया तथा वर्ष 2019 को **"भारत-आसियान पर्यटन वर्ष"** के रूप में चिन्हित किए जाने पर चर्चा की गई।

मेकांग-गंगा सहयोग के बारे में

- पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु यह छह देशों - भारत और पाँच आसियान देशों, यथा- कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम द्वारा प्रारम्भ की गयी एक पहल है।
- वर्ष 2000 में लाओस के विएनतिएन (Vientiane) में इसका शुभारंभ किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि **गंगा** और **मेकांग** दोनों ही अति प्राचीन नदियाँ (सभ्यताओं का पोषण स्थल) हैं तथा MGC पहल का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के मध्य निकट संपर्क को सुदृढ़ करना है।
- यह MGC के सदस्य देशों के मध्य सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का भी प्रतीक है।

मेकांग गंगा सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी की पुनः अभिपुष्टि:** इस क्षेत्र के प्रभावी एकीकरण के द्वारा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पुनः अभिपुष्टि प्रदान करना।
- **पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़ावा:** यदि म्यांमार के साथ-साथ विभिन्न MGC देशों के समग्र क्षेत्र में व्यापार और उद्योग में वृद्धि होती है, तो इससे पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मेकांग-गंगा सहयोग परियोजना को प्रभावी बनाने और सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु ब्रह्मपुत्र घाटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **सांस्कृतिक और वाणिज्यिक सहयोग** को बढ़ावा देने हेतु।
- **मेक इन इंडिया:** विनिर्माण क्षेत्र में मेकांग देशों के व्यापक अनुभवों को भारत अपने मेक इन इंडिया प्रयास में उपयोग कर सकता है।
- **चीन की आक्रमकता पर नियंत्रण:** इस क्षेत्र में चीन की आक्रमकता को प्रतिसंतुलित करने हेतु यह आवश्यक है, क्योंकि मेकांग नदी के जल के प्रवाह पर नियंत्रण में चीन का प्रभुत्व देखा जा सकता है।
- **विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त** करने हेतु, इस क्षेत्र में भारत का राजनीतिक नेतृत्व भारत को विश्व राजनीति में एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा।

2.5. जी-7

(G-7)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस में आयोजित G-7 के 45वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत को एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

G-7 के बारे में

- वर्ष 1975 में गठित यह **एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
- अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के प्रयास के रूप में इसका गठन किया गया था, जो वैश्विक तेल संकट पर केन्द्रित था।

- G-7 या 'ग्रुप ऑफ सेवन' एक समूह है जिसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** शामिल हैं। इन राष्ट्रों के द्वारा वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- वर्ष 1997 में जब रूस G-7 में शामिल हुआ तो उसके बाद कई वर्षों तक G-7 को **'G-8'** के रूप में जाना जाता था। **वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद रूस को इस समूह की सदस्यता से निष्कासित** कर दिया गया था, जिसके पश्चात् इस समूह को पुनः G-7 कहा जाने लगा।
- G-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सदस्य **राष्ट्रों के नेताओं द्वारा रोटेशन (चक्रानुसार)** आधार पर की जाती है।
- G-7 के तहत **कोई औपचारिक संविधान या एक निश्चित मुख्यालय की व्यवस्था नहीं** की गई है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
- **भारत G-7 समूह का सदस्य राष्ट्र नहीं है।**

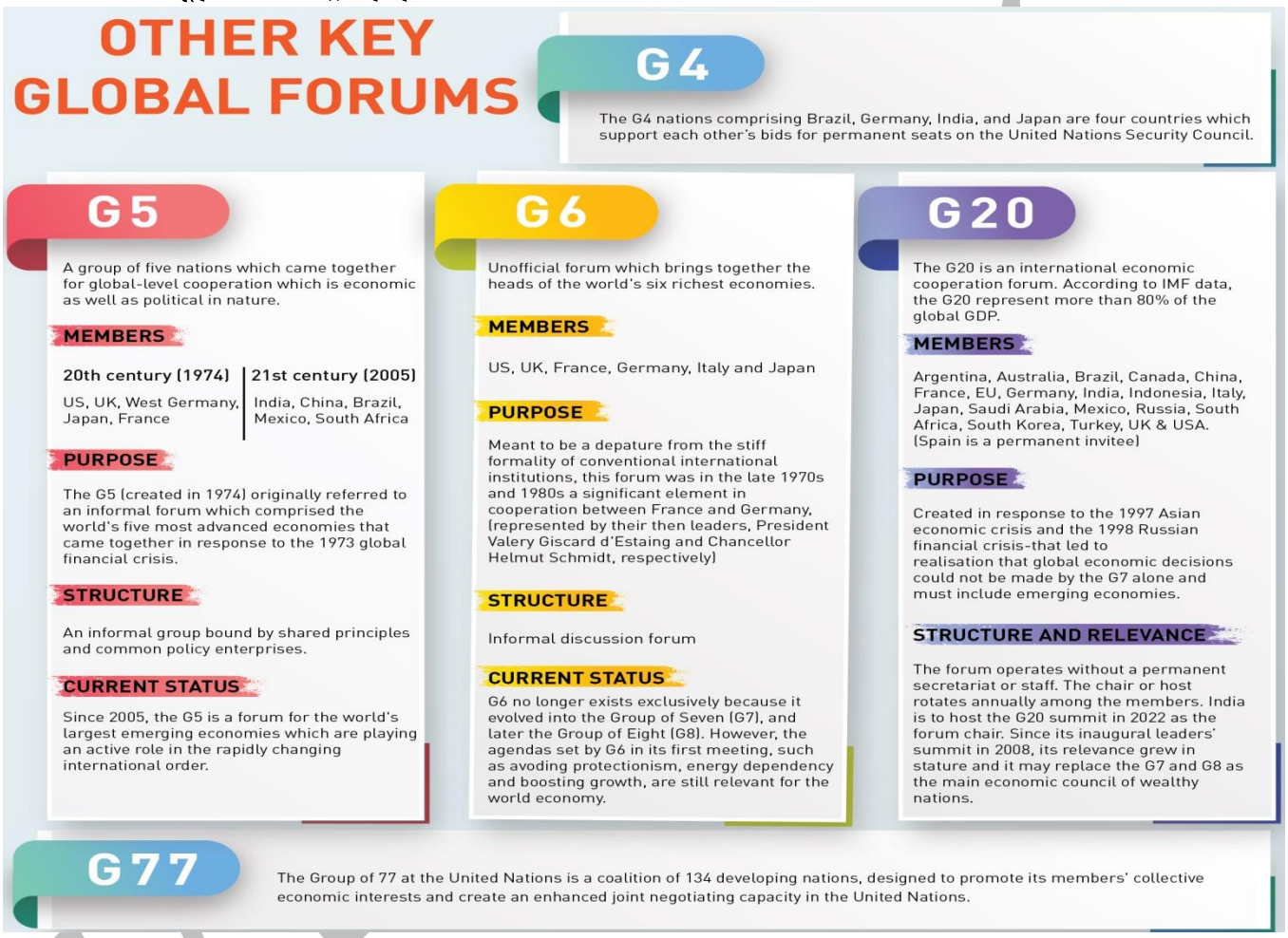

G-7 के समक्ष प्रमुख मुद्दे

- **असमानता का सृजन:** ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अनुसार, G-7 के नेता अपने राष्ट्र के साथ-साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों में "संसाधन संपन्न" (haves) और "संसाधन रहित" (have-nots) के मध्य एक व्यापक अंतराल का सृजन कर रहे हैं।
- **अमेरिका का वर्चस्व:** G-7 द्विपक्षीय वार्ता का एक मंच बन गया है, जहां ज्यादातर अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुरूप ही इन वार्ताओं को निर्धारित किया जाता है।
- **आर्थिक मुद्दों तक सीमित:** आर्थिक मुद्दों के अतिरिक्त G-7 अन्य मुद्दों, जैसे- आतंकवाद, परमाणु अप्रसार, जलवायु परिवर्तन आदि को संबोधित करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन मुद्दों को गैर-G-7 देशों के सहयोग के बिना हल नहीं किया जा सकता है।
- **रूस, चीन आदि जैसे प्रमुख देशों की भागीदारी न होना:** पिछले कुछ दशकों में भारत, चीन और ब्राजील के एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर उदय के परिणामस्वरूप G-7 की प्रासंगिकता कम हुई है। इन देशों की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी बढ़कर अब लगभग 40% हो गई है। रूस के साथ निरंतर तनाव की स्थिति, व्यापार और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों पर असहमति आदि के कारण G-7 का भविष्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

- **G-20 से प्रतिस्पर्धा:** ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटीज (G-20) एक वैकल्पिक मंच के रूप में उभर रहा है। G-20 की शक्ति और प्रभाव ने G-7 की प्रासंगिकता को कम कर दिया है। ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य कई उभरती शक्तियां G-20 से संबद्ध हैं, जिनकी G-7 में अनुपस्थिति प्रायः इसे अप्रभावी बनाती है। G-20 समूह के सदस्य देश, वैश्विक GDP का लगभग 80 प्रतिशत तथा विश्व की दो-तिहाई जनसँख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी में विकसित G-7 की तरह तथाकथित "हितों के समेकन" (coalitions of convenience) द्वारा चिन्हित अन्य कार्यरत तंत्र विश्व व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु संघर्षरत हैं। अब यह माना जाने लगा है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरांत गठित वैश्विक व्यवस्थाओं को इक्कीसवीं सदी में प्रासंगिक बने रहने के लिए, नए सदस्य राष्ट्रों (विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका से) को शामिल करने की आवश्यकता है। व्यापार, कश्मीर आदि जैसे मुद्दों के मामले में भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुदृढ़ स्थिति का लाभ प्राप्त कर रहा है तथा रूस और ईरान के साथ भारत के संबंधों पर सभी G-7 सदस्यों के साथ चर्चा की गई।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. प्रत्यक्ष कर संहिता

(Direct Tax Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अखिलेश रंजन** की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा नए प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) कानून का प्रारूप भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- DTC वस्तुतः भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर क़ानूनों को सरलीकृत करने का एक प्रयास है।
  - यह भारत में एकल कानून के तहत प्रत्यक्ष कर क़ानूनों की संरचना को संशोधित, समेकित और सरलीकृत करेगा।
  - इसे क्रियान्वित किए जाने पर, यह **आयकर अधिनियम, 1961** और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों, जैसे- सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा।
- इस प्रस्तावित DTC के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने और मौजूदा आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नवंबर 2017 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

अन्य जानकारी

- **प्रत्यक्ष कर क्या है?**
  - ये ऐसे कर हैं, जो करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत, कराघात (incidence) और कराधान का प्रभाव (impact of taxation) एक ही इकाई/व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
  - प्रायः इसे एक प्रगतिशील कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि कर देयता का अनुपात एक व्यक्ति या इकाई की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
  - **उदाहरण:** आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स), पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स), प्रतिभूति लेन-देन कर (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) आदि।
- प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes: CBDT)** द्वारा शासित होती है। यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (Department of Revenue) का एक अंग है।

आवश्यकता

1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर और करदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संसाधनों को प्राप्त करने हेतु 700 से अधिक धाराओं वाले आयकर अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया गया था।

- हालांकि, इन 58 वर्षों में, निम्नलिखित विकास हुए हैं-
  - उदारीकरण और निजीकरण की दिशा में **भारतीय अर्थव्यवस्था** में परिवर्तन।
  - अधिक एकीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में **वैश्विक अर्थव्यवस्था** में परिवर्तन।
  - **व्यवसाय करने के मॉडल** में हुए परिवर्तन, जैसे-ई-कॉमर्स ।
  - प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन, जिसके माध्यम से बेहतर कर प्रशासन की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं, जिसने इसे जटिल बना दिया है तथा कर संबंधी याचिकाओं में वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के रुझान

- विगत चार वित्तीय वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्नों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात बढ़कर 5.98% हो गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।
- इसके अतिरिक्त, 2014-2018 की अवधि के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी लगभग 65% की वृद्धि हुई है।
- कर-GDP अनुपात का बढ़ना (5.98%), अर्थव्यवस्था में कर-उत्प्लावकता (Tax-Buoyancy) में सुधार के संकेत को दर्शाता है।

VISION IAS

DTC प्रारूप के प्रमुख प्रावधान

- **टैक्स ब्रैकेट्स (कर सीमा) में परिवर्तन:** इनमें विस्तार से मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक राहत मिलेगी।
    - 25% की एक सामान्य कॉर्पोरेट दर स्थानीय कंपनी के साथ-साथ, भारत में बिना सहायक कंपनी (subsidiary) के मौजूद विदेशी कंपनियों, दोनों के लिए लागू होगी।
- **अधिभार और उपकर को हटाना (Removal of Surcharges and Cesses):** वर्तमान में इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक निश्चित स्तर से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों पर अधिरोपित किया जाता है।
- **समझौतावादी व्यवस्था (Negotiated Settlements):** इस मसौदे में करदाताओं और **अधिकारियों के एक कॉलेजियम** के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटान की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। यहां, कर-निर्धारिती (assessee) को केवल कर और ब्याज का भुगतान करना होगा तथा समझौता वार्ता के मामले में कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
- **मूल्यांकन प्रणाली:** एक आकलन अधिकारी के स्थान पर एक आकलन इकाई (assessment unit) का निर्माण तथा एक पृथक याचिका इकाई (litigation unit) का सृजन करना। वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ इसमें क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्राधिकार-मुक्त तथा गोपनीय मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु विचार किया गया है।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन:** इनके साथ एक सामान्य कंपनी से भिन्न व्यवहार किया जाए। यह प्रस्तावित किया गया है कि स्टार्ट-अप द्वारा एकत्रित किए गए धन के मामले में किसी भी तरह की संवीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

लाभ

- **करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** आधारभूत कर स्तर (टैक्स स्लैब) जैसी व्यवस्थाओं और कर फाइल करने हेतु न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता के कारण।
    - उदाहरण के लिए, अधिभार और उपकर विशेष रूप से कर-कटौती उद्देश्यों हेतु कर गणना को जटिल बनाते हैं तथा अनावश्यक विवादों को बढ़ावा देते हैं।
- **कर आधार का प्रसार:** क्योंकि निम्नतम कर स्लैब में अत्यधिक संख्या में लोग सम्मिलित होंगे, जो स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देगा।
    - 1.3 बिलियन से अधिक जनसंख्या के बावजूद, अंतिम आकलन के अनुसार भारत में केवल 74 मिलियन लोग प्रभावी करदाता हैं।
- **समकालिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है:** जैसे कि पूंजी की अत्यधिक गतिशीलता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, देशों के मध्य कर प्रतिस्पर्धा आदि।
    - इसके अतिरिक्त, यह एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए व्यवसाय मॉडल से निपटने में सक्षम होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ने कंपनियों को किसी देश में भौतिक उपस्थिति नहीं होने के बावजूद अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी है।
- **कर संरचना में वस्तुनिष्ठता:** इस मसौदे में कराधान के स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो सभी सरकारों को भविष्य के कर प्रस्तावों हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
- **दुर्व्यवहारों में कमी:** इसके द्वारा गोपनीय मूल्यांकन (faceless assessment) का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ निर्धारिती (कर दाता) की भौतिक उपस्थिति अथवा मूल्यांकनकर्ता (कर अधिकारी) द्वारा पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
    - इसमें याचिकाओं को कम करने और उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए करदाताओं के साथ विभाग का इंटरफ़ेस निर्मित करने पर जोर दिया गया है।
- **बचत और निवेश को बढ़ावा देना:** निगम कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा। यह व्यक्तियों और उद्यमियों के द्वारा पूर्वानुमान लगाने में सरल होगा।
    - DTC, कराधान के कारण तनावग्रस्त स्थिति वाले स्टार्ट-अप पर विशेष ध्यान देगा।
    - इस टास्क फ़ोर्स द्वारा पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था, न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर की भी समीक्षा की गई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्व

- **अधिक कर उत्प्लावकता (Tax-Buoyancy):** यह ऋण बाजार में सरकारी उधारी (ऋण) के अपेक्षित स्तर को जानने का एक महत्वपूर्ण मापक है। अधिक कर उत्प्लावकता का आशय है कि, सरकार ब्याज दरों को कम रखेगी व बाज़ार से अल्प ऋण लेगी। इससे अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट (crowding out) प्रभाव कम हो जाता और निगमों के लिए निम्न ब्याज दरों पर उधार लेना संभव होता है।
- **राजकोषीय सुदृढ़ता:** अर्थव्यवस्था में राजकोषीय विवेक (prudence) से समझौता किए बिना, प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाती है।
- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम ब्याज दर को बनाए रखने में सहायता करती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित रखने में सहायक होता है।
- **अप्रत्यक्ष कर को कम करने में सहायक:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह से राजकोषीय क्षमता सुदृढ़ होती है। यह स्थिति GST दरों में कमी ला सकती है, जिससे गरीबों पर कर का बोझ कम हो सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

- हालांकि, कर विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता सहित एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने के विगत प्रयासों को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है, किन्तु DTC के माध्यम से इसे निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है-
  - **न्याय** प्रदान करने हेतु एक **सुदृढ़ डेटाबेस** की आवश्यकता है और याचिकाओं के निपटान के लिए एक उचित, प्रभावी और निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु कर अधिकारियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य पेशेवरों को **समुचित प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए।
  - समय-समय पर आंतरिक नियमावली जारी करनी होगी, जिसमें अदालती निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग द्वारा प्रावधानों की व्याख्या सम्मिलित होगी।
- इसके अतिरिक्त, एक **संस्थागत तंत्र** होना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी हो, जो आवधिक तौर पर बदलती आवश्यकताओं की निगरानी करें तथा आवश्यकतानुसार DTC में संशोधन करें।

3.2. जालान समिति की रिपोर्ट

(Jalan Committee Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत सरकार के राजकोष में 1.76 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

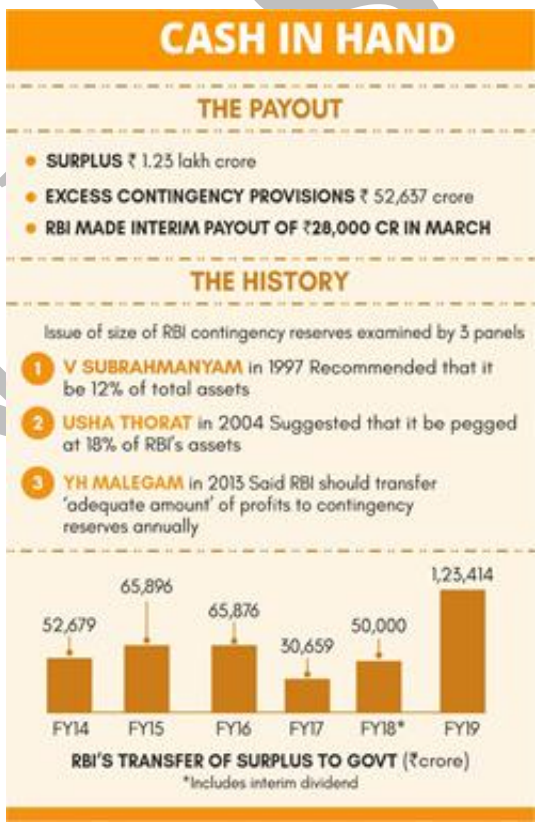

पृष्ठभूमि

- RBI द्वारा सरकार को **उच्च अधिशेष (surplus) का हस्तांतरण** करना भी सरकार और RBI के मध्य टकराव के कई मुद्दों में से एक है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आबंटन) के अनुसार, RBI द्वारा सरकार को **"अधिशेष (व्यय से अधिक आय की प्राप्ति)"** का हस्तांतरण किया जाता है।
  - उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व, RBI द्वारा अपनी **आकस्मिक व्यय और परिसंपत्ति के विकास** हेतु इस अधिशेष के एक बड़े भाग को अपने पास ही रखा जाता था। हालांकि, **मालेगाम समिति (2013)** की सिफारिशों के पश्चात् RBI द्वारा किए जाने वाले अधिशेष के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है।
- पिछले वर्ष, RBI द्वारा **आर्थिक पूँजी ढांचे (Economic Capital Framework: ECF) से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा** करने हेतु **बिमल जालान** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- हाल ही में, समिति की सिफारिशों के आधार पर, RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह सरकार को किए जाने वाले अपने शुद्ध हस्तांतरण में वृद्धि करेगा।
- RBI द्वारा किए गए हालिया हस्तांतरण के अंतर्गत, 2018-19 हेतु 1.23 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष तथा RBI बोर्ड द्वारा अपनाए गए संशोधित **ECF के तहत चिन्हित** 52,637 करोड़ रुपये का अधिशेष शामिल है।
  - हस्तांतरित की जाने वाली यह राशि विगत पांच वर्षों के औसत (53,000 करोड़ रुपये) से तीन गुना अधिक है।
  - इस उच्च अधिशेष का कारण, पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान RBI द्वारा अपनाई गई दीर्घकालिक फॉरेक्स स्वैप (long-term forex swaps) और खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations: OMO) की प्रक्रिया रही है।

RBI इन संसाधनों का संचय (एकत्रीकरण) कैसे करता है?

- मुद्रास्फ़ीति को नियंत्रण में रखने के अतिरिक्त, RBI द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है:
  - भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के ऋणों का प्रबंधन;
  - बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन; तथा
  - मुद्रा और भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन।
- इन कार्यों के संचालन के दौरान **RBI लाभ भी अर्जित करता है।** RBI निम्नलिखित के माध्यम से भी आय अर्जन करता है:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (अन्य केंद्रीय बैंकों के बॉण्ड और ट्रेजरी बिल तथा अन्य केंद्रीय बैंकों में जमा राशि)।
- स्थानीय रुपये-मूल्य वर्ग वाले (rupee-denominated) सरकारी बॉण्ड या प्रतिभूतियों का संग्रहण और अल्पावधि (जैसे- ओवरनाइट) के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करना।
- यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की उधारियों के संचालन हेतु एक प्रबंधन आयोग के रूप में भी कार्य करता है।

- इसके द्वारा व्यय मुख्य रूप से करेंसी नोटों की छपाई और कर्मचारियों के वेतन पर किया जाता है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** समिति द्वारा सरकार और RBI के **उद्देश्यों** को संरेखित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफ़ारिशें प्रस्तुत की गई हैं।
- **आर्थिक पूँजी की परिभाषा:** प्राप्त की गई इक्विटी (realized equity) और पुनर्मूल्यन भंडार (revaluation reserves) के संयोजन के रूप में आर्थिक पूँजी को परिभाषित किया गया है। (केंद्रीय बोर्ड ने इस समग्र पूँजी को 24.5-20% के स्तर पर निर्धारित करने का निर्णय किया है।)
  - **प्राप्त की गई इक्विटी:** यह अर्जित आय से गठित तथा सभी जोखिमों/हानियों का प्रबंधन करने हेतु आकस्मिक निधि का एक रूप है। समिति का कहना है कि प्राप्त की गई इक्विटी से अधिक की समग्र आय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह 6.8% है और समिति ने इसे बैलेंस शीट के 6.5-5.5% के दायरे में रखने की सिफारिश की है। (केंद्रीय बोर्ड ने इसे बैलेंस शीट के 5.5% पर निर्धारित करने का निर्णय लिया है।)
  - **पुनर्मूल्यन भंडार:** यह विदेशी मुद्राओं एवं स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूतियों और रुपये आधारित प्रतिभूतियों तथा आकस्मिक निधि के मूल्यों के रूप में गैर-प्राप्तियों (unrealized)/अनुमानित लाभ/हानि के आवधिक प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य (Marked-to-Market: MTM) से मिलकर गठित होता है।
- **अधिशेष वितरण नीति:** यह RBI द्वारा अपनी आर्थिक पूंजी के समग्र स्तर के भीतर प्राप्त की गई इक्विटी के स्तर को बनाए रखने को लक्षित करती है।

पक्ष में तर्क

- **संसाधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग:** क्योंकि RBI का भंडार मितव्ययी आवश्यकताओं से अधिक है। इसलिए इन निधियों का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को पूंजी प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
  - यह 2019-20 में विभिन्न कर राजस्व के संबंध में अपेक्षित कमी को समायोजित करने में सहायता कर सकता है और साथ ही, यह सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक हो सकता है।
  - वर्धित वित्तीयन क्षमता के कारण यह सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल में भी सुधार करेगा।
- **यह आर्थिक गिरावट (economic slowdown) से निपटने में सरकार की सहायता करेगा:** इन संसाधनों का उपयोग शिथिल अर्थव्यवस्था को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने, तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में उधारियों के दबाव को कम करने या राजस्व संग्रह में अपेक्षित कमी को पूरा करने हेतु किया जा सकता है।
- **कई सरकारों द्वारा इस मुद्दे के संबंध में निर्णय किया जा रहा है:** उदाहरण के लिए, जापान में, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली अधिशेष की मात्रा का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है।
- **RBI की सुदृढ़ स्थिति:** RBI, वर्ष 2018 में तुलन-पत्र के सापेक्ष **26.8 प्रतिशत** की आर्थिक पूँजी के साथ पांचवे स्थान पर था।

विपक्ष में तर्क

- **बाह्यताओं के विरुद्ध बफर की स्थिति (Buffer against externalities):** वित्तीय संकट से उत्पन्न संभावित खतरे से निपटने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा बाजारों को विश्वास प्रदान करने की आवश्यकता के संदर्भ में।
- **RBI की स्वायत्तता हेतु महत्वपूर्ण:** RBI की स्वायत्तता को वित्तीय तनाव की स्थिति में सरकार पर निर्भर न होने के लिए एक बड़े रिजर्व को बनाए रखकर सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - पिछले RBI गवर्नर के त्यागपत्र की पृष्ठभूमि में, इस कदम की कुछ विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है क्योंकि इससे RBI की स्वायत्तता में कमी हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न होने की संभावना:** अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय (उचित तरीके से व्यय न किए जाने की स्थिति में) में अकस्मात वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फ़ीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- भविष्य में, जोखिम प्रबंधन और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना सरकार और RBI दोनों का प्रयास होना चाहिए।

VISION IAS

3.3. बैंकों का विलय

(Bank merger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **चार बड़े बैंकों** के निर्माण हेतु राज्य स्वामित्व वाले 10 बैंकों के विलय की घोषणा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना के तहत, **पंजाब नेशनल बैंक** में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय; **सिंडिकेट बैंक** में केनरा बैंक; **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक तथा **इंडियन बैंक** में इलाहाबाद बैंक का विलय किया जाएगा।
- इस विलय के साथ भारत में वर्ष 2017 के 27 सार्वजनिक अनुसूचित बैंकों की संख्या घटकर **12** रह जाएगी।

बैंकों के विलय के लाभ

- **वैश्विक बैंक:** बड़े भारतीय बैंक स्वयं को उत्तरोत्तर वैश्विक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। विलय के पश्चात्, भारतीय बैंक वैश्विक बाजार में अधिक मान्यता और उच्च रेटिंग प्राप्त कर सकेंगे।
- **जोखिम प्रबंधन और बड़े ऋण:** विलय के पश्चात् NPA में सुधार और जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही, जोखिम उठाने हेतु बैंकों द्वारा बड़े ऋणों को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।
- **ग्राहक सेवा:** बैंक का बड़ा आकार विलय किए गए बैंकों के लिए अधिक उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा बैंकिंग क्षेत्र के एकीकृत विकास में सहायता करेगा।
- **मानव संसाधन:** विभिन्न बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों और मौद्रिक लाभों में विद्यमान व्यापक असमानता में कमी आएगी।
- **विनियमन में सुधार:** विनियामकीय दृष्टिकोण से, विलय के पश्चात् बैंकों की संख्या कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप इन बैंकों की निगरानी और नियंत्रण करना सरल हो जाएगा।
- **लागत में कमी:**
    - जहाँ एक ओर, ये बैंक सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं, वहीं दूसरी ओर ये एक समान संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में समान सेवाओं (जमा या ऋण के संदर्भ में) के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में समान कार्य हेतु प्रत्येक बैंक द्वारा लागत का वहन किया जाता है।
    - इससे अंतर-बैंक लेन-देन की मात्रा में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप खातों के समाशोधन और समन्वय में काफी समय की बचत होगी।

बैंक विलय से संबंधित चुनौतियां

- **क्षेत्रीय आवश्यकताओं की अनदेखी:** कई बैंक क्षेत्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में विलय के साथ ही क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों की स्थापना का उद्देश्य समाप्त हो गया है।
- **टू-बिग-टू-फेल (Too big to fail):** जब एक बड़े बैंक को अत्यधिक हानि होती है या उसकी स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाती है, तो संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न होने लगता है। जिसके प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होने लगते हैं।
- **रोजगार हानि:** विलय के परिणामस्वरूप तत्काल रोजगार में कमी हो जाती है। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोगों को VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) लेना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
- **सांस्कृतिक टकराव:** विलय के परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनात्मक संस्कृति का टकराव होगा। इससे प्रणाली और प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भी टकराव उत्पन्न होगा।
- **सेवाओं में व्यवधान:** विलय प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान और अवरोध की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप अल्पावधि में ऋण प्रदान करने में कमी आएगी।

उठाए जाने वाले कदम

- **मानक प्रक्रिया:** विलय के लिए बैंकों के चयन हेतु कोई मानक प्रक्रिया विद्यमान नहीं है। सरकार को विलय के लिए एक मानक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।
- **हितधारकों के साथ परामर्श:** विलय प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व सभी हितधारकों की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
- **प्रथमत: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को कम करना चाहिए:** सरकार को पहले NPAs जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और तत्पश्चात सुदृढ़ बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलय करना चाहिए।
- **शासन में सुधार:** बैंक विलय के साथ-साथ सरकार को शासन में भी सुधार और वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु तत्काल उपाय करने चाहिए।

3.4. विकास बैंक

(Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों के रूप में एक विकास बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है।

VISION IAS

विकास बैंक क्या है?

- विकास बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो लंबी अवधि हेतु आवश्यक पूँजी-गहन निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
- इन बैंकों द्वारा संस्थानिक तकनीकी विशेषज्ञता, नई पूँजी निर्गमन संबंधी जोखिम अंकन और अन्य उधारदाताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने जैसी उपयोगी सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है।
- इनके द्वारा आर्थिक गिरावट (downturn) के दौरान भी निवेश प्रवाह सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय एकीकरण और घरेलू कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण का सक्रिय समर्थन करने के लिए एक प्रति-चक्रीय भूमिका निभाई जाती है।

निधि का स्रोत

- दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु, विकास बैंकों को स्वयं के वित्तीयन हेतु दीर्घकालिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, जो प्राय: पूंजी बाजार में दीर्घकालिक दिनांकित प्रतिभूतियों को निर्गमित करके प्राप्त किए जाते हैं। पेंशन और जीवन बीमा फंड तथा डाकघर जमा जैसे दीर्घकालिक बचत संस्थान इनके वित्तीयन के प्रमुख स्रोत होते हैं।
- ऐसे निवेशों के सामाजिक लाभों और उनसे संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, विकास बैंकों को प्राय: सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है।
    - विकास बैंकों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर प्रोत्साहन और अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

भारत में विकास बैंक

- भारत में, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् ही विकास बैंकिंग को आरंभ किया गया था।
- **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India: IFCI)** भारत का प्रथम विकास बैंक है। भारत में मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी।
- वर्ष 1991 के पश्चात्, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के संबंध में गठित नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट के बाद, विकास वित्त संस्थाओं (Development Financial Institutions: DFIs) को समाप्त कर, इन्हें वाणिज्यिक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

वाणिज्यिक बैंकों और विकास बैंकों के मध्य अंतर

वाणिज्यिक बैंक	विकास बैंक
ये अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं।	ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं।	वाणिज्यिक बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों से जमाएं स्वीकार करते हैं।
ये ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान करते हैं।	ये वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

विकास बैंक की हालिया मांग के कारण

- **विगत आर्थिक गिरावट (Recent Economic slowdown):** उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, जब निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान करने में अस्थायी कठिनाइयों का सामना किया गया था, तब विभिन्न देशों में कई विकास वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र के तहत ऋण परिचालनों में वृद्धि करके महत्वपूर्ण प्रति-चक्रीय भूमिका निभाई गई थी।
- **दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में समस्या:** परियोजना हेतु वित्त प्रदान करना लंबे समय से DFI का कार्यक्षेत्र रहा है। ऐसे में, DFIs को बैंक के रूप में परिवर्तित करने से दीर्घकालिक फंड प्रदान करने के संबंध में नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं, क्योंकि बैंकों की पहुंच दीर्घकालिक संसाधनों तक न होकर अल्पकालिक संसाधनों तक होती है।
- **आधारभूत क्षमता की हानि:** जब कोई बैंक एक अम्ब्रेला ब्रांड के तहत अनेक उत्पादों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसी संभावना रहती है कि उक्त बहु-उत्पाद बैंक अपने मूल कार्य से विरत हो जाएगा और उसे अप्रयुक्त गतिविधियों में संलग्न होने से अधिक जोखिम का सामना भी करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

सुपरिभाषित अधिदेश और सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ विश्वसनीय और बेहतर रूप से प्रशासित DFIs, आर्थिक व सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। ये निजी क्षेत्र के लिए निवेश प्राप्त करने (crowd-in) हेतु नवीन चैनलों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु नवीन ज्ञान के सृजन, हितधारकों को संगठित कर, तकनीकी सहायता प्रदान करके एक उत्प्रेरक की भूमिका भी निभा सकते हैं।

VISION IAS

3.5. भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट

(Slowdown in Indian Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया आर्थिक आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

भारत की वर्तमान स्थिति

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान GDP में 5% की दर से वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि यह वित्त वर्ष 2013 की चौथी तिमाही के पश्चात् अब तक की निम्नतम वृद्धि दर है।
- **निवेश:** GDP के प्रतिशत के रूप में, **ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF)** के आधार पर गणना की गयी, निवेश दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।
  - GDP के प्रतिशत के रूप में GFCF, वर्ष 2011 के 34.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 28.8 प्रतिशत हो गई है।
  - इसी प्रकार, निजी क्षेत्र में GFCF, वर्ष 2011 के 26.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 21.4 प्रतिशत हो गई है।
- **बचत:** बचत की दर वर्ष 2011 के 32.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 29.3 प्रतिशत हो गई है। बचत दर में गिरावट का कारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी-वृद्धि की दर में गिरावट (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) का होना है।
- **मज़दूरी:** वित्त वर्ष 2014 में ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर 27.7 प्रतिशत थी, जोकि वित्त वर्ष 2019 में घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है।
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी विगत वर्षों की दो अंकों वाली वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में मजदूरी-वृद्धि की दर में एकल अंकीय वृद्धि देखने को मिली।
- **निर्यात:** 2011-2018 की अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात 24.5 प्रतिशत से घटकर 19.6 प्रतिशत रह गया है।
- **मुद्रास्फ़ीति:** अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फ़ीति की दर वित्त वर्ष 2013 के 10.03 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2019 में 3.41 प्रतिशत हो गई है। निम्न मुद्रास्फ़ीति दर, मांग में कमी को प्रदर्शित करती है जो नए निवेश और रोज़गार सृजन को हतोत्साहित करेगा।

चक्रीय गिरावट (cyclic slowdown) क्या है?

- एक चक्रीय गिरावट, नियमित अंतराल पर घटित होने वाली कमजोर आर्थिक गतिविधियों की अवधि होती है। इस प्रकार की गिरावट लघु-से-मध्यम अवधि तक विद्यमान रहती है और यह व्यापार चक्र के परिवर्तन पर आधारित है।
- ऐसी स्थिति में, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु अंतरिम राजकोषीय और मौद्रिक उपायों, क्रेडिट बाजारों के अस्थायी पुनर्पूंजीकरण तथा आवश्यकता-आधारित नियामकीय परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।

संरचनात्मक गिरावट (structural slowdown) क्या है?

- दूसरी ओर संरचनात्मक गिरावट, एक अधिक विकट परिघटना है। यह विघटनकारी प्रौद्योगिकियों, परिवर्तित जनसांख्यिकी और/या उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन से प्रेरित होती है।
- इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा कुछ संरचनात्मक नीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के समाधान हेतु अपनाए गए सुधार हैं।

क्या वर्तमान गिरावट चक्रीय है या संरचनात्मक?

- वर्तमान में भारत द्वारा सामना की जा रही आर्थिक गिरावट के संबंध में अत्यधिक चर्चा हुई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि हालिया गिरावट एक अल्पकालिक मंदी (soft patch) हो सकती है, जो कि एक गहन संरचनात्मक गिरावट के बजाए एक चक्रीय गिरावट में परिवर्तित हो सकती है।
- हालांकि, RBI ने यह स्वीकार किया है कि भूमि, श्रम, कृषि विपणन आदि के क्षेत्र में अभी भी संरचनात्मक मुद्दे विद्यमान हैं, जिन्हें समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण

- **वैश्विक अर्थव्यवस्था:** अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और ब्रेक्जिट (Brexit) के कारण, वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां निम्न स्तरीय बनी हुई हैं, जिससे निर्यात-आधारित विकास की संभावना कम हो गई है।
- **व्यवधानों की स्थिति:** विमुद्रीकरण, GST आदि जैसे अनेक सुधारों ने अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किए हैं और उपभोग एवं निर्यात वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

VISION IAS

- **कठोर मौद्रिक और राजकोषीय नीति:** 2016-17 से, मौद्रिक नीति मुख्य रूप से मुद्रास्फ़ीति पर केंद्रित रही है। केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से राजकोषीय घाटा उच्च बना हुआ था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु प्रतिबद्ध थी। उल्लेखनीय है कि इन परिस्थितियों ने सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले व्ययों में वृद्धि करने से बाधित किया है।
- **वित्तीय क्षेत्र:** बढ़ते NPA और NBFC संकट के कारण वित्तीय क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे तरलता की कमी उत्पन्न हो गई है।

अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बैंकों में पूंजी का निवेश:** सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये के अग्रिम पूंजी निवेश की घोषणा की है।
- **बैंकों का विलय:** सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को चार बैंकों में विलय की घोषणा की है।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investors: FPIs) पर अधिभार की समाप्ति:** सरकार ने बजट में की गई घोषणा के अनुरूप FPIs और घरेलू पोर्टफोलियो निवेशकों पर वर्धित अधिभारों (surcharge) की समाप्ति की घोषणा की है। सरकार ने FPIs के लिए KYC को सरल बनाने की भी घोषणा की है।
    - अधिभार को समाप्त करने की घोषणा से बाजार को कुछ सहायता प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि FPIs द्वारा जुलाई से अब तक लगभग 3.4 बिलियन डॉलर की निकासी की जा चुकी है।
- **एंजेल टैक्स की समाप्ति:** इसे स्टार्ट-अप और इनके निवेशकों के लिए समाप्त किया जाएगा।
- **FDI को सरल बनाना:** सरकार द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन और स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुबंध विनिर्माण क्षेत्र में 100% FDI की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा सिंगल-ब्रांड रिटेल क्षेत्र हेतु 30 प्रतिशत स्थानीय सोर्सिंग मानदंड में छूट प्रदान की गई है।
- **भारतीय कंपनियों को सहायता:** वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व-GST काल के अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के समाधान हेतु **"सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना"** (Sabka Vishwas legacy dispute resolution scheme) नामक एक योजना को अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2020 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में राहत:** CSR के उल्लंघन को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, बल्कि इसके उल्लंघन को सिविल अपराध के रूप में माना जाएगा।
- **रियल स्टेट को प्रोत्साहन:** सरकार ने समस्या ग्रस्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के लिए 30,000 करोड़ की तरलता सहायता की घोषणा की है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु सहायता:** MSMEs को 30 दिनों के भीतर उनके सभी लंबित GST रिफंड प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, MSMEs को सभी GST रिफंड का भुगतान आवेदन की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

उठाए जाने वाले कदम

अल्पकालिक कार्यवाही

- **मौद्रिक नीति से संबंधित कार्यवाही**
    - रेपो दर को कम करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता है। जब मांग कमजोर होती है तो उधार प्राप्त करने की 2.5% की वास्तविक दर भी उधार लेने हेतु अनुकूल नहीं हो सकती है। बैंकों को रेपो दर में कटौती से प्राप्त लाभों को ग्राहकों तक अंतरित करना होगा, इस हेतु एक संस्थागत तंत्र (जैसा कि RBI गवर्नर ने संकेत दिया है) स्थापित करने की आवश्यकता है।
    - रुपये के उत्तरोतर मूल्यह्रास की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि बढ़ती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के कारण निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
- **राजकोषीय नीति से संबंधित कार्यवाही**
    - RBI द्वारा, उत्पादन के कारकों में सुधार, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पूंजीगत व्यय के त्वरित कार्यान्वयन इत्यादि पर बल दिया गया है।
    - सीमित राजकोषीय उपायों को देखते हुए, राजस्व में वृद्धि करने का एकमात्र संभावित साधन गैर-कर प्राप्तियां हैं: सरकार और PSUs की अप्रयुक्त भूमि को शीघ्रातिशीघ्र मुद्रीकृत करना चाहिए।
    - सार्वजनिक उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने हेतु संसाधनों का सृजन हो सकेगा। यह कदम अंतत: निजी निवेश में वृद्धि करेगा। इसका आंशिक रूप से उपयोग PSBs के पुन: पूँजीकरण (recapitalise) हेतु किया जा सकता है।

दीर्घकालिक कार्यवाही

- **बैंकिंग क्षेत्र में सुधार:** बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। यह कदम अवसंरचना पर व्यय करने तथा उपभोग एवं निजी निवेश का पुनरुद्धार करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, दिवालियापन संहिता (bankruptcy code) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान करने हेतु निर्णायक सिद्ध होगी।

- **विकास के अनुकूल नीतियों को प्राथमिकता प्रदान करना:** भारत सरकार को शहरी शासन के क्षेत्र में सुधारों; आवास, भूमि, ऋण और श्रम बाजार; और अवसंरचना संबंधी अनुबंध को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, राज्य की क्षमता और कार्मिक प्रबंधन में सुधार करते हुए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को सीमित करना व कर आधार का विस्तार करना चाहिए।
- **कृषि क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना:** संधारणीय विकास हेतु, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर प्रतिवर्ष 4% से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु मूल्य एवं सब्सिडी आधारित वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर रणनीतिक-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- **औद्योगिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना:** भारत द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, औद्योगिकीकरण के प्रयासों की उपेक्षा करते हुए अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की 54 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सेवा-आधारित संवृद्धि की रणनीति को अपनाया गया है। यह स्थिति लाखों लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियों को सृजित करने में बाधक बन गई और आय में वृद्धि अवरुद्ध हो गई है।
- **वृहद् संघवाद को बढ़ावा देना:** भारतीय राज्यों को केंद्र सरकार के साथ और एक-दूसरे के साथ सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी रूप से संलग्न होने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। खंडित कृषि क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावी ढंग से बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अग्रसक्रिय बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी।

3.5.1. ऑटोमोबाइल उद्योग में गिरावट

(Slowdown in Auto-Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के महीने में ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई।

गिरावट के कारण (Reasons for slowdown)

- **NBFC संकट:** ग्रामीण बाजारों में विक्रय किए जाने वाले लगभग आधे वाहनों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-banking Financial Companies: NBFC) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। पिछले वर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) संकट के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा गंभीर तरलता की कमी का सामना किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप डीलरों और ग्राहकों के लिए ऋण की अत्यंत कमी हुई है।
- **नीतियो में परिवर्तन:** कई मंत्रालयों और नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से किए गए हस्तक्षेपों {जैसे- भारत स्टेज (BS) - IV से सीधे भारत स्टेज (BS) - VI मानकों को अपनाना, डीजल पर अकस्मात प्रतिबंध आरोपित करना, न्यू एक्सल लोड नॉर्म्स और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना} के कारण वाहनों की बिक्री नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
  - ऐसी संभावना है कि कुछ ग्राहक नवीनतम BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को खरीदने या वाहन निर्माताओं से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर ऑटोमोबाइल कम्पनियाँ 1 अप्रैल 2020 की निर्धारित समय-सीमा से पूर्व अपने BS-IV मानकों वाले वाहनों के स्टॉक की बिक्री करना चाह रही हैं।
  - जुलाई 2018 में, सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से भारी वाहनों की आधिकारिक अधिकतम भार वहन क्षमता को 20-25 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इसने वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने से संबंधित एक स्पष्ट माइग्रेशन पॉलिसी का अभाव खरीदारों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भी ऑटोमोबाइल की बिक्री में कमी हुई है।
- **विभिन्न आघात (Multiple shocks):** विमुद्रीकरण, GST की शुरुआत और बहुवर्षीय बीमा (multi-year insurance) जैसे कई निर्णयों ने उपभोक्ताओं पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है।
- **साझा गतिशीलता (Shared mobility):** ओला और उबर जैसी कंपनियों की तकनीक-आधारित साझा गतिशीलता ने शहरी बाजार में वाहनों की मांग को कम किया है।
- **इलेक्शन पॉज (Election pause):** चुनाव जैसे बड़े अभियानों के दौरान उपभोक्ता कार जैसे महंगे सामान खरीदने हेतु प्रतीक्षा करते हैं।
- **संगठित पूर्व-स्वामित्व वाले वाहन बाजार में वृद्धि (Growing organised pre-owned vehicle market):** विगत पांच वर्षों में, संगठित प्रतिभागियों की उच्च भागीदारी के साथ, पूर्व-स्वामित्व वाले बाजार के आकार में अत्यधिक विस्तार हुआ है। यह विशेष रूप से कीमतों में उच्च वृद्धि के मामले में, नए वाहनों की मांग को प्रभावित कर सकता है।

गिरावट का प्रभाव (Impact of slowdown)

- **समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** ऑटोमोबाइल उद्योग वस्तुतः स्टील, रसायन, वस्त्र और अन्य क्षेत्रों को भी समर्थन प्रदान करता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

VISION IAS

- **रोजगार की क्षति:** उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मूल उपकरण विनिर्माताओं (Original Equipment Manufacturers: OEMs) द्वारा विगत दो से तीन महीनों में लगभग 15,000 अस्थायी श्रमिकों को नौकरी से हटा दिया गया है। उत्साहहीन मांग से कार्यशील पूंजी की कमी के कारण देश भर में लगभग 300 डीलरशिप बंद हो गए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, इसके कारण दो लाख से अधिक लोगों को नौकरी की क्षति हुई है।
- **राजस्व हानि:** ऑटोमोबाइल-उद्योग देश के संपूर्ण GST राजस्व में लगभग 11% का योगदान करता है। इस उद्योग में किसी प्रकार की गिरावट के कारण सरकारी राजकोष पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- केंद्र ने सरकारी विभागों द्वारा सभी पुराने वाहनों को प्रतिस्थापित करने हेतु नए वाहनों की खरीद पर आरोपित प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं।
- मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-IV मानक वाले वाहन पंजीकरण की संपूर्ण अवधि के लिए परिचालन योग्य रहेंगे।
- सरकार द्वारा मार्च 2020 तक सभी वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्यह्रास (जिसे यह 30 प्रतिशत तक हो गया है) प्रदान किया जा रहा है।
- जून 2020 तक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क में संशोधन को स्थगित करना।
    - उल्लेखनीय है कि जुलाई 2019 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी जिसमें नए IC इंजन चालित वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क को मौजूदा 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा तीव्र विरोध किया गया था।
- सरकार ने शीघ्र ही **नई परिमार्जन नीति (scrappage policy)** को लागू करने का आश्वासन दिया है।

आगे की राह

- GST की मौजूदा 28% की दर को कम कर 18% करने से तात्कालिक रूप से कीमतों में कमी होगी, जिससे मांग में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
- सरकार को प्रणाली (अर्थात् बाज़ार) में तरलता में वृद्धि करने हेतु NBFC संकट से निपटने हेतु तत्काल उपाय करने चाहिए।

3.6. बॉण्ड यील्ड और बॉण्ड इनवर्जन

(Bond Yield and Inversion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक आर्थिक गिरावट और मंदी की बढ़ती चिंताओं के आलोक में बॉण्ड यील्ड और बॉण्ड इनवर्जन पर चर्चा सुर्ख़ियों में रही थी। भारत में, केंद्रीय बजट के परिणामस्वरूप सरकारी बॉण्ड पर प्रतिफल (यील्ड) में तेजी से गिरावट हुई है।

बॉण्ड और बॉण्ड यील्ड

- बॉण्ड वस्तुतः किसी देश की सरकार द्वारा या किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने हेतु जारी किया गया एक **ऋण उपकरण (debt instrument)** होता है, जिसकी **परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक** होती है।
- प्रत्येक बॉण्ड पर जारीकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य {जिसे अंकित मूल्य (face value) कहा जाता है} और वार्षिक ब्याज {जिसे कूपन भुगतान (coupon payment) कहा जाता है} उल्लिखित होता है।
- तत्पश्चात जब बॉण्ड का द्वितीयक बाजार में कारोबार किया जाता है, तो इसका मूल्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में परिवर्तन, इसकी मांग, परिपक्वता अवधि और उस विशिष्ट बॉण्ड की क्रेडिट विशेषता की प्रतिक्रिया स्वरूप परिवर्तित होता रहता है।
- प्रतिफल (रिटर्न) की प्रभावी दर या बॉण्ड द्वारा अर्जित लाभ को बॉण्ड यील्ड कहा जाता है और इसकी गणना बॉण्ड की कूपन दर को उसके अंकित मूल्य से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। बॉण्ड यील्ड का बॉण्ड की कीमत के साथ व्युत्क्रम संबंध होता है।
- सरकारी बॉण्ड (जिन्हें भारत में **G-secs**, अमेरिका में **ट्रेजरी** और इंगलैंड में **गिल्ट** के रूप में संदर्भित किया जाता है) को संप्रभु गारंटी प्राप्त होती है और इसे अन्य निवेश विकल्पों, जैसे- शेयर, कॉर्पोरेट बॉण्ड आदि की तुलना में सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है।
- इस प्रकार, जब किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति विद्यमान होती है, तो निवेशकों द्वारा सरकारी बॉण्ड में निवेश करने को वरीयता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मांग और मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इस तरह उनकी यील्ड (प्रतिफल) में गिरावट आती है।
- दूसरी ओर, जब किसी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की स्थिति विद्यमान होती है, तो मुद्रास्फ़ीति में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप रेपो दर में वृद्धि हो जाती है। इससे अन्य निवेश विकल्पों से संबंधित ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार सरकारी बॉण्ड की मांग में कमी हो सकती है, जिसके कारण उनकी यील्ड में वृद्धि हो सकती है।
- इसलिए बॉण्ड यील्ड **अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने हेतु एक उपयोगी पैरामीटर** हो सकता है।

यील्ड कर्व (Yield Curve)

- यह विभिन्न समय सीमाओं में बॉण्ड की यील्ड (एक समान क्रेडिट रेटिंग के साथ) का एक रेखा-चित्रीय निरूपण है।
- इस शब्द का प्रयोग सामान्यतया सरकारी बॉण्ड के लिए किया जाता है जिन्हें एक समान संप्रभु गारंटी प्राप्त होती है।
- यदि बॉण्ड निवेशक द्वारा अर्थव्यवस्था के सामान्य रूप से वृद्धि करने की अपेक्षा की जाती है, तो यील्ड कर्व ऊर्ध्वमुखी झुका हुआ (upward sloping) होता है।
- जब अर्थव्यवस्था में केवल न्यूनतम वृद्धि की संभावना होती है, तो यील्ड कर्व सीधी रेखा (flat) में होता है।
- जब अर्थव्यवस्था की गिरावट की संभावना होती है, तो यील्ड कर्व उलटा (inverted) होता है।

बॉण्ड यील्ड इनवर्जन

- यील्ड इनवर्जन की स्थिति तब व्युत्पन्न होती है जब लंबी अवधि के बॉण्ड पर प्राप्त यील्ड, लघु अवधि के बॉण्ड पर प्राप्त यील्ड की तुलना में कम होती है।
- यील्ड इनवर्जन विशेष रूप से मंदी (recession) का सूचक होता है।
- यील्ड इनवर्जन कर्व यह प्रदर्शित करता है कि, निवेशकों को उम्मीद रहती है कि भविष्य में संवृद्धि में तीव्र गिरावट होगी। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की मांग वर्तमान की तुलना में अत्यधिक कम होगी और इसलिए प्रतिफल (यील्ड) की प्राप्ति भी कम होगी।

3.7. सोशल स्टॉक एक्सचेंज

(Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय बजट सत्र के दौरान, वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को धन जुटाने में सहयोग करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियामकीय अधिकार-क्षेत्र के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE) को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड जुटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों के शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे शेयरों की एक्सचेंज द्वारा गहन जांच (vetted) की जा चुकी होती है।
    - सामाजिक उद्यमों, स्वयंसेवी समूहों और कल्याणकारी संस्थाओं को पूँजी जुटाने हेतु इस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
    - सामाजिक उद्यम, राजस्व का सृजन करने वाला एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना।
- यह निवेश और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा फंड जुटाने हेतु क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।
- विश्व स्तर पर, लगभग 10 SSEs की स्थापना की गई है, जिसमें कनाडा, यू.के., सिंगापुर, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पुर्तगाल, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया और जमैका शामिल हैं।

भारत में "इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट"

- इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट वस्तुतः व्यवसायों में किया जाने वाला ऐसा निवेश होता है, जिसका उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न करना है। साथ ही, इसके द्वारा लाभ से लेकर प्रचार जैसे कई प्रतिफलों का भी सृजन किया जाता है।
- भारत को अपनी जनसांख्यिकी के विशाल आकार तथा सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित अपूरित मांगों के कारण इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट हेतु एक प्रमुख स्थल माना जाता है।
- प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल और स्वच्छता आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्न सार्वजनिक निवेश ने निजी उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा दिया है।
- भारत में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है तथा वर्ष 2010 से 2016 के मध्य छह वर्षों के दौरान, देश के इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में 5.2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।

SSE की आवश्यकता

- **इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति:** वर्तमान में, सामाजिक उद्यमों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करने वाला कोई समर्पित ऑनलाइन सूचना या निवेश प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हैं। कुछ निजी स्वामित्व वाले (बिना किसी लाभ के) क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन इनके द्वारा अत्यल्प गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को ही कवर किया गया है।

- **दानकर्ताओं की कमी:** सामाजिक उद्यमों और NGOs की फंड तक पहुंच और उपलब्धता का अभाव सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वर्तमान में, व्यक्तिगत रूप से दानकर्ताओं का केवल एक छोटा समूह ही मौजूद है, जिनके द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं को फंड उपलब्ध कराया जाता है।
- **सामाजिक कल्याण का उद्देश्य:** सरकार समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है।
- **भारत में निम्न इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट:** इन प्रो-सोशल/प्रो-एनवायरनमेंटल व्यवसाय के लिए इंपैक्ट इनवेस्टमेंट बाज़ार और फंड की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट तक सभी की पहुँच स्थापित की जानी चाहिए ताकि पूंजी बाजार, समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- **निवेशकों के साथ संरेखण:** वर्तमान में, कई उद्यमों के लिए धन जुटाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है, क्योंकि उन्हें निवेशकों को वित्तीय रिटर्न प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कराते हुए इस प्रकार के विशिष्ट निवेश से संबंधित विचार के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

SSE का लाभ

- यह इक्विटी मार्ग के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु एक अभिनव उपाय है।
- यह असेवित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है, जिससे समावेशी विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।
- यह सामाजिक उद्यमों को एक साथ संगठित करेगा और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा।
- यह प्रक्रिया के मानकीकरण के द्वारा उनके लिए कार्यप्रणाली को सस्ता बनाएगा और प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होने और वार्ता करने की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- गैर-लाभकारी कंपनियों के लिए, SSE फंड-जुटाने के साथ-साथ मानकीकृत रिपोर्टिंग के माध्यम से संचालन और वित्तीय जानकारी के लिए सक्षम बना सकता है।
- निमाकीय प्राधिकार वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फंड जुटाने हेतु सहायक है, अंतत: विश्वसनीयता में सुधार करेगा और फंड जुटाने में गैर-लाभकारी समूहों की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करेगा।

चुनौतियां

- **व्यापार और कर लाभ से संबंधित स्पष्टता का अभाव:** इस मंच के माध्यम से जुटाए गए धन का लाभ उठाने वाले व्यापार, कर लाभ हस्तांतरण और तृतीय पक्षों की जवाबदेही के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। इस संबंध में भी कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या एक्सचेंज में गैर-लाभकारी निकायों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाएगा।
- **उचित रिकॉर्ड का अभाव:** अधिकांश NGOs द्वारा रिकॉर्ड और दस्तावेजों का उचित रूप से प्रबंधन नहीं किया जाता है। यह विशेष रूप से छोटे प्रतिभागियों के मामले में पूंजी के चैनलाइज़ेशन और निगरानी को प्रभावित कर सकता है, जिनके पास रिकॉर्ड को बनाए रखने और प्रबंधित करने हेतु संसाधन नहीं हैं।
- **वित्तीय लाभों का अभाव:** ऐसी प्रतिभूतियां सामाजिक प्रभाव का लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करती हैं। इस मामले में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) की सर्वाधिक संभावना सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से होगी जिसमें निवेशक द्वारा निवेश किया जा रहा है।
- **केवल पंजीकृत कंपनियों तक सीमित:** केवल पंजीकृत कंपनियां ही स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो सकती हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और नीतिगत समर्थन की दिशा में बेहतर कार्य करने वाली अन्य गैर-पंजीकृत संस्थाएं भी मौजूद हैं।
- **प्रत्यायन:** अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा निवेशकों, सामाजिक व्यवसायों और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ब्रोकर और मूल्यांकन विशेषज्ञों के रूप में कार्य करने वाले मध्यस्थ संस्थाओं से संबंधित सभी स्तरों पर प्रत्यायन का है। पर्याप्त "वास्तविक" सामाजिक प्रभावों का सृजन करना कंपनियों के लिए कठिन कार्य हो सकता है।

आगे की राह

- **संगठनों को परिभाषित करना:** 'सामाजिक उद्यम' और 'सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था' को परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि, इन शब्दों के दायरे को जितना अधिक विविध बनाया जाएगा, उतना ही अधिक विनियामकीय ढांचे की आवश्यकता होगी।
- **उचित नीतियां:** SEBI की व्यापक विशेषज्ञता के बावजूद, इसमें अत्यधिक सुधार करने हेतु इसकी मौजूदा अवसंरचना के अतिरिक्त, नए कानूनों, नीतियों और सूत्रीकरण की समग्रता से संबंधित मसौदा तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत ही SSE को लॉन्च किया जा सकता है और इसके विस्तार का मापन किया जा सकता है।
- **उचित ROI कार्यप्रणाली:** ऐसा ज्ञात होता है कि सामाजिक कल्याण संस्थाओं द्वारा निर्गत प्रपत्रों (इंस्ट्रूमेंट) में व्यापार करने हेतु अतिरिक्त तंत्र की आवश्यकता होगी, जो ROI कार्यप्रणाली के आधार पर इस प्रकार के प्रत्येक प्रपत्र के मूल्य की गणना करता है।
- **शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता:** यह सामाजिक व्यवसायों को पूंजी आकर्षित करने और उन्हें परंपरागत लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए निवेशों के विपरीत एक विशिष्ट “परिसंपत्ति वर्ग” (asset class) के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

- **सामाजिक व्यवसाय का निर्माण करना:** सामाजिक व्यवसायों को निर्मित और समर्थन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास:** इससे प्राप्त ज्ञान हमें बेहतर फ्रेमवर्क प्रदान करेगा जिसके भीतर निवेशक अधिक समग्र निर्णय-निर्माण कर सकेंगे, जिसमें सामाजिक व्यवसाय और SSEs शामिल होंगे।
- **नियमित मूल्यांकन:** इस संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि वर्तमान प्रावधान कितने प्रभावी हैं और सामाजिक उद्यमों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
- **विभिन्न निकायों के मध्य समन्वय:** सरकार का एक अन्य कार्य NGOs और सामाजिक उद्यमों के साथ कार्य करना और उन्हें बड़ी मात्रा में पूंजी के उपयोग करने हेतु तैयार करना है।

3.8. सूक्ष्म ऋण

(Micro Credit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सूक्ष्म ऋण की मौजूदा प्रणालियों का प्राप्तकर्ताओं के दीर्घकालिक कल्याण पर सीमित प्रभाव ही रहा है।

सूक्ष्म ऋण के बारे में

- सूक्ष्म ऋण का तात्पर्य छोटे उधारकर्ताओं को अल्प मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने से है, ताकि वे उस पूँजी का उपयोग स्व-रोज़गार अथवा अपने व्यवसाय का विस्तार करने हेतु कर सकें।
- सूक्ष्म ऋण के रूप में दिए जाने वाले ऋण प्राय: ऐसे लोगों को प्रदान किए जाते हैं जिनके पास संपार्श्विक (collateral), क्रेडिट हिस्ट्री या आय के नियमित स्रोतों का अभाव होता है।
- सूक्ष्म ऋण का मुख्य उद्देश्य यह है कि लघु ऋण उन लोगों को वृहत अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करेगा जो सामान्यत: उन संस्थानों के दायरे से बाहर रहते हैं, जिन पर मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था आधारित होती है।
- सूक्ष्म ऋण, **लघु वित्त (microfinance) के अंतर्गत** शामिल है। ज्ञातव्य है कि लघु वित्त का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जिनकी इस प्रकार की पारंपरिक सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
- भारत में, **स्वयं सहायता समूह (SHGs),** सूक्ष्म ऋण मॉडल से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं।
    - वर्त्तमान में इससे संबंधित बचत खातों में 19,500 करोड़ रुपये की राशि जमा है और 75,500 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बकाया है।
    - 5,000 से अधिक चैनल पार्टनरों और 8.7 मिलियन समूहों द्वारा 100 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को सेवा प्रदान की जा रही है।
- हाल ही में, आइडियाज फॉर इंडिया (एक नीति अनुसंधान पोर्टल) में प्रकाशित एक समीक्षा लेख में दावा किया गया था कि सूक्ष्म ऋण लेन-देन में कुछ कमियों के कारण, इससे प्राप्त परिणामों ने अर्थपूर्ण तरीके से अपने लाभार्थियों के जीवन में सुधार करने में अत्यंत न्यून भूमिका निभाई है।

सूक्ष्म ऋण के लाभ

- **निर्धनता उन्मूलन:** क्योंकि ये लघु ऋण निर्धन व्यक्तियों को व्यवसाय प्रारंभ करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा:** यह अन्य लोगों में **लिज्जत पापड़** जैसे नए उपक्रमों को विकसित करने में सहायता करता है।
- **अनौपचारिक श्रमिकों की सहायता (Help casual labour):** यह ग्रामीण मजदूरों को कार्य की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान नए कार्य आरंभ करने व अपनी आय के स्रोतों को विविधता प्रदान करने में मदद कर सकता है।
- **महिला सशक्तीकरण:** विगत छह वर्षों में सूक्ष्म ऋण उधारकर्ताओं के ऋण में 900% की वृद्धि (वर्ष 2012 के 2 बिलियन डॉलर से वर्ष 2018 में 20 बिलियन डॉलर तक) हुई है, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा:** इसका उपयोग लोगों को बीमा के रूप सहायता प्रदान करते हुए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने हेतु किया जा सकता है, जो आपदा-पूर्व उत्पादन में वृद्धि और आपदा-पश्चात् सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

भारत में सूक्ष्म ऋण से संबंधित मुद्दे

- **लचीलेपन की कमी (Lack of flexibility):** विभिन्न सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों हेतु यह आवश्यक है कि उनका पुनर्भुगतान शीघ्रताशीघ्र किया जाना चाहिए और तत्पश्चात एक कठोर साप्ताहिक कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। यह उधारकर्ताओं के लिए उत्पादक निवेश के लिए प्राप्त पूंजी का उपयोग करने को कठिन बनाता है, क्योंकि इस प्रकार के निवेशों से लाभ प्राप्त होने में अधिक समय लगता है।

VISION IAS

- **क्रेडिट हिस्ट्री को बनाए रखने संबंधी समस्या:** पुनर्भुगतान से संबंधित कठोर प्रावधानों को मुख्य रूप से ग्राहकों की साख संबंधी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण अपनाया गया है। कई सूक्ष्म ऋण उधारकर्ताओं के पास न्यूनतम औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जिससे ऋणदाताओं द्वारा निरर्थक उधारकर्ताओं की पहचान करना कठिन हो जाता है।
- **सूक्ष्म वित्त संस्थानों की सुभेद्यता:** ये संस्थान, सूक्ष्म प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सुभेद्य होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों के छोटे आकार के कारण इनकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर बनी रहती है। जहाँ, बैंकों के पास बहु उत्पाद और एक सुनिश्चित जमा आधार होता है, वहीं इसके विपरीत सूक्ष्म ऋणदाता फंड के लिए बाजारों पर निर्भर होते हैं और सूक्ष्म प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति भी सुभेद्य बने रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनका व्यापार प्रभावित होता है।
- **ऋण जाल की निरंतरता:** जब एक लघु व्यवसाय विफल हो जाता है तथा उसके द्वारा अपने पिछले ऋणों के भुगतान हेतु अन्य ऋण प्राप्त किया जाता है, तो यह स्थिति उसके ऋणों में और अधिक वृद्धि कर देती है।

भारत में सूक्ष्म ऋण की दिशा में उठाए गए कदम

- **सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHGBLP):** यह असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने हेतु NABARD द्वारा आरंभ की गयी एक पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:
  - बैंकों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।
  - बैंक ग्रुप गारंटी के आधार पर SHGs को ऋण प्रदान कर सकते हैं और ऋण की मात्रा बैंकों के पास ऐसे SHGs की जमा राशि से कई गुना अधिक हो सकती है।
- **आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (The Livelihood and Enterprise Development Programme: LEDP):** SHGs के सदस्यों के लिए स्थायी आजीविका के सृजन हेतु LEDP कार्यक्रम को कुछ चयनित राज्यों में पायलट आधार पर लागू किया गया था, जिसे वर्तमान में देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है।
- **इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड (IMEF):** सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को समर्थन प्रदान करने हेतु।
- **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफ़ाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA):** भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में सूक्ष्म उद्यमों पर अपना संपूर्ण ध्यान केन्द्रित करने हेतु की गई थी। MUDRA योजना का उद्देश्य लघु सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (न कि लाभकारी सूक्ष्म वित्त संस्थानों को) की विकास प्रक्रिया में सहयोग देना और उन्हें सुविधा प्रदान करना है।

3.9. चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019

{Chit Funds (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

संबंधित तथ्य

- यह विधेयक चिट फंड क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने तथा चिट फंड्स उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को समाप्त करने हेतु **चिट फंड्स अधिनियम, 1982** में संशोधन का प्रावधान करता है। इस प्रकार, यह अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की व्यापक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करता है।

चिट फंड

- चिट फंड एक प्रकार की **बचत योजना** है, जिसमें एक निश्चित संख्या में ग्राहक/सदस्य **निर्धारित अवधि में किश्तों के रूप में भुगतान के माध्यम से अंशदान** करते हैं।
- चिट फंड की प्रकृति के आधार पर **प्रत्येक ग्राहक लॉट (lot), नीलामी या निविदा द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का हकदार होता है।**
- सामान्यतया पुरस्कार की राशि, ग्राहक द्वारा किए गए संपूर्ण भुगतान में से छूट (जो ग्राहक में लाभांश के रूप में पुनर्वितरित की जाती है) को कम करके या घटाकर प्राप्त की गई राशि होती है।
- भारत में लगभग 10,000 चिट फंड कार्यरत हैं, जो प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन करते हैं। इस क्षेत्र की विशालता के कारण चिट फंड के समर्थक इसे अत्यंत **महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण** मानते हैं।
- हालांकि, इनके प्रचारकों/प्रवर्तकों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की **पोंजी स्कीम चलाने और निवेशकों का धन लेकर भागने** के कई उदाहरण भी मौजूद हैं।

चिट फंड का विनियमन: भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण; केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ही चिट फंड के संबंध में विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है।

- **न तो RBI और न ही SEBI** चिट फंड कारोबार को नियंत्रित करते हैं।
- चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत सभी चिट फंड कंपनियों को **संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।**

VISION IAS

चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत प्रमुख प्रावधान

- **चिट फंड के लिए अतिरिक्त नाम:** वर्ष 1982 का अधिनियम विभिन्न नामों को निर्दिष्ट करता है, जिनका उपयोग चिट फंड को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है। इनमें **चिट**, **चिट फंड** और **कुरी** शामिल हैं। इस विधेयक की सूची में **मैत्री फंड (fraternity fund)** तथा **आवर्ती बचत एवं क्रेडिट संस्था (rotating savings and credit institution)** को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।
- **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबस्क्राइबरों की उपस्थिति:** यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि कम से कम दो सबस्क्राइबरों की उपस्थिति में ही चिट निकाली जाएगी। यह विधेयक इन सबस्क्राइबरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करता है।
- **फोरमैन के कमीशन में वृद्धि (Increase in foreman's commission):** वर्ष 1982 के अधिनियम के तहत, चिट फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी 'फोरमैन' को प्रदान की गई है। वह चिट की कुल राशि का अधिकतम 5% कमीशन के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत था। इस विधेयक के तहत कमीशन को बढ़ाकर 7% किया गया है।
- **चिट्स की समग्र राशि (Aggregate amount of chits):** इस अधिनियम के तहत अधिकतम राशि की सीमाओं को बढ़ाया गया है, जिसे फर्मों, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा चिट फंड के तहत एकत्रित/जमा किया जा सकता है।
- **अधिनियम का अनुप्रयोग:** वर्तमान में, वर्ष 1982 का अधिनियम 100 रूपये से कम राशि वाले चिट फंड पर लागू नहीं होता है। **इस विधेयक में 100 रूपये की सीमा को समाप्त किया गया है और राज्य सरकारों को इस सीमा को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।**

3.10. कोल इंडिया

(Coal India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार, कोल इंडिया की परिचालन गुणवत्ता में सुधार के लिए, इसे (अर्थात् इसकी अनुषंगी कंपनियों को) अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने का विचार कर रही है।

पृष्ठभूमि

- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (The Department of Investment & Public Asset Management: DIPAM) ने कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय को कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों और इसके अन्वेषण शाखा में से चार को सूचीबद्ध करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।
- **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** भारत की एक प्रमुख कोयला खनन कंपनी है। इसने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए घरेलू उत्पादन के 83% का उत्पादन किया तथा कुल कोयला आपूर्ति के 63% (टन में) की आपूर्ति की है।
    - **चार इकाइयां:** ये चार इकाईयां निम्नलिखित हैं: महानदी कोलफील्ड्स, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स और सेंट्रल कोलफील्ड्स। **कंपनी के कुल उत्पादन में इनकी तीन-चौथाई से अधिक** हिस्सेदारी हैं, जबकि इनमें कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों के आधे से भी कम है।
    - हालांकि, भारत में कोयला खनन के क्षेत्र में निम्नलिखित कमियों की पहचान की गयी है: कोयला खनन में कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार, एक प्रभावी नियामक तंत्र का अभाव, खराब अन्वेषण प्रयास और सुरक्षा के निम्न उपाय।
- भारत में लगभग 70 फीसदी विद्युत उत्पादन कोयला पर आधारित है। भारत, विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, किन्तु कोयले का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। अतः सरकार स्थानीय कोयला उत्पादन को बढ़ावा देकर इसी स्थिति को परिवर्तित करना चाहती है।

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में

- कोल इंडिया लिमिटेड का गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वर्ष 1975 से पहले, भारतीय कोयला उद्योग निम्न उत्पादकता, रणनीतिक योजना व वित्त के अभाव, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और विनियमन की कमी जैसे कई मुद्दों से ग्रस्त था।
- सरकारी एकाधिकार के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है।
    - हालांकि, अभी भी देश में बड़े पैमाने पर उच्च कोटि के कोयले का खनन नहीं किया जा सका है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इसका आयात करना पड़ता है।

VISION IAS

कोल इंडिया के समक्ष चिंता

- **प्रचुर संसाधनों के बावजूद बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ:** यद्यपि, कोल इंडिया ने रिकॉर्ड 607 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया, तथापि यह वर्ष 2017 में प्रस्तावित लक्ष्य से 22% कम था। तब से लक्ष्य को कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन उत्पादन अभी भी संशोधित लक्ष्य के नीचे है।
  - **घटता उत्पादन:** पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में जुलाई 2019 में 5.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है।
- **क्षमता उपयोग में गिरावट:** परिवहन की अड़चनें, प्रबंधन में रिक्तियां, खरीद में देरी और हड़ताल तथा बंद के कारण।
- **अकुशल संगठन:** कोल इंडिया लिमिटेड का प्रति व्यक्ति उत्पादन, दुनिया की सबसे बड़ी निजी कोयला उत्पादक कंपनी पीबॉडी एनर्जी (Peabody Energy) के एक/आठवें हिस्से के बराबर है।
- **परियोजनाओं में विलंब:** CIL की 54 कोयला-खनन परियोजनाओं को विभिन्न कारणों से विलंब का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि संविदात्मक मुद्दे, मंजूरी मिलने में विलंब आदि।
- **धन का अल्प-उपयोग:** कोयला संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee on Coal) ने यह अवलोकित किया था कि CIL ने 2016 तक उसे आबंटित फंड में से केवल 62% का ही उपयोग किया था।
- **पूंजी बाजार में गिरती हिस्सेदारी:** CIL का बाजार पूंजीकरण लगभग 28 बिलियन डॉलर है, जो लगातार पांचवें वर्ष गिरावट की तरफ बढ़ रहा है।
- अति गहराई वाले कोयला खनन के लिए नवीनतम तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता में कमी।
  - CIL के पास उपलब्ध मशीनरी जिसे ओपन-कास्ट माइनिंग (विवृत खनन) कहा जाता है, ज्यादातर पृथ्वी की सतह से 300 मीटर नीचे ड्रिलिंग की अनुमति देती है, लेकिन कुल कोयला भंडार का लगभग 40% हिस्सा इससे भी अधिक गहराई में स्थित है, जिसे ओपन-कास्ट माइनिंग का उपयोग करके नहीं निकाला जा सकता है।
  - दूसरी ओर, ओपन कास्ट माइनिंग को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि यह नई प्रौद्योगिकी विधियों की तुलना में आसान, सस्ता और सुरक्षित है।
  - ऐसे में, कोयले का 40% भंडार अभी तक अछूता है, जिसके कारण स्टील कंपनियों को कोयला आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- देश में कोयला भंडारों के वितरण का एक सटीक आंकलन और मूल्यांकन प्रणाली का अभाव है।
  - CIL के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी और प्रणालियाँ कोयले के भंडार का सटीक विवरण नहीं दिखाती हैं, जिसके कारण वे त्रुटिपूर्ण ढंग से से खनन करते हैं।

कोयला खनन से संम्बधित अन्य मुद्दे

- **पूर्वी भारत में प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिवेश:** ओपन कास्ट माइनिंग से होने वाली क्षति अपूरणीय है, जिससे भूमि बेकार हो जाती है।
  - इन क्षेत्रों में अनियंत्रित वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचा रही है।
  - बंजर भूमि और जल की अनुपलब्धता के कारण लोगों का विस्थापन भी बढ़ा है।
- **नागरिक असंतोष** कुशल खनन नहीं होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। कोयला भंडार सबसे अधिक उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां माओवादी सक्रिय हैं, जिससे क्षेत्र में खनन दशाएँ प्रतिकूल स्थिति में हैं।
- **अवैध खनन में वृद्धि और कोयले का निर्यात:** जब देश में अधिक कोयले के लिए मांग हो रही है, ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपने निजी लाभ के लिए कोयले की अवैध बिक्री की गतिविधियों में संलग्न हैं। उनके खिलाफ मुकदमेबाजी अक्सर वर्षों तक चलती रहती है, इसलिए अवैध खनन को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है।
- **बढ़ता आयात:** इस अवधि में कोयले के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
  - इसके कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: दूरस्थ स्थानों के चलते घरेलू कोयले की उच्च परिवहन लागत (उच्च रेलवे परिवहन लागत भी इसमें जुड़ जाती है), आयातित कोयले की बेहतर गुणवत्ता और कम राख सामग्री, कुछ बिजली संयंत्र बॉयलरों को आयातित कोयले की एक विशेष गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन (इस्पात क्षेत्र के लिए) की कमी आदि।
- **अवसंरचना:** उदाहरणस्वरूप -बोझिल रेलवे नेटवर्क ने ईंधन के परिवहन में बाधा उत्पन्न की है।

कोयला पर कार्यदल (Working Group) की कुछ सिफारिशें:

- कोयला कंपनियों को भूमि अधिग्रहण में विलंब से बचने के लिए परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का एकबारगी ही पूरे क्षेत्र पर कब्जा प्राप्त कर लेना चाहिए।

VISION IAS

- खनन पट्टा, वन और पर्यावरण मंजूरी तथा भूमि अधिग्रहण जैसी आवश्यक मंजूरी देने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में स्तरों और चरणों की संख्या कम होनी चाहिए।
- अधिक निजी भागीदारी के लिए क्षेत्र को खोलना, विशेष रूप से कैप्टिव खनन के संबंध में।
- एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना, जिसके पास कोयला संसाधन विकास और इसके निष्कर्षण एवंम उपयोग के विनियमन को व्यापक रूप से संभालने की शक्तियां हो।

CIL को विभाजित करने के लाभ (Advantages of breaking up CIL)	CIL को विभाजित करने से संबद्ध चुनौतियां (Challenges of breaking up CIL)
• प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा; • मांग-आपूर्ति की स्थिति को दूर करने और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके अपनाने के संदर्भ में; • इससे वर्ष 2020 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जबकि वित्त वर्ष में उत्पादन लगभग 539 मिलियन टन था; • सरकार अपने कुछ शेयरों की बिक्री कर सकती है, जो अधिक निजी भागीदारी और अधिक प्रबंधकीय विशेषज्ञता ला सकती है।	• श्रमिक संघों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सामना करना; • सहायक कंपनियों के बीच संरचनात्मक अंतर हैं, जिन्हें प्रबंधन के केवल परिवर्तन द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है। • अंतर-सहायक कर्मचारियों की आवाजाही (प्रबंधन स्तर), लाभांश भुगतानों में अंतर आदि से लेकर सूक्ष्म क्रॉस-लिंकेज की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो इसका विभाजन मुश्किल बनाती है।

संबंधित तथ्य:

- हाल ही में, सरकार ने कोयला खनन और इससे संबंधित अवसंरचना में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) की अनुमति प्रदान की है, ताकि एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त हो सके।
- वर्तमान में विद्युत परियोजनाओं, लौह और इस्पात तथा सीमेंट इकाइयों में आबद्ध उपभोग (captive consumption) हेतु कोयला और लिग्नाइट के खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- अब, कोयले की बिक्री और खनन के साथ-साथ कोयले की प्रसंस्करण (washery), विभंजन (crushing), प्रबन्धन (handling) और पृथक्करण (चुंबकीय और गैर-चुंबकीय) जैसे संबंधित प्रसंस्कृत संसाधन अवसंरचना के लिए भी स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है।
- वर्तमान में, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) तथा नियंत्रित खनन वाली निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खनन एवं खुले बाजार में 25 प्रतिशत कोयले की बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
- FDI के कारण खनन चरण प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि पेशेवर कोयला खननकर्ताओं के भागीदारी के परिणामस्वरूप कोयला खनन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया में समग्र सुधार होगा।
  - इसके अतिरिक्त विद्युत, स्टील और सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे पदार्थों की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि से लागत कम होगी तथा आयात के बढ़ते स्तर में भी गिरावट आएगी।
- **FDI के संबंध में अन्य सुधारों की घोषणा:**
  - घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध विनिर्माण (contract manufacturing) के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
  - सिंगल-ब्रांड रिटेल में FDI के मामले में, मंत्रिमंडल ने 30 प्रतिशत वाले डोमेस्टिक सोर्सिंग नॉर्म (घरेलू क्षेत्र से अनिवार्य आपूर्ति) से संबंधित परिभाषा में भी छूट प्रदान की है।
    - उल्लेखनीय है कि, वर्तमान समय में यह प्रावधान है कि यदि सिंगल ब्रांड रिटेलिंग इकाई में 51 प्रतिशत से अधिक FDI है, तो उस इकाई को अपने 30 प्रतिशत वस्तुओं को घरेलू क्षेत्र से खरीदना होगा।
    - इस संबंध में अधिक लचीलापन और परिचालन में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय किया गया है कि, ऐसे एकल ब्रांड द्वारा भारत में की गई सभी खरीद को स्थानीय आपूर्ति (लोकल सोर्सिंग) के तौर पर

VISION IAS

समझा जाएगा। इन संशोधनों के बाद भारत में की गई खरीद को स्थानीय सोर्सिंग माना जाएगा, भले ही उत्पाद भारत में बेचे गए हों अथवा उनका निर्यात किया गया हो।

- ब्रिक-और-मोर्टार स्टोर (brick-and-mortar store) स्थापित करने संबंधी पूर्ववर्ती शर्त में छूट प्रदान करते हुए इसके तहत सिंगल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- वर्तमान FDI नीति के तहत समाचारों एवं समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों के अप-लिंकिंग में अनुमोदित मार्ग के तहत 49 प्रतिशत FDI की अनुमति प्राप्त है। मंत्रिमंडल ने प्रिंट मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी मार्ग के तहत 26 प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

आगे की राह

विभिन्न उत्पादन इकाइयों में मौजूद आपसी निर्भरता और स्थान विशिष्ट क्रॉस-लिंकेज के कारण कोल इंडिया जैसे बड़े निगम को छोटे भागो में विभाजित करने का एक उपरी दृष्टिकोण व्यवहार्य नहीं हो सकता है। दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के बजाय निजी प्रतिभागियों में वृद्धि करने, वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने और उत्पादन का अनुकूलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

3.11. समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र

(Marine Fisheries Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **समुद्री मात्स्यिकी विनियमन और प्रबंधन (Marine Fisheries Regulation and Management: MFRM) विधेयक, 2019** को चर्चा हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

भारत में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र

- समुद्री मात्स्यिकी, **मत्स्यन की वह शाखा है जो मुख्य रूप से समुद्री मछलियों और अन्य समुद्री उत्पादों से संबंधित है।** उदाहरण के लिए- आयल सार्डिन, ट्यूना, केकड़े, समुद्री शैवाल आदि।
- वर्ष 2018-19 में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश** रहा।
- इस क्षेत्र में कुल सकल मूल्य में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा यह **कृषिगत GDP में 5.23% का योगदान** करता है।
- भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि **पोषण सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक** है। यह 14 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका सहायता और लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त कृषि निर्यात में भी योगदान करता है।
- यह **राष्ट्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन और मनोरंजन** में योगदान को बनाए रखने में भी सहायता करता है।

समुद्री मात्स्यिकी विनियमन और प्रबंधन (Marine Fisheries Regulation and Management: MFRM) विधेयक, 2019

भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS), 1982 तथा विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation: WTO) के समझौतों के तहत अपने दायित्व के अनुसार MFRM विधेयक, 2019 को प्रस्तावित किया है।

- **केंद्र और राज्यों के मध्य विद्यमान अंतराल को दूर करना:** चूँकि मत्स्य पालन **राज्य सूची** का एक विषय है, इसलिए आंतरिक जल (Internal Waters: IW) और प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea: TS) में मत्स्यन, संबंधित राज्यों के दायरे अधीन हैं। TS में अन्य गतिविधियाँ और TS से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) की सीमा तक मछली पकड़ने सहित सभी गतिविधियाँ संघ सूची का विषय हैं। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण EEZ को शामिल करने हेतु किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** इसके अंतर्गत मछुवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ख़राब मौसम की घटनाओं के दौरान समुद्र में जीवन की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्यन:** विधेयक के अंतर्गत, EEZ में विदेशी जहाजों द्वारा किए जाने वाले मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार **EEZ का राष्ट्रीयकरण** किया गया है। TS के बाहर EEZ में मत्स्यन के इच्छुक भारतीय मछुआरों को परमिट प्राप्त करना होगा।
- **मत्स्य प्रबंधन योजना:** यह भारत के समुद्री क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखेगा तथा साथ ही, मत्स्यन और इससे संबंधित गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा शमन को भी सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

भारत में समुद्री मात्स्यिकी की क्षमता

- भारत के पास लगभग **8,118 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अंतर्देशीय जल संसाधनों** के अतिरिक्त **2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर का EEZ** विद्यमान हैं, अत: भारत के पास मात्स्यिकी की विशाल संभावना है।
- देश के EEZ की वार्षिक मात्स्यिकी की संभावना **लगभग 5 मिलियन टन है।**
- भारत के पास विशाल **तटीय आर्द्रभूमि** विद्यमान है जो 40,230 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **नीली क्रांति (Blue Revolution):** सरकार द्वारा अनुमोदित **'मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन'** का उद्देश्य गहन समुद्री मात्स्यिकी सहित जलीय कृषि और अंतर्देशीय एवं समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित मत्स्य संसाधनों से मछली उत्पादन और मछली उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने हेतु मात्स्यिकी क्षेत्र का एक केंद्रित विकास और प्रबंधन करना है।
- **नेशनल मरीकल्चर पॉलिसी (national policy on Mariculture) का मसौदा** तैयार किया गया है ताकि देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा के लाभ के लिए संधारणीय समुद्री खाद्य उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।
- सरकार ने **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017** को अधिसूचित किया था।
- स्थानीय मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु EEZ में **"लेटर ऑफ परमिट (LOP)" प्रणाली** को समाप्त कर दिया गया है।
- पारंपरिक मछुआरों को EEZ में मानसून अवधि के दौरान मत्स्यन क्रिया पर लागू प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु भारतीय EEZ में LED लाइट्स और अन्य कृत्रिम रौशनी के उपयोग तथा बुल-ट्रॉलिंग (bull-trawling), पर्स सेइनिंग (purse seining) एवं गिल नेटिंग (gill netting) परिचालन के अभ्यास को निषिद्ध किया गया है।

चुनौतियां

- **गहन समुद्री मत्स्यन से संबंधित मुद्दे:** मछुआरों के विभिन्न समूहों, मशीनीकृत मत्स्यन जहाजों के मालिकों, मछली प्रसंस्करण इकाइयों आदि द्वारा गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति की आलोचना की गई थी, जिसका मुख्य कारण भारतीय समुद्र में विदेशी जहाजों को मत्स्यन हेतु अनुमति प्रदान करना था।
  - इसके अतिरिक्त, गहन समुद्री संसाधनों के संबंध में कोई उपयुक्त डाटा उपलब्ध नहीं है।
  - गहन समुद्री मात्स्यिकी हेतु उच्च पूँजी निवेश और बारम्बार लागत वहन करने की भी आवश्यकता होती है।
  - गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए कुशल मानव शक्ति का अभाव।
- **असंगठित विपणन प्रणाली:** भारत में मौजूदा विपणन प्रणाली में कोई पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन (लिंकेज) उपलब्ध नहीं है।
  - लैंडिंग केंद्रों और खुदरा बाजारों में मछली की बिक्री मूल्य के मध्य एक व्यापक अंतर विद्यमान है, जो यह इंगित करता है कि बिचौलियों द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जाता है।
- **अप्रयुक्त संसाधन:** झींगा मछली और शार्क जैसे उच्च मूल्य वाले संसाधनों के अतिरिक्त उच्च सागर (high seas) में पकड़े गए अधिकांश समुद्री संसाधनों को समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है।
- **मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी का अभाव:** तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के मध्य अत्यधिक अंतराल विद्यमान है।
- **अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव:** नई नौकाओं का निर्माण और मौजूदा नौकाओं की मरम्मत करने हेतु जहाज निर्माण करने वाले मानक यार्ड, मछली पकड़ने हेतु विशिष्ट बंदरगाह आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, मत्स्यन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावास निम्नीकरण (औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, कीटनाशक के कारण), अवैध, असूचित और अनियमित मात्स्यिकी आदि के कारण मत्स्यन (catches) में गिरावट और तटीय सागरों में अति-मत्स्यन की समस्या उत्पन्न हुई है।
- पृथक्करण, खराब होने, निम्न गुणवत्ता के कारण पोस्ट-हार्वेस्ट हानि।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** मछुवारा समुदाय को कोई उचित सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है।

आगे की राह

- **वित्तपोषण:** आगामी वर्षों में गहन समुद्री क्षेत्र के महत्व और व्यापकता को देखते हुए सरकार से प्राप्त होने वाले वित्तपोषण को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है।
  - यह सुझाव दिया गया है कि सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक (National Bank For Agriculture and Rural Development: NABARD) से पुनर्वित्त की व्यवस्था की जा सकती है या इच्छुक उद्यमियों सरकार द्वारा को सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

VISION IAS

- अनेक मछुआरों के जीवन की सुरक्षा हेतु मछुवारा समुदाय के लिए **विशेष बीमा प्रणाली** और पड़ोसी देशों के साथ मछुआरों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए सहयोग करना सर्वोपरि कार्य होना चाहिए।
- केंद्र सरकार की निरंतर संलग्नता के साथ **सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार** से किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में सहायता मिलेगी।
- **प्रशिक्षण:** संभवतः उद्देश्य और सक्षम परामर्श एवं प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से अग्रसक्रिय समर्थन प्रदान करना। इसे और अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग के निजीकरण की पहल को सुविधाजनक बनाना चाहिए।
- **जागरूकता:** लोगों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और गैर-पारंपरिक संसाधनों के पोषक मूल्यों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना भी आवश्यक है ताकि कई ऐसे गहन समुद्री संसाधनों के लिए एक मुक्त बाजार का सृजन किया जा सके।
    - गहन समुद्र सर्वेक्षण संबंधी अन्वेषण परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **समुद्री संसाधनों का संरक्षण:** कानूनी प्रावधानों के माध्यम से झींगा मछली और केकड़ा जैसे इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड गहन समुद्री संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार को कदम उठाने चाहिए।
- समुद्री मात्स्यिकी के संधारणीय प्रबंधन हेतु समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में केंद्र और राज्य के मध्य **सहकारी शासन** महत्वपूर्ण है, अतः समुद्री मात्स्यिकी को आदर्श रूप से **समवर्ती सूची** का विषय बनाया जाना चाहिए।

3.12. हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ

(Hybrid Renewable Energy Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा पवन/सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए दो नीलामी प्रक्रियाओं का आयोजन किया गया।

हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के बारे में

- हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में सामान्यतया दो या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल होते हैं। ये इस तरह से संयोजित होते हैं जिससे स्थानीय वितरण (local load) या ग्रिड को विद्युत प्रदान करने हेतु ऊर्जा रूपांतरण तकनीक के साथ परस्पर संबद्ध एक कुशल प्रणाली प्रदान की जा सके।
- विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में शामिल हैं: बायोमास-पवन-ईंधन सेल, फोटोवोल्टिक सेल श्रेणी से युग्मित पवन टरबाइन, जलविद्युत-पवन-ऊर्जा प्रणाली आदि।

एकल नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित चुनौतियाँ (Issue in standalone renewable energy systems)

- ये ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होते हैं जिनकी **उपलब्धता सतत नहीं** होती है अर्थात् ये ऊर्जा का उत्पादन केवल सूर्य प्रकाश या पवन प्रवाह की उपस्थिति में ही कर सकते हैं।
- ऊर्जा का उत्पादन दिन के कुछ विशिष्ट घंटों तक ही सीमित होता है।
- इसके उपयोग से ट्रांसमिशन लाइनों का कम उपयोग होता है।
- इस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से अत्यधिक ऊर्जा की मांग अवधि (जैसे- शाम के समय में जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है) में आपूर्ति कठिन होती है, साथ ही यह पारेषण लागत (transmission cost) को भी बढ़ा देती है।

लाभ

- हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियां, ग्राहक की विविध आवश्यकताओं के अनुसार **वैकल्पिक ऊर्जा समाधान** प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं। ये एकल प्रणालियों (standalone systems) के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को दूर करने और एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं। **(बॉक्स देखें)**
- ये ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर से होने वाली उर्जा क्षति को कम करने, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने एवं प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि करने तथा विद्युत की गुणवत्ता में सुधार और समग्र दक्षता में वृद्धि के संदर्भ में लाभ प्रदान करती हैं।
- हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली प्रायः पवन, सौर या भू-तापीय जैसे एकल प्रणालियों की तुलना में अधिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है।
    - **उदाहरण के लिए:** हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु दिन में सौर ऊर्जा तथा रात्रि के समय पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्राहकों को सतत विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम होने के कारण इसमें विद्युत की भंडारण लागत कम होती है।
- यह अनुमान है कि पवन-सौर भंडारण हाइब्रिड प्रणाली आगामी 4-5 वर्षों में मौजूदा कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में अधिक **विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी** होने के साथ **चौबीस घंटे (24x7) बिजली प्रदान** कर सकती हैं।
- अतः ये शून्य कार्बन उत्सर्जन और लागत-प्रभावी समाधान के तौर पर, भविष्य में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक व्यावहारिक समाधान प्रदान कर सकती हैं।

ऐसी प्रणालियों को लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **तकनीकी चुनौतियां:** सौर फोटोवोल्टिक और ईंधन सेल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उर्जा की अधिक मात्रा का दोहन करने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा की निम्न दक्षता सबसे बड़ी चुनौती है।
- **उच्च विनिर्माण लागत:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विनिर्माण लागत में महत्वपूर्ण कमी किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उच्च पूंजी लागत लाभ प्राप्ति की अवधि को बढ़ा देती है।
- **ऊर्जा क्षति:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत चालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा ऊर्जा की क्षति न्यूनतम हो।
- **भंडारण समस्याएं:** नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भंडारण प्रौद्योगिकियों के जीवन-चक्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **भंडारण का न्यायसंगत उपयोग:** यदि हम अतिरिक्त नवीकरणीय उत्पादन के समय कुछ ऊर्जा का भंडारण करते हैं तो अत्यधिक मांग की अवधि के दौरान ग्रिड द्वारा भंडारित ऊर्जा का पारेषण किया जा सकता है। इस प्रकार दैनिक आधार पर परिवर्तनशील मांग की पूर्ति हेतु संयुक्त "हाइब्रिड" प्रणाली द्वारा 24x7 स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है।
- विभिन्न प्रकार से भंडारण किया जा सकता है, जैसे- बैटरी, पंप हाइड्रो या फ्लाईव्हील्स के माध्यम से यांत्रिक भंडारण आदि।
- **उर्जा के स्रोत में वृद्धि करना:** पवन तथा सौर उर्जा के एक साथ प्रयोग द्वारा इन दोनों की एकान्तर उपलब्धता (intermittency) को संतुलित किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, एक ओपन साइकल गैस टरबाइन। इस प्रकार हाइब्रिड प्रणाली द्वारा उत्पन्न समग्र उत्पादन, आवश्यक ऊर्जा (प्रति घंटे) की आपूर्ति में सहायक हो सकता है।
- **तकनीकी उन्नति:** ऐसी प्रणालियों के लिए उचित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है ताकि इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
- व्यवहार्य भंडारण समाधान के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग या समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

हाइब्रिड मॉडल के उपयोग का यह दृष्टिकोण न केवल गाँवों के विद्युतीकरण में सहयोग करेगा बल्कि इसके क्रियान्वयन के बेहतर तरीके को अपनाए जाने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप पावर ग्रिड के दक्षतापूर्ण उपयोग में वृद्धि होगी। इसके प्रोत्साहन या उचित क्रियान्वयन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में एक **सौर-पवन हाइब्रिड नीति** जारी की गई थी, जो ग्रिड-कनेक्टेड हाइब्रिड ऊर्जा को स्थापित व्यवस्था (सेट-अप) के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा प्रदान करती है, जिसकी सहायता से भूमि और ट्रांसमिशन अवसंरचना का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा तथा नवीकरणीय संसाधनों की परिवर्तनशीलता को प्रबंधित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

3.13. पर्यटन उद्योग

(Tourism industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लोगों से वर्ष 2022 तक भारत में स्थित कम से कम 15 पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का आग्रह किया है।

भारत के लिए पर्यटन की संभावना

- **भारत में विविध पर्यटन क्षेत्र और गंतव्यस्थल-** जिसके अंतर्गत हेरिटेज पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन आदि शामिल हैं।
- **आर्थिक संभावना-** रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा उस क्षेत्र में स्थित स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करने में सहायक है।
- **भारत की सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाने में सहायक-** लोगों के परस्पर सम्पर्क के संदर्भ में तथा वैश्विक परिदृश्य में भारत की छवि के उन्नयन में सहयोग प्रदान कर सकता है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे-** जिसमें पर्यटन स्थलों पर अनुकूल आवास और इन स्थलों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी सुविधाएं शामिल हैं।
- **स्वच्छता संबंधी मुद्दे-** अपशिष्ट का अनुचित प्रबंधन एवं निस्तारण।
- **मूलभूत सुविधाओं का अभाव-** जैसा गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय इत्यादि का अभाव।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ-** विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद, उग्रवाद का मुद्दा।
- **पर्यावरणीय मुद्दे-** पर्यटक आवागमन में वृद्धि के कारण स्थानीय पर्यावरण का ह्रास हो रहा है।

इसके लिए उठाए गए कदम

- **पर्यटन अवसंरचना का संवर्धन** - विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे कि -
  - **स्वदेश दर्शन योजना:** इस योजना के तहत, विकास कार्यों हेतु 15 थीमेटिक सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट आदि।

- **प्रसाद योजना (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive: PRASAD):** इसके तहत भारत में विकास के लिए 25 स्थलों की पहचान की गई है, जैसे- अमरावती, अजमेर, वाराणसी आदि।
- **हेरिटेज योजना को अपनाना:** इसमें मंत्रालय द्वारा कुछ स्मारकों के रखरखाव हेतु आउटसोर्सिंग की व्यवस्था गई है।

- **यात्रा को सुगम बनाना-**
  - यात्रा, व्यवसाय और चिकित्सा क्षेत्रों में **ई-वीजा जारी करना**।
  - **टोल फ्री बहुभाषी पर्यटन जानकारी-** सूचना सेवाएं प्रदान करना तथा किसी भी आपात स्थिति, जैसे- चिकित्सा, अपराध, प्राकृतिक आपदाओं आदि के दौरान पर्यटकों का मार्गदर्शन करना।
- **प्रचार एवं प्रसार-** निम्न तरीकों की सहायता से पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के उत्पादों और स्थलों के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है:
  - **पर्यटन पर्व, भारत पर्व** जैसे पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन एवं सहभागिता।
  - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया के सहयोग से प्रचार।
  - विवरण पुस्तिका (brochures), मानचित्र, पोस्टर, प्रमोशनल फिल्मों आदि का निर्माण कर।
  - प्रमुख और उभरते बाजारों को शामिल करने के लिए 2017-18 के दौरान **'अतुल्य भारत 2.0' नामक अभियान** की भी शुरुआत की गई थी।
- **सेवा गुणवत्ता मानकों को प्रोत्साहित करना-** हेरिटेज, लिगेसी विंटेज होटल आदि को विभिन्न स्टार (एक से पांच तक) के माध्यम से वर्गीकरण।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-** विभिन्न संगठनों, जैसे- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UN World Tourism Organisation: UNWTO), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) आदि के साथ मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में सहयोग हेतु परामर्श और वार्ता की जा रही है।

आगे की राह

- ट्विटर और पर्यटन हेल्पलाइन द्वारा शिकायत निवारण तंत्र तथा एक वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से पर्यटन संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने सहित **एकल बिंदु समाधान (One Stop Solution)** का विकास करना।
- एडवेंचर टूरिज़्म, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे स्कीम से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
- भारत के प्रति विदेशी पर्यटकों की **धारणा को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता** है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को यह समझने हेतु सर्वेक्षणों का आयोजन करना चाहिए कि विदेशी पर्यटक भारत के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं और भारत के प्रति नकारात्मक छवि को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

3.14. भारत में चीनी उद्योग

(Sugar Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी के 40 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

संबंधित अन्य तथ्य

- **बफर स्टॉक 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित किया जाएगा,** जिसमें सरकार द्वारा भागीदार चीनी मिलों को लगभग 1,674 करोड़ रुपये की लागत का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को **प्रतिपूर्ति, त्रैमासिक आधार** पर की जाएगी। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए चीनी मिलों की ओर से बकाया राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी और बाद में यदि कोई शेष राशि रहती है, तो उसे मिल के खाते में जमा की जाएगी।
  - इस कदम का **उद्देश्य चीनी के थोक मूल्यों में वृद्धि करना और चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करना है,** जिससे मिल मालिकों को किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी।
  - चूँकि 2019-20 का विपणन वर्ष अत्यधिक मात्रा में कैरी-ओवर/प्रारंभिक स्टॉक के साथ आरंभ होने की संभावना है, अतः चीनी के बफर स्टॉक के सृजन से **मांग-आपूर्ति में संतुलन को बनाए रखने और चीनी की कीमतों को स्थिर करने** में सहायता प्राप्त होगी।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वर्ष 2019-20 के लिए **चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के 'उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)' के निर्धारण** के संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यही दर वर्ष 2018-19 में भी प्रस्तुत की गई थी।

भारत में चीनी उद्योग

- ब्राजील के पश्चात् भारत **चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश** है, जिसमें पारंपरिक चीनी एवं स्वीटनर, खांडसारी और गुड़ शामिल हैं।
- गन्ना, वस्त्र उद्योग के पश्चात् **द्वितीय सबसे बड़े कृषि-आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल** प्रदान करता है।
- प्रत्यक्ष और अपनी सहायक इकाइयों के माध्यम से चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर **रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक** हैं।
- वृहद रूप से, भारत में गन्ने की कृषि के दो विशिष्ट कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं: **उष्ण कटिबंधीय** और **उपोष्ण कटिबंधीय**।
    - **उष्ण-कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र:** इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और केरल शामिल हैं।
    - **उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना क्षेत्र:** देश में कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं।

भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण तंत्र

- भारत में, गन्ने के मूल्य निर्धारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act: ECA), 1955 के अंतर्गत "**गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966"** के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है।
- गन्ने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के मूल्य हैं:
    - **उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP):** यह केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श के पश्चात् घोषित किया गया गन्ना मूल्य होता है।
    - **राज्य परामर्श मूल्य (State Advised Prices: SAP):** उत्पादन की लागत, उत्पादकता स्तर के अंतर का हवाला देते हुए और किसान समूहों के दबाव के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों द्वारा **राज्य विशिष्ट गन्ना मूल्य** की घोषणा की जाती हैं जिन्हें SAP कहा जाता है, जो सामान्यतः सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) / FRP से अधिक होता है।
- यह दोहरी गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली गन्ना और सुगर इकॉनमी को विकृत करती है तथा गन्ना मूल्य की बकाया राशि में वृद्धि करती है।
- उच्च SAP का आउटपुट मूल्य के साथ किसी भी तरह के लिंकेज का अभाव अलाभकारी सिद्ध होगा।
- उद्योग संघ ने SAP प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की है; यदि राज्य SAP की घोषणा करते हैं, तो ऐसे मूल्य अंतराल को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

FRP के निर्धारण के लिए कारक

- गन्ना उत्पादन की लागत;
- अंतर-फसल मूल्य समता;
- जोखिम और लाभ के आधार पर गन्ने के उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन (लाभ);
- गन्ने से प्राप्त चीनी का मूल्य, जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है;
- उप-उत्पादों के विक्रय अथवा उन पर आरोपित मूल्य द्वारा प्राप्त वसूली;
- गन्ने से चीनी की प्राप्ति;
- मूल्य, जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी का विक्रय किया जाता है; और
- उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।

प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरित होना

- उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, हाल के वर्षों में **कई प्रायद्वीपीय राज्य, जैसे- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि चीनी के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरे हैं,** जिसके कारण चीनी मिल उद्योग भी प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित हो गए हैं।
- इस परिवर्तन का कारण प्रायद्वीपीय भाग में गन्ने की कृषि के लिए उपलब्ध निम्नलिखित बेहतर परिस्थितियां हैं:
    - लंबी पेराई अवधि;
    - पर्याप्त वर्षा;
    - उच्च प्रतिलाभ दर (higher recovery rates);
    - उत्तरी भारत की तुलना में सुक्रोज की अधिक मात्रा; और
    - बंदरगाह क्षेत्रों आदि के कारण आसान परिवहन पहुंच।

VISION IAS

भारत में चीनी उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- **गन्ने की उत्पादकता का निम्न स्तर:** अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री की समय पर आपूर्ति न होने के कारण। भारत में प्रतिलाभ (रिकवरी) की औसत दर 10 प्रतिशत से कम है जो अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है।
- **अक्षम सरकारी नीतियां:** चीनी उद्योग की अधिकांश समस्याओं का कारण सरकारी नीतियां हैं, जैसे कि गन्ने का मूल्य, चीनी की कीमत पर नियंत्रण, दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली आदि।
- **मूल्य निर्धारण तंत्र:** चीनी का उत्पादन, कृषि लागत के आधार पर निर्धारित गन्ने के क्रय मूल्य से प्रभावित होता है। ऐसे में मुख्य कच्चे माल की उद्योगों के लिए कीमत एक तरफ प्रतिस्पर्धी खाद्य फसलों की कीमतों और दूसरी तरफ सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य पर निर्भर करती है।
- **मौसमी प्रकृति:** चीनी उद्योग का एक मौसमी स्वरूप होता है। जिसमें पेराई का मौसम सामान्यत: एक वर्ष में 4 से 7 माह के मध्य परिवर्तनशील रहता है, जिससे श्रमिक लगभग आधे वर्ष के लिए बेरोजगार हो जाते हैं।
- **उप-उत्पाद की समस्या:** चीनी उद्योग की एक महत्वपूर्ण समस्या इसके उप-उत्पादों विशेष रूप से खोई (bagasse) और शीरे (molasses) के उपयोग से संबंधित है। उद्योग प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अंतर्गत इन उप-उत्पादों के निपटान से संबंधित समस्याओं का सामना करते है।
- **चीनी की उच्च कीमतें:** चीनी मिलों में उत्पादन की अक्षमता और अलाभकारी प्रकृति, कम उपज और कम पेराई अवधि, गन्ने की उच्च कीमत और सरकार द्वारा आरोपित अत्यधिक उत्पाद शुल्क इत्यादि भारत में चीनी के उत्पादन की उच्च लागत के लिए जिम्मेदार हैं।
- **अप्रचलित और पुरानी मशीनरी:** वर्तमान में भारत में चीनी मिलों में कार्यरत अधिकांश मशीनें अप्रचलित और पुरानी है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में।
- **मिलों का छोटा और अनौपचारिक आकार:** भारत में अधिकांश चीनी मिलें छोटे आकार की हैं जिनकी क्षमता 1,000 से 1,500 टन प्रतिदिन है। इससे उत्पादन बड़े पैमाने पर अलाभकर हो जाता है। कई मिलें आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- **वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन:** आधे से अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और इन दो राज्यों में लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन होता है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ इस उद्योग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है जिसके अपने निहितार्थ हैं।
- **वैश्विक बाजारों में अप्रतिस्पर्धी:** भारतीय चीनी उद्योग वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धी है क्योंकि गन्ने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण इस पर बाजार शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिणामस्वरूप, चीनी के अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भारतीय चीनी मिलों के लिए एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- **इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol: EBP) कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के लिए मोटर स्पिरिट के साथ इथेनोल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और चीनी उद्योग में मूल्य वर्धन करना है ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान कर सकें। केंद्र सरकार ने EBP के अंतर्गत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018:** इस नीति के अंतर्गत इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस की अनुमति प्रदान की गई है। सरकार ने इथेनॉल सीजन वर्ष 2018-19 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत आपूर्ति के लिए पृथक रूप से सी-हैवी शीरा और बी-हैवी शीरा/गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल का उचित मूल्य निर्धारित किया है।
- **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना (SEFASU-2014):** इसके अंतर्गत पिछले चीनी सीजन के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान और गन्ना किसानों को वर्तमान चीनी सीजन के गन्ना मूल्य के निपटान के लिए, यह चीनी मिलों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंक द्वारा ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

आगे की राह

- **चीनी उद्योगों का लघुकरण (Miniaturization of sugar industries):** इससे छोटे किसानों के समूह को अपने गन्ने के खेतों के पास लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। उन्हें गन्ना विक्रय के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **गन्ने के मूल्य निर्धारण में सुधार:** चीनी अधिशेष को प्रबंधित करने का आदर्श तरीका गन्ने के मूल्य को निर्गत मूल्य से जोड़ना है।
    - सरकार को निर्गत मूल्य (जिसमें चीनी, इथेनॉल और खोई से उत्पन्न विद्युत शामिल है) की गणना करने के पश्चात् गन्ना के मूल्य को निर्धारित करने वाला फार्मूला प्रस्तुत करना चाहिए।

VISION IAS

- **विद्युत उत्पादन:** सह-उत्पादन तकनीक का उपयोग करना एक अन्य विकल्प हो सकता है जिसके माध्यम से कंपनियां, विद्युत वितरण कंपनियों को चीनी उत्पादन के उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत का विक्रय कर राजस्व का सृजन कर सकती हैं।
- **गुड़ संयंत्र के मशीनीकरण और गुड़ के अधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।**
- **किसानों को गुड़ से ऐल्कोहॉल बनाने का लाइसेंस दिया जाए।**
- **सभी चीनी उद्योगों को सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।**
- **भारत में चीनी क्षेत्र के विनियमन पर रंगराजन समिति की अनुशंसाएँ:**
    - इसके अनुसार चीनी का मूल्य राजस्व साझेदारी के फार्मूले (revenue sharing formula) पर आधारित होना चाहिए, जो चीनी की कीमतों के 75 प्रतिशत पर आधारित हो अथवा चीनी एवं प्रमुख उत्पादों के मूल्य का 70 प्रतिशत होना चाहिए।
    - राज्यों को SAP घोषित नहीं करना चाहिए। इसने वैज्ञानिक रूप से प्रभावी और आर्थिक रूप से उचित सिद्धांतों के अनुसार गन्ने की कीमतें निर्धारित करने का सुझाव दिया।
    - चीनी व्यापार पर सभी मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए और प्रशुल्क में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
    - गैर-लेवी चीनी के बाजार में प्रवेश पर विनियमन को समाप्त करना।
    - राज्यों को बाजार आधारित दीर्घावधिक संविदात्मक व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बॉन्डिंग (bonding) व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए।
    - उप-उत्पादों की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होना चाहिए जिसमें कोई निर्धारित अंतिम-उपयोग आवंटन न हो।

3.15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(Consumer Protection Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की है।

संबंधित तथ्य

- यह नवीन अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। **इस प्रकार, यह वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act: CPA) को संशोधित नहीं करता है, अपितु यह एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है।**
- इसका उद्देश्य तीव्र गति से परिवर्तित होने वाली वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था में अनुचित व्यापार और अनैतिक व्यापार व्यवहारों के नए रूपों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **एक उपभोक्ता** को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने उपयोग के लिए किसी वस्तु को खरीदता है अथवा सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल हैं।
- इस अधिनियम के अनुसार **"उपभोक्ता अधिकारों"** में निम्नलिखित शामिल हैं-
    - जीवन और संपत्ति को खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किया जाना;
    - वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किया जाना;
    - प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाना;
    - इसमें सुनवाई का अधिकार तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी शामिल है कि उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त मंच पर पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाएगा; और
    - उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार।
- उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA)** की स्थापना की जाएगी। यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा संबंधी नोटिस जारी कर सकता है, मूल्य वापसी का आदेश दे सकता है, वस्तुओं को वापस मंगवा सकता है और भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्णय दे सकता है।
    - CCPA के पास एक महानिदेशक के नेतृत्व में एक **अन्वेषण शाखा (investigation wing)** होगी, जो इस तरह के उल्लंघन की जांच या अन्वेषण कर सकती है।
- उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commissions)** गठित किए जाएंगे। जिला एवं राज्य आयोगों के निर्णयों के विरुद्ध अपील क्रमशः राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग में की जा सकेगी और राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

- उपभोक्ता संरक्षण पर सलाह देने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (Consumer Protection Councils)** की स्थापना की जाएगी।
- **उत्पाद दायित्व का अर्थ** किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के दायित्व से है, जो उपभोक्ता को किसी दोषपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण हुई किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। किसी भी हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - संपत्ति की क्षति;
  - व्यक्तिगत चोट, बीमारी, या मृत्यु; तथा
  - इन स्थितियों के साथ मानसिक पीड़ा या भावनात्मक क्षति।

इस अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- इस अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक न्यायिक सदस्य शामिल होगा। यदि आयोग में केवल कार्यपालिका के सदस्य होंगे तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
- विधेयक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद किसे सलाह देगी। यदि परिषद सरकार को सलाह देती है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी सलाह किस क्षेत्राधिकार के तहत दी जाएगी।
- विधेयक में 'उपभोक्ता अधिकारों' की परिभाषा सरल और स्पष्ट नहीं है, जिस कारण उपभोक्ता को उनके अधिकारों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाम **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**

	CPA, 1986	CPA, 2019
कानून का विस्तार	सभी वस्तुएं और सेवाएं विचारणीय हैं, जबकि निःशुल्क एवं व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया है।	दूरसंचार एवं आवास निर्माण सहित सभी वस्तुएं और सेवाएं तथा सभी प्रकार के लेन-देन (ऑनलाइन, टेलिशॉपिंग, आदि) विचारणीय हैं। नि: शुल्क और व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया है।
अनुचित व्यापारिक व्यवहार	इसमें छह प्रकार के ऐसे व्यवहार शामिल हैं, जैसे- झूठे प्रतिनिधित्व, भ्रामक विज्ञापन आदि।	अधिनियम सूची में केवल तीन प्रकार के ऐसे व्यवहारों को समाविष्ट करता है, जैसे- ○ बिल या रसीद जारी करने में विफलता; ○ 30 दिनों के भीतर वापस की गई वस्तु को स्वीकार करने से मना करना; तथा ○ गोपनीय रूप से प्रदत्त व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण, जब तक कि कानून द्वारा अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो। अनुचित व्यापार व्यवहारों के दायरे में नहीं आने के कारण प्रतियोगिताएं / लॉटरी को अधिसूचित किया जा सकता है।
उत्पाद दायित्व	कोई प्रावधान नहीं। उपभोक्ता सिविल कोर्ट में अपील कर सकता था लेकिन उपभोक्ता अदालत में नहीं।	उत्पाद दायित्व के लिए निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता के विरुद्ध दावा किया जा सकता है।
अनुचित अनुबंध	कोई प्रावधान नहीं।	अधिनियम **एकतरफा और अनुचित अनुबंधों** के जोखिम की पहचान करता है और समाधान प्रस्तुत करता है।
नियामक	कोई पृथक नियामक नहीं।	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है।
आयोगों का आर्थिक	**जिला:** 20 लाख रुपये तक; **राज्य:** 20	**जिला:** एक करोड़ रुपये तक;

VISION IAS

क्षेत्राधिकार	लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक; **राष्ट्रीय:** एक करोड़ रुपये से ऊपर।	**राज्य:** एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक; **राष्ट्रीय:** 10 करोड़ रुपये से ऊपर।
उपभोक्ता अदालत	शिकायतें एक उपभोक्ता न्यायालय में दायर की जा सकती थीं, जहां पर विक्रेता (प्रतिवादी) का कार्यालय स्थित हो।	शिकायतें उपभोक्ता न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, जहां उपभोक्ता निवास करता हो या कार्य करता हो।
ई-कॉमर्स	कोई प्रावधान नहीं।	प्रत्यक्ष बिक्री, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को परिभाषित करता है। केंद्र सरकार ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित करने के लिए नियम निर्धारित कर सकती है।
मध्यस्थता प्रकोष्ठ	कोई कानूनी प्रावधान नहीं।	न्यायालय मध्यस्थता के माध्यम से समाधान प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

यह अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून को समाप्त करने के लिए एक अत्यावश्यक कदम है, जोकि डिजिटलीकरण के इस युग में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए निरंतर निरर्थक होता जा रहा था। यह अधिनियम बाजार में तकनीकी प्रगति से उत्पन्न उपभोक्ता चिंताओं का समाधान करता है, कार्रवाई आरंभ करते समय उपभोक्ताओं के लिए लॉजिस्टिकल बाधाओं को समाप्त करता है और उन आधारों के दायरे को व्यापक बनाता है जिसके लिए कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

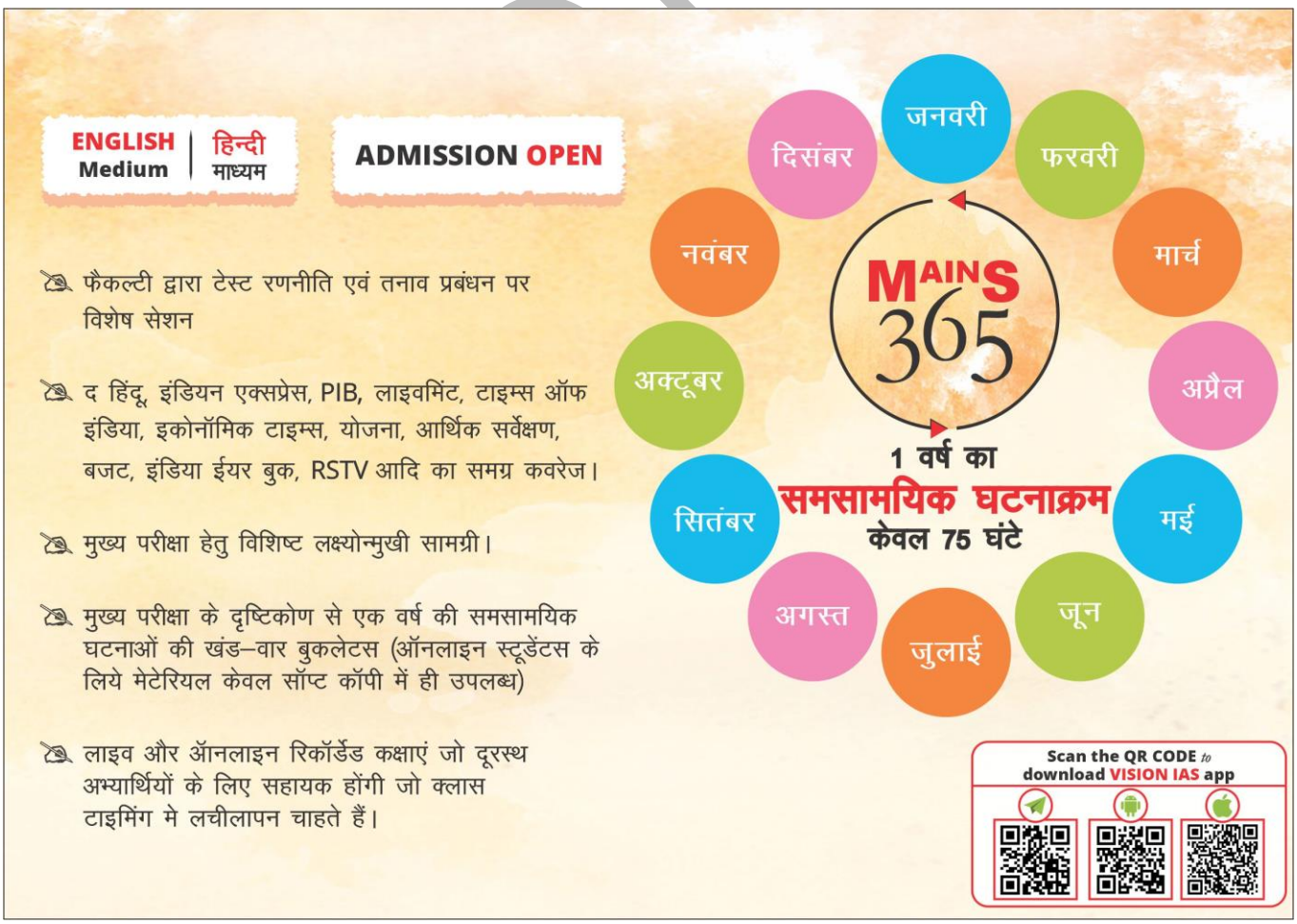

4. सुरक्षा (Security)

4.1. एकीकृत युद्धक समूह

(Integrated Battle Groups)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन के साथ संलग्न सीमाओं पर सेना के त्वरित संचलन और ठोस कार्यवाही करने (mobilize fast and strike hard) में सक्षम नए एकीकृत युद्धक समूहों (Integrated Battle Groups: IBG) के गठन की योजना की परिकल्पना की है। ज्ञातव्य है कि यह सेना के संपूर्ण युद्ध लड़ने की प्रणाली में सुधार करने और "कोल्ड स्टार्ट" सिद्धांत को तीव्र करने हेतु संचालित प्रयास का एक भाग है।

पृष्ठभूमि

- संसद पर हुए आतंकवादी हमले के पश्चात्, भारतीय सेना की व्यापक लामबंदी की गई थी, किन्तु आंतरिक भागों में स्थित सैन्य टुकड़ियों के संचलन में कई हफ़्तों का समय लग गया, जिसके कारण तीव्र कार्यवाही करने का अप्रत्याशित कदम नहीं उठाया जा सका था।
- दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के पश्चात्, सेना को ऑपरेशन पराक्रम के तहत सीमाओं पर स्थित लॉन्च पैड्स पर उपयुक्त सैन्य बलों की तैनाती करने में काफी समय लग गया (लगभग एक माह) था। सैन्य बलों के इस धीमे संचलन के उपरांत भारतीय सेना द्वारा अपनी "अग्रसक्रिय पारंपरिक युद्ध रणनीति" की योजना निर्मित की गई, जिसे सामान्य भाषा में **कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत** कहा जाता है।
- सेना प्रमुख द्वारा सेना के समग्र रूपांतरण हेतु चार प्रमुख पहलें आरम्भ की गई थीं। जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय का पुनर्गठन; सेना का पुनर्गठन, जिसमें IBGs का निर्माण शामिल है; अधिकारियों के कैडर (संवर्ग) की समीक्षा तथा जूनियर कमीशंड अधिकारियों और अन्य रैंकों के अधिकारियों की सेवा के नियमों व शर्तों की समीक्षा शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाना, इष्टतम बजट व्यय सुनिश्चित करना, सेना के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाना और सैन्य आकांक्षाओं की पूर्ति करना है।

एकीकृत युद्धक समूह (IBGs) के बारे में

- IBGs वस्तुतः **ब्रिगेड के आकार की दक्ष और आत्मनिर्भर युद्धक संरचनाएं (combat formations)** हैं, जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होती हैं।
- प्रत्येक IBG का गठन **खतरों, भू-भागों और नियत कार्यों** (Three **Ts**-Threat, Terrain and Task) के आधार पर **आवश्यकतानुसार** किया जाएगा तथा इन्हीं तीन आधारों पर IBG को संसाधनों का आबंटन भी किया जाएगा।
- प्रत्येक IBG में छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियाँ होंगी ताकि लॉजिस्टिक्स पर अल्प दबाव हो। ये कार्यवाही करने हेतु 12 से 48 घंटों के भीतर (अवस्थिति के आधार पर) अपनी पहुँच सुनिश्चित करने में सक्षम होंगी।
- ये अत्यधिक गोलाबारी (firepower) वाली युद्धक संरचनाएं (battle formations) होती हैं जो युद्ध लड़ने हेतु सभी आवश्यकताओं को एक-साथ उपलब्ध कराती हैं, जिनमें पैदल सेना, बख्तर (Armour), तोपें, अभियंता, लॉजिस्टिक्स और सहायता प्रदान करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं।
- अक्टूबर, नवंबर में **पाकिस्तान सीमा से सटे** जम्मू, पंजाब और राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में **प्रथम तीन IBGs** को तैनात किया जाएगा, जिनमें पश्चिमी कमान की विभिन्न इकाइयों के घटक शामिल होंगे।
- निर्णय लिए जाने से पूर्व IBG के दो प्रकार के विन्यासों (configurations) का परीक्षण किया गया। जिसमें प्रथम **आक्रमणकारी भूमिकाओं (स्ट्राइक कॉर्प्स) का संपादन करेगा** अर्थात् शत्रु देश के क्षेत्र में हमला करने जैसी सीमा-पार कार्रवाइयों के संचालन में सक्षम होगा और द्वितीय **रक्षात्मक भूमिका (होल्डिंग कोर्प्स)** में होगा, जो शत्रु देश के हमले को रोकने में सक्षम होगा।
    - स्ट्राइक कॉर्प्स सीमा-पार आक्रमणों हेतु अधिक हथियारबंद (टैंक) होंगे तथा होल्डिंग कॉर्प्स भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पैदल सेना के रूप में उपलब्ध होंगे।
- इन समूहों की स्थापना **सैन्य दलों के उन पूर्ववर्ती संरचनाओं को समाप्त करेंगी**, जिसमें लगभग 8 से 10 ब्रिगेड शामिल होते थे और प्रत्येक की तीन से चार बटालियन होती थी। इसके विपरीत, एक IBG में लगभग छह बटालियन होंगी।
- **प्रत्येक IBG में लगभग 5,000 सैनिक होंगे।**

VISION IAS

भारतीय सेना द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- **प्रभावी रक्षा योजना की आवश्यकता-** ताकि सेना को रक्षा योजना निर्माण हेतु संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्य न करना पड़े।
- **सेना के पुनर्गठन की आवश्यकता-** एक बेहतर 'टीथ टू टेल अनुपात' (सीमा पर तैनात प्रत्येक सैनिक तक आवश्यक रसद पहुंचाने अथवा उसके सहयोग के लिए तैनात अन्य सैन्य कर्मियों का अनुपात) प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए आगामी छह से सात वर्षों में **12.5** लाख से अधिक की सशक्त सेना में से लगभग **1.5** लाख कर्मियों को कम करने की आवश्यकता है।
- **युद्धक क्षमताओं में सुधार की आवश्यकता-** जिसमें कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, हॉट परस्यूट एक्टिविटीज (त्वरित अनुसरण गतिविधियाँ), आतंकवाद-विरोधी अभियानों आदि के तहत पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध करने की क्षमता सम्मिलित है।
- **सीमित पूंजीगत बजट-** युद्ध की परिवर्तित प्रकृति के कारण भविष्य के युद्धों में जनशक्ति के स्थान पर तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी। केवल सेना के लिए, **पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात 81:19** है; जिसमें से **73 प्रतिशत** राजस्व व्यय वेतन और भत्तों के लिए है। वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के कारण सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण अथवा पूंजी अधिग्रहण के लिए अत्यंत कम संभावनाएं रह गई हैं।
- **अनावश्यक लॉजिस्टिक इकाइयों को हटाने की आवश्यकता-** जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदलाव के कारण सिग्नल रेजिमेंट्स परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, उसी प्रकार, सेना को अब सैन्य फार्म्स (जो कि ब्रिटिश काल से प्रचलित अवधारणा है) जैसी अवसंरचनाओं की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय सेना में संरचनाएं

- एक **कमान (command)**, किसी सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत सेना की सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई होती है, जबकि एक सैन्य दल (corps) सबसे बड़ी गतिशील इकाई होती है।
- सामान्यतः, **प्रत्येक कॉर्प्स में लगभग तीन ब्रिगेड होते हैं।** भारतीय सेना में ब्रिगेड सबसे छोटी युद्धक इकाई होती है।
- **IBGs ब्रिगेड की तुलना में अधिक छोटे होंगे**, ताकि उन्हें अधिक लचीला बनाया जा सके और सैन्य टुकड़ियों को अधिक तीव्रता से संचालित किया जा सके।
    - इस विचार द्वारा उन्हें IBGs के रूप में पुनर्गठित करना है जो ब्रिगेड के आकार की इकाइयाँ होती हैं। जिनमें तीन Ts (Three Ts) आधारों पर युद्ध हेतु आवश्यक सभी घटक, जैसे- पैदल सेना, बख्तर, तोपें और वायु रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।

हाल ही में लागू किए गए सुधार

- **सेना के अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन-** जिसमें प्रमुख कमानों की आयु सीमा कम करना, कर्मियों की उच्च जीवन प्रत्याशा और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखना सम्मिलित है।
- **'सैन्य अभियानों और सामरिक योजना निर्माण के लिए उप सेना प्रमुख' का एक नया पद सृजित करना-** सैन्य अभियानों, सैन्य आसूचना, सामरिक योजना निर्माण और परिचालन संबंधी कार्यों से निपटने के लिए।
- **पृथक कार्य क्षेत्रों का विलय:** डिप्टी चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ (DCOAS) (नियोजन एवं रणनीति) और मास्टर जनरल ऑर्डनेन्स (MGO) के अलग-अलग विभागों का DCOAS (कैपबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टीनेन्स) के एक पद में विलय।
- **सतर्कता और मानवाधिकार के मुद्दों के लिए नई शाखाओं का गठन-** मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की कमान में सतर्कता और मानवाधिकार के मुद्दों के लिए नई शाखाओं की स्थापना। यह सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- **नवीन इन्फॉर्मेशन वारफेयर विंग (सूचना युद्ध शाखा) की स्थापना-** भविष्य के युद्धों, हाइब्रिड युद्ध और सोशल मीडिया संबंधी वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए नवीन इन्फॉर्मेशन वारफेयर विंग की स्थापना की गई है। हाइब्रिड युद्ध वह सैन्य रणनीति है जिसमें राजनीतिक युद्ध को नियोजित किया जाता है तथा पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध तथा साइबर युद्ध को अन्य प्रभावोत्पादक विधियों, जैसे- फेक न्यूज़, कूटनीति, विधि सम्मत युद्ध और विदेशी चुनावी हस्तक्षेप के साथ मिश्रित कर दिया जाता है।

इस कदम का महत्व

- **सेना का त्वरित संचलन:** भारतीय सेना का उद्देश्य अल्प अवधि में शत्रु देश के क्षेत्रों में सैन्य दलों और उपकरणों के गुप्त और त्वरित संचलन करने में सेना को सक्षम बनाना है ताकि शत्रु पक्ष को IBGs का सामना करने का पर्याप्त समय प्राप्त न हो सके।

VISION IAS

- **सेना का बेहतर एकीकरण और आत्मनिर्भरता:** ये विशिष्ट समूह मौजूदा संरचनाओं की तुलना में बेहतर एकीकरण और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेंगे। युद्धस्थिति के दौरान, वर्तमान संरचना के अंतर्गत एक ब्रिगेड को तोपखाना और रसद आपूर्ति जैसी चीजों के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे इसके लामबंद होने के समय में वृद्धि हो जाती है। किन्तु IBGs के संदर्भ में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि IBGs आत्मनिर्भर होगा और इस प्रकार की सभी इकाइयां इसमें सन्निहित होंगी, इसलिए इन्हें लामबंद करना सुगम होगा।
- **लीन एंड मीन आर्मी:** ये समूह सेना को लीन एंड मीन (आवश्यक दक्षता एवं प्रभावी संचलन) के रूप में परिवर्तित करने हेतु उठाए गए समग्र कदम का एक भाग हैं जो विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक व्यय नीति, बेहतर सिंक्रोनाइजेशन, दक्षतापूर्ण तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे।

4.2. साइबर सुरक्षा नीति

(Cyber Security Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण (12th India Security Summit) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय (थीम) **"नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर" (Towards New National Cyber Security Strategy)** था।

साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के बारे में

इस नीति में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं:

- खतरे के विभिन्न स्तरों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न इकाइयों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की स्थापना करना, जो साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समन्वित करेगा।
- एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC) की स्थापना करना।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 5,00,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों का कार्यबल तैयार करना।
- सर्वोत्तम सुरक्षा कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
- देश में प्रयुक्त हो रहे उपकरणों के सुरक्षा स्तर की नियमित जांच करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- देश में एक साइबर इकोसिस्टम बनाना तथा तकनीकी और परिचालन सहयोग के माध्यम से प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा सहयोगपूर्ण साझेदारी विकसित करना।
- अनुसंधान के द्वारा स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।

साइबर सुरक्षा नीति के तहत हुई प्रगति

- एक व्यापक **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा आश्वासन ढांचा** (National Cyber Security assurance framework), कार्यान्वयन के चरण में है।
- विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक** (National Cyber Security Coordinator) को प्रत्यक्षतः PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) के तहत नियुक्त किया गया है।
- **NCIIPC की स्थापना की जा चुकी है** तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के साथ एक नियमित वार्ता संपन्न की जा रही है।
- सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य एक सक्रिय संवाद के माध्यम से **सार्वजनिक-निजी साझेदारी विकसित की जा रही है।**
- एक **साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास (R&D) नीति** पर भी सरकार सक्रिय होकर विचार कर रही है।
- भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ साइबर सुरक्षा संवाद स्थापित करके **सक्रिय साइबर कूटनीति** को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा साइबर सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी की जा रही है।

निम्नलिखित चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं जो एक नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता को अनिवार्य बनाती हैं-

- **भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:** अभी भी साइबर सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न संगठनों के उत्तरदायित्व में अस्पष्टताएं विद्यमान हैं।
  - **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** (National Technical Research Organisation: NTRO) को साइबर सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है और इसे प्रत्यक्षतः PMO के तहत संचालित किया जाता है।
  - रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के मध्य आंतरिक एवं बाह्य, दोनों प्रकार की आपसी अंत:क्रिया (interplay) को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने की आवश्यकता है।

- **यूनिटी ऑफ़ कमांड (कमान की एकता) का अभाव:** यूनिटी ऑफ़ कमांड यह परिभाषित करती है कि किसी संघर्षपूर्ण परिदृश्य में संलग्नता संबंधी नियम (rules of engagement) कैसे होंगे और आक्रामक साइबर ऑपरेशनों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा।
- देश भर में साइबर डोमेन में **मानक और प्रोटोकॉल का अभाव** है।

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से संबद्ध मुद्दे:**
  - इसे किसी भी प्रकार की कार्यकारी शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है।
  - खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित साइबर ऑपरेशनों के दौरान इसे सूचित नहीं किया जाता है।
  - इसके द्वारा कर्मचारियों की कमी का सामना किया जा रहा है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी में समन्वय:** साइबर सुरक्षा के सिविल सेक्टर (नागरिक खंड) और सरकारी एजेंसी के मध्य समन्वय में गंभीर विषमता विद्यमान है।
  - **निजी एजेंसियों की धारणा:** निजी क्षेत्र अपने लिए ऑर्डर को प्राप्त करने में तो रूचि रखते हैं, लेकिन स्वदेशी (भारतीय) समाधानों को विकसित करने में गंभीरता प्रदर्शित नहीं करते हैं और इस प्रकार वे R&D में अधिक निवेश नहीं करते हैं।
  - **सार्वजनिक एजेंसियों की धारणा:** सरकारी एजेंसियों के उच्च सोपानों पर साइबर सुरक्षा की पर्याप्त समझ का अभाव है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाएं नौकरशाही उन्मुख, अधिक समय लेने वाली होती हैं और विक्रेताओं के साथ सामान्यतः उचित व्यवहार किया जाता है।

नई साइबर सुरक्षा नीति की व्यापक रूपरेखा और आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संबंध में:**
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक **स्थायी तंत्र** की स्थापना करना।
  - साइबर सुरक्षा प्रयासों के **अनुपालन को सुनिश्चित** करने हेतु उपयुक्त नीति और वैधानिक ढांचे का निर्माण करना।
  - साइबर सुरक्षा उत्पादों, सेवाओं और जनशक्ति के विकास में **भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।**
- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देशों के समान **विश्वसनीय कोड ब्रेकिंग क्षमता** को विकसित करना।
- **सामरिक युद्ध क्षेत्र में साइबर ऑपरेशन के संबंध में:**
  - डिजिटल मीडिया का तीव्र गति से दोहन करके खुफिया सूचना एकत्रित करना।
  - डेटा निष्कर्षण और अंतःक्षेपण सहित ऑपरेशन के क्षेत्र में अथवा उसके निकट क्लोज्ड नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना।
  - "सटीक साइबर प्रभावों के लिए वितरण प्लेटफॉर्म्स (delivery platforms for precision cyber effects)" के रूप में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उपयोग करना।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जैसे **अनुसंधान संगठनों में जवाबदेही सुनिश्चित करना,** जिन्हें विभिन्न साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में नियमित रूप से निवेश पर प्रत्युत्तर (Return on Investments) देने हेतु उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

4.3. भारत का रक्षा बाजार से निर्यात केंद्र की ओर संक्रमण

(India's Transitions from Defence Market to Export Hub)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board: OFB) द्वारा अपने अब तक के सबसे बड़े एकल निर्यात ऑर्डर के तहत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को बोफोर्स तोपों में प्रयुक्त 50,000 आर्टिलरी शेल्स (तोप के गोले) की आपूर्ति की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- भारत, रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भर होने की अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। ज्ञातव्य है कि भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्व में आयात केन्द्रित था, तत्पश्चात 1970 के दशक से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की ओर प्रगति हुई। इस क्षेत्र में 1980 और 1990 के दशक में पर्याप्त उन्नति परिलक्षित हुई तथा वर्तमान में स्वदेशी डिजाईन, विकास, विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। अत: वर्तमान में प्रमुख रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित उत्पाद, अपतटीय गश्ती वाहन, हेलीकॉप्टर्स और रेडियो सेट्स शामिल हैं।
- **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट** के अनुसार भारत वर्ष 2041-18 के मध्य कुल वैश्विक हथियार आयात के **9.5% आयात** के साथ **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य उपकरण आयातक देश था।** यह चीन और पाकिस्तान दोनों की तुलना में

अधिक है। रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि भारत ने वर्ष 2007-11 और 2012-16 के मध्य अपने हथियार आयात में 43% तक की वृद्धि की है।

- उल्लेखनीय है कि लगभग 5,000 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात के साथ **संयुक्त राज्य अमेरिका का भारतीय निर्यात में सबसे बड़ा योगदान है।** इसके बाद क्रमशः इजराइल और यूरोपीय संघ का स्थान आता है।
- **प्रारूप रक्षा उत्पादन नीति, 2018** ने वर्ष 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर (35,000 करोड़ रूपए) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रक्षा निर्यात क्षेत्र

- **रक्षा निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई है-** उदारीकरण नीति के पश्चात् भारत का रक्षा उत्पाद निर्यात वर्ष 2017-18 के 4,682 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 10,745 करोड़ रूपए हो गया है। हालिया वर्षों में शिपमेंट की वर्धित प्रवृत्ति के साथ रक्षा उत्पादों का निर्यात वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रूपए से अधिक का हो जाएगा।
- वर्तमान वित्त वर्ष में, 5,600 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात पहले से ही प्रक्रियाधीन हैं तथा जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी **निजी क्षेत्र** की है। विगत वर्ष के 11,000 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यात में निजी क्षेत्र द्वारा 9812 करोड़ रूपए का योगदान किया गया।
- भारत सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2025 तक **1 ट्रिलियन डॉलर होने वाली भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था में रक्षा क्षेत्र को 25 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी** प्रदान करना है।

रक्षा निर्यात: एक अवलोकन

- **आत्म-निर्भरता में वृद्धि:** हाल ही में, रक्षा राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2015-16 में रक्षा खरीद हेतु कुल पूँजी व्यय 62,341.86 करोड़ रूपए था। इस राशि की 62% खरीद घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से की गई थी। विदेशी विक्रेताओं से खरीद पर केवल 23,192.22 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे।
- **बजट में वृद्धि:** प्रदर्शनियों, बाजार अध्ययनों के संचालनों, सेमिनार के आयोजनों तथा प्रचार सामग्रियों के वितरण में भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु रक्षा संबंधी प्रत्येक सौदे के लिए प्रति वर्ष 50,000 डॉलर तक का एक वार्षिक बजट निर्धारित किया जा रहा है।
- **स्रोतों का विविधिकरण:** वैश्विक बाजार में भारत की पहुंच को और अधिक स्थापित करने हेतु **'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस'** के लिए एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई है। यह भारतीय कंपनियों को अभिज्ञात राष्ट्रों को कुछ उपकरण निर्यात करने में सक्षम बनाएगी। वे राष्ट्र जिन पर भारत को यह विश्वास है कि उनमें सैन्य उपकरणों की खरीद करने की अधिकतम क्षमता विद्यमान है, इन राष्ट्रों में शामिल हैं: वियतनाम, थाईलैंड, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया।

ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (सैन्य वस्तुएँ, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी) निम्न जोखिम क्षेत्रों हेतु सैन्य उपकरणों की एक व्यापक श्रृंखला के निर्यात के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

- ये लाइसेंस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा निर्यातकों द्वारा इनका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
- इन लाइसेंसों का उपयोग एक व्यक्तिगत निर्यात नियंत्रण लाइसेंस हेतु आवेदन की आवश्यकता का निवारण करता है।

- **उत्पाद विविधिकरण:** भारत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को उपकरणों के निर्यात से परे एक ऐसे मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है जहां वृहद् पैमाने पर मूल्य वर्धन किया जा सकता है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक निर्यात छोटे हथियारों के पुर्जों के साथ-साथ उपकरणों का किया जाता है जो रक्षा निर्यात सूची में शीर्ष पर हैं।
- **निर्यात हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ:** भारत में उत्पादन की निम्न लागत के माध्यम से निर्यात वृद्धि में तेजी लाई गई है तथा ऑफसेट देयताओं का निर्वहन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि हालिया नीतिगत परिवर्तनों के पश्चात् निर्यात में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि इन नीतियों ने कंपनियों के लिए आधिकारिक अनुमति प्राप्त करना सुगम बना दिया था।
- **क्षेत्र में नीतिगत सुधारों की शुरुआत: रक्षा मंत्रालय के प्रमुख नीतिगत सुधारों में** शामिल हैं- **रक्षा निर्यातों हेतु रणनीति,** रक्षा खरीद प्रक्रिया **(DPP 2016),** सरलीकृत मेक-2 (Make-II) प्रक्रिया, **रक्षा समायोजन नीति,** 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधार, **लाइसेंसिंग प्रक्रिया में**

संशोधन (विशेष रूप से उपकरण पक्ष की लगभग दो-तिहाई मदें लाइसेंस मुक्त की गई हैं), **नवीन रणनीतिक भागीदार नीति** इत्यादि। इन सभी क्रियाकलापों के भारत की रक्षा विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं पर दीर्घकालिक निहितार्थ होंगे।

- **रक्षा क्षेत्र का उदारीकरण:** सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदारीकृत करने के पश्चात् से इस क्षेत्र में लगभग 4,000 करोड़ रूपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

- **निजी भागीदारी और MSMEs को प्रोत्साहन:** विगत 4.5 वर्षों में रक्षा उत्पादन में लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान में 200% तक की वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने मौजूदा उत्पादन नीति के अंतर्गत रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र (विशेषतया MSMEs) को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा हालिया नीति में कुछ "उल्लेखनीय परिवर्तन" भी किए हैं।
  - आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) और रक्षा PSUs लगभग 3000 मदों को **आउटसोर्स** करने की योजना बना रहे हैं, जिससे MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
  - सरकार ने **स्वप्रेरण से रक्षा उत्पादों के विकास** और उत्पादन की अनुमति भी प्रदान की है।
  - सरकार द्वारा **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ** नामक एक ऑनलाइन प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है जो सूचना एकत्रित करने, मुद्दों को समझने आदि हेतु एक मार्ग-निर्देशक के रूप में कार्य करता है। MSMEs को विगत 10 माह में प्रकोष्ठ से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है।

निर्यात वृद्धि हेतु रक्षा क्षेत्र में किए गए हालिया सुधार:

- निर्यात हेतु **"सैद्धांतिक अनुमोदन"** के प्रावधान को मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) में समाविष्ट कर दिया गया है ताकि **घरेलू अभिकर्ता** विदेशी बाजारों में अवसरों की खोज कर सके।
- निर्यात अनुमतियों विशेषतया स्वदेशी रूप से विकसित संवेदनशील रक्षा उपकरणों के निर्यात से संबंधित अनुमोदनों के प्रस्तावों पर निर्णय लेने तथा रक्षा निर्यातों की **समग्र प्रगति की निगरानी करने** हेतु **"रक्षा निर्यात संचालन समिति" (DESC)** की स्थापना की गई है।
- **रक्षा निवेश प्रकोष्ठ,** भारतीय रक्षा स्टार्ट-अप्स हेतु सोसाइटी, इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म (iDEX), विविध स्टार्ट-अप चुनौतियों, हैकेथन्स आदि की स्थापना की गई है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में **रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है।
- **रक्षा उत्पादन विभाग** द्वारा उद्योग जगत (लॉबी) को 51 मदों की एक सूची उपलब्ध करवाई गई है ताकि वे यह पहचान कर सकें कि इनमें से वे कितनी मदों का भारत में निर्माण कर सकते हैं तथा कितनी निर्यात हेतु उपलब्ध हो सकती हैं।
- विदेशी विक्रेताओं द्वारा ओफ़सेट देयताओं के निर्वहन हेतु **नवीन मार्गों के प्रशस्तीकरण** के लिए **रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों** में संशोधनों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की गई है। **नए क्षेत्रों** में शामिल हैं: रक्षा क्षेत्र, एयरोस्पेस और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं में निवेश जैसे कि परीक्षण प्रयोगशालाएं, परीक्षण रेंज तथा कौशल केंद्र।

आगे की राह

- रक्षा निर्यात को दीर्घकालिक रूप से निरंतर सफल बनाने हेतु सुदृढ़ निर्यात अनुपालन कार्यक्रमों और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण उपायों के साथ युग्मित वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन सुविधाओं तथा गुणवत्ता मानकों में निवेश करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विनिर्माण अर्थव्यवस्था के आगामी पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना व्यक्त की गई है तथा यह अपेक्षा भी की गई है कि इसमें से 25 बिलियन डॉलर की प्राप्ति रक्षा क्षेत्र से होगी और अतिरिक्त 5 बिलियन डॉलर निर्यात द्वारा सृजित होंगे।
- एक बेहतर रक्षा निर्यातक बनने के अनेक आर्थिक लाभों के साथ-साथ रणनीतिक लाभ भी हैं तथा पहली बार भारत ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं।
- एक निरंतर नीतिगत प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार तथा उद्योग जनित प्रतिक्रियाएँ इस अपेक्षा का सृजन करती हैं कि भारत एक ऐसे अनुकूल परिवेश का निर्माण कर सकता है, जो रक्षा क्षेत्र के विकास और संधारणीयता हेतु अत्यावश्यक है।

4.4. रक्षा क्षेत्र का वित्तपोषण

(Defence Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **15 वें वित्त आयोग के कार्यकाल को विस्तारित किया है** तथा इसे एक नया **विचारार्थ विषय (Term of reference: ToR)** सौंपा है, जिसमें आयोग को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण हेतु एक पृथक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में परीक्षण करने के लिए कहा गया है।

पृष्ठभूमि

- **रक्षा बजट में कमी:** हालांकि सरकार द्वारा रक्षा पर व्यय के लिए 4.31 ट्रिलियन रुपये (1.12 ट्रिलियन रुपये की सैन्य पेंशन सहित) आवंटित किए गए हैं, किन्तु सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इस आवंटन में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2014-15 में, रक्षा आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 17.1% अथवा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.28% था। इस वर्ष, रक्षा बजट सरकारी व्यय का 15.5% और सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.04 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- इसलिए, 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) का नवीनतम संकलन वित्त आयोग से यह मांग करता है कि वह भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं गैर-व्यपगत निधि के आवंटन की संभावना का परीक्षण करे।

भारत का रक्षा बजट: चिंताएं और व्यापकता

- **भारत का चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिवेश:** हाल ही में, भारतीय सेना ने अपना **लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन (नया युद्ध सिद्धांत)** जारी किया है, जो भारतीय सेना को **दो-मोर्चों पर खतरे के परिदृश्य** (चीन-पाकिस्तान) के लिए तैयार रहने पर बल प्रदान करता है।
    - **CAG की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत के पास आपातकालीन आवश्यक खरीद के लिए **पर्याप्त धन** का अभाव है तथा सेना के पास दस दिनों से अधिक समय तक भीषण युद्ध लड़ने के लिए **पर्याप्त गोला-बारूद रिजर्व नहीं हैं।**
- **आधुनिक समय के खतरों से निपटने हेतु सशस्त्र बलों को तुरंत अपग्रेड करने की आवश्यकता:** आधुनिकीकरण के अंतर्गत रक्षा क्षमताओं को उन्नत और संवर्धित करने के लिए नए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकियों तथा हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित है। वर्तमान रक्षा आबंटन इस संबंध में किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय प्रगति के लिए अत्यल्प है।
    - **पाकिस्तान और चीन दोनों राष्ट्रों की सेनाओं का तेज़ी से आधुनिकीकरण** हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों देशों के संदर्भ में हम अपनी निवारक (deterrent) क्षमता को बनाए रखें।
- **पूँजीगत व्यय/संसाधनों का अभाव:** हालिया वर्षों में भारत का रक्षा बजट कम हुआ है, किन्तु अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस निधि के बढ़ते घटक को वेतन, पेंशन और अन्य परिचालन लागतों के लिए आवंटित किया जा रहा है। जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के आलोक में, देश के पेंशन बिल में वृद्धि हो रही है, यहां तक कि यह वेतन बिल से भी अधिक हो गया है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय का केवल एक-तिहाई (1.03 ट्रिलियन रूपये) आबंटन का ही उपयोग सेना के आधुनिकीकरण हेतु किया जा रहा है।
- **अधिक स्वदेशीकरण को प्राप्त करना: वर्ष 2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया** में अधिक स्वदेशीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक प्रणालीगत परिवर्तन किए गए हैं और इस दृष्टि से, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेना ने **25 परियोजनाओं की पहचान भी की है**। हालाँकि, इसका समर्थन करने के लिए **पर्याप्त बजट उपलब्ध** नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ को बंद करना पड़ सकता है।

वित्त आयोग की विचारार्थ विषयों में नवीनतम संशोधन/सुधार की आलोचना क्यों की जा रही है?

- **राज्यों के निधीयन में कमी की आशंकाओं पर राज्यों द्वारा संभाव्य विरोध प्रदर्शन:** केंद्र के सकल कर राजस्व से रक्षा के लिए धनराशि के आबंटन से आशय है कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले समग्र कर की राशि में कमी होगी। अतः राज्यों द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना है, जिनमें से कई राज्यों द्वारा संग्रहीत करों में अपने हिस्से को मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए तर्क दिया जा रहा है।
- **केंद्र सरकार के राजकोषीय विवेक पर प्रश्न उठाता है:** चूंकि **रक्षा संघ सूची** का एक विषय है, ऐसे में वित्त आयोग से अधिक संसाधनों के आबंटन के बारे में केंद्र के उक्त अनुरोध से यह समझा जा रहा है कि संघ सूची के विषयों पर व्यय को बढ़ाने के संदर्भ में इसकी (केंद्र) क्षमता सीमित है। वहीं, दूसरी ओर राज्य और समवर्ती सूची की मदों पर केंद्र का व्यय विगत कुछ वर्षों में बढ़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने वर्ष 1949 के पश्चात् से सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी पुनर्गठन आरंभ किया है, जिसमें 3,00,000 सैनिकों की छंटनी करके PLA के आकार को कम करना, उसकी नौसेना और वायु सेना के आकार को बढ़ाना तथा सात सैन्य क्षेत्रों को पांच थिएटर कमांड में परिवर्तित करना शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य PLA द्वारा भूमि पर, समुद्र में, वायु में और अंतरिक्ष तथा साइबर क्षेत्रों में संयुक्त संचालन करने की क्षमता को बढ़ाना है।

VISION IAS

आगे की राह

भारत की अधिक दबाव वाली सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को अपने घटते संसाधनों का प्रबंधन करने के तरीकों को अधिक बेहतर बनाना होगा। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:

- **रणनीतिक रक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना:** भारतीय रक्षा नीति आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सशस्त्र बलों को मौलिक रूप से पुनर्गठित करने की असमर्थता के कारण अक्षम है। रक्षा सुधारों और वार्षिक बजटों में रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त आबंटन में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। पुलवामा हमले के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के उन्नयन की कमी के कारण आउट-ऑफ-द-बॉक्स चिंतन और प्रभावी निष्पादन के संबंध में इसकी घातक मारक क्षमता में कमी थी।
- **बजटीय बाधाओं के अंतर्गत छोटे आकार वाले, संयमित युद्धक शक्ति के रूप में सशस्त्र बलों की आवश्यकता:** सशस्त्र बलों में मानव शक्ति को तार्किक संख्या में बनाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाल ही में, भारतीय सेना ने 1,00,000 सैनिकों की छंटनी करने और अपने राजस्व बजट को कम करने के उद्देश्य से एक पुनर्गठन अभ्यास आरंभ किया, जिसके आगामी वर्षों में कुल 90% से अधिक होना अनुमानित है।
    - केंद्रीय स्तर पर सुधार के लिए यह अपरिहार्य है कि, डिवीजन-आकार की सेनाओं को IBGs से प्रतिस्थापित किया जाए।

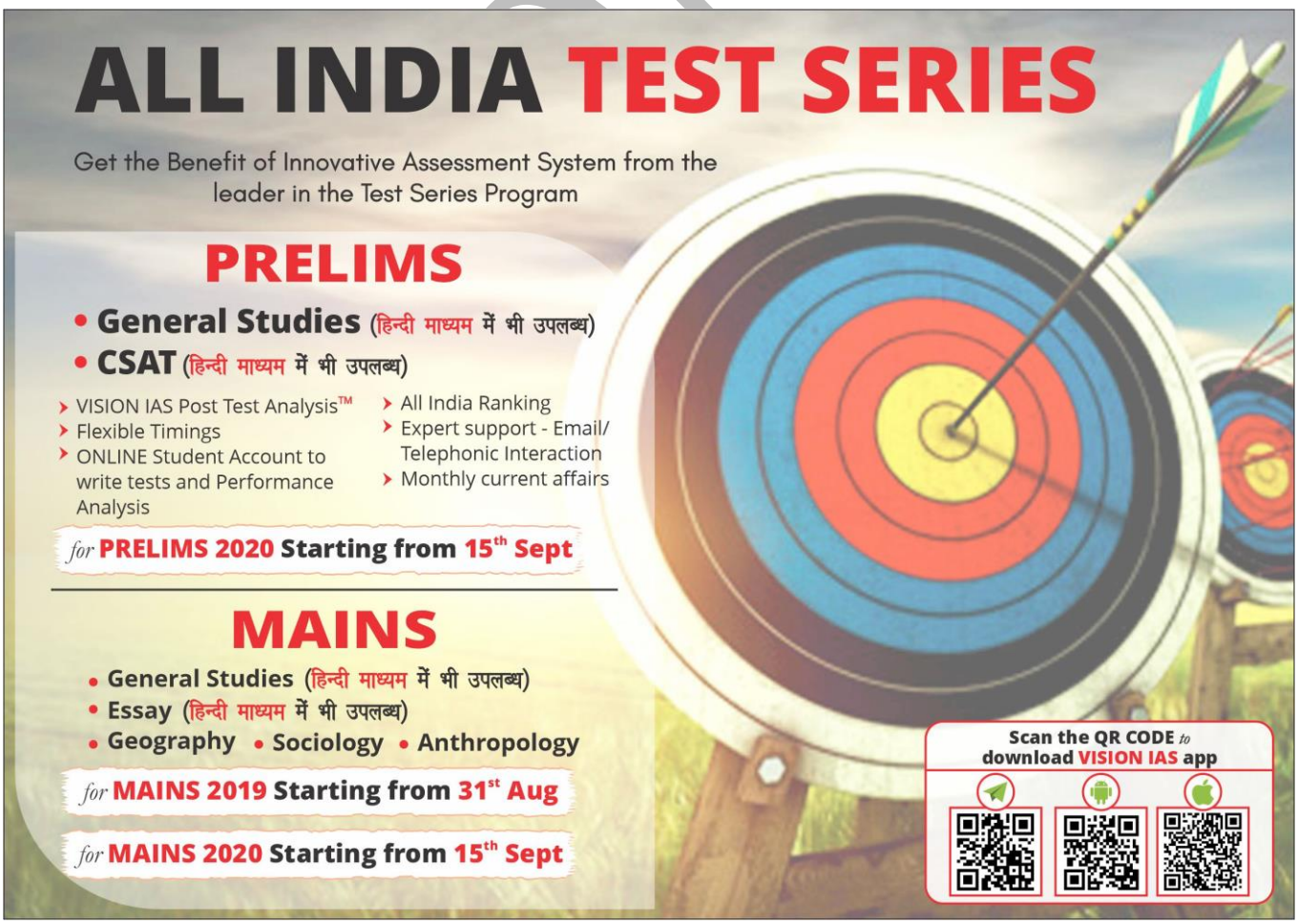

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जलवायु परिवर्तन और भूमि

(Climate Change and Land)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ने **जलवायु परिवर्तन और भूमि** पर अपनी विशेष रिपोर्ट (Special Report on Climate Change and Land: **SRCCL**) जारी की है।

विवरण

- यह रिपोर्ट इस तथ्य पर नवीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि वन, कृषि तथा शहरीकरण जैसे विभिन्न भू-उपयोग जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और किस प्रकार जलवायु परिवर्तन इन्हें प्रभावित कर रहा है।
  - रिपोर्ट का पूरा नाम **जलवायु परिवर्तन और भूमि** है, जो **जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण, संधारणीय भूमि प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीनहाउस गैस के प्रवाह** के संबंध में IPCC की एक विशिष्ट रिपोर्ट है।
  - यह **पहली बार** है जब IPCC ने अपना संपूर्ण ध्यान **भूमि क्षेत्र** पर केंद्रित किया है।
  - यह **विशेष रिपोर्टों की एक श्रृंखला** का हिस्सा है। इन विशेष रिपोर्टों का उद्देश्य **"किसी विशेष मुद्दे के संबंध में एक आकलन"** प्रस्तुत करना है। ये मुख्य **"आकलन रिपोर्ट"** की पूरक हैं, जिन्हें IPCC प्रत्येक पांच या छह वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित करता है।
  - **महासागरों और हिमांक-मंडल (क्रायोस्फीयर)** से संबंधित द्वितीय विशेष रिपोर्ट को इस वर्ष सितंबर में प्रकाशित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि IPCC ने अक्टूबर 2018 में 1.5 डिग्री के तापन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।
  - सरकारों द्वारा इन रिपोर्ट्स की मांग जलवायु परिवर्तन के **विशिष्ट पहलुओं के संदर्भ में स्पष्ट विवरण** प्राप्त करने हेतु की गई थीं।
- सामान्यतया, जलवायु परिवर्तन पर चर्चाओं ने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन को रोकने पर अधिक बल दिया है। IPCC की रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि केवल स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और उत्सर्जन में कटौती मात्र से ही वैश्विक उत्सर्जन में इतनी पर्याप्त कटौती नहीं हो सकेगी, जिससे खतरनाक तापन में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि को रोका जा सके।

फोकस क्षेत्र	**अवलोकन**
जलवायु परिवर्तन और भूमि	
जलवायु परिवर्तन भूमि निम्नीकरण को कैसे प्रभावित करता है?	**नकारात्मक प्रभाव** • जलवायु परिवर्तन **तापमान** और **वर्षा के पैटर्न** में क्रमिक परिवर्तनों के साथ-साथ **"चरम मौसमी घटनाओं के वितरण और तीव्रता"** में परिवर्तन के माध्यम से भी भूमि को प्रभावित कर सकती है। • **निम्नलिखित तीन मुख्य प्रक्रियाएँ** जहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भूमि पर पड़ता है, यथा- ○ समुद्री जल स्तर के बढ़ने और तूफान की आवृत्ति/तीव्रता में वृद्धि के परिणामस्वरूप **तटीय अपरदन**। ○ तापन के परिणामस्वरूप **स्थायी तुषार भूमि (पर्माफ्रॉस्ट)** का पिघलना। ○ तापन की प्रतिक्रिया स्वरुप **वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं** और परिवर्तित वर्षा पैटर्न। • जलवायु परिवर्तन **प्रजातियों के आक्रमण** और उनके द्वारा होने वाले निम्नीकरण को भी प्रभावित कर रहा है। • जब वर्षा पैटर्न में परिवर्तन होता है, तो **वनस्पति आवरण और संरचना** में भी बदलाव दृष्टिगत होने लगता है। ○ उदाहरणार्थ, मध्य भारत में, वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के दौरान व्यापक चरम वर्षा की घटनाओं में तीन गुना वृद्धि हुई है, जिसने मृदा अपरदन से कहीं अधिक अनेक भूमि निम्नीकरण प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। • वर्धित हीट वेव्स (ग्रीष्म लहर) के कारण पहले से ही सूखा-प्रवण क्षेत्रों के समक्ष समस्याएं व्युत्पन्न हुई हैं। अत्यधिक गर्मी की घटनाएं वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर सकती हैं, पत्तियों की विकास दर को बाधित कर सकती हैं और सम्पूर्ण वृक्ष के विकास को अवरुद्ध कर सकती हैं। • वैश्विक तापन **हीट स्ट्रेस में वृद्धि करेगा,** जिससे मृदा नमी में अत्यधिक कमी हो जाएगी। **सकारात्मक प्रभाव**

	• CO2 फर्टिलाइज़ेशन - वातावरण में CO2 के उच्च स्तरों के कारण पौधे का विकास और भूमि में सुधार होता है। • वसंत और पतझड़ मौसमों के पहले से अधिक उष्ण होने के कारण उच्च अक्षांशों में मौसम परिस्थितियों का दीर्घावधिक तक बने रहना।
भूमि जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान करती है?	**नकारात्मक प्रभाव** • वर्ष 2007 से वर्ष 2016 के दौरान लगभग 23% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हुआ। • **CO2 उत्सर्जन के स्रोत**- निर्वनीकरण और अन्य प्रकार की वनस्पति हानि। • **मीथेन के स्रोत-** पशुधन, धान की कृषि और अन्य लघु स्रोत, जैसे- पशु खाद, अपशिष्ट दहन तथा उत्तरी गोलार्ध स्थित पीट भूमियां। • **नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत-** लगभग दो-तिहाई का उत्सर्जन कृषि के कारण होता है और इसमें से अधिकांशत: नाइट्रोजन उर्वरक के अनुप्रयोग से होता है। **सकारात्मक प्रभाव** • वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक, भूमि द्वारा विश्व के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 30% अवशोषित किया गया। ऐसा तब होता है जब- • वृक्ष और अन्य प्रकार की वनस्पतियों द्वारा **प्रकाश संश्लेषण**। • मृदा द्वारा पादप सामग्री, फसल अवशेष और पशु खाद के माध्यम से कार्बन प्राप्त किया जाता है। • वर्तमान में ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने की भूमि की क्षमता में "वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता और शीत पर्यावरणों में दीर्घस्थायी मौसम" के द्वारा सहायता की जा रही है।
मरुस्थलीकरण	• न्यून और परिवर्तनशील वर्षण के साथ-साथ मृदा की निम्न उर्वरता के कारण शुष्क भूमियाँ विशेष रूप से भूमि निम्नीकरण के प्रति सुभेद्य हैं। • इन शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग **सुभेद्य** हैं क्योंकि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है; जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। • **वैश्विक तापन** शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन को कम करता है। • इस प्रकार यह इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा अन्य स्थानों पर प्रवास करने का एक कारण बन सकता है। इससे **श्रम-गहन संधारणीय भूमि प्रबंधन (SLM) प्रथाओं** की लागत में वृद्धि हो सकती है।
अन्य प्रभाव	• संपूर्ण विश्व के **लोगों**, विशेष रूप से सुभेद्य और निर्धनता वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों **की आजीविका** प्रभावित होगी। • विश्व में सर्वाधिक निर्धनता से ग्रस्त हिस्सों में **निर्धनता, भूमि निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन से संबद्ध चरम घटनाओं के प्रति सुभेद्यता** परस्पर संबद्ध हैं। • जलवायु से संबंधित भूमि निम्नीकरण, **प्रवासन और संघर्ष** के मध्य स्पष्ट संबंध होता है। जैसे रवांडा और सूडान के मध्य संघर्ष।
जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा	
जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?	• जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में खाद्य आपूर्ति के समक्ष जोखिम बढ़ रहा है। • **अत्यधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण** पहले से ही स्थिर खाद्य उत्पादन में तीव्र गति से कमी होगी, जिससे सबसे पहले निर्धन जनसंख्या प्रभावित होगी। • इस तथ्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण **कीटों और रोगों** में वृद्धि हो सकती है। • मरुस्थलीकरण उन प्रक्षेत्रों (rangelands) को प्रभावित कर सकता है जहाँ **पशुपालन किया जाता है।** • कुछ क्षेत्रों में **फसल उत्पादन** में पहले से ही गिरावट जारी है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है और पादप विविधता में कमी हो रही है। • जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक **खाद्यान्नों की कीमतों** में 1-29% तक वृद्धि हो सकती है। • कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण **प्रमुख खाद्यान्न फसलों** की पोषण गुणवत्ता में कमी। ○ 546-586 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) के CO2 के स्तर पर उपजाए गए गेहूँ में 5.9-12.7 प्रतिशत

	कम प्रोटीन, 3.7-6.5 प्रतिशत कम जस्ता और 5.2-7.5 प्रतिशत कम आयरन होता है। रिपोर्ट में चावल की किस्मों के लिए भी इसी प्रकार के संकेत दिए गए हैं। ○ इससे निम्न आय वाले देशों में (विशेषकर एशिया) निवास करने वाले लगभग 600 मिलियन लोगों के समक्ष अल्पपोषण का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
खाद्य प्रणाली जलवायु परिवर्तन में कैसे वृद्धि कर रही है?	• **फसलों और काष्ठ का उत्पादन करने के लिए विश्व की भूमि का अधिक उपयोग**, प्राकृतिक आर्द्रभूमियों के समापन तथा ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने वाले वनों में कमी जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रही है। • फसल और पशुधन दोनों से संबंधित वर्तमान कृषि पद्धतियां संधारणीय नहीं हैं तथा ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (GHG) की एक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं तथा जलवायु परिवर्तन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। • वैश्विक खाद्य प्रणाली विश्व के GHG उत्सर्जन के 21 से 37 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। इसमें कृषि (10-12 प्रतिशत), भूमि उपयोग (8-10 प्रतिशत) और भंडारण, परिवहन तथा प्रसंस्करण (5-10 प्रतिशत) शामिल हैं। • खाद्य अपव्यय (कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण) भी GHG उत्सर्जन में 8-10 प्रतिशत का योगदान करता है। वैश्विक खाद्य क्षति और अपशिष्ट वर्ष 1961 के लगभग 540 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2011 में 1630 मीट्रिक टन हो गया था। • कृषि के त्वरित विस्तार के कारण वनों, आर्द्रभूमियों और घासभूमियों तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्रों से मृदा अपरदन, मृदा निर्माण की दर से 10 से 100 गुना अधिक है।

'ऋणात्मक उत्सर्जन' भूमि, भोजन और वन्य जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है?

'ऋणात्मक उत्सर्जन उन पद्धतियों का एक समूह है जिनका उद्देश्य वायुमंडल से CO2 का निष्कासन और इसे भूमि या महासागर में संग्रहित करना है।	• उदाहरणार्थ- वन रोपण जैसी प्राकृतिक प्रणालियों से लेकर तकनीकी रूप से उन्नत प्रणालियों तक जैसे वायु से CO2 के अवशोषण हेतु मशीनों का उपयोग करना (डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) के रूप में ज्ञात) • वैश्विक तापन को 1.5C तक सीमित रखने हेतु निर्मित अनेक मॉडल **"कार्बन अभिग्रहण और भण्डारण के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS)** नामक प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। ○ इस तकनीक में फसलों को उपजाना और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग करना और तत्पश्चात भूमि या समुद्र में भंडारण करने से पूर्व परिणामी CO2 उत्सर्जन का अभिग्रहण करना शामिल है। ○ यदि BECCS के स्तर का अनुसरण करना है "तो प्रति वर्ष कई बिलियन टन CO2 के स्तर तक वायुमंडल से CO2 का निष्कासन करना अनिवार्य होगा।"

सतत विकास, लैंगिक समानता और स्वदेशी समुदायों की भूमिका

- ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और इसके संभावित भूमि-आधारित समाधानों के लिए **उच्च सुभेद्यता** का सामना करना पड़ता है।
  - जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में खेतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने की आवश्यकता महिलाओं के कार्यभार को असमान रूप से प्रभावित करता है। जबकि इथियोपिया में, एक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि महिला प्रधान परिवारों की तुलना में पुरुष प्रधान परिवारों की अनुकूलन उपायों के व्यापक समुच्चय तक अधिक पहुंच थी।
- दीर्घावधि के इन्स्ट्रमेंटल डेटा रिकॉर्ड के बिना क्षेत्रों में भूमि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में स्वदेशी ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नीति निर्माताओं के लिए अनुशंसाओं का सारांश

- मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अनेक गतिविधियाँ शमन सह-लाभों (co-benefits) के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और साथ ही समाज हेतु सतत विकास सह-लाभों के साथ जैव विविधता क्षति को रोकने में योगदान कर सकती हैं।
- सतत वन प्रबंधन सहित **सतत भूमि प्रबंधन**, भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित और कम कर सकता है, भूमि उत्पादकता को बनाए रख सकता है तथा कभी-कभी भूमि निम्नीकरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पूर्णत परिवर्तित (रिवर्स) कर सकता है।
- सम्पूर्ण खाद्य प्रणाली से संबंधित नीतियाँ, जिनमें भोजन की कमी और बर्बादी में कमी करना और आहार विकल्पों को प्रभावित करना शामिल है, वे अधिक संधारणीय भूमि-उपयोग प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि तथा निम्न उत्सर्जन प्रक्षेप पथों (उच्च विश्वास) को सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार की नीतियां जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में योगदान कर सकती हैं, भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण तथा निर्धनता को कम कर सकती हैं एवं साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं।
- भूमि और खाद्य नीतियों को अभिकल्पित करते समय सह-लाभ और दुविधाओं को स्वीकार करना, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकता है।
- विविध क्षेत्रों में जलवायु शमन और अनुकूलन प्रतिक्रियाओं में विलंब से भूमि पर निरंतर नकारात्मक प्रभावों में वृद्धि और सतत विकास की संभावना कम होगी।

5.2. नदियों का अंतर्योजन

(Interlinking of Rivers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **कोसी-मेची नदी अंतर्योजन परियोजना** को स्वीकृति प्रदान की है।

कोसी-मेची नदी अंतर्योजन परियोजना से संबंधित तथ्य

- यह **मध्यप्रदेश की केन-बेतवा परियोजना** के पश्चात् देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी अंतर्योजन परियोजना है।
- इसे नदी जोड़ों परियोजना के तहत कोसी नदी के अधिशेष जल के भाग को मौजूदा हनुमान नगर बैराज से महानंदा बेसिन तक ले जाने की परिकल्पना की गई है।
- मेची नदी, महानंदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हालांकि, इसके बेसिन में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल का प्रायः अभाव रहता है।
- यह एक **हरित परियोजना** है, क्योंकि इसके द्वारा जनसंख्या का विस्थापन नहीं किया गया है साथ ही किसी वनभूमि का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है।
    - इस परियोजना के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र आदि अवस्थित नहीं हैं।

राष्ट्रीय नदी अंतर्योजन परियोजना (NRLP) के बारे में

- **नदियों के अंतर्योजन (इंटरलिंकिंग) में निहित मूल विचार के अंतर्गत**, एक **"अधिशेष"** जल वाले बेसिन से दूसरे "**जलाभाव**" वाले बेसिन में जल का स्थानंतरण किया जाता है।
- NRLP को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) के तहत भारत के **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA)** द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
- नदी अंतर्योजन परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है:
    - **उत्तरी** हिमालयी नदियों का अंतर्योजन घटक,
    - **दक्षिणी** प्रायद्वीपीय घटक तथा
    - **अंतःराज्यीय** नदियों के अंतर्योजन घटक
- जल संसाधन (जल शक्ति) मंत्रालय द्वारा तैयार **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के तहत, NWDA ने क्षेत्र सर्वेक्षण एवं जांच तथा विस्तृत अध्ययन के आधार पर जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण के लिए पहले से ही हिमालयी नदियों के घटक के तहत **14 नदी अंतर्योजनों** तथा प्रायद्वीपीय नदियों के घटक के तहत **16 नदी अंतर्योजनों** की पहचान की है।
- सरकार ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए निम्नलिखित **चार प्राथमिकता प्राप्त नदी अंतर्योजन परियोजनाओं** की पहचान की है:
    - **केन-बेतवा अंतर्योजन परियोजना** (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश),

VISION IAS

- **दमनगंगा-पिंजल अंतर्योजन परियोजना** (महाराष्ट्र और गुजरात),
- **पार-तापी-नर्मदा अंतर्योजन परियोजना** (महाराष्ट्र और गुजरात)
- **गोदावरी-कावेरी अंतर्योजन परियोजना** (आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु)।

नदी अंतर्योजन परियोजना के पक्ष में तर्क

- **जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग-** सूखा-प्रवण एवं वर्षा-आधारित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को बढ़ाकर इसके वितरण में अत्यधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
  - इससे समुद्र में नदी के ताजे जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए, **गोदावरी-कृष्णा परियोजना** के तहत लिफ्ट प्रक्रिया द्वारा समुद्र में प्रवाहित होने वाले गोदावरी नदी के जल को संग्रहीत किया जाएगा।
- **जल संकट (Water Stress) संबंधी मुद्दों का समाधान-** नीति (NITI) आयोग के अनुसार, भारत द्वारा इतिहास में अब तक के सर्वाधिक **'गंभीर' जल संकट** का सामना किया जा रहा है और यदि इससे संबंधित कदम नहीं उठाए गए तो पेयजल की मांग वर्ष 2030 तक और अधिक बढ़ जाएगी।
- **सिंचाई के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र में सुधार कर सकती है-** जैसे यह परियोजना उत्तर बिहार के जिलों में विस्तृत कमान क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।
  - राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत अंतिम रूप से सिंचाई क्षमता को 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 175 मिलियन हेक्टेयर करते हुए सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई और भूजल के उपयोग में वृद्धि कर इससे 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
  - इसके अंतर्गत मानसूनी अनिश्चित वर्षा पर किसानों की निर्भरता को कम करने तथा लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के तहत लाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
  - यह **द्वितीय हरित क्रांति** की उपलब्धि में भी सहायता करेगी।
- **विद्युत् उत्पादन-** इससे विद्युत उत्पादन में 34 मिलियन किलोवाट तक की वृद्धि हो सकती है।
- **आपदा प्रबंधन-** क्योंकि इससे बाढ़ और सूखे दोनों में जल के उचित उपयोग एवं प्रबंधन में सहायता प्राप्त हो सकती है।

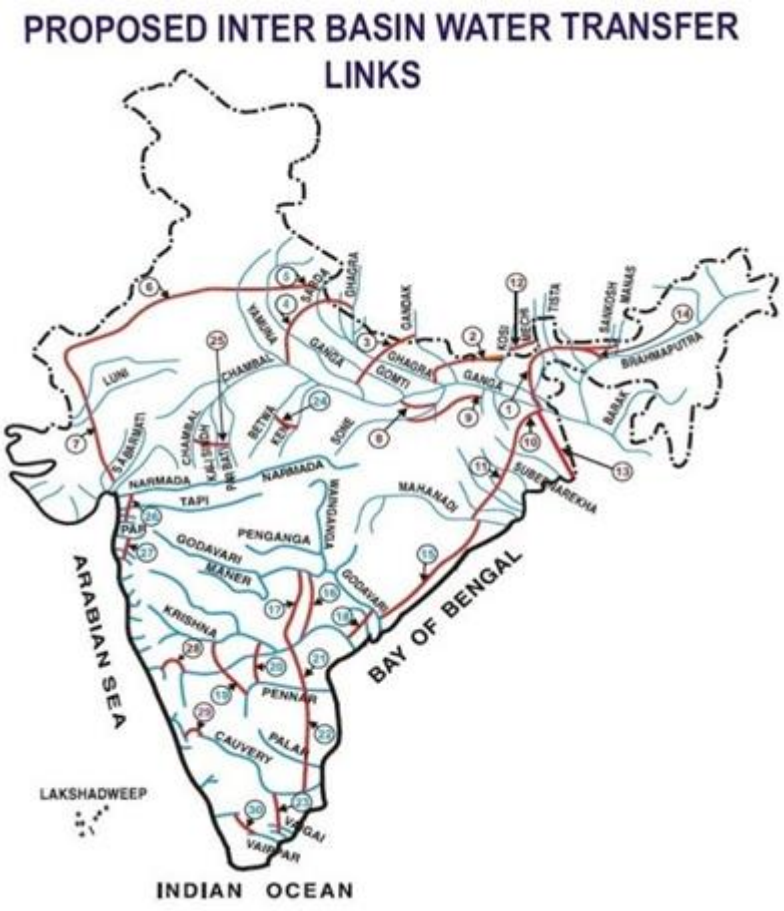

नदी अंतर्योजन परियोजना के विपक्ष में तर्क

- **नदी मार्ग का कृत्रिम परिवर्तन-** इससे सैकड़ों-हजारों वर्षों में विकसित नदियों के अपवाह मार्ग संबंधी पारितंत्र में कृत्रिम परिवर्तन होगा। सड़कों एवं विद्युत् लाइनों की भांति इनके मार्ग में परिवर्तन के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।
  - केवल **"न्यूनतम प्रवाह आवश्यकताओं"** को बनाए रखकर ही नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सकता है।
- **महत्वपूर्ण शुष्कभूमि क्षेत्रों की उपेक्षा**- ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि निर्दिष्ट परियोजनाएं मध्य और पश्चिमी भारत के मुख्य शुष्क क्षेत्रों की उपेक्षा कर सकती हैं, जो औसत समुद्र तल से 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव-** इससे वृहद् पैमाने पर वनों के जलमग्न होने के साथ ही वन्यजीवों के पर्यावासों का भी विनाश हो सकता है जैसा कि केन-बेतवा नदी अंतर्योजन परियोजना में घटित हुआ था।
- **नदियों पर प्रभाव-** 29 में से 23 नदियों का जल प्रवाह स्तर काफी कम हो जाएगा, उदाहरण के लिए, गंगा नदी के प्रवाह में 24% की कमी हो सकती है और इसकी सहायक नदियाँ गंडक (-68%) और घाघरा (-55%) सबसे अधिक प्रभावित होंगी।

- **तटरेखा (shoreline) की क्षति -** एक अध्ययन के अनुसार, इसके कारण नदियों के डेल्टाओं में निक्षेपित होने वाली तलछट में पर्याप्त रूप से कमी आएगी। उपजाऊ डेल्टा के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा तथा तटीय अपरदन के कारण भूमि एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने की संभावना है, जिस पर 160 मिलियन लोगों की आजीविका निर्भर है।
- **मानसून पर प्रभाव-** समुद्र में नदी के ताजे जल का निरंतर प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ऊपरी जल परतों में कम घनत्व के साथ-साथ जल की निम्न लवणता को बनाए रखने में सहायता करता है। यह समुद्री सतह के उच्च तापमान (28 डिग्री सेल्सियस से अधिक) के बने रहने का भी एक कारण है, जिससे निम्न दाब वाले क्षेत्र का सृजन होता है तथा जिससे मानसून की सक्रियता तीव्र हो जाती है।
- **सुभेद्यता में वृद्धि-** दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्र और महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र तूफ़ान महोर्मि (surges), नदी बाढ़ और अत्यधिक लवणता के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाएंगे।
- **संघीय प्रतिस्पर्धा**- चूँकि जल एक राज्य सूची का विषय है अत: ऐसे राज्य जिनके पास जल अधिशेष है, वे इसे अन्य राज्यों को आपूर्ति करने हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। इससे व्यापक स्तर पर कठिनाई उत्पन्न होती है तथा राज्यों की ऐसी मनोवृत्ति के कारण ऐसी कठिनाइयों की पुनरावृत्ति होती रहती है।

निष्कर्ष

भविष्य की परियोजनाएं इस **हरित अंतर्योजन परियोजना** के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है।

5.3. महासागरीय ऊर्जा

(Ocean Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा **महासागरीय ऊर्जा** को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में **महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (Ocean Thermal Energy Conversion: OTEC)** की संभावित क्षमता लगभग **1,80,000 मेगावाट (MW)** है, जिसके दोहन के लिए उपयुक्त तकनीकी विकास की आवश्यकता है।
  - खंभात और कच्छ खाड़ी क्षेत्र तथा वृहत पश्चजलीय क्षेत्रों (backwaters) में **ज्वारीय ऊर्जा** की कुल संभावित क्षमता लगभग **12,455 मेगावाट (MW)** है जहां उर्जा उत्पादन हेतु बैराज तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।
  - भारत के तटीय क्षेत्रों में **तरंग ऊर्जा (wave energy)** की कुल संभावित क्षमता लगभग **40,000 मेगावाट** होने का अनुमान है।
- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है ताकि इस ऊर्जा का सभी रूपों में उपयोग किया जा सके। इस दिशा में, सरकार द्वारा भी **महासागरीय ऊर्जा की क्षमता** के उपयोग हेतु प्रयास किया जा रहा है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस क्षेत्र में परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु कुछ निजी अभिकर्ताओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु इन अभिकर्ताओं द्वारा महासागरीय ऊर्जा के दर्जे अर्थात् क्या यह नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं को स्पष्ट करने की मांग की गई।
  - हालाँकि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया कि महासागर ऊर्जा के विभिन्न रूपों, जैसे- ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, OTEC आदि से उत्पादित ऊर्जा को **नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा** तथा वे गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPO) को पूरा करने के पात्र होंगे।
  - RPO के तहत, विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के पास स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति का निश्चित अनुपात उपलब्ध होना आवश्यक है। यह अनुपात राज्य विद्युत् नियामकों द्वारा निर्धारित किया गया है। DISCOMs द्वारा अनिवार्य स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के स्थान पर डेवलपर्स अथवा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र भी खरीदे जा सकते हैं।

भारत में महासागरीय ऊर्जा के समक्ष विद्यमान चुनौतियां-

- **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का अभाव-** भारत ने वर्ष 1980 में तमिलनाडु तट पर एक OTEC संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी, किन्तु विदेशी वेंडर द्वारा इसके परिचालन को बंद करने के पश्चात् इसे परित्यक्त अवस्था में छोड़ दिया गया।
- **अत्यधिक लागत वाली परियोजना-** OTEC पूंजी गहन परियोजना है तथा यह केवल वृहद पैमाने पर संचालित होने पर ही किफायती हो सकती है।

- उदाहरण के लिए, अत्यधिक सिविल निर्माण गतिविधियों और उच्च विद्युत खरीद प्रशुल्कों के कारण ज्वारीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की पूंजी लागत अत्यधिक होती है।
- **अपर्याप्त प्रोत्साहन-** सरकार द्वारा निजी अभिकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और महासागरीय ऊर्जा से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं-** अपर्याप्त अध्ययन और डेटा की कमी के कारण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर तरंग ऊर्जा उत्पादन संबंधी लागतों का अनुमान लगाना कठिन होता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- मंत्रालय द्वारा **प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** आरंभ किया गया है- इसके अंतर्गत,
  - देश में महासागरीय ऊर्जा से संबद्ध संसाधनों के आकलन और परिनियोजन हेतु सहयोग को प्रोत्साहित और गति प्रदान करना। तथा
  - **विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में इसका उपयोग** और इससे संबंधित बाधाओं को दूर करना शामिल है।
- यह भारत में परियोजनाओं के संचालन करने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए भी खुला है।
- भारतीय परिस्थितियों में विद्यमान समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग संचालित शोध एवं विकास प्रस्तावों को हितधारकों से प्राप्त किए गए हैं।
- **आधारभूत शोध एवं विकास** संबंधी प्रबंधन का कार्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (उदाहरण: राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई) द्वारा किया जा रहा है।
- मंत्रालय के शोध, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन (RDD & D) कार्यक्रम / नीति (तत्कालीन कार्यान्वित) के तहत महासागरीय ऊर्जा के उपयोग करने के इच्छुक सभी **हितधारकों** को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (MNRE) द्वारा प्रमाणिक प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के परीक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है।

- **प्रौद्योगिकियां-** अभी तक, इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का निम्नतम उपयोग किया गया है, हालांकि महासागरीय ऊर्जा (जिनमें तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री जलधारा (करंट) ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा शामिल हैं) के दोहन हेतु केवल कुछ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है।
- **ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy):** चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक 12 घंटे में ज्वारीय चक्र प्रक्रिया घटित होती है।
  - निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के दौरान जल स्तर में होने वाले परिवर्तन, संभावित ऊर्जा का स्रोत होता है। बांधों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली पारंपरिक जल विद्युत के समान, उच्च ज्वार के दौरान ज्वारनदमुख पर स्थित बैराज में ज्वारीय जल को संग्रहीत कर लिया जाता है और निम्न ज्वार के दौरान संग्रहित जल को तीव्रता के साथ हाइड्रो-टरबाइन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है।
  - ज्वारीय ऊर्जा क्षमता से पर्याप्त विद्युत् प्राप्त करने के लिए, उच्च ज्वार की ऊंचाई निम्न ज्वार की तुलना में कम से कम पांच मीटर (16 फीट) अधिक होनी चाहिए।
  - भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित कैम्बे की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं विद्यमान है।
- **तरंग ऊर्जा (Wave Energy)**- समुद्र की सतह पर तैरने वाले अथवा महासागरीय नितल पर स्थित उपकरण के संचलन के माध्यम से उर्जा का उत्पादन किया जाता है।
  - तरंग ऊर्जा रूपांतरण उपकरण, जो सतह पर तैरते रहते हैं और ये उपकरण कब्जों (hinge) के माध्यम से परस्पर संबद्ध होते हैं तथा लहरों की गति के साथ-साथ अपने आप को समायोजित करते रहते हैं। इस प्रकार यह गतिज ऊर्जा टरबाइनों के माध्यम से जल को पंप कर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। स्थैतिक तरंग ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों द्वारा लहरों के ऊपर-नीचे या दोलन (up and down) होने की स्थिति में एक लंबे ट्यूब में उत्पन्न दाब परिवर्तन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।
  - क्रांतिक दाब स्थिति में इस दोलन गति (bobbing motion) के द्वारा टरबाइन को संचालित किया जाता है। अन्य स्थैतिक प्लेटफॉर्म लहरों से प्राप्त जल को संग्रहीत करते हैं। इस जल को संकीर्ण पाइपों द्वारा अपवाहित करते हुए एक विशिष्ट हाइड्रोलिक टरबाइन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है।
- **जलधारा ऊर्जा (Current Energy)**- समुद्री जल धारा, सागरीय जल के एक दिशा में प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। ज्वार भी दो दिशाओं में प्रवाहित जल धाराओं को उत्पन्न करते हैं।
  - जलमग्न टर्बाइनों के द्वारा समुद्री और अन्य ज्वारीय धाराओं के सहयोग से गतिज ऊर्जा को संग्रहीत किया जा सकता है, ये टर्बाइन लघु पवन टर्बाइनों के समान होते हैं। पवन टरबाइन के समान समुद्री ऊर्जा रोटर ब्लेड को गति प्रदान करती है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।

VISION IAS

- **महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)**- इस प्रक्रिया के तहत उर्जा के उत्पादन हेतु, सागरीय सतह से नितल तक (1000 मीटर की गहराई तक) विद्यमान तापमान भिन्नता का उपयोग किया जाता है।
    - केवल 20 डिग्री सेल्शियस के अंतर द्वारा आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तापीय ऊर्जा के निष्कर्षण और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु दो प्रकार की OTEC प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है: बंद चक्र और खुला चक्र।
    - **बंद चक्र विधि (closed cycle method)** में, अमोनिया जैसे कार्यशील द्रव को एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पंप किया जाता है, तत्पश्चात यह वाष्पीकृत होने लगता है। यह वाष्पीकृत भाप टरबाइन को संचालित करती है। महासागर की गहराई में पाया जाने वाला शीत जल वाष्प को पुनः एक द्रव के रूप में संघनित कर देता है, जहाँ इसे हीट एक्सचेंजर की ओर पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है।
    - **खुली चक्र प्रणाली (open cycle system) में,** उष्ण सतही जल को एक निर्वात कक्ष में प्रेशराइज्ड किया जाता है और टरबाइन को संचालित करने हेतु इसे भाप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अधिक गहराई में शीत महासागरीय जल का उपयोग करके भाप को संघनित किया जाता है।

5.4. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

(Composite Water Management Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा जल संसाधन स्रोतों के कुशल प्रबंधन के आकलन और इसमें सुधार करने हेतु **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0** जारी किया गया है।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index: CWMI) के बारे में

- CWMI-2019, वर्ष 2017-18 के सापेक्षिक प्रदर्शनों सहित विगत वर्षों (वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17) की प्रवृत्तियों के साथ जल संबंधी सूचकांको एवं रिपोर्टों के एक व्यापक समूहों पर राज्यों के प्रदर्शन का मापन करता है।
- यह सूचकांक **9 विस्तृत क्षेत्रों** तथा इन पर आधारित कुल **28 संकेतकों** के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को इंडेक्स के अंतर्गत स्कोर प्रदान करता है तथा इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: गैर-हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

संबंधित तथ्य

हाल ही में विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute: WRI) द्वारा जारी **एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस** के अनुसार, भारत को **13वें सर्वाधिक जल संकट वाले देश** की श्रेणी में रखा गया है।

- एक क्षेत्र को 'जल संकट' (water stress) से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में तब घोषित किया जाता है जब उस क्षेत्र में जल की मांग, उपलब्ध मात्रा से अधिक हो जाती है अथवा जल की निम्न गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग संभव नहीं हो पाता है।
- **एटलस के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - भारत में सतही जल और भू-जल दोनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। वास्तविक रूप में पूर्वोत्तर भारत में वर्ष 1990 और 2014 के मध्य भू-जल स्तर में प्रति वर्ष 8 सेंटीमीटर से अधिक की दर से गिरावट हुई है।
    - सर्वाधिक जल-संकट के मामले में **प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है**, इसके पश्चात् हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में आरंभ जल शक्ति अभियान (Jal Shakti Abhiyan: JSA) को प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में **समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा** अभियान का शुभारंभ किया है।
- इसका उद्देश्य देश के **सभी स्कूली छात्रों के मध्य जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है।**
- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **अधिकांश भारतीय राज्यों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है:** विगत तीन वर्षों में 80% राज्यों (24 में से 19) ने अपने जल प्रबंधन स्कोर में सुधार प्रदर्शित किया है।
    - **उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य सूचकांक में निरंतर शीर्ष पर रहें हैं:** जैसे- गुजरात और आंध्र प्रदेश।

VISION IAS

- **धीमी गति से सुधार:** क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित सुधार सभी क्षेत्रों में सुसंगत नहीं रहा है और चार क्षेत्रों में राज्यों के औसत प्रदर्शन में गिरावट आई है।
    - **उन राज्यों में भी अपर्याप्त सुधार हुए हैं जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है**- हरियाणा, गोवा और तेलंगाना के अतिरिक्त अन्य निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से कोई भी राज्य विगत तीन वर्षों के दौरान 50 अंकों के स्तर से अधिक वृद्धि नहीं कर पाया है।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या और आर्थिक उत्पादन का सर्वाधिक भार निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के द्वारा वहन किया जाता है:** 16 निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य सामूहिक रूप से भारत की 48% जनसंख्या, 40% कृषि उपज और 35% आर्थिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **स्रोत संवर्धन और जल निकायों का पुनर्भराव:** महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नागालैंड के प्रदर्शन में गिरावट के कारण सतही जल के पुनर्भराव के समग्र प्रदर्शन में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कमी आई है।
- **भू-जल स्रोत का संवर्धन:** समग्र रूप से, राज्यों ने वित्त वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्य अपने भू-जल संसाधनों के पुनर्भराव में सुधार को प्रदर्शित किया है, किन्तु औसत कुल प्राप्त स्कोर के 50% से कम बना हुआ है।
- **सहभागी सिंचाई पद्धतियां:** समग्र रूप में, विगत तीन वर्षों में प्रदर्शन में निम्न गिरावट आई है। अधिकांश राज्यों द्वारा जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association: WUA) भागीदारी को बढ़ावा देने से संबंधित विधिक ढांचे को स्वीकार किए जाने के बावजूद, WUA उत्तरदायित्वों का वास्तविक कार्यान्वयन {जैसे- सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रचालन एवं रखरखाव (O&M) का इसमें शामिल होना} निम्न स्तरीय रहा है।
- **खेतों में (ऑन-फार्म) संधारणीय जल उपयोग पद्धतियां**: समग्र रूप से, राज्य खेतों में (ऑन-फार्म) जल उपयोग दक्षता पर किसी महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। यह सूक्ष्म-सिंचाई पद्धति को अपनाने की दिशा में वृहत स्तर पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय प्रयासों के समक्ष चिंता को बढ़ा रहा है।
- **ग्रामीण पेयजल:** इस वर्ष की थीम के तहत आरंभ किए गए नए वितरण सेवा सूचकांकों पर निम्न प्रदर्शन के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के निम्न स्तर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के समग्र स्कोर में गिरावट (कुल प्राप्य स्कोर का 50% से कम) आई है।
- **शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता:** जल तक पहुंच के औसत से अधिक रहने के बावजूद, अपशिष्ट जल के उपचार में उल्लेखनीय अंतराल विद्यमान हैं। राज्यों ने अपशिष्ट जल उपचार क्षमता के निर्माण में सुधार प्रदर्शित किया है, किन्तु इस क्षमता का उपयोग निम्न रहा है।
- **नीति और अभिशासन:** प्रदर्शनों में औसत वृद्धि, राज्यों को जल को एक विषय के रूप में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ बेहतर संसाधन प्रबंधन के लिए नियामक ढांचे के उपयोग का सुझाव देता है। हालांकि, अधिकांश राज्यों द्वारा जल के मूल्य निर्धारण और डेटा केन्द्रों से संबंधित सुधार किया जाना शेष हैं।

कुछ सफल केस स्टडी

- **मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (Mukhya Mantri Jal Swavlambhan Abhiyan: MUSA), राजस्थान**- यह एक बहु-हितधारक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक सहभागी जल प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से गांवों को जल के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। यह बेहतर जल संचयन और संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के समेकन पर केंद्रित है।
- **मिशन काकतीय, तेलंगाना-** इसका उद्देश्य राज्य भर में 46,000 से अधिक टैंकों का पुनरुद्धार करना तथा 20 लाख एकड़ भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 तक 22,500 से अधिक टैंकों का पुनरुद्धार किया जा चुका है।
- **जखनी गांव (बुंदेलखंड), उत्तर प्रदेश**- यह भारत के सर्वाधिक जल संकट क्षेत्रों में से एक है। इस गाँव के ग्रामीणों ने कठोर जल संरक्षण के प्रयासों को अपनाते हुए जल की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसमें खेतों में तालाबों (farm ponds) का निर्माण करना, जल निकायों का पुनर्भराव/ कायाकल्प / जीर्णोद्धार करना, अपशिष्ट (grey) जल का संग्रह एवं उपयोग करना, खेतों में बंड (bund) का निर्माण करना तथा गहन वृक्षारोपण करना शामिल था।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) का महत्व:

- यह प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश के पारंपरिक तरीके से, स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर की गतिविधियों को संपन्न करने हेतु जल संसाधन प्रबंधन में नीतिगत परिवर्तन का प्रस्ताव करता है, जिससे जल की न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।
- चूँकि यह विभिन्न राज्यों में कृषि समृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अतः उन राज्यों पर दबाव बनाने में सहायक होगा, जो अपनी जल प्रबंधन तकनीकों के सुधार को लेकर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए।
- सूचकांक से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं द्वारा भारत में व्यापक जल पारिस्थितिकी नवाचार को सक्षम बनाने हेतु किया जा सकता है।

VISION IAS

5.5. राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति

(National Resource Efficiency Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (NREP) 2019 के प्रारूप** को पब्लिक डोमेन में रखा है।

पृष्ठभूमि

- विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत में संसाधनों के उपभोग में छह गुना (वर्ष 1970 के 1.18 बिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2015 में 7 बिलियन टन) तक की वृद्धि हुई है।
    - बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण एवं वर्धित आकांक्षाओं के कारण इसमें और अधिक वृद्धि की अपेक्षा है।
    - इस संदर्भ में, **संसाधन दक्षता का संवर्धन** और **द्वितीयक कच्चे माल** (secondary raw materials) के उपयोग को प्रोत्साहित करना संधारणीय विकास सुनिश्चित करने की एक रणनीति के रूप में उभरा है।
- **संसाधन दक्षता (Resource efficiency: RE)** से तात्पर्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए सतत मानव कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु पृथ्वी के सीमित संसाधनों का न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना है।
    - यह **अपशिष्ट** को कम करता है, अधिक संसाधन उत्पादकता को प्रेरित करता है, **अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी** बनाता है, संसाधनों के अभाव के उभरते मुद्दों का समाधान करता है तथा उत्पादन एवं उपभोग दोनों से संबद्ध **पर्यावरणीय प्रभावों** को कम करने में सहायता करता है।
- **6Rs सिद्धांत** संसाधन दक्षता के परिचालन हेतु महत्वपूर्ण है। यह **कटौती (reduce), पुनरुपयोग (reuse), पुनर्चक्रण (recycle), नवीकरण (refurbish), पुन: अभिकल्पन (redesign) और पुनर्निर्माण (remanufacture)** को संदर्भित करता है।
- **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (NREP)** का प्रारूप पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और समतामूलक आर्थिक विकास, संसाधन सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण (वायु, जल व भूमि) तथा समृद्ध पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधता के साथ पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन के साथ भविष्यगामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह निम्नलिखित सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है:
    - सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रहीय सीमाओं के भीतर रहते हुए प्राथमिक संसाधनों के उपभोग को 'संधारणीय' स्तरों तक कम करना।
    - संसाधन दक्षता और संसाधनों के निरंतर उपयोग उपागमों के माध्यम से न्यून पदार्थों के साथ उच्च मूल्य का सृजन करना।
    - अपशिष्ट न्यूनीकरण।
    - पर्यावरण संरक्षण तथा पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए पदार्थों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर एवं व्यावसायिक प्रतिमानों का सृजन करना लाभप्रद है।

संसाधन दक्षता की संभाव्यता

- **आर्थिक संभाव्यता**
    - केवल विनिर्माण क्षेत्र में 60.8 बिलियन रूपये के संसाधनों की बचत करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
    - देश के व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने हेतु महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम कर सकती है।
    - उद्योगों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता में सुधार कर सकती है।
- **सामाजिक संभाव्यता**
    - खनन क्षेत्रों में संघर्ष और विस्थापन को कम कर सकती है, साथ ही निष्कर्षण (extraction) दबाव को न्यून करके स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार कर सकती है।
    - निर्धनता में कमी लाने हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों, उदाहरणार्थ- पुनर्चक्रित सामग्री एवं अन्य द्वितीयक कच्चे माल तक पहुंच और वहनीयता में सुधार कर सकती है।
    - भावी पीढ़ियों हेतु संसाधनों के संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकती है।
- **पर्यावरणीय संभाव्यता**
    - निष्कर्षण (extraction) दबाव को कम करके खनन से संबद्ध पारिस्थितिकीय निम्नीकरण और प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
    - निष्कर्षण, विनिर्माण और उपयोग चरण में ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में कटौती कर सकती है।
    - भू-परिदृश्य और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अवसर प्रदान कर सकती है।

VISION IAS

NREP 2019 की मुख्य विशेषताएं

- जीवन-चक्र के दौरान **प्राथमिक संसाधनों, पदार्थों और क्षेत्रों** को निम्नलिखित तरीके से शामिल करने का लक्ष्य है, जैसे-
  - **संसाधन और पदार्थ**: धातु, अधात्विक खनिज, वायु, जल, भूमि, बायोमास, जीवाश्म ईंधन आदि।
  - **क्षेत्रक (Sectors)**: निर्माण, परिवहन, प्लास्टिक, पैकेजिंग, विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कृषि, धातु उद्योग (इस्पात, एल्यूमीनियम आदि), वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य क्षेत्रक आदि।
  - **अपशिष्ट**: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि।
- संसाधन दक्षता की प्रगति को ट्रैक करने हेतु **संकेतक-**
  - **संसाधन उत्पादकता**- संसाधन आगतों के साथ मौद्रिक निर्गतों का अनुपात।
  - **घरेलू सामग्री का उपभोग**- अर्थव्यवस्था द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्रियों की कुल मात्रा।
  - **घरेलू सामग्री निष्कर्षण**- अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त आगत का उपयोग किया जाना।
  - **प्रत्यक्ष सामग्री आगत**- अर्थव्यवस्था में प्रयोग हेतु सामग्री की प्रत्यक्ष आगत।
  - **अपशिष्ट पुनर्चक्रण संबंधी संकेतक-** उदाहरण के लिए पुनः प्राप्त द्वितीयक कच्चा माल, पुनः प्राप्ति की दर आदि।
- **संस्थागत व्यवस्था**
  - **राष्ट्रीय संसाधन दक्षता प्राधिकरण (National Resource Efficiency Authority: NREA)**- इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा, जिसे देश भर में संसाधन दक्षता के एजेंडे को संचालित करने हेतु अधिदेशित किया जाएगा। इसमें एक मुख्य कार्यकारी समूह (कोर वर्किंग ग्रुप) और अन्य हितधारकों के सदस्य समूह के साथ एक **सहयोगात्मक संरचना** विद्यमान होगी।
  - **हितधारकों का साझा उत्तरदायित्व-** जैसे कि-
    - **सरकार की भूमिका-** संसाधन दक्षता रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने, डाटा संकलन की सुविधा प्रदान करने, अवसंरचना (जैसे सामग्री पुनर्चक्रण क्षेत्र) की स्थापना करने में इत्यादि।
    - **निर्माता और सेवा प्रदाताओं की भूमिका**- उत्पाद की पुनःप्राप्ति (रिकवरी) और पुनर्चक्रण के लिए डिज़ाइन को एकीकृत करने और उत्पादों की एंड-ऑफ-लाइफ (end-of-life: EOL) की प्रबंधन नीति तैयार करने में।
    - **उपभोक्ताओं की भूमिका-** संसाधन दक्ष उत्पादों और सेवाओं की मांग सृजित करने, उत्पादों के साझे उपयोग में संलग्न होने तथा एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) के पश्चात् उत्पादों की पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
    - **नागरिक समाज संगठनों की भूमिका-** जागरूकता उत्पन्न करने में (विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों के मध्य) और द्वितीयक पदार्थों के उपयोग का समर्थन करने में।
    - **पुनर्चक्रणकर्ताओं की भूमिका-** परिसर में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण हेतु आवश्यक सांविधिक मानदंडों और मानकों को बनाए रखने में। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक व्यवस्था का भाग बनने का अवसर प्रदान करना।
    - **शैक्षणिक समुदाय की भूमिका-** स्कूलों और कॉलेजों में **'चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)'** और **'संसाधन दक्षता (Resource Efficiency)'** जैसी संकल्पनाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों को आरंभ करना। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए जा सकते है।
- **नीतिगत उपकरण**
  - **विनियामकीय अंतरालो को कम करना**- ताकि जीवन चक्र चरणों में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जा सके। इसके लिए उचित दिशा-निर्देश, अनिवार्य गुणवत्ता और डिजाइन मानकों की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय दायित्व जैसी नई अवधारणाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।
  - **नवाचारी बाजार आधारित उपकरणों को डिजाइन करना-** जैसे करों को बाह्यताओं (externalities) की लागतों पर अनिवार्यतः अधिरोपित करना, पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग करने वाले घटकों के लिए कर छूट, इको-लेबल वाले उत्पादों हेतु कर रियायतें और द्वितीयक कच्चे माल की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना।
  - **हरित सार्वजनिक खरीद (Green Public Procurement)-** उदाहरण के लिए, ऐसी सार्वजनिक निविदाओं को डिजाइन किया जा सकता है जिनमें स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों के लिए कोटा शामिल होता है। एक व्यापक और भलीभांति डिज़ाइन की गई राष्ट्रीय स्तरीय **सतत सार्वजनिक खरीद (SSP)** नीति को कार्यान्वित किया जा सकता है।
  - **पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति संरचनाओं का समर्थन करना**- उदाहरण के लिए **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र (Material Recovery Facilities: MRF)** को सक्षम **उपयोग/प्रचलन अवधि उपरांत उत्पादों के एकत्रण** हेतु उपलब्ध बेहतर प्रौद्योगिकी प्रणालियों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **उत्पाद संबंधी उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करना-** विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR) प्रणालियों को रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र से युक्त प्रणाली द्वारा लागू किया जाना चाहिए और इसे अधिक **निर्माता उत्तरदायित्व संगठनों** (Producer Responsibility Organizations: PROs) के निर्माण और मान्यता के द्वारा समर्थित किया जा सकता है।
- **संसाधन कुशल व्यावसायिक मॉडल का निर्माण-** व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) के माध्यम से, चक्रण व्यवसाय मॉडल के लिए आरंभिक वित्तपोषण, समर्पित हरित निधि की व्यवस्था करना आदि।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधन किसी भी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। संसाधन न केवल हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं, बल्कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता, रहन-सहन के उच्च मानकों के लिए मानव आकांक्षाओं की पूर्ति भी करते हैं। यदि इस नीतिगत ढांचे को अक्षरशः लागू किया जाता है तो इससे व्यापक लाभांश प्राप्त हो सकते हैं।

5.6. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क

(Environmental and Social Management Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पब्लिक डोमेन में **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF)** जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- प्रारूप पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) **ENCORE (तटीय और महासागर संसाधन दक्षता कार्यक्रम का संवर्धन)** नामक **विश्व बैंक** द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना का भाग है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
- ESMF को ENCORE की विभिन्न उप-परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण और परिचालन के उपयुक्त उपायों के माध्यम से **सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन** के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  - यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर उप-परियोजनाओं को वर्गीकृत करने हेतु उनकी जांच करने के लिए **ENCORE प्रोग्राम हेतु एक उपकरण** है तथा पूर्ण ESIAs **(पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन)** और ESMPs **(पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना)** का उपयोग करके इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए अथवा कुछ सामान्य प्रयासों की आवश्यकता को निर्धारित करता है।
- **इसका उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:**
  - उप-परियोजनाओं के सभी चरणों के दौरान **निर्णय लेने की प्रक्रिया** में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का एकीकरण करना।
  - उप-परियोजनाओं के संवेदनशील नियोजन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन के माध्यम से **सतत पर्यावरणीय तथा सामाजिक परिणामों में वृद्धि करना**।
  - सावधानीपूर्वक नियोजन एवं सुरक्षा उपायों के माध्यम से सांस्कृतिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यावासों पर **प्रभावों को कम करना अथवा रोकना**।
  - उप-परियोजनाओं से **प्रभावित लोगों की आजीविका और जीवन स्तर की पुनर्बहाली** तथा आजीविका अथवा संपत्ति की किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करना।
  - व्यावसायिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के **उच्च कार्य-सुरक्षा मानकों** को अपनाना।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत **एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी** (SICOM), एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP) और ENCORE कार्यक्रमों की एक **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (NPMU)** है।

ESMF की आवश्यकता:

- प्रकृति एवं अवस्थिति के आधार पर परियोजना संबंधी पहलों जैसे कि तटीय संरक्षण के उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका समर्थन के लिए अवसंरचना की सुविधा का विकास आदि के निर्माण और परिचालन एवं रखरखाव चरणों के दौरान परियोजना स्थल के **सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है।**
- जब परियोजना स्थल **संवेदनशील क्षेत्रों के निकट होते हैं, तब** ये प्रभाव **महत्वपूर्ण हो जाते हैं।**
  - उदाहरण के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)** में तटीय सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी है, जो कि दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के मध्य एक वैकल्पिक त्वरित संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए निर्मित किए जाने वाले **पूर्वी फ्रीवे (Eastern Freeway)** का भाग है।
- इसलिए, जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व-परिभाषित ढांचे के साथ **व्यवस्थित रक्षोपायों** की आवश्यकता होती है।

- चूंकि सभी परियोजना स्थलों और गतिविधियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए संबंधित **पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान तथा उनका प्रबंधन करने** के लिए, परियोजना हेतु ESMF तैयार करना आवश्यक है।
- ESMF एक नियमावली के माध्यम से संभावित प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करता है, जिसमें परियोजना से संबंधित कार्यों के बारे में पर्याप्त **पर्यावरणीय प्रबंधन** (जोखिम प्रबंधन व प्रभावों) की सुविधा के लिए **कार्यप्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं उपायों** का एक समुच्चय होता है और जिनकी विशिष्ट अवस्थिति अज्ञात होती है अथवा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तित हो सकते हैं।

ESMF की मुख्य विशेषताएं

- **ESMF अंगीकरण फ्रेमवर्क-** इसमें विभिन्न चरण शामिल हैं, जैसे- जांच (स्क्रीनिंग) तथा प्रारंभिक पर्यावरणीय व सामाजिक परीक्षण, पर्यावरणीय एवं सामाजिक समीक्षा, पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों का कार्यान्वयन आदि।
- **पुनर्वास संबंधी नीतिगत फ्रेमवर्क-** प्रत्येक परियोजना प्राधिकरण द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा।
  - सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण अथवा शमन के लिए एक कार्य योजना तैयार जाएगी।
  - पुनर्वास कार्य योजना (RAP) के रूप में प्रारूप शमन योजना को पुनः प्रभावित व्यक्तियों / समुदाय के मध्य प्रसारित किया जाएगा।
- **इंडिजेनस पीपुल्स प्लानिंग फ्रेमवर्क (IPPF)-** परियोजना के लिए जनजातियों के व्यापक सामुदायिक समर्थन के लिए एक सामाजिक मूल्यांकन और निःशुल्क, अग्रिम एवं सूचित परामर्श प्रक्रिया तथा एक जनजातीय योजना (TPP) के रूप में स्वदेशी लोगों के लिए एक साधन का विकास करना।
- **जेंडर एक्शन प्लान-** उप-परियोजना और डिजाइन हस्तक्षेपों की तैयारी के चरण में लैंगिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए जेंडर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
  - किसी भी परियोजना को परियोजना के डिजाइन, निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन (M&E) में महिलाओं की भागीदारी के समक्ष आने वाले अवरोधों का निराकरण करना होगा।
  - परियोजनाओं के अंतर्गत जेंडर और निर्धनता के मध्य संबंध को पहचान कर, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, महिला की मुख्य भूमिका वाले परिवार तथा उन परिवारों की विशेष आवश्यकताओं पर।
- **श्रमिक प्रबंधन फ्रेमवर्क-** चूंकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न हस्तक्षेपों की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, **श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है।** इस फ्रेमवर्क द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि-
  - मेजबान जनसंख्या और संबंधित पर्यावरण पर श्रमिकों के अंतःप्रवास से संबंधित संभावित प्रभावों को न्यूनतम किया जाए।
  - सुरक्षित और स्वस्थ कार्यचालन परिस्थितियों का प्रावधान तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अनुकूल परिवेश उपलब्ध करवाया जाए।
  - राष्ट्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- **शिकायत निवारण तंत्र-** ENCORE कार्यक्रम के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU)** में आवश्यक अधिकारियों, पदाधिकारियों और प्रणालियों सहित **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (GRCs)** के साथ एक एकीकृत प्रणाली को शामिल किया गया है।

निष्कर्ष

- इसे एक **जीवंत दस्तावेज** की भांति कार्य करना चाहिए तथा इसे परिवर्तित परिदृश्यों और चुनौतियों के अनुसार आवश्यक होने पर अद्यतन किया जाना चाहिए। इसे "एकल (one-off)" निवेश कार्रवाई की बजाय एक **निरंतर प्रक्रिया** होना चाहिए।
- अब तक **तीन तटीय राज्यों** (गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) ने विश्व बैंक के समर्थन से स्थायी तटीय प्रबंधन के लिए ऐसी योजनाएँ तैयार की हैं। इस प्रकार की योजनाओं को अन्य राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के चयनित तटीय भागों के लिए भी निर्मित किया जाना चाहिए।

5.7. कुसुम

(Kusum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) योजना के **कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) के भाग के रूप में, भारत **गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों** से प्राप्त होने वाली विद्युत को **2030 तक 40% तक** करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने** हेतु विस्तृत पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
- इसमें **विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों (जिनमें 2 मेगावाट तक की क्षमता है) को एक-साथ विकसित करने की योजना भी निर्मित की गई है।** इन संयंत्रों को प्रत्यक्षत: वितरण कंपनी के मौजूदा सब-स्टेशनों से जोड़ा जा सकता है।
- ऐसे संयत्रों को उन उप-स्टेशनों के निकट विकसित किया जा सकता है, **जो किसानों को सौर अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि का उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं।**
- इसके अतिरिक्त, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने हेतु **कृषि में सिंचाई डीजल पंपों के स्थान पर सोलर ऊर्जा संचालित पंपों और सोलराइज ग्रिड से जुड़े कृषि सिंचाई पंपों का उपयोग करने की योजना है।**
- सौरकरण (Solarisation) के पश्चात् इन पंपों हेतु **डिस्कॉम द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है** और इस प्रकार विद्युत के कृषिगत उपभोग पर सब्सिडी के भार को भी कम किया जा सकता है।
- यद्यपि **KUSUM योजना को इस वर्ष फरवरी में आरंभ किया गया था,** तथापि इसमें विकेंद्रीकृत ग्रिड्स को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों के सौरकरण (Solarisation) का प्रावधान है।

योजना के लाभ

- इस योजना का **कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन को कम करने** के संदर्भ में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होगा।
- योजना के घटक-B के अंतर्गत सौर उर्जा चालित **कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के आयात पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।**
- इस योजना में कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु **प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की भी क्षमता विद्यमान है।**
- यह उन **किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत भी प्रदान करती है,** जो DISCOM को अधिशेष विद्युत् का विक्रय करने की स्थिति में होंगे।

कुसुम योजना के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य **किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान करना** है।
- यह योजना **किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने** और अपने डीजल सिंचाई पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- यह **वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का** लक्ष्य रखती है।

प्रस्तावित योजना में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

घटक	विवरण
घटक-A: इसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।	**घटक A-** • **अधिदेश-** इस घटक के अंतर्गत, **नवीकरणीय विद्युत उत्पादक (RPG) के रूप में संदर्भित किए जाने वाले** अलग-अलग किसानों / किसान-समूहों / सहकारी समितियों / पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के समूह द्वारा 500 किलोवाट से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा या अन्य **नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों (REPP)** की स्थापना की जाएगी। • **विद्युत पारेषण-** RPGs वस्तुतः **पारेषण लाइनों** को बिछाने और ग्रिड कनेक्टिविटी तथा अन्य विनियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। • **विद्युत खरीद समझौता**- यह समझौता विद्युत वितरण कम्पनियों और RPG के बीच सभी आवश्यक शर्तों के साथ निष्पादित किया जाएगा। **RPG** विद्युत वितरण कम्पनियों को **बैंक गारंटी** भी देगा। यदि **RPG** न्यूनतम ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो यह क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। • विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) को **पांच वर्षों की अवधि हेतु 0.40 रुपये की दर से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।**

VISION IAS

	• **सर्वप्रथम इसे 1,000 मेगावाट क्षमता के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा।**
घटक-B: ऑफ-ग्रिड सौर पंप	• **अधिदेश-** इस घटक के अंतर्गत, किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में मौजूदा डीजल कृषि पंपों के प्रतिस्थापन के लिए 7.5 अश्व शक्ति (HP) तक की क्षमता वाले स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से समर्थन प्रदान किया जाएगा। • **सोलर पंपों की आवश्यकताएं-** स्वदेशी सौर सेलों और मॉड्यूलों वाले देश में विनिर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। • **केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत भाग साझा करेंगे** तथा शेष 40 प्रतिशत (जिसमें 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है) व्यय का वहन किसानों को करना होगा।
घटक-C: ग्रिड से जुड़े विद्युत संचालित पंपों का सौरकरण	• **अधिदेश -** इस घटक के अंतर्गत, ग्रिड से संबद्ध कृषि पंप वाले किसानों के (कृषि) पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। किसान अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को विद्युत वितरण कम्पनियों को विक्रय कर दिया जाएगा। • **गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन तंत्र-** इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित प्रणालियों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) तथा MNRE द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों को पूरा करना पड़ेगा। • **सौर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता को किलोवाट (kW) में पंप क्षमता से दोगुना करके** डिस्कॉम्स को अतिरिक्त विद्युत के विक्रय हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। • अधिशेष विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉम्स को 0.60 रुपये प्रति यूनिट का **खरीद आधारित प्रोत्साहन** प्रदान करना। • नेट-मीटरिंग और ऑन-वे ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर दोनों की अनुमति प्रदान की गई है। • केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत भाग साझा करेंगे तथा शेष 40 प्रतिशत (जिसमें 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त की जा सकती है) व्यय का वहन किसानों को करना होगा।

चुनौतियां

- **भूजल दोहन में वृद्धि:** हालाँकि, सिंचाई हेतु भूजल पर निर्भरता बढ़ने के कारण कृषि उपज में सुधार हुआ है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप भूजल संसाधनों का तीव्र दर से ह्रास भी हुआ है।
  - यह योजना विशेष रूप से तीव्र दर से घटते जलस्तर वाले राज्यों/क्षेत्रों में, पंप उपयोग और भूजल निकासी की परोक्ष निगरानी को अनिवार्य बनाने अथवा यहां तक कि इस प्रकार का सुझाव देने में भी विफल रही है।
  - अधिसंख्यक सौर पंपों के माध्यम से नि:शुल्क विद्युत से जल के अत्यधिक दोहन के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा सुरक्षित क्षेत्रों (पर्याप्त भूजल वाले क्षेत्रों) में भी जल स्तर के जोखिमग्रस्त होने की संभावना उत्पन्न होगी।
- **कुशल डिस्कॉम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपायों का अभाव:** यह योजना कुशल डिस्कॉम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम को पाँच वर्ष के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट (या 6.6 लाख रुपये प्रति मेगावाट) खरीद-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। हालांकि, **ऑन-ग्रिड पंप (ग्रिड संबद्ध पंप) के संदर्भ में** इस प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।
- **सब्सिडी भार में वृद्धि:** हालाँकि कुसुम का उद्देश्य राज्य डिस्कॉम के सब्सिडी भार को कम करना है, किन्तु सब्सिडी में कटौती को सुनिश्चित करने हेतु इसमें कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा प्रावधान निर्धारित नहीं किए गए हैं। सब्सिडीकृत सौर पंपों को कृषि आपूर्ति में कटौती किए बिना अथवा सब्सिडी में कमी किए बिना अधिष्ठापित किया जा रहा है। इसलिए, राज्यों के कुल सब्सिडी भार में वृद्धि हो सकती है।
- **लक्षित लाभार्थी की अनुपस्थिति:** अब तक सौर पंप योजनाएं प्रायः लक्षित समूह (छोटे किसानों) को लाभ पहुंचाने में विफल रही हैं। अधिकांश सब्सिडीकृत सौर पंप बड़े किसानों द्वारा अधिष्ठापित किए गए हैं। कुसुम योजना में कृषि भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विकल्प के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी जिससे छोटे किसान इस योजना से लाभान्वित होने में असक्षम होंगे।
- **वित्तपोषण तंत्र का अभाव:** इस योजना में 40 प्रतिशत तक वित्तपोषण किसान द्वारा किया जाना है, जिसमें से 30 प्रतिशत बैंकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक कुशल वित्तीय प्रणाली का विकास आवश्यक है, जो वर्तमान में ग्रामीण भारत में अनुपस्थित है। इस प्रकार के कार्यों को किस प्रकार सम्पादित किया जाएगा, ये दिशा-निर्देश इस संबंध में सुझाव प्रदान करने में विफल सिद्ध हुए हैं।

VISION IAS

- **लाभार्थी का अस्पष्ट चयन:** कुसुम योजना के ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड घटक लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, हालांकि लाभार्थियों के चयन के लिए उद्देश्य मानदंडों को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभार्थियों का चयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किया जाएगा।

आगे की राह

- **भूजल निष्कर्षण की निगरानी:** सौर पंप योजनाओं में भूजल निष्कर्षण के प्रबंधन के लिए निगरानी एवं नियंत्रण संबंधी सुस्पष्ट और कठोर उपायों को अपनाया जाना चाहिए। केवल ऐसे उपायों को करने के इच्छुक राज्य को ही सौर सिंचाई पंप योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **कृषि प्रशुल्क में वृद्धि:** फीडरों का सौरकरण करना सबसे किफायती समाधान हो सकता है, किन्तु इसके साथ-साथ कृषि प्रशुल्कों में क्रमिक वृद्धि और विद्युत आपूर्ति की समयावधि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मिनी ग्रिड मॉडल:** ऑफ-ग्रिड पंपों को केवल विशेष मामलों अर्थात् अपेक्षाकृत उच्च भूजल स्तर वाले विद्युत् आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में अधिष्ठापित किया जाना चाहिए तथा मिनी-ग्रिड मॉडल के माध्यम से इनके उपयोग में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे अतिरिक्त विद्युत का उपयोग घरों में अथवा अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सके।
- **लघु एवं सीमांत किसानों को लक्षित और प्रोत्साहित करना:** लघु एवं सीमांत किसानों को सौर पंप प्रदान करने हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इन्हें वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करने हेतु इस खंड को एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- **विनियामकीय उपाय:** कुशल डिस्कॉम परिचालनों को पंप के अधिष्ठापन, परिचालन, निकासी, बिलिंग और किसानों को भुगतान के संबंध में नियमित रिपोर्टिंग हेतु नियामक अधिदेश के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ऑन-ग्रिड पंप अत्यधिक किसान असंतोष वाले जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक विकल्प हो सकता है, किन्तु जल की निकासी को सीमित करने के लिए **पर्याप्त और एक-तरफा विद्युत प्रवाह (नेट मीटर के विपरीत)** आवश्यक है।
- **राज्यों के मध्य असमानता संबंधी मुद्दों का समाधान करना:** कुसुम (KUSUM) का लक्ष्य सौर पंप अधिष्ठापन और सिंचाई तक पहुँच के संदर्भ में राज्यों के मध्य विद्यमान असमानता को कम करना होना चाहिए। यह असमानता निर्धन राज्यों द्वारा सौर पंप के लिए अल्प बजट आवंटन एवं राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा पहल की कमी को प्रदर्शित करती है।
    - वर्ष 2022 तक 17.5 लाख ग्रिड पंपों की अधिक न्यायसंगत स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र को संबद्ध वित्तीय सहायता को लक्षित करने के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सहकर्मी अधिगम (पीयर लर्निंग) हेतु मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

5.8. साइट्स कॉप-18

(CITES COP-18)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, CITES (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ़्लोरा) के पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties: COP) की 18वीं बैठक (अर्थात् COP-18) जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय स्टार कछुए (Indian star tortoise), स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव (smooth-coated otters) और छोटे पंजों वाले एशियाई ऊदबिलाव (Asian small-clawed otters)** को CITES के **परिशिष्ट-I (Appendix-I)** में शामिल किया गया है, जो इन्हें वाणिज्यिक व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक संरक्षण प्रदान करेगा।
- छिपकली की एक विशिष्ट प्रजाति **टोके गेको** (Gekko gecko) और **शार्क एवं रेज़ (rays)** की 18 प्रजातियों को पहली बार **परिशिष्ट-II** में शामिल किया गया है।
    - गेको का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा-पद्धति में किया जाता है। शुष्क रूप में अथवा ऐल्कोहॉल में संरक्षित करके संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका व्यापार किया जाता है।
- **जिराफ** को अनियंत्रित व्यापार से संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात् इसे CITES के **परिशिष्ट-II** में शामिल किया गया है।

CITES के बारे में

- CITES का उद्देश्य, इसके पक्षकार राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रयोजन से एंडेंजर्ड प्राणि-जात और वनस्पति-जात के नमूनों (specimens) के निर्यात, पुन: निर्यात, आयात, पारगमन, ट्रांसशिपमेंट अथवा अपने अधिकार में रखना इत्यादि की निगरानी करके उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है।
- वर्ष 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर (IUCN) के सदस्यों की बैठक में एक प्रस्ताव को अपनाने के पश्चात्, CITES का प्रारूप तैयार किया गया था।
- यह अभिसमय, पक्षकारों पर इस रूप में **कानूनी रूप से बाध्यकारी** है कि वे इसके कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध हैं; हालाँकि, यह राष्ट्रीय कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं करती है।

- **CITES के अंतर्गत निम्नलिखित तीन परिशिष्ट शामिल हैं:**
    - **परिशिष्ट I -** इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को शामिल किया गया है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों के नमूनों के व्यापार को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति प्रदान की जाती है, उदाहरणार्थ- बाघ, हिमालय भूरा भालू, हाथी और तिब्बती मृग।
    - **परिशिष्ट II** - इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें विलुप्त होने का संकट नहीं है, परन्तु उनके व्यापार को इस संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है ताकि लोगों द्वारा किया जाने वाला उनका उपयोग, उनके अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न कर सके, उदाहरणार्थ- दरियाई घोड़ा, बड़े पत्तों वाले महोगनी वृक्ष और ग्रे वुल्फ।
    - **परिशिष्ट III** - किसी देश के अनुरोध पर इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिनके अवैध दोहन को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता होती है, उदाहरण- वॉलरस, हॉफमैन्स टु-टोड स्लॉथ और रेड ब्रेस्टेड टूकेन।

5.9. नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करना

(Legal Rights to Rivers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करने की मांग की गई।

पृष्ठभूमि

- **गैर-मानवीय इकाइयों को विधिक अधिकार प्रदान करने की अवधारणा नई नहीं हैं,** किन्तु प्रकृति के लिए इसका हाल ही में कार्यान्वयन आरंभ किया गया है।
    - वर्ष 2008 में, **इक्वाडोर द्वारा अपने संविधान में प्रकृति को विधिक अधिकार प्रदान किया था** तथा स्पष्ट रूप से प्रकृति के अधिकारों की पहचान करते हुए सभी व्यक्तियों, समुदायों, लोगों और देशों की सार्वजनिक एजेंसियों को सशक्त बनाने के साथ प्रकृति के अधिकार को लागू करने का आह्वान किया गया था।
- हाल ही में, **इस दृष्टिकोण को विशिष्ट प्राकृतिक विशेषताओं पर लागू किया गया, जैसे कि न्यूजीलैंड में वांगानुई नदी, भारत में गंगा और यमुना नदियों तथा कोलंबिया में रियो अट्रेटो नदी।**

गंगा और यमुना को विधिक अधिकार प्रदान करना

वर्ष 2017 में भारत में उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा **परिरक्षण और संरक्षण के लिए गंगा और यमुना नदियों को** जीवित व्यक्ति के समान सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ विधिक व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था।

- **सभी प्राकृतिक विशेषताओं को शामिल करना:** न्यायालय ने प्राकृतिक विशेषताओं के परिरक्षण और संरक्षण हेतु, विधिक अधिकारों को हिमालय के गंगोत्री एवं यमुनोत्री सहित हिमनदों, नदियों, धाराओं, छोटी नदियों (rivulets), झीलों, वायु, चरागाहों, घाटियों (dales), जंगल, वन आर्द्रभूमियों, घासभूमि, झरने, जलप्रपातों तक विस्तारित किया हैं।
- **विधिक अभिभावक (Loco Parentis):** नमामी गंगे के निदेशक, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव और उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता को गंगा और यमुना नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु मानवीय इकाई के रूप में **विधिक अभिभावक** घोषित किया गया हैं।
    - ये अधिकारी गंगा और यमुना नदियों की स्थिति को बनाए रखने तथा इनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बाध्य हैं।
- **पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental jurisprudence):** गंगा और यमुना को विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। नदियों और जल-निकाय को विधिक अधिकार प्रदान करने से पर्यावरण न्यायशास्त्र के एक नए क्षेत्र का आरंभ होगा।

प्रकृति के लिए विधिक अधिकार: दो दृष्टिकोण

- **प्राकृतिक अधिकार (Natural rights):** इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, प्रकृति के पास केवल 'प्राकृतिक अधिकार' हो सकते हैं, जो सूक्ष्मजीव अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशिष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए, एक मधुमक्खी के पास मधुमक्खी से संबंधित अधिकार होते हैं, एक नदी के पास नदी से संबंधित अधिकार होते हैं आदि।
- **विधिक व्यक्तित्व (Legal personhood):** विधिक अधिकार मानव अधिकारों के समान नहीं होते हैं और इसलिए यह आवश्यक नही है कि एक "विधिक व्यक्ति" एक मनुष्य ही होगा।
    - प्रकृति को विधिक अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि कानून द्वारा "प्रकृति" को एक विधिक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा,

इसको प्राप्त अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता हैं।
- विधिक व्यक्तित्व के पास अनुबंध करने और उसे लागू करने तथा संपत्ति रखने की क्षमता का अधिकार भी होता है।

नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता क्यों है?

- **नदियों का संरक्षण:** नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करने से प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे जल निकायों का पुनरुद्धार किया जा सकता है।
- **प्रकृति को मान्यता:** प्रकृति को विधिक अधिकार प्रदान करने से प्रकृति को भी विधिक रूप से मनुष्य के समान हो जाती है, जो पर्यावरण के साथ हमारी संबद्धता और अंत:क्रिया करने के संदर्भ में एक प्रगाढ़ सांस्कृतिक और विधिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
- **मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन:** इससे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण नदी के साथ मनुष्यों के व्यवहार करने के तरीकों में भी परिवर्तन होगा।
- **पर्यावरण कानून का विस्तार:** न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करना पर्यावरणीय कानूनों के तीव्र विस्तार की दीर्घकालिक विरासत में से एक है। प्रारंभिक दृष्टिकोणों में प्रायः पर्यावरणीय निम्नीकरण के बावजूद मानवीय हितों को बढ़ावा देने से "प्रकृति" के विशिष्ट हितों की उपेक्षा हुई है।

नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करने के विपक्ष में तर्क

- **नदियों को परिभाषित करने में अस्पष्टता:** भारत में अधिक संख्या में नदियों के होने के बावजूद इनकी कोई उचित परिभाषा नहीं है, अतः नदियों को विधिक अधिकार प्रदान करने हेतु इन्हें सूचीबद्ध करना कठिन हो जाता है।
- **इस अवधारणा का कोई साक्ष्य नहीं:** इस नवीन कानूनी विकास के व्यवाहरिक रूप में क्या निहितार्थ होंगे, इस संबंध में एक अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है।
- **प्रवर्तन से संबंधित चुनौतियाँ:** न्यायालय विशिष्ट व्यक्तियों को नदियों के लिए मानवीय इकाई घोषित करने का निर्देश दे सकता है, किन्तु इस नई भूमिका का समर्थन करने हेतु इसके पास वित्तपोषण प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है, जिससे वास्तविक प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- **अनावश्यक मुकदमेबाजी और न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि**: इसमें नदियों से संबद्ध अधिकारों को विधिक अधिकारों से परे व्यापक बनाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा इस आधार पर गंगा और यमुना नदियों की 'हत्या' की सूचना पुलिस को दी जा सकती है ये नदियाँ इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि इनका जीवित रहना असंभव हो गया है।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे:** गंगा और यमुना नदियां उत्तराखंड राज्य की सीमाओं से परे भी अपवाहित होती हैं, अत: राज्य सरकार के लिए संपूर्ण नदी प्रति उत्तरदायी होना कठिन हो जाता है।
- **अन्य अधिकारों के साथ टकराव**: नदियों के लिए विधिक अधिकारों के सृजन संबंधी चुनौतियों में से एक यह है कि नदी के लिए सृजित नए अधिकारों की जल एवं स्थल के अधिकारों सहित मनुष्यों के विधिक अधिकारों के साथ किस प्रकार परस्पर अंत:क्रिया होगी।

आगे की राह

विधिक अधिकारों का महत्व केवल तभी हैं जब उन्हें लागू किया जा सकता है। एक नदी के लिए विधिक अधिकारों को लागू करने हेतु, कई व्यावहारिक कारकों को निम्नलिखित रूप में उत्तरदायी होना चाहिए।

- प्रथम, **किसी व्यक्ति अथवा संगठन को नदी की ओर से कार्य करने,** उसके अधिकारों का समर्थन करने तथा प्रकृति से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया जाना चाहिए।
- द्वितीय, **समय, धन और विशेषज्ञता के रूप में** क्षमता उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है ताकि नदी के अधिकारों को न्यायालय द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सके।
- तृतीय, नदी के प्रतिनिधियों और वित्तपोषण के स्रोतों को **राज्य और राष्ट्रीय सरकारों** से कुछ रूप में **स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही** आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पर्याप्त शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब यदि ऐसी कार्रवाई राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो।

5.10. गोगाबिल झील

(Gogabeel Lake)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गोगाबिल झील को बिहार का पहला 'सामुदायिक रिजर्व (Community Reserve)' घोषित किया गया है।

गोखुर झील (Ox-bow lake)

- यह एक अर्धचन्द्राकार (crescent) आकार की झील होती है। इसका निर्माण एक विस्तृत U आकार के विसर्प के एक नदी की मुख्य

धारा से पृथक होने से होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक पृथक जलीय निकाय का निर्माण होता है।

गोगाबिल झील के बारे में

- यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक **गोखुर झील** है।
- इसके उत्तर में महानंदा और कनखर नदियां तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी प्रवाहित होती है।
- यहां पाई जाने वाली संकटापन्न (threatened) प्रजातियों में 'लेसर एडजुटेंट' **वल्नरेबल** श्रेणी और तीन प्रजातियां, यथा- ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, व्हाइट इबिस और व्हाइट-आईड पोचर्ड **नियर थ्रेटेंट** श्रेणी में शामिल है।
- इस स्थल पर ब्लैक इबिस, एश्ली स्वॉल शिरके, जंगल बब्लर, बैंक मैना, रेड मुनिया, उत्तरी लापविंग और स्पॉटबिल डक जैसी अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं।
- वर्ष 2004 में, गोगाबील झील के निकट स्थित बाघार बील और बलदिया चौर सहित गोगाबील झील को भारत का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area of India: IBA) का दर्जा प्रदान किया गया।

सामुदायिक रिजर्व (Community Reserve) क्या है?

- यह **संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) की एक श्रेणी** होती है जिसे वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 में प्रस्तुत किया गया था।
- यह एक **अधिवासित क्षेत्र** होता है जो सामान्तया स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और रिजर्व एवं संरक्षित क्षेत्रों के मध्य **बफर जोन** अथवा कनेक्टर्स (जोड़ने वाले क्षेत्र) और **माइग्रेशन कॉरिडोर** के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र का कुछ भू-भाग निजी स्वामित्व के अधीन है।
- **ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाता है** जो निर्जन होते हैं और जिनका स्वामित्व पूर्णत: भारत सरकार के पास होता है, लेकिन इस क्षेत्र का उपयोग समुदायों द्वारा जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है।
- भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण, मौजूदा और प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रो के संरक्षण के अभाव के कारण इस श्रेणी को जोड़ा गया।
- केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के पश्चात् **राज्य सरकार**, किसी भी क्षेत्र को समुदाय अथवा संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती है।
- वर्तमान में भारत में **127 सामुदायिक रिजर्व (सर्वाधिक मेघालय में) हैं।**

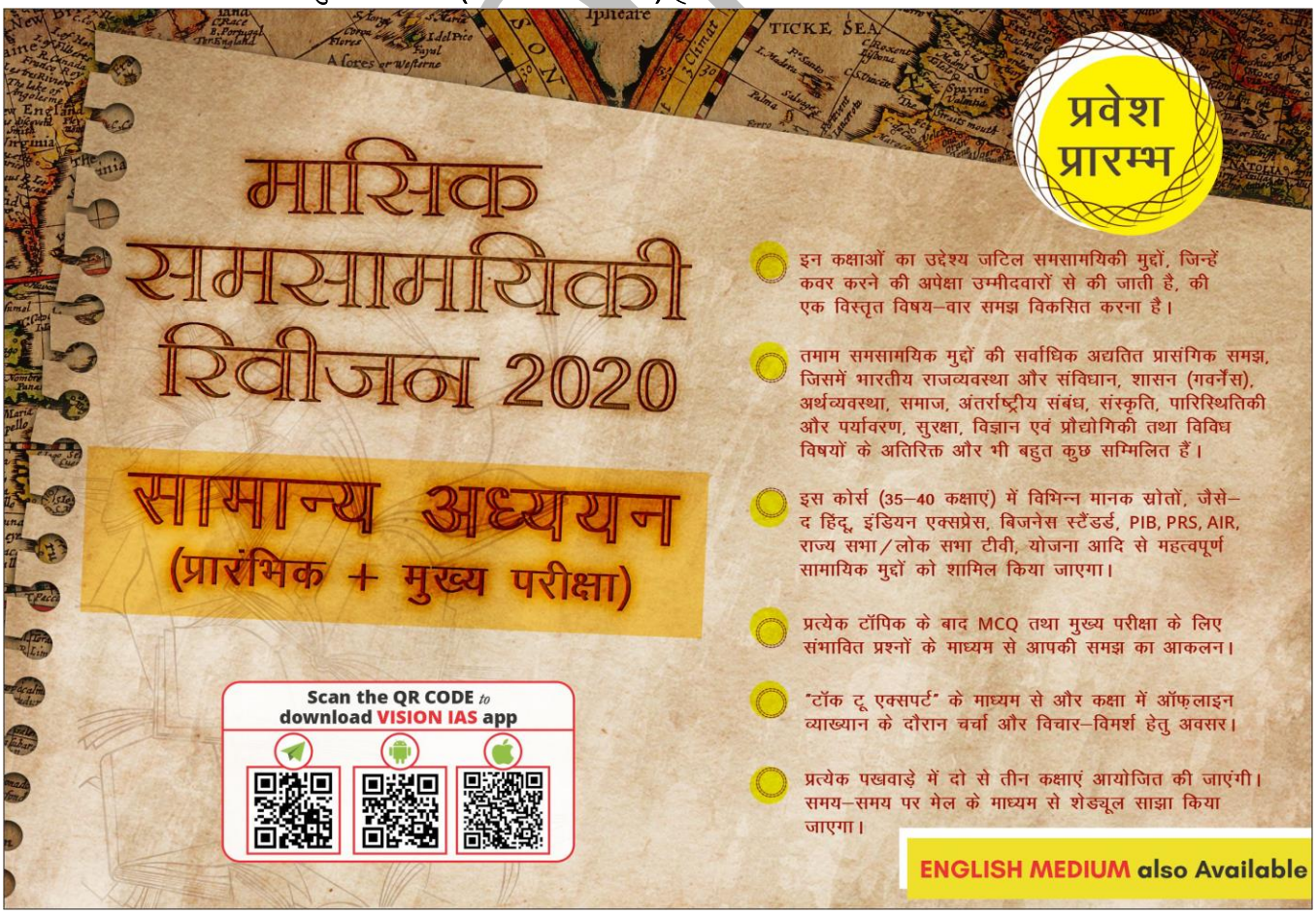

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019

(National Medical Commission Act 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।

पृष्ठभूमि

- **प्रो. रंजीत रॉय चौधरी समिति (2015)** द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India:MCI) के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की गई थी और **एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** के गठन का सुझाव दिया था।
- इसके पूर्व विभिन्न अन्य समितियों जैसे **लोढ़ा पैनल (2016)** और **अरविंद पनगढ़िया** ने भी MCI को समाप्त करने का सुझाव दिया था।
- सरकार ने पहले भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के माध्यम से MCI को निरसन (superseded) करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही MCI की शक्तियों को भी निर्वाचित परिषद निकाय से स्थानांतरित करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया गया।
- हाल ही में, सरकार ने अध्यादेश के अंतरिम प्रावधानों को जारी रखने हेतु **भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019** को भी पारित किया है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 के माध्यम से MCI को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा।
- हालांकि, अधिनियम में कुछ विस्तृत प्रावधान हैं, जिसके कारण चिकित्सकों द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)

- यह एक **सांविधिक** निकाय है, इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है।
- यह निम्नलिखित को विनियमित करती है :
  - चिकित्सा शिक्षा के मानक।
  - महाविद्यालयों या पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने अथवा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना।
  - चिकित्सकों के पेशेवर आचरण मानकों जैसे चिकित्सकों का पंजीकरण आदि का निर्धारण।

भारत में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मुद्दे

- **सीटों की कमी:** अभी भी छात्रों और उपलब्ध मेडिकल सीटों की संख्या के मध्य एक विषम अनुपात विद्यमान है।
- **मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र और असमान वृद्धि:** विगत 25 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अधिकांश वृद्धि नए निजी मेडिकल कॉलेजों की हुई हैं, जिससे उच्च शिक्षा शुल्क के साथ चिकित्सा शिक्षा की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- **प्रत्यायन मानक:** MCI द्वारा प्रत्यायन कराना अनिवार्य है, लेकिन मांगी गयी सूचना चिकित्सा शिक्षा और परिणामों की गुणवत्ता के उपायों पर बल देने के बजाय अवसंरचना और मानव संसाधनों (संख्या बल) के प्रलेखन पर बल देती है।
- **चिकित्सा शिक्षकों की कमी:** चिकित्सा शिक्षकों की 30-40% कमी है। विगत 3 वर्षों में, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 38 हो गई है, पहले से ही चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु 4000 से अधिक चिकित्सा शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता है।
- कट ऑफ (Cut off) की उच्च दर, चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता और निवेश पर निम्न प्रतिफल (Return on Investment: ROI) आदि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जो देश में चिकित्सा शिक्षा को निरंतर विकृत कर रही हैं।

इस अधिनियम को पारित किए जाने के कारण

- **निम्न चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात:** WHO के चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात के मानक 1:1000 की तुलना में भारत में यह अनुपात 1: 1456 है।
- **चिकित्सकों का निम्न वितरण:** इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के वितरण में अत्यधिक विषमता पायी जाती है, शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सकों के घनत्व का अनुपात 3.8:1 है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय स्थिति:** इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश ग्रामीण और गरीब आबादी बेहतर गुणवत्तापूर्ण देखभाल से वंचित हो जाती है, जिससे वे नीमहकीमों के चंगुल में फंस जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास उपयुक्त चिकित्सा योग्यता ही नहीं है।

VISION IAS

- **MCI से संबंधित मुद्दे**
  - यह परिषद पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही है।
  - मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का निम्नस्तरीय विनियमन।
  - जवाबदेही की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप एवं प्रदत्त उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन में विफलता।
- यह अधिनियम भारत में **चिकित्सा शिक्षा के समक्ष उत्पन्न मुद्दों** का समाधान करने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करता है।
- ऐसी **चिकित्सा शिक्षा प्रणाली** का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करती है:
  - भारतीय चिकित्सा प्रणाली के उच्च स्तरीय चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हों।
  - चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाया जाए।
  - चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के कार्य

- चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना।
- स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मानव संसाधन व अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
- अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
- निजी चिकित्सा संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों की फीस के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना, जो अधिनियम के तहत विनियमित हैं।

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का गठन:** यह अधिनियम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के गठन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के पारित होने के तीन वर्षों के भीतर, राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य स्तर पर राज्य चिकित्सा परिषदों की स्थापना की जाएगी।
  - **NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे**, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित एक चयन समिति द्वारा केंद्र सरकार को आयोग के अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के पद के लिए नामों का सुझाव दिया जाएगा।
  - NMC के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - अध्यक्ष (अनिवार्य रूप से मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए)
    - स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष
    - जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
    - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक,
    - पांच सदस्य (अंशकालिक) दो वर्ष की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीकृत चिकित्सकों में से चुने जायेंगे।
- **चिकित्सा परामर्श परिषद्:** अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार एक चिकित्सा परामर्श परिषद का गठन करेगी।
  - यह परिषद् राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NMC के समक्ष अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने हेतु प्राथमिक मंच प्रदान करेगी।
  - यह परिषद्, NMC को **चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखने के संबंध में सुझाव देगी**।
- **स्वायत्त बोर्ड:** इस अधिनियम के द्वारा NMC की निगरानी में स्वायत्त बोर्ड की स्थापना की गयी है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बोर्ड निम्नलिखित हैं :
  - **अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) एवं पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB)-** ये मानकों, पाठ्यक्रमों तथा दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही, ये क्रमश: स्नातक एवं परास्नातक स्तरों पर प्राप्त चिकित्सा शिक्षा को मान्यता प्रदान करेंगे।
  - चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण और रेटिंग के लिए **मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB)** और
  - पेशेवरों के आचरण और चिकित्सा नैतिकता को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (Ethics and Medical Registration Board: EMRB)** तथा (i) लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों और (ii) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHPs) के राष्ट्रीय रजिस्टरों को भी बनाए रखेगा।
- **सीमित लाइसेंसिंग:** अधिनियम के तहत, NMC चिकित्सा क्षेत्र के लिए आधुनिक चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को एक सीमित लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु निर्दिष्ट दवाएं अनुशंसित (प्रेस्क्राईब) कर सकते हैं।

VISION IAS

- **प्रवेश परीक्षा:** अधिनियम के अंतर्गत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में, स्नातक और स्नातकोत्तर सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। NMC ऐसे सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।
- **नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT):** अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि MBBS के पश्चात् प्रक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट, स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा।
- **फीस का विनियमन:** इस अधिनियम के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के "फीस और अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए" NMC को दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।
    - वर्तमान में, ऐसी संस्थानों में 85% सीटों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष का निर्धारण प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।

अधिनियम के लाभ

- **बेहतर चिकित्सा शिक्षा प्रणाली:** अधिनियम का उद्देश्य ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करती हो तथा देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके।
- **चिकित्सकों की कमी को दूर करना:** थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, चीन जैसे देशों और यहां तक कि न्यूयॉर्क ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/नर्सों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की है। चूंकि देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों का अभाव है, इसलिए मध्यम-स्तरीय सेवा प्रदाता को कार्यों को स्थानांतरित करने से विशेषज्ञों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव से राहत मिलेगी।
    - छत्तीसगढ़ और असम ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरह का प्रयोग किया है। जहाँ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है तथा यह भी स्पष्ट हुआ है कि यदि कर्मियों की गुणवत्ता को दृढ़ता से विनियमित किया जाता है तो इस प्रकार समस्या के उत्पन्न होने की संभावना न्यूनतम होगी।
- **फीस का विनियमन:** भारतीय चिकित्सा परिषद (IMC) अधिनियम, 1956 में फीस के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कुछ राज्य निजी कॉलेजों में कुछ सीटों की फीस का विनियमन कॉलेज प्रबंधन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से करते हैं।
    - देश की कुल MBBS सीटों में से लगभग 50% सरकारी कॉलेजों में हैं, जिसके लिए नाममात्र की फीस वसूली जाती है। शेष सीटों में से 50% को NMC द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अब देश में कुल सीटों का लगभग 75% सीटें उचित फीस पर उपलब्ध होगी।
    - संघवाद की भावना के अनुरूप, राज्य सरकारों के पास अभी भी पस्पर समझौते के आधार पर कॉलेजों के साथ व्यक्तिगत MoUs के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेजों में शेष सीटों की फीस का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी।
- **पारदर्शिता:** यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा NMC के माध्यम से नियंत्रण करने में सहायता करेगा।

इसका विरोध क्यों किया गया?

- **शक्ति का केंद्रीकरण:** यह अधिनियम NMC के गठन का प्रावधान करता है, जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान तथा चिकित्सकों के लिए एक अतिव्यापी निकाय होगा। यह संघवाद और चिकित्सा शिक्षा की स्वायत्तता का पूर्ण अवहेलना करता है।
- **नौकरशाही का हस्तक्षेप:** सभी महत्वपूर्ण निकायों में नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, क्योंकि नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाएँगी।
- **अपारदर्शी चयन प्रक्रिया:** इन बहु निकायों के सभी प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है।
- **राज्यों का कम नियंत्रण:** राज्यों की भूमिका को शासन प्रबंधन से हटाकर केवल परामर्श तक सीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, NMC द्वारा फीस नियमन के कारण राज्यों के पास निजी मेडिकल कॉलेजों हेतु प्रतिबंध आरोपित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- **अत्यधिक सदस्यों वाला निकाय:** आयोग की विस्तृत संरचना, मामलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। परामर्श परिषद में आयोग के 24 सदस्यों सहित 100 से अधिक सदस्य शामिल होंगे। ऐसे में आम सहमति निर्मित करना कठिन होगा।
- **NEXT परीक्षा के संबंध में अस्पष्टता:** इस परीक्षा को उत्तीर्ण नही करने वालों को मेडिकल प्रक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिनकी संख्या अत्यधिक है। विगत वर्ष, 1.15 लाख छात्रों ने PG प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, किन्तु उनमें से केवल 80,000 ही सफल हुए थे। अन्य अभी भी MBBS चिकित्सको के रूप में कार्यरत हैं। यह अधिनियम उन्हें पूरी तरह से रोक देगा। इससे हमारे देश में पहले से ही विद्यमान चिकित्सकों की अत्यधिक कमी में और अधिक वृद्धि होगी।

VISION IAS

- **निरीक्षण / भ्रष्टाचार में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप:** अधिनियम के अनुसार, न केवल बोर्ड के सदस्य निरीक्षण कर सकते हैं, बल्कि निरीक्षण कार्य हेतु किसी अन्य तृतीय पक्ष एजेंसी या व्यक्तियों को भी नियुक्त एवं अधिकृत किया जा सकता है। अब तक, मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण केवल MCI द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ही किया जाता था, किन्तु अब यह उत्तरदायित्व '**मेडिकल एसेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड**' को सौंपा गया है। यह उसी प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ावा देगा, जिसके लिए MCI पर आरोप लगाये गए थे।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHP) के संबंध में अस्पष्ट प्रावधान:** सरकार यह परिभाषित करने में विफल रही है कि CHP कौन होंगे। IMA ने इस कदम का कड़ा विरोध किया क्योंकि यह नीमहकीमों को वैधता प्रदान करेगा।

आगे की राह

- **स्वैच्छिक और ग्रेड आधारित NEXT परीक्षा:** यदि, एक एक्जिट परीक्षा का ही प्रावधान करना था, तो इसे स्वैच्छिक और ग्रेड-आधारित बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, यदि कोई MBBS पेशेवर ग्रेड-मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसमें भाग ले सकता है, जैसा कि कुछ देशों में प्रावधान है।
- **लेखा परीक्षकों की प्रशिक्षित टीम:** भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चिकित्सकों के नामित निकायों के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **अधिक हितधारकों की भागीदारी:** निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को महत्व दिया जाना चाहिए और साथ ही राज्य की भूमिका में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए अन्य सुझाव:**
  - चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए, हमारा लक्ष्य प्रत्येक पहलू का पुनर्मूल्यांकन करना होना चाहिए;
  - एक दक्ष प्रत्यायन प्रणाली का सृजन करना;
  - संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना,
  - कठोर क्रियान्वयन और बेहतर मूल्यांकन के तरीकों के साथ पाठ्यक्रम को पुनः डिज़ाइन करना।

6.2. जनसंख्या नीति

(Population Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, देश में एक **नई जनसंख्या नीति** के अंगीकरण की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में, विश्व जनसंख्या दिवस **(11 जुलाई)** पर,**"जनसंख्या विस्फोट"** से सम्बंधित कुछ चिंताओं को व्यक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित उपायों को लागू करने की मांग भी लोकप्रिय हुई है जैसे:
  - जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करना।
  - दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के मतदान संबंधी अधिकार को रद्द करना।
- हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इन अवलोकनों का खंडन किया गया है। इसके अनुसार, **आगामी दो दशकों में भारत की "जनसंख्या वृद्धि में तीव्र गिरावट"** होगी।
- तथ्य यह है कि 2030 के दशक तक, **"जनसांख्यिकीय संक्रमण"** को प्रदर्शित करते हुए कुछ राज्यों में **ऐजिंग सोसाइटी** की संक्रमण होने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी, जो यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्र धीरे-धीरे एक **स्थिर आबादी** की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि समय के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांकों में सुधारों के साथ प्रजनन दर में गिरावट आएगी।
  - चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण **(NFHS-4)** से यह स्पष्ट हुआ है कि देश के 24 राज्यों ने पहले ही ही प्रजनन दर द्वारा प्रतिस्थापन स्तर (2.1) के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
  - भारत की घटती प्रजनन दर के लिए मुख्य रूप से कुछ प्रमुख निर्धारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा पर बल देना और श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी में वृद्धि होना।
- इस पृष्ठभूमि में, यह कहा जा सकता है कि केवल जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए जनसंख्या नीति के अन्य घटकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की जनसंख्या नीति

- विगत कुछ वर्षों में, भारत ने अपनी प्रजनन दर में निरंतर गिरावट और जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति को प्राप्त कर लिया है।
- भारत को ऐसे **राष्ट्रीय कार्यक्रम** प्रारम्भ करने के लिए विश्व का **प्रथम राष्ट्र** होने का गौरव प्राप्त है, जो **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने** हेतु जन्म दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन पर बल देता है।

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 (NPP 2000)** प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाते हुए और परिवार नियोजन सेवाओं को संचालित करने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण (target free approach) को जारी रखने के लिए स्वैच्छिक और सूचना विकल्प तथा नागरिकों की सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
- इस नीति के अंतर्गत विभिन्न **अल्प विकसित राज्यों** जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के मापदंडों में सुधार देखा गया है।
  - उनके जनसांख्यिकीय संकेतकों पर निरंतर **निगरानी** रखी जा रही है।
  - पहली बार इन राज्यों की **दशकीय वृद्धि दर में गिरावट** आई है।
  - **विवाह की आयु में वृद्धि** होने से हजारों माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु होने एवं मृत जन्म लेने वाले शिशुओं को नियंत्रित किया जा सका है।
  - विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के कारण कुछ राज्यों में **अस्पताल आधारित प्रसव** बढ़कर दोगुना हो गया है, साथ ही मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में इसमें लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

भारत के लिए नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता

- **गलत धारणा का सृजन-** जनसंख्या वृद्धि को देश के क्षयकारी (carious) मुद्दों के साथ संबद्ध करने एवं अत्यधिक लोगों द्वारा अल्प संसाधनों की प्राप्ति हेतु प्रयास करना।
- **विवादों को बढ़ावा-** चूँकि यह धारणा निर्धन, कमजोर, दलितों एवं अल्पसंख्यकों और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मध्य विभिन्न वर्गीय एवं धार्मिक विवादों को तीव्र कर सकती है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के निम्नलिखित **विभिन्न मापदंडों को प्राप्त नहीं किया जा सका है**-
  - प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म पर **शिशु मृत्यु-दर (IMR)** को 30 से कम करना, प्रति एक लाख जीवित शिशुओं के जन्म पर **मातृत्व मृत्यु-दर (MMR)** को 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु 2015 में, 15 वर्षों के पश्चात् भी भारत द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है।
- **महिला और बाल लिंगानुपात में विषमता-** यह शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक बढ़ रही है।
  - भूमि एवं सम्पति पर महिलाओं के स्वामित्व अधिकार की अनुपस्थिति जैसी विभेदकारी सामाजिक बाधाएं पुत्र की वरीयता को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।
- **प्रवासन-** अवसंरचना, आवास एवं जल की उपलब्धता पर तनाव उत्पन्न करने के साथ **भूमि पुत्र** की अवधारणा (आंतरिक बनाम बाह्य लोगों के मध्य संघर्ष) को बढ़ावा दे सकता है।
- **आयु में वृद्धि (Ageing) -** वृद्ध जनों की बढ़ती जनसंख्या और चिरकालिक रोगों के साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में वृद्धि करने संबंधी प्राथमिक कार्यों के लिए नियोजित संसाधनों के विक्षेपित होने की संभावना होती है।
  - आगामी 10 वर्षों में, देश की कुल जनसंख्या में 12% भाग वृद्धजनों का होगा।
  - वृद्धाश्रम (old-age homes) और सुरक्षात्मक कानूनों का लाभ उठाने में वृद्धों के द्वारा अनेक समस्याओं का सामना किया जाता है।
  - संयुक्त परिवार प्रणाली के विखंडित होने से आश्रितता अनुपात में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।
  - वर्तमान में देखभाल कर्ताओं से संबंधित व्यवस्था गैर-विनियमित, खर्चीली और अविश्वसनीय है।

देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

चल रहे कार्यक्रम

- जिला एवं राज्य स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन समितियों की स्थापना द्वारा **परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना।**
- परिधीय सुविधाओं तक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति प्रबंधन में सुधार।
- विभिन्न सुविधाओं में पोस्टरों, सूचना-पट्टों एवं अन्य ऑडियो तथा वीडियो सामग्री के प्रदर्शन के रूप में **मांग उत्पन्न करने वाली गतिविधियां।**
- **राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना (NFPIS)** जिसके तहत बन्ध्याकरण के पश्चात् होने वाली मृत्युओं, जटिलताओं और विफलताओं की संभावित घटनाओं हेतु बीमा किया जाता है और प्रदायक/ प्रत्यायित संस्थान उन संभावित घटनाओं में अभियोग के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं।
- **बन्ध्याकरण स्वीकारने वालों के लिए मुआवजा योजना-** इस योजना के तहत MoHFW लाभार्थी को होने वाली पारिश्रमिक हानि और बन्ध्याकरण करने हेतु सेवा प्रदायक (और टीम) को मुआवजा प्रदान करता है।

VISION IAS

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नए हस्तक्षेप

- लाभार्थियों को घर पर ही गर्भ निरोधकों की आपूर्ति हेतु आशा (ASHAs) कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु नई योजना प्रारंभ की गई है।
- बच्चों के जन्म में अंतर को सुनिश्चित करने हेतु आशाओं के लिए योजना।
- नए उपकरण और विधियों का विकास किया गया है जो अधिक प्रभावी होने के साथ बच्चों के जन्मों में अंतर को बढ़ावा देगी।
- **जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष)** द्वारा जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया गया है।
  - **प्रेरणा रणनीति-** किशोर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के हित में बच्चों के जन्म के दृष्टिकोण से लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना और प्रथम बच्चे के जन्म में विलंब करना तथा दूसरे बच्चे के जन्म के समय अंतराल को बढ़ाना।
  - **संतुष्टि रणनीति-** इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के द्वारा बन्ध्याकरण ऑपरेशन करने हेतु निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं पुरुष नसबंदी करने वाले सर्जन को आमंत्रित किया जाता है।

आगे की राह

- **नई जनसंख्या नीति** ऐसी होनी चाहिए, जो अंतर-क्षेत्रीय प्रतिमानों पर आधारित होकर उपर्युक्त मुद्दों का समाधान कर सके।
- युवा जनसंख्या (35 वर्ष से कम आयु) पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले वर्षों में राष्ट्र के लिए वृहत सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणामों में सहभागी बन सकते हैं।
  - इसमें शिक्षा एवं आजीविका के अवसरों तक युवा जनसंख्या की व्यापक पहुँच और इनकी प्रजनन आवश्यकताओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना सम्मिलित है।
- **स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना** तथा **जनसंख्या नियंत्रण**, ये दो प्रमुख दृष्टिकोण बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो कार्य कर सकते हैं, किन्तु अन्य राज्यों (जो प्रजनन की प्रतिस्थापन क्षमता को प्राप्त कर चुके है या उसके निकट हैं) हेतु **स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने** और **मुख्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं** जैसे गैर-संचारी रोग, दवाओं की उपलब्धता और मानव संसाधन का परिनियोजन आदि हेतु संसाधनों को अधिक स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- इसके साथ ही छोटे राज्यों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, **नमूना पंजीकरण प्रणाली,** जिसके द्वारा गांवों और शहरी ब्लॉकों में मृत्यु और जन्म संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसे **छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (UT)** के लिए भी **मातृत्व मृत्य दर (MMR)** संबंधी आकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि यह वर्तमान में केवल बड़े राज्यों में आकड़ों को एकत्रित करता है।
- सभी राजनीतिक दलों को सम्मिलित करते हुए बहु-हितधारकों की सर्वसम्मति के आधार पर एक **साझा न्यूनतम कार्यक्रम** पर सहमति व्यक्त करना एक अग्रगामी कदम सिद्ध हो सकता है। यह केंद्र और राज्य के मध्य असामंजस्य (misalignment) और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से **विलंब एवं बाधाओं** का प्रभावी रूप से समाधान कर सकता है।

6.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

(Mental Healthcare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र** में विभिन्न आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल पर चर्चा हुई है।

पृष्ठभूमि

- हालिया **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण** के अनुसार, भारत में लगभग **150 मिलियन लोगों** के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करने की आवश्यकता है।
  - इसमें आगे यह कहा गया है कि इनमें से 70 से 92 प्रतिशत लोग **उपचार प्राप्त करने में विफल रहे हैं।**
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में विश्व स्तर पर **किशोर आत्महत्या की दर सर्वाधिक** है।
- मानसिक स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य-3 का भाग है, जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण पर बल देना है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मुद्दे

- **समस्याओं के बारे में जागरूकता का अभाव:** भारत में 80% से अधिक लोग किसी भी प्रकार की पेशेवर सहायता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।
- **अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव:**
  - **पूंजी:** मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय की जाने वाली राशि स्वास्थ्य बजट का मात्र 0.06% है।
  - **मानव:** भारत में 13,500 मनोचिकित्सकों की आवश्यकता है, जबकि केवल 3,827 ही उपलब्ध हैं। 20,250 नैदानिक मनोवैज्ञानिकों (clinical psychologists) की आवश्यकता की तुलना में केवल 898 ही उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, पैरामेडिकल स्टाफ की भी अत्यधिक कमी है।

VISION IAS

- **बदलता सामाजिक संवाद (Changing Social Discourse):** बढ़ते नगरीकरण और वैश्वीकरण के साथ ही एकल परिवारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एकल/छोटे परिवार के कारण बच्चों पर दबाव अधिक पड़ता है, जिससे उनके अवसादग्रस्त होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है।
- **सामाजिक कलंक:** जागरूकता की कमी के कारण मानसिक रूप से रुग्ण रोगियों की सहायता करने में सामाजिक कलंक भी एक अवरोध बना हुआ है।
    - जागरूकता की कमी, अज्ञानता और अनुरागहीनता के कारण अधिकांश लोग किसी भी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को पागल (lunatics) समझने लगते हैं। इससे - शर्म, कष्ट और रोग का उल्लेख नहीं करने - का एक दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है।
    - मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में प्रावधानों के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- **कार्यान्वयन का अभाव:** केवल 19 राज्यों ने ही अब तक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू किया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme: NMHP):** यह वर्ष 1982 से लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार मानसिक विकारों/रोगों का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए देश के 517 जिलों में **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (District Mental Health Programme: DMHP)** के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान कर रही है।
    - इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए कार्मिक शक्ति विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।
- भारत सरकार ने एक **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014** शुरू की है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
    - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तक सार्वभौमिक पहुँच।
    - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करना।
    - केंद्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों को भूमिकाएं प्रदान करना।
- मानसिक स्वास्थ्य से समस्याग्रस्त लोगों को भेदभाव से बचाने और उनके निर्णयों के संबंध में उनकी स्वायत्तता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** को अधिनियमित किया है।
- **कर्नाटक सरकार** ने आरोग्यवाणी नामक एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की है, जो किसी भी प्रकार की शिकायतों हेतु परामर्श एवं समाधान के रूप में कार्य करती है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017)

- **मानसिक रोग वाले व्यक्तियों के अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति के पास वहनीय कीमत पर तथा बेघरों और BPL को निःशुल्क दरों पर सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **अग्रिम निर्देश:** मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को अपने उपचार के संबंध में तथा अपने नामित प्रतिनिधि के बारे में अग्रिम निर्देश देने हेतु समर्थ बनाया गया है।
- **केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण:** इन निकायों से यह अपेक्षा की गयी है कि ये मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, पेशेवरों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को विनियमित करेंगे।
- **आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा:** आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा और IPC के तहत दोषी नहीं माना जाएगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग:** यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय होगा। यह समय-समय पर मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण पर सरकार को अग्रिम निर्देश और सलाह देगा तथा प्रक्रिया की समीक्षा करेगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड,** मानसिक रुग्णता वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करेगा।
- मांसपेशियां शिथिल करने वाली औषधियों और एनेस्थीसिया का उपयोग किए बिना मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति की इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी नहीं की जाएगी।

आगे की राह

- मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से ग्रस्त लोगों की कुशलता से सेवा करने हेतु आशा कार्यकर्ता मॉडल से प्रेरित **समुदाय आधारित समाधान** को अपनाया जा सकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में निरंतर बढ़ते अंतराल को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- कलंक को समाप्त करने के लिए, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से **पीड़ित लोगों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।** इस प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को एक-दूसरे के साथ नेटवर्क बनाकर संपर्क स्थापित करने हेतु भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे कि कोई भी अकेला या अलग-थलग (alienated) महसूस नहीं करे।
- उठाए जा सकने वाले अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - स्कूल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन करना।
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल रोगियों के साथ सम्पर्क बढ़ाना।
  - माता-पिता के मध्य जागरूकता में सुधार और उन्हें अवसाद के सन्दर्भ में भी परामर्श देना।

6.4. विद्यालय का युक्तिकरण

(Rationalisation of School)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंजाब शिक्षा विभाग ने राज्य में विद्यालयी शिक्षकों हेतु युक्तिकरण नीति (rationalisation policy) का निर्माण किया है। इसे छात्रों के सर्वोत्तम हित में उचित **छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio: PTR)** और साथ ही साथ शिक्षण संकाय (teaching faculty) की उपलब्ध संख्या का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आरम्भ किया गया है।

पृष्ठभूमि

- जब सर्व शिक्षा अभियान (SSA) आरम्भ किया गया था, तब **देश में एक व्यापक अवसंरचनात्मक अंतराल व्याप्त था,** जिसने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।
  - परिणामस्वरूप, **SSA द्वारा वर्ष 2016-17 तक 2.06 लाख प्राथमिक और 1.61 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई थी।**
- **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) का अधिकार अधिनियम, 2009** की **धारा 6** ने भी निर्धारित क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र अथवा सीमाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित की है।
- **वर्तमान में राज्य तीव्रता से यह अनुभव कर रहे हैं कि अधिशेष विद्यालयों की स्थापना** (आसपास के क्षेत्र की आवश्यकता के अतिरिक्त) के कारण संसाधनों का प्रावधानीकरण, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ, निगरानी और निरीक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

विद्यालयों के युक्तिकरण के बारे में

- **विद्यालयों के युक्तिकरण की नीति** एक नवीन निवास-स्थान (habitation) में विद्यालय की स्थापना करने, अन्य निवास-स्थानों में यथास्थिति बनाए रखने, दूसरे निवास-स्थानों में एक से अधिक लघु विद्यालयों को एक बड़े विद्यालय में विलय करने अथवा **विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों** के अनुरूप एक निवास-स्थान से दूसरे निवास-स्थान में विद्यालय के स्थानांतरण की आवश्यकता को देखते हुए भिन्न-भिन्न हो सकती है।
- **लघु विद्यालयों के युक्तिकरण के उद्देश्य**
  - सभी बच्चों को उनके निवास-स्थान के निकट स्थापित पूर्णतया कार्यात्मक विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  - शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विद्यालयों में बच्चों का स्थायित्व सुनिश्चित करना।
  - सभी विद्यालयों द्वारा RTE अधिनियम, 2009 के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
  - बच्चों के सर्वोत्तम हित में संसाधनों का समेकन करना।

भारत में विद्यालयों का युक्तिकरण

- आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों पर **विद्यालय युक्तिकरण (विद्यालयों का समेकन, उन्हें मुख्य धारा में लाना, विद्यालयों का समामेलन और एकीकरण)** के प्रयास किए हैं।
- वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने **बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में लघु विद्यालयों के युक्तिकरण के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए थे।
- **मई 2019 में जारी की गई प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** ने लघु विद्यालयों के पृथक्करण के मुद्दे की पहचान की है तथा **'विद्यालय परिसरों'** के सृजन के माध्यम से एक संभावित समाधान प्रस्तावित किया है।
- **2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण** में भी यह उल्लेख किया गया है कि भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2021 से 2041 के मध्य 18.4% तक की गिरावट होगी तथा निम्न नामांकन (50 छात्रों से कम) के साथ प्रति बालक विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
  - इसलिए, नवीन विद्यालयों को स्थापित करने के स्थान पर वर्तमान विद्यालयों की व्यवहार्यता बनाए रखने हेतु प्राथमिक विद्यालयों (एक-दूसरे से 1-3 किमी. के दायरे अंतर्गत अवस्थित) के समेकन/विलय की अनुशंसा की गई थी।

VISION IAS

युक्तिकरण नीति में निहित औचित्य (Rationale behind rationalisation policy)

- **निम्न नामांकन:** अधिकांशत: निम्न नामांकन दरों से युक्त अत्यधिक विद्यालयों का अस्तित्व, इन विद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संदर्भ में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।
- **लघु विद्यालयों की अत्यधिक संख्या:** भारत में चीन से तीन गुना अधिक विद्यालय हैं, परन्तु वे गुणात्मक मानकों में विफल सिद्ध हुए हैं।
- **राज्यों के पास सीमित वित्त एवं संसाधन:** राज्य के सीमित संसधानों और विद्यालयों की अधिकता के कारण संसाधनों का प्रावधानीकरण, अधिगम प्रक्रिया और निगरानी तथा निरीक्षण क्रियाकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

युक्तिकरण नीति के लाभ

- **बड़े विद्यालय:** यह दावा किया गया है कि एक बड़ा विद्यालय दो लघु विद्यालयों से बेहतर होता है तथा बड़े विद्यालय पाठ्यक्रम और पाठ्येतर प्रस्तावों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।
- **बेहतर अवसंरचना और अनुकूल परिवेश:** यह बेहतर अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधानीकरण तथा अधिगम स्तरों में लक्षित सुधारों को सक्षम बनाएगा।
    - संयुक्त वित्तपोषण के कारण समेकित विद्यालयों में स्पोर्ट्स कार्यक्रमों एवं पाठ्येतर गतिविधियों का विकास होगा।
- **बेहतर अभिशासन:** यह सरकारी विद्यालयों में अभिशासन और दक्षता में सुधार करने हेतु एक बेहतर साधन सिद्ध हो सकता है।

विद्यालय समेकन के वैश्विक प्रतिमान (Global Models of school consolidation)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** यहाँ विद्यालयों एवं विद्यालयी जिलों का समेकन संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों का एक प्रमुख केंद्रबिंदु रहा है।
    - वर्ष 1930 से 1970 के दशक तक अमेरिका में सभी विद्यालयों के लगभग दो-तिहाई विद्यालयों का समेकन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय के आकार में औसतन पांच गुना वृद्धि हुई तथा शैक्षणिक प्रशासन (education bureaucracies) के व्यवसायीकरण में बढ़ोतरी हुई।
- **कनाडा:** विद्यालय समेकन ने छात्र-शिक्षक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्न छात्र नामांकन व उच्च महत्वकांक्षाओं जैसे मुद्दों का समाधान करने हेतु शैक्षणिक सुधारों के एक अनिवार्य घटक का निर्माण किया है।

नीति से संबंधित मुद्दे

- **नामांकन में परिवर्तन:** यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्धित दूरियों के कारण विद्यालय समेकन के विद्यालय नामांकन अथवा उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।
    - **बालक-बालिकाओं के मध्य नामांकन प्रवृत्तियों** में विभिन्नताएं भी विद्यमान हैं, क्योंकि बालिकाएं अत्यधिक दूरी के कारण विद्यालय जाने में असक्षम होती हैं।
- **लघु विद्यालयों द्वारा बेहतर सेवाएं:** लघु विद्यालयों के संबंध में प्रचलित मुद्दों के विपरीत ये विद्यालय सामान्यतया संकाय और प्रशासन के मध्य घनिष्ठ संबंध, एक लघुतर शिक्षक-छात्र अनुपात तथा व्यक्तिगत अनुदेश हेतु एक वर्धित क्षमता प्रदान करते हैं।
- **अन्य प्रमुख मुद्दे**
    - शिक्षकों और प्रशासकों के द्वारा नीति-निर्माण में अल्प भागीदारी।
    - कुंठा और अलगाव की भावना के सृजन तथा छात्रों व विद्यालय कर्मियों के मनोबल के ह्रास के कारण निम्न मानवीय संपर्क।

आगे की राह

- **उचित नियोजन:** किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचने हेतु माध्यमिक डेटा, शिक्षा से वंचित बच्चों का पता लगाने (child mapping) और सभी हितधारकों व स्थानीय शासन संस्थाओं के साथ अनिवार्य अनुशंसाओं के आधार पर समेकन हेतु विस्तृत नियोजन किया जाना चाहिए।
- **त्रि-स्तरीय सरकार के मध्य समन्वय:** केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को समेकन हेतु सुविधाप्रदाताओं के रूप में कार्य करना चाहिए और साथ ही, वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल (सभी के लिए उपयुक्त) दृष्टिकोण के अनुसरण से बचना भी चाहिए।
    - राज्य सरकार को विद्यालय डेटा विश्लेषण और प्रकटीकरण उपलब्ध करवाने, स्थानीय प्राधिकरणों की क्षमता का निर्माण करने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा प्रक्रिया में सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **अन्य मानदंडों में सुधार:** सरकार को तीव्रता से विद्यालयी अवसंरचना में सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने तथा ई-लर्निंग को अन्तर्निविष्ट करने की भी आवश्यकता है।
- विद्यालय समेकन और पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित **निर्देशात्मक सिद्धांतों** का अनुसरण किया जा सकता है:
    - **विनष्ट होने से पूर्व ही सृजन:** विद्यालयों को बंद करने से पूर्व समेकित विद्यालयों में क्रियात्मक विद्यालयी अवसंरचना का सृजन तथा शिक्षकों को नियुक्त करना।
    - **कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह जाए:** प्रत्येक बालक की पहुंच व सहभागिता हेतु साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

VISION IAS

6.5. इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस

(Institute of Eminence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 14 और उच्च शिक्षण संस्थानों को इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस (IoE) का दर्जा प्रदान किया है। इस कार्यवाही के कारण अब इस सूची में कुल 20 संस्थान शामिल हो गए हैं।

संबंधित तथ्य

- सरकार द्वारा श्री एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (Empowered Expert Committee: EEC) गठित की गई थी, जिसने 15 सार्वजनिक संस्थाओं और 15 निजी संस्थाओं को इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस (उत्कृष्ट संस्थान) का दर्जा प्रदान करने पर विचार करने हेतु अनुशंसा की है।
- हालांकि, इस योजना के तहत केवल 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को ही यह दर्जा प्रदान किया जा सका है, जबकि विश्विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पारदर्शी व सत्यापन योग्य प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 15 सार्वजनिक व 15 निजी संस्थानों की सूची का परीक्षण किया है।

इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस की पहचान करने हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया था:

- इस योजना का लक्ष्य वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने हेतु संस्थानों को तैयार करना है। इसलिए किसी भी उस मौजूदा संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के दर्जे के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा जो वैश्विक/राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।
- केवल उपर्युक्त मानदंड के अनुपालन के उपरांत यदि कोई खंड (स्लॉट) रिक्त रह जाता है तो 'भविष्य में स्थापित किए जाने वाले (ग्रीनफ़ील्ड) प्रस्तावों' पर विचार किया जाएगा।

IoE दर्जे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- अत्यधिक स्वायत्तता व प्रवेश लेने वाले छात्रों के 30% तक विदेशी छात्रों के प्रवेश की अनुमति।
- संकाय की कुल संख्या के 25% तक विदेशी संकाय को भर्ती करना।
- 20% तक ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराना।
- UGC की अनुमति के बिना वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित करना।
- बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी छात्रों पर शुल्क प्रभारित व निर्धारित करने की स्वतंत्रता।
- एक डिग्री लेने हेतु क्रेडिट ऑवर्स (credit hours) और वर्षों की संख्या के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना में लचीलापन (Flexibility)।
- IoEs को करिक्युलम और पाठ्यक्रम आदि के संदर्भ में पूर्ण लोचशीलता प्रदान की गई है।

इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस के बारे में

- **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य IoEs के रूप में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों को आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 और आगे के वर्षों में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान दिलाना है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करना तथा देश की शिक्षा के सामान्य स्तर में वृद्धि करना है।
- **वित्तीय सहायता:** IoE के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को पांच वर्षों की अवधि तक 1,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **निजी संस्थानों के मामले में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी,** परन्तु उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी के विशेष वर्ग के रूप में अधिक स्वायत्तता हेतु अधिकृत किया जाएगा।
- **ग्रीनफ़ील्ड संस्थान:** ग्रीनफ़ील्ड संस्थानों को अपने संस्थान की स्थापना और परिचालन हेतु तीन वर्ष की समयावधि प्रदान की जाएगी तथा तत्पश्चात EEC ऐसे संस्थानों को IoE दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी।

6.6. भारत में डिजिटल अंतराल

(Digital Divide in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड के कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।

VISION IAS

डिजिटल डिवाइड (अंतराल) क्या है?

- यह **नवीन सूचनाओं और संचार उपकरणों (जैसे- इंटरनेट) तक पहुँच प्राप्त लोगों तथा इन संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच के अभाव से ग्रस्त लोगों के मध्य अंतराल** को प्रदर्शित करता है।
- डिजिटल डिवाइड लोगों के मध्य उस अंतराल को भी प्रदर्शित करता है, जिनके पास तकनीकों का उपयोग करने के लिए **कौशल, ज्ञान और क्षमताएं हैं और वे जिनके पास इनका अभाव है।**
- डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों, शिक्षितों व अशिक्षितों के मध्य, महिला और पुरुष के मध्य, विभिन्न आर्थिक वर्गों के मध्य तथा वैश्विक स्तर पर औद्योगीकृत और निम्न-औद्योगीकृत राष्ट्रों के मध्य मौजूद हो सकता है।

भारत में डिजिटल डिवाइड के निर्धारक

- **निर्धनता:** जब लोगों की आय निम्न होती है, तो मोबाइल और इंटरनेट तक पहुँच होने के बावजूद भी वे प्रौद्योगिकी का वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- **निरक्षरता:** इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा को शिक्षा का प्रासंगिक स्तर माना जाता है क्योंकि इनके माध्यम से अनुकूलन और नवाचार हेतु राष्ट्रीय क्षमता का उन्नयन संभव है।
- **नॉलेज डिवाइड (ज्ञान अंतराल):** नॉलेज डिवाइड का प्रत्यक्ष संबंध डिजिटल डिवाइड से है। ग्रामीण भारत में साक्षरता के उच्च स्तर और कम अंग्रेजी बोलने एवं कंप्यूटर का अल्प ज्ञान रखने वाली जनसंख्या को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उच्च और त्वरित अंगीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने की तुरंत आवश्यकता है।
- **विद्युतीकरण:** विद्युतीकरण और डिजिटल डिवाइड के स्तर के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण भारत में शहरी भारत की तुलना में विद्युत् की पहुँच निम्न है। इसके अतिरिक्त, विद्युत् की लागत भी अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में, कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर और इंटरनेट का अबाधित उपयोग नहीं कर सकता।
- **डिजिटल अवसंरचना:** विभिन्न राज्यों, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों आदि में डिजिटल अवसंरचना का वितरण अत्यधिक असमान है जो डिजिटल डिवाइड को और अधिक व्यापक बनाता है।

भारत में डिजिटल डिवाइड

- वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग किया गया, जबकि **भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में केवल 29% महिलाएं** हैं।
- हालांकि, भारत में 220 मिलियन **स्मार्टफोन उपयोगकर्ता** हैं तथा यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार विद्यमान है, लेकिन अभी भी स्मार्टफोन तक लगभग **30 प्रतिशत जनसंख्या की ही पहुँच** है।
- भारत में एक **व्यापक ग्रामीण-शहरी और अंतर्राज्यीय डिजिटल डिवाइड** की स्थिति विद्यमान है।
- इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व असम जैसे कई राज्य, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICTs) के उपयोग एवं विकास में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े हुए हैं।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी **सामाजिक और आर्थिक समावेश, दक्षता एवं नवाचार को बढ़ावा** देती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम

- **भारत नेट,** 2,50,000 ग्राम पंचायतों को उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़कर ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने हेतु एक पहल है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA):** इसका उद्देश्य नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल उपकरणों को संचालित करने हेतु सशक्त बनाना है। इस प्रकार, यह उन्हें IT और संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- **स्वयं (SWAYAM):** इसका उद्देश्य उन छात्रों के मध्य विद्यमान डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना है जो डिजिटल क्रांति से अछूते रह गए हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था (knowledge economy) की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।
- **GSAT 29:** यह भारत का एक मल्टी-बीम, मल्टीबैंड संचार उपग्रह है जो उपयोगकर्ताओं के डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने में सहायता करता है।

डिजिटल डिवाइड का प्रभाव

- **महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व:** भारत में विद्यमान पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य व्यापक डिजिटल डिवाइड के कारण, दूर-दराज के क्षेत्रों में हजारों बालिकाओं की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICTs) तक पहुंच उपलब्ध नहीं हो सकी है। ज्ञातव्य है कि यह नौकरियों में निम्न महिला प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख कारण है।

VISION IAS

- **शिक्षा से वंचित:** ऑनलाइन सेवाएं एवं सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु समान अवसरों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप, उच्च/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने से लोग वंचित रहे हैं, जो उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने और वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **कल्याणकारी योजनाओं का उचित/सामान वितरण नहीं:** चूंकि कई योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु ICT का उपयोग किया जा रहा है, अत: डिजिटल डिवाइड के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न हो रही है।

आगे की राह

- **शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना:** भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को विशेष रूप से बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- **जागरूकता उत्पन्न करना:** डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में नागरिकों में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देकर डिजिटल डिवाइड को एक सीमा तक कम किया जा सकता है, जो समाज में सूचना संबंधी असमानता को कम करने में मदद कर सकता है।
- **डिजिटल साक्षरता और पहुंच:** डिजिटल डिवाइड को तभी कम किया जा सकता है जब समुदायों की डिजिटल चैनलों तक पहुंच हो और लोगों को इनके उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त हो। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए 2,50,000 एक्सेस पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं।
- **डिजिटल सेवाओं को और अधिक वहनीय बनाना:** समाज में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अत्यधिक बढ़ावा देने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि इसे और अधिक वहनीय बनाया जाए। इंटरनेट संबंधी नियमों के अधिक बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ICT अवसंरचना के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से डिजिटल प्रौद्योगिकी की वहनीयता में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार इसकी पहुंच में सुधार हो सकता है।
- **ग्रामीण भारत के अनुकूल प्रौद्योगिकी उन्नयन:** उन तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो ग्रामीण भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं।
- **भाषाई बाधाओं का समाधान:** सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। कम से कम सरकारी वेबसाइटों में राष्ट्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि कंप्यूटर और इंटरनेट को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके।
- **अवसंरचना:** ग्रामीण भारत में दूरसंचार संबंधी अवसंरचना को बढ़ावा देना ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और भारत सरकार ग्रामीण भारत में IT अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
- **निजी क्षेत्र के साथ सहयोग:** निजी क्षेत्र के साथ सार्थक सहयोग, तकनीकी नवाचारों को अधिकतम करने हेतु आउट-ऑफ-द-बॉक्स (अभिनव) चिंतन और बड़े उद्देश्य के लिए एक सुसंगत, एकल दृष्टिकोण का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।

6.7. मॉब लिंचिंग

(Mob Lynching)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान विधानसभा द्वारा एंटी-मॉब लिंचिंग विधेयक पारित किया गया।

भारत में मॉब लिंचिंग

- मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा से तात्पर्य, **वास्तविक अथवा कथित अपराधों के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भीड़ द्वारा सज़ा के रूप में किसी को जान से मारना या उसे हिंसक दंड देने से है।**
- लिंचिंग पूर्वाग्रह, असहिष्णुता और विधि के शासन के प्रति उग्र अभिव्यक्ति है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा **तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ वाद (2018)** में निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किया गया था, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना था।
- राजस्थान के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार भी मॉब लिंचिंग संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना
- रही है।
- **अभी तक** एंटी मॉब लिंचिंग से संबंधित कोई राष्ट्रीय कानून विद्यमान नहीं है।

मॉब लिंचिंग से सम्बन्धित वर्तमान विधिक प्रावधान

- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 (a)** एक ही अपराध में शामिल लोगों के एक समूह को एक साथ दंड देने में सक्षम बनाती है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** के **धारा 153A** (विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने तथा सौहार्द को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य) तथा **धारा 153B** (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप) के तहत में घृणित अभिव्यक्ति (हेट स्पीच) और घृणित अपराध से जुड़े कुछ उपबंध किए गए हैं।

VISION IAS

एक अलग कानून की आवश्यकता

- **निवारक के रूप में:** इससे सम्बंधित विशेष कानून इस तरह के गंभीर अपराध के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- **शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना :** भीड़ द्वारा अपने न्याय के प्रवर्तन किसी की हत्या कर देने की घटनाएँ, लोकतांत्रिक समाज और राज्य की प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं। अतः ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को दंडित करना आवश्यक है।·
- **बहुआयामी चुनौतियों से निपटना:** जैसे समाज और संस्कृति के स्व-घोषित रक्षकों द्वारा कानून हाथ में लेना, अफवाह को सच मानकर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा आदि।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा करने वाली भीड़ कानून और व्यवस्था से सम्बंधित चुनौती है तथा IPC में इससे सम्बंधित पर्याप्त प्रावधान हैं। ये प्रावधान हत्या, हत्या के प्रयास, एक साझा इरादे के अंतर्गत कई लोगों द्वारा किए गए कृत्यों आदि से सम्बंधित हैं। इनके दृढ़तापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू होने पर इस तरह के जोखिमों से निपटा जा सकता है।

मॉब लिंचिंग से संबंधित मुद्दे

- **विधि के शासन के विरुद्ध:** निर्णय की प्रक्रिया न्यायालयों में होनी चाहिए सड़कों पर नहीं।
- **मानवाधिकार के विरुद्ध:** मॉब लिंचिंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ मनुष्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा वाक्, अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूचि की स्वतंत्रता तथा बहुलता एवं विविधता को अस्वीकृत कर दिया जाता है।
- **सांप्रदायिकता और जातिवाद को उकसाना:** अधिकांश मामलों में पीड़ित समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं - जिनमें घुमंतू जनजातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, निम्न जातियां आदि शामिल हैं।
- **रुझानों का विश्लेषण करने हेतु कोई डेटाबेस नहीं:** गृह मंत्रालय के अनुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा से संबंधित कोई रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालना तथा समस्या का संभावित समाधान खोजना कठिन हो गया है।
- **ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारणों में वृद्धि**
    - विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के शासन की **न्यायिक / लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास में कमी**। इसलिए वे अपने तरीके से तत्काल न्याय देने का प्रयास करने लगे हैं।
    - **सामाजिक-राजनीतिक ढांचा:** इसमें सम्मिलित हैं-ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा नाममात्र की है या बिलकुल नहीं है, गहरी दरारें और अविश्वास, संकीर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संरक्षण, बढ़ती असहिष्णुता और बढ़ता ध्रुवीकरण इत्यादि।
    - **फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से गलत सूचना और प्रचार :** उदाहरण के लिए, हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों ने सम्पूर्ण देश में हिंसा के कई आवेगपूर्ण और अनियोजित कृत्यों को भड़काया हैं।
    - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अक्षमता / अनिच्छा** से भीड़ द्वारा किए जा रहे अपराधों को नियंत्रित करने की उनकी अक्षमता के कारण कानून को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में लोगों का मनोबल बढ़ा है। पूर्णतः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आरोप लगाने की अपेक्षा सार्वजनिक अधिकारियों और पुलिस विभागों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
    - जहाँ व्यक्तिगत कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर होता है, वहीं ऐसी घटनाओं में अपराधबोध तथा उत्तरदायित्व बंट जाता है और कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता।

आगे की राह

- हाल ही में **उच्चतम न्यायालय** ने **मॉबोक्रेसी (भीड़तंत्र)** द्वारा किए जाने वाले ऐसे भयावह कृत्यों की निंदा की गयी और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए इसने कुछ निम्नलिखित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं:
    - राज्यों द्वारा जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
    - कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
    - इन क्षेत्रों में राजमार्गों पर अधिक कुशलतापूर्वक गश्ती।
    - तत्काल FIR दर्ज़ करना।
    - पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं।
    - ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण।
    - वैसे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहते हैं।
    - संसद द्वारा **एक विशेष कानून** तैयार किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत लिंचिंग को एक अलग अपराध माना जाए।
    - राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में इनमें से कई दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है।
- **अभियोजन और दंड सुनिश्चित कर उदाहरण प्रस्तुत करना:** भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या न्याय वितरण में राज्य की क्षमताओं के प्रति विश्वास में कमी को दर्शाती है। अतः, बार-बार होने वाली ऐसी क्रूरताओं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकारों पर होने वाले हमलों का दमन करने और इसके उत्तरदायी लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है। इससे अपराधियों में यह भावना आएगी कि वे ऐसे कार्यों को करने के बाद बच नहीं सकते।

VISION IAS

- **सामाजिक/अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना:** शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों तक पहुंच स्थापित करना, अराजक तत्वों को अफवाह फ़ैलाने से रोकना, तथा सिविल सोसाइटी की सहायता से बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के विषय में जागरूकता का प्रसार करना।
- **राज्य संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, तीव्रगामी पुलिस प्रतिक्रिया, अफवाहों के प्रति सजग रहना आदि।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाना:** व्हाट्सएप को दो व्यक्तियों के मध्य भेजे गए संदेशों में गोपनीयता को बनाये रखने और व्हाट्सऐप ग्रुपों में सार्वजनिक किये गए अग्रेषित (फ़ॉरवर्डेड) संदेशों के मूल स्त्रोत को ट्रैक करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।
- **विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गयी उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाना जैसे:**
  - **तेलंगाना पुलिस** ने फ़ेक न्यूज़ के जोखिम से निपटने हेतु 500 पुलिस अधिकारियों की एक टीम को प्रशिक्षित किया है। ये अधिकारी सामाजिक मुद्दों के विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए गांव जाते हैं। पुलिस कर्मियों को स्थानीय व्हाट्सएप समूहों में भी जोड़ा गया है ताकी ऐसी अफवाहों को चिन्हित किया जा सके जो हिंसा भड़काने में सक्षम हों।
  - **पश्चिम बंगाल पुलिस ने** ट्विटर पर फैली उन अफवाहों पर त्वरित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए उसका खंडन किया जिनमें ईद के अवसर पर सरकार द्वारा पांच दिन की छुट्टी को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गयी थी। इस प्रकार सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले प्रयासों को विफल कर दिया गया।

6.8. कॉमन सर्विस सेंटर

(Common Service Centers: CSC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation: NSIC) द्वारा नई दिल्ली में **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया** के साथ परस्पर क्षमताओं को समन्वित कर MSME क्षेत्र के लिए नई सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया।

CSC के बारे में

- यह **इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTy)** की एक पहल है। भारत में ग्रामीण स्तर पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण के लिए CSCs एक प्रकार के **एक्सेस पॉइंट** होते हैं।
- CSC द्वारा ई-शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेली-मेडिसिन, मनोरंजन के साथ-साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, वॉइस और डेटा कंटेंट तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- वर्ष 2015 में आरंभ **CSC 2.0 योजना** का उद्देश्य वर्ष 2019 तक देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) में से प्रत्येक में कम से कम एक CSC स्थापित करना है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक भाग है।
- **ये CSCs:**
  - देश की क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार **सामाजिक, आर्थिक व डिजिटल रूप से समावेशी समाज** के सरकार के अधिदेश को सक्षम बनाते हैं।
  - ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण क्षमता एवं आजीविका का सृजन करते हैं।
  - सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देते हैं, जो अंतत: **बॉटम-उप एप्रोच** के माध्यम से सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
  - भारत में **डिजिटल डिवाइड को कम** करने में सहायता करते हैं।

भारत में CSC के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **कार्यान्वयन मशीनरी का अभाव:** इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा आवश्यक बजटीय और मानवशक्ति समर्थन प्रदान न किए जाने के साथ-साथ इसे अभी भी MeiTy के अधीन एक छोटी टीम द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
- **अवसंरचना का अभाव:** CSC योजना के कार्यान्वयन संबंधी अवसंरचना का अभाव।
- **जवाबदेही अंतराल:** CSC के PPP मॉडल में वर्तमान में किसी कारण से सेवा प्रदान करने (गवर्मेंट टू कस्टमर: G2C) में विफल रहने की स्थिति में निपटारे हेतु एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है।
- **सीमित पहुंच:** यद्यपि 90,000 से अधिक सेवा केंद्र संचालित हैं, तथापि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुँच बहुत कम लोगों तक ही है।

भारत में CSC के सफल मॉडल

- **गुजरात मॉडल:** वर्ष 2007 के पश्चात् से गुजरात में कार्यरत सभी eGram केन्द्रों को पंचायत राज मंत्रालय के अधीन एक इकाई के रूप में स्थापित **ईग्राम विश्वग्राम सोसाइटी** द्वारा शासित किया जा रहा है।
- **केरल मॉडल:** राज्य मशीनरी के साथ केरल सूचना प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा कार्यान्वित अक्षय परियोजना के तहत, इस परियोजना के विस्तार हेतु पंचायतों की पहुंच और अक्षय ऑपरेटरों की उद्यमशीलता की भावना को परस्पर संबद्ध किया गया है।

आगे की राह

- **B2C मॉडल की ओर स्थानांतरण:** वर्तमान में CSC बिजनेस मॉडल G2C (गवर्नमेंट टू सिटिजन) आधारित है, जबकि टिकाऊ बिजनेस मॉडल के निर्माण हेतु इसे B2C (बिजनेस टू कंज्यूमर) मॉडल पर कार्यरत होना आवश्यक है, जो स्थानीय मांगों पर आधारित होगा।
- **नवीनतम तकनीक को अपनाना:** इसे न्यूनतम फीस आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचैन, मशीन लर्निंग से संबंधित नए पाठ्यक्रम को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **अवसंरचना:** लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अवसंरचना विकास/रोल आउट टारगेट को, विशेष रूप से यूनिवर्सल सर्विस के हिस्से के रूप में ब्रॉडबैंड को ध्यान में रखते हुए भारत में असेवित समुदायों को जोड़ने हेतु CSC फुटप्रिंट के साथ समन्वित किया जा सकता है।
- **अन्य निकायों के साथ समन्वय:** लोकल कंटेंट और अनुप्रयोग, जैसे- ई-शिक्षा (eEducation), ई-स्वास्थ्य (eHealth), ई-कृषि (eAgriculture) को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, यथा- यूनेस्को, WHO, FAO आदि के साथ घनिष्ट समन्वय के आधार पर विकसित किया जा सकता है, जो CSCs को ब्रॉडबैंड कम्युनिटी सेंटर के रूप में परिवर्तित करने में मदद करेगा।

6.9. विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति, 2019

(State of Food Security and Nutrition in the World, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा **"विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति - 2019"** रिपोर्ट जारी की गई।

विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति के बारे में

- इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development: IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UN Children's Fund: UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में, **पहली बार फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल (FIES) पर आधारित मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा** की व्यापकता का आकलन किया गया है।
  - ये संकेतक विश्व के सभी देशों के लिए वैश्विक खाद्य असुरक्षा से संबंधित एक प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं: जो सभी के लिए भूख से इतर पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लक्ष्य को निर्धारित करती है।

SDG 2

- **लक्ष्य 2:** भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण मात्रा में वृद्धि तथा संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना।
- **लक्ष्य 2.1:** वर्ष 2030 तक, भूखमरी को समाप्त करना और सभी लोगों (विशेषकर निर्धन तथा सुभेद्य परिस्थितियों में निवास करने वाले लोगों, जिनमें शिशु भी शामिल हैं) के लिए वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना।
  - **संकेतक 2.1.1:** अल्पपोषण की व्यापकता।
  - **संकेतक 2.1.2:** FIES के आधार पर जनसंख्या में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता।

- **मध्यम खाद्य असुरक्षा (Moderate food insecurity):** मध्यम खाद्य असुरक्षा से ग्रसित लोगों की पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक नियमित पहुँच उपलब्ध नहीं होती। भले ही वे भूख से पीड़ित न हों, लेकिन उनके समक्ष कुपोषण और खराब स्वास्थ्य के विभिन्न रूपों का खतरा बना रहता है।
- **गंभीर खाद्य असुरक्षा (Severe food insecurity):** दूसरी ओर, गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों के पास, **भोजन उपलब्ध नहीं होता है जिसके कारण उन्हें भूख का सामना करना** पड़ता है और इसके चरम स्थिति में, लोगों द्वारा कई दिनों तक बिना भोजन किए जीवन यापन करना पड़ता है। यह स्थिति उनके स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है।

भूख में वृद्धि के प्रेरक कारक

- संघर्ष;
- जलवायु परिवर्तन, चरम जलवायु परिस्तिथियों का सामना आदि; तथा
- आर्थिक प्रभाव और आर्थिक मंदी एवं गिरावट के कारण प्रभावित होती खाद्य असुरक्षा।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि दशकों तक हंगर (भूख) में कमी होने के पश्चात्, इसमें **पुनः वृद्धि** हो रही है।
    - विश्व में **820 मिलियन से अधिक लोग आज भी हंगर की समस्या** से ग्रसित हैं, जो वर्ष 2030 तक जीरो हंगर लक्ष्य की प्राप्ति के समक्ष विद्यमान अनेक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
    - विगत तीन वर्षों में **अल्पपोषण की व्यापकता का वैश्विक स्तर** अपरिवर्तित रहा है और यह **लगभग 11 प्रतिशत** के आसपास बना हुआ है।
- एशिया में, विगत पांच वर्षों में अत्यधिक प्रगति के बावजूद, **दक्षिणी-एशिया सबसे बड़ा उप-क्षेत्र है, जहाँ लगभग 15% अल्पपोषण की समस्या** विद्यमान है।
- उच्च आय वाले देशों में भी, आबादी के बड़े हिस्से में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की नियमित उपलब्धता का अभाव है।
- **2 बिलियन से अधिक लोगों** (विश्व की जनसंख्या का 26.4%) के पास सुरक्षित, पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन की नियमित उपलब्धता नहीं है और ये लोग निम्न एवं मध्यम तथा उच्च आय वाले देशों में निवास करते हैं;
    - विश्व की आबादी का 17.2 प्रतिशत या **1.3 बिलियन** लोग **मध्यम स्तर पर खाद्य असुरक्षा** से ग्रसित हैं।
    - **विश्व की जनसंख्या के 9.2 प्रतिशत** (लगभग 700 मिलियन) लोगों द्वारा वर्ष 2018 में **गंभीर स्तर पर खाद्य असुरक्षा जोखिमों का सामना किया गया**, जो यह सूचित करता है कि उपभोग किए जाने वाले भोजन की मात्रा को इस सीमा तक कम कर दिया गया था कि इन लोगों को संभवतः भूख का सामना करना पड़ा।
- वैश्विक स्तर पर, **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन (स्टंटिंग) की व्यापकता में कमी आयी है**, जबकि वर्ष 2012 से 2018 तक की अवधि में ठिगनेपन की समस्या से ग्रसित बच्चों की संख्या भी 165.8 मिलियन से घटकर 148.9 मिलियन हो गई है।
- वैश्विक स्तर पर, पाँच वर्ष से कम आयु के **7.3 प्रतिशत (49.5 मिलियन) बच्चे दुबलेपन (वेस्टिंग) की समस्या से ग्रसित हैं**, जिनमें से दो-तिहाई एशिया में निवास करते हैं।
- वर्ष 2018 में, विश्व भर में **40.1 मिलियन से अधिक बच्चे (पांच वर्ष से कम आयु के) अधिक वजन की समस्या से ग्रसित थे;** जबकि वर्ष 2016 में, लगभग पांच में से दो वयस्क (38.9 प्रतिशत) मोटापे से प्रभावित थे (विश्व भर में इन वयस्कों की संख्या लगभग 2 बिलियन थी)।
- वर्ष 2015 में सात जीवित जन्मे बच्चों (वैश्विक स्तर पर जन्म लेने वाले 20.5 मिलियन बच्चे) में से एक जन्म के समय कम वजन की समस्या से ग्रसित था। ज्ञातव्य है कि इनमें से कई अल्प वजन वाले शिशुओं का जन्म किशोर माताओं से हुआ था।
- लगभग सभी देशों में **अधिक वजन और मोटापे** की समस्या में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- **लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खाद्य असुरक्षा** से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है।

VISION IAS

आगे की राह

- रिपोर्ट में **आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया है** जो आर्थिक मंदी व गिरावट के प्रभावों से निपटने में सहायता प्रदान करता है - जिसमें समग्र सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित वित्तपोषण की गारंटी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
    - देशों को **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, लोक कार्यक्रमों या खाद्य कीमतों को स्थिर करने संबंधी नीतियों के माध्यम से अल्पावधि में,** विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों के लिए आय सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
    - वहीं दूसरी ओर, उन्हें मूलभूत सामाजिक सेवाओं में कटौती करने से बचने की आवश्यकता है।
- खाद्य और कृषि वस्तुओं में वैश्विक व्यापार के बढ़ते महत्व को देखते हुए, नीति निर्माताओं को आर्थिक नीति को बढ़ावा देने हेतु **व्यापार नीति को भी प्राथमिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है** जो खाद्य सुरक्षा और पोषण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है।
- **निर्धनता में कमी और भूख के उन्मूलन के मध्य सामंजस्य स्थापित** करते हुए निर्धनता में कमी के प्रयासों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं पोषण संबंधी चिंताओं को एकीकृत करना, जो इन लक्ष्यों को तीव्रता से प्राप्त करने में सहायक होगा।

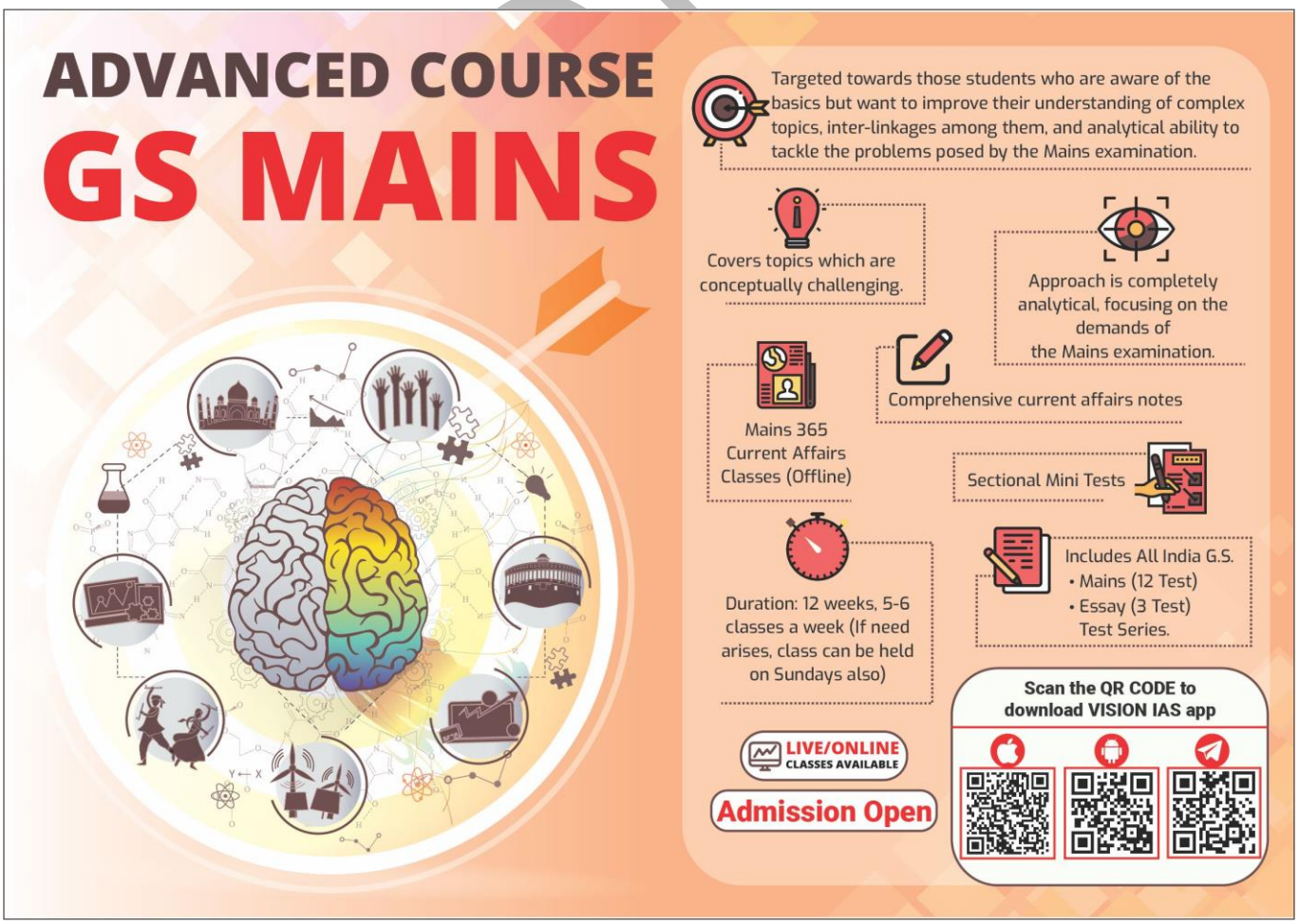

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science And Technology)

7.1. ग्रेविटेशनल लेंसिंग

(Gravitational Lensing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नासा द्वारा अपने शोध में **ग्रेविटेशनल लेंसिंग** की घटनाओं का उपयोग करने की योजना की घोषणा की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन करने हेतु **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप** का उपयोग किया जा रहा है।
    - हाल ही में, नासा ने **नए तारों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया** की खोज करने हेतु योजना की घोषणा की है। इसके लिए, **"ग्रेविटेशनल लेंसिंग"** नामक एक प्राकृतिक घटना की सहायता ली जाएगी।
    - इस कार्यक्रम को **टेम्पलेट्स (Targeting Extremely Magnified Panchromatic Lensed Arcs and Their Extended Star Formation: TEMPLATES** कहा जाता है।

ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में

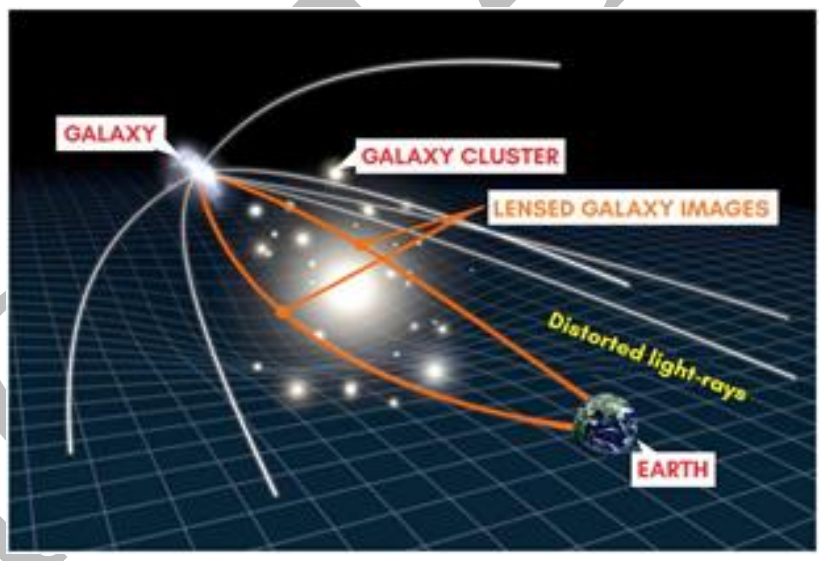

- यह एक प्राकृतिक घटना है। यह तब घटित होती है जब भारी मात्रा में पदार्थ, जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा अथवा आकाशगंगाओं का समूह, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करती है जो समान दृश्य-रेखा (लाइन ऑफ़ साइट) में स्थित अपने पीछे की वस्तुओं के **प्रकाश को विकृत और आवर्धित करता है।**
    - ये **विशाल आकाशीय पिंड होते हैं** और सुदूरवर्ती ऐसी आकाशगंगाओं के प्रकाश का आवर्द्धन करते हैं जो कि तारे के निर्माण की चरम या उसके निकट की अवस्था में हैं। इसी कारण ये वस्तुएं प्राकृतिक ब्रह्मांडीय दूरबीन के रूप में कार्य करती हैं और इन्हें **गुरुत्वाकर्षण लेंस** कहा जाता है।
    - इसके परिणामस्वरूप **आकाशगंगाएं अपने वास्तविक स्वरूप की तुलना में अत्यधिक चमकीली दिखाई देती हैं**, क्योंकि उन्हें 50 गुना तक आवर्धित किया जाता है।

ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अनुप्रयोग

- यह प्रभाव शोधकर्ताओं को **दूरस्थ आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है** और जिन्हें केवल सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों से देखा जा सकता है।
- **ब्रह्मांड में अदृश्य वस्तुओं का अवलोकन करना-** चूंकि डार्क मैटर स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है।
- इस प्रभाव का उपयोग करके ब्रह्मांड में विद्यमान डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है।
- **तारों के निर्माण को समझना-** इसका अध्ययन करके यह ज्ञात करना कि उन आकाशगंगाओं ने अपने तारों का निर्माण किस प्रकार किया है और तारों के निर्माण प्रक्रिया को आकाशगंगाओं में किस प्रकार वितरित किया जाता है।
- **अतीत का अध्ययन-** उदाहरण के लिए, वर्तमान में आकाशगंगा 'मिल्की वे' प्रत्येक वर्ष एक सूर्य के समतुल्य तंत्र का निर्माण करती है, किन्तु अतीत में यह दर 100 गुना अधिक थी। इस प्रभाव का उपयोग, वैज्ञानिक यह समझने के लिए करते है कि हमारे सूर्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इससे अरबों वर्षों के अतीत को समझा जा सकता है।

VISION IAS

7.2. श्रीनिवास रामानुजन

(Srinivas Ramanujan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, टेक्नीऑन (इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के वैज्ञानिकों ने एक भारतीय गणितज्ञ के नाम पर **रामानुजन मशीन (Ramanujan Machine)** नामक एक अवधारणा विकसित की है।

रामानुजन मशीन के बारे में

- यह **एक एल्गोरिदम है, जो श्रीनिवास रामानुजन के अल्प जीवनकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के तरीके को दर्शाता है।**
  - अपने संपूर्ण जीवनकाल में, रामानुजन **आदर्श समीकरणों और सर्वसमिका (novel equations and identities)** के कार्यों में संलग्न रहे, जिनमें पाई (pi) के मान ज्ञात करने वाले समीकरण शामिल थे और इसे सिद्ध करने हेतु इन्होनें सामान्यतः औपचारिक रूप से प्रशिक्षित गणितज्ञों को पीछे छोड़ दिया था।
- इस मशीन का उद्देश्य **अनुमानों (Conjectures) को गणितीय सूत्रों के रूप में स्थापित करना है ताकि भविष्य में उन्हें प्रमाणित किया जा सके।**
- अधिकांश कंप्यूटर प्रोग्रामों में, **मनुष्य द्वारा एक समस्या का इनपुट दिया जाता है** और **एल्गोरिदम एक समाधान उपलब्ध कराता है।** जबकि रामानुजन मशीन में इसकी विपरीत **प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।**
  - एक स्थिरांक (बेहतर तरीके से ज्ञात पाई) को इसमें फ़ीड किया जाता है और एल्गोरिथ्म एक अनंत श्रेणी वाले समीकरण को उपलब्ध कराएगा जिसका मान पाई (π) की ओर अग्रसर होगा।

श्रीनिवास रामानुजन के बारे में

- इनका जन्म मद्रास (1887-1920) में हुआ था और ये **भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे।**
- अत्यंत कम औपचारिक प्रशिक्षण के साथ, उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों के साथ संपर्क स्थापित किया, विशेष रूप से इंग्लैंड में प्रवास (1914-19) के दौरान **रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से रिसर्च में डिग्री प्राप्त की।**
- उन्होंने **रामानुजन संख्या** अर्थात् 1729 की खोज की। यह वह छोटी संख्या है जिसे दो अलग-अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है-

  $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$
- रामानुजन ने संख्याओं के **विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घवृत्तीय फलन (elliptic functions), वितत भिन्न (continued fractions) और अनंत श्रेणी (infinite series) पर कार्य किया।**
- उनके कुछ **अन्य प्रमुख योगदानों** में क्यूबिक और द्विघात समीकरणों को हल करना, गोल्डबैच के अनुमान का सत्यापन, यूलर स्थिरांक की दशमलव के 15 अंकों तक गणना, समाकलन और श्रेणी के मध्य संबंधों की जांच करना, भाज्य संख्याओं का अध्ययन करना, फर्मा प्रमेय (जो बताता है कि 4m + 1 प्रकार की एक अभाज्य संख्या दो वर्गों का योग होती है), विचलन श्रृंखला (divergent series), बरनॉली संख्या आदि शामिल हैं।

7.3. हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन

(Hydrothermal Carbonisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IIT खड़गपुर के शोधार्थियों ने हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक विकसित की है, जो उच्च नमी युक्त सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है।

हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन के बारे में

- इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य **आर्द्र बायोमास को उचित तापमान और दाब की परिस्थितियों में हाइड्रो-चार (ईंधन के समान एक कोयला) में परिवर्तित करना है।**
- कार्बन और उच्च उष्मीय मान (calorific content) से समृद्ध हाइड्रो-चार का उपयोग ईंधन के रूप में, कोयले के विकल्प के रूप में, गैसीकरण के लिए फीडस्टॉक के रूप में, पोषक तत्व संवर्धन के लिए मृदा योगज (additive) के रूप में अथवा सक्रिय कार्बन के लिए एक अधिशोषक (adsorbent) के रूप में किया जा सकता है।

- इसके उपोत्पादों में राख (ash) शामिल है, जिसे इसमें उपस्थित फॉस्फोरस सामग्री के कारण पौधों में पोषक तत्व संवर्धक (nutrient enhancer) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पोटेशियम समृद्ध तरल (potassium loaded liquid) भी इसका एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग पौधों पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है।

भारत को इस तकनीक की आवश्यकता क्यों है?

- **आर्द्र अवशिष्ट का उच्च प्रतिशत:** भारत में प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले 55 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट) का 85% भाग जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है, जिसमें आर्द्रता की कुल मात्रा 60 से 70 प्रतिशत के मध्य होती है।
- **लक्ष्य की प्राप्ति:** यह प्रौद्योगिकी वर्ष 2022 तक 10 गीगावॉट जैव ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को सहायता प्रदान करेगी।
- **प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण:** यह तकनीक **जापान और जर्मनी में पहले से ही उपयोग किया जा रहा है।** यह विकासक्रम भारत को अपनी स्वयं की तकनीक विकसित करने की ओर अग्रसर करता है।

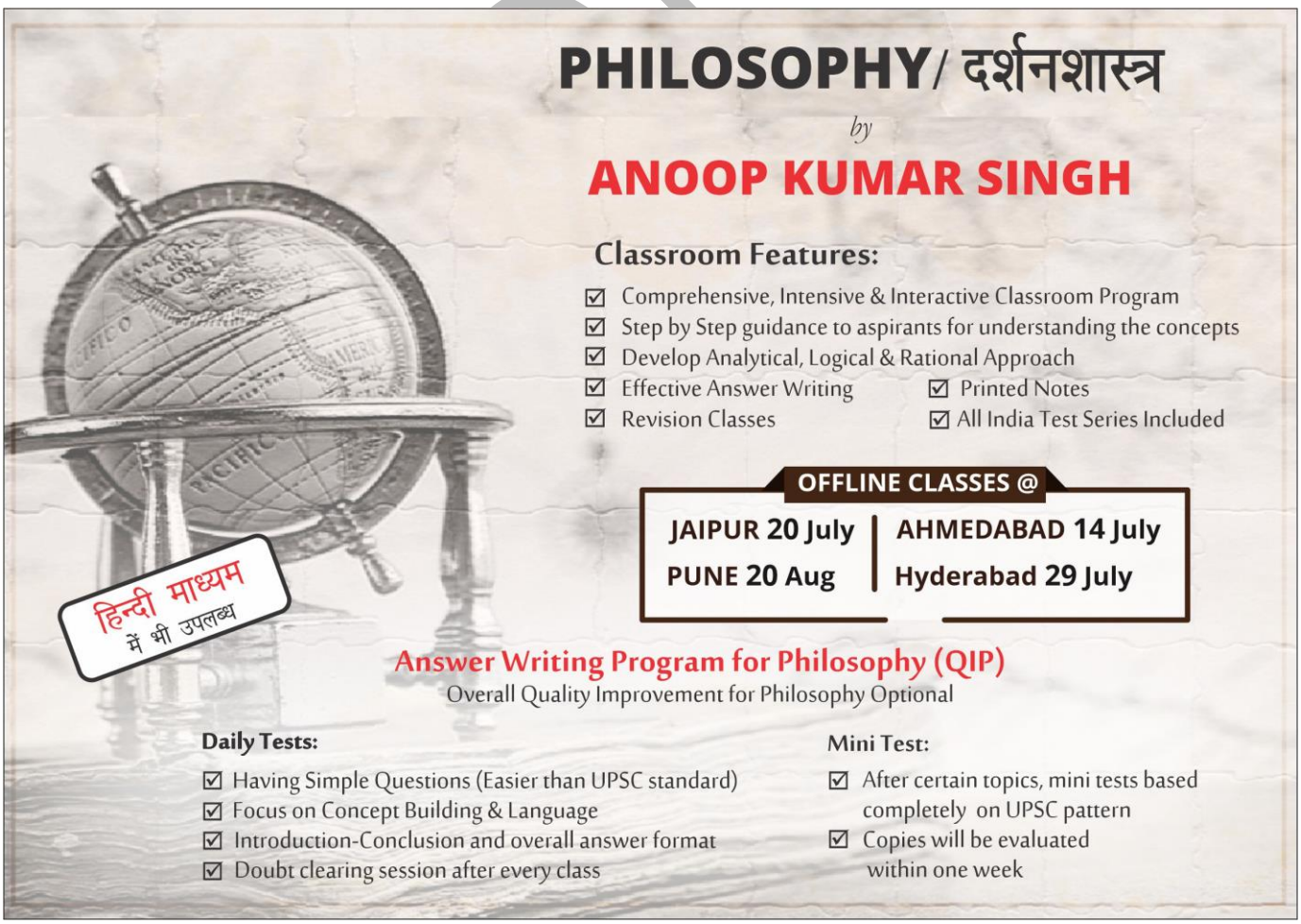

8. संस्कृति (Culture)

8.1. महापाषाण संस्कृति

(Megalithic Culture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल-तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित **पोथमाला पहाड़ियों (Pothamala hills)** पर नवीन **मेन्हीर (menhirs)** प्राप्त हुए हैं।

संबंधित तथ्य

- पोथमाला पहाड़ियों में **सैकड़ों गोलाश्मिक प्रस्तर संरचनाएं (cobbled stone) पाई गई हैं।** ये संरचनाएं लगभग 3,000 वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक सभ्यता के एक **संरचित शवाधान केंद्र के अस्तित्व की ओर संकेत करती हैं।**
- ये मेन्हीर **केरल में अब तक ज्ञात मेन्हीर में सबसे बड़े हैं।**
- ये मेन्हीर **एकाश्म प्रस्तर पट्टिकाएं हैं, जिन्हें समाधियों के समीप (ऊपर की ओर) लम्बवत** गाड़ा गया है। ये ऊंचाई में लघु अथवा विशालकाय हो सकती हैं।
- मेन्हीर केवल कुछ क्षेत्रों (स्थानिक) में पाए गए हैं तथा ये **महापाषाणिक संस्कृतियों के द्योतक हैं।**

भारत में महापाषाणिक संस्कृति (Megalithic culture in India)

- महापाषाणिक संस्कृति वस्तुतः **मेगालिथ (महा-पाषाण) तथा इनसे संबंधित आवास स्थलों में पाए गए सांस्कृतिक अवशेषों** को संदर्भित करती है।
    - **मेगालिथ** के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्मारक शामिल हैं तथा इनमें केवल एकसमान विशेषता यह है कि ये **विशाल और अपरिष्कृत रूप से प्रसाधित प्रस्तर पट्टिकाओं से निर्मित** हैं।
    - ऐसे स्मारक **विश्व के अनेक भागों में पाए गए हैं, यथा- यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका।**

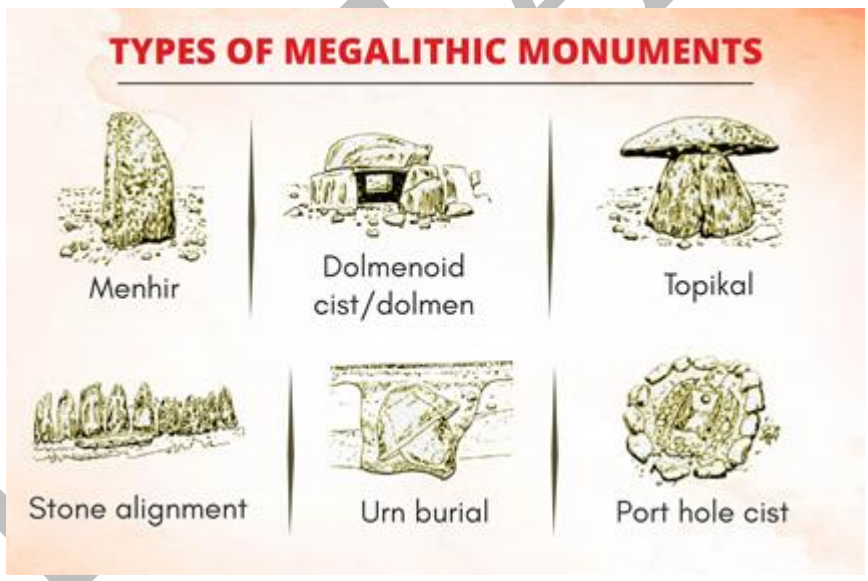

- **भारतीय उपमहाद्वीप में,** महापाषाणिक संस्कृतियाँ **सुदूर दक्षिण, दक्कन पठार, विंध्य-अरावली पर्वतमालाओं और उत्तर पश्चिम में पायी गयी हैं।**
    - भारत में महापाषाणिक स्थलों की तिथि **1300 ईस्वी पूर्व से 12वीं सदी ईस्वी तक** निर्धारित की गई है।
    - **विंध्य क्षेत्र** में महापाषाण **लौह-पूर्व ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृति को संदर्भित करता है** तथा **प्रायद्वीपीय भारत** में ये **लौह युग** से संबंधित हैं।
    - **महापाषाणों (अर्थात् महापाषाणिक समाधियाँ) के निर्माण** की प्रथा भारत के कुछ **जनजातीय समुदायों (जैसे- खासी और मुंडा)** में वर्तमान में भी प्रचलित हैं।
- महापाषाण वस्तुतः **समाधियों (शवाधानों) के कुछ विशेष प्रकार को प्रतिबिंबित** करते हैं, जो भिन्न-भिन्न स्थलों में विभिन्न समयांतरालों में प्रकट हुईं तथा कुछ समय तक प्रचलन में रहीं।
    - इन शवाधान प्रथाओं में से कुछ प्रथाओं की उत्पत्ति को **लौह-पूर्व ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृति** में पता लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ- गर्त और कलश शवाधान (pit and urn burials) दक्षिण भारत के नवपाषाण-ताम्रपाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
    - हालांकि, नवपाषाण-ताम्रपाषाणिक चरण के शवाधानों के विपरीत (जहाँ आवास स्थल विद्यमान थे), महापाषाणिक समाधियाँ **एक पृथक क्षेत्र में अवस्थित हैं। जीवित एवं मृत के अधिष्ठानों का पृथक्करण** विशिष्ट है तथा **सामाजिक संगठन में एक स्थानांतरण** की ओर संकेत करता है।
    - महापाषाणिक समाधियों के तीन मौलिक प्रकार हैं- **कक्षीय समाधियाँ (chamber tomb), कक्ष-विहीन समाधियाँ तथा शवाधानों से असंबद्ध महापाषाण।**
    - प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के महापाषाण स्मारक हैं- मेन्हीर, डॉल्मेन ताबूत (dolmenoid cist/dolmen), टोपीकल (topikal) आदि। **(चित्र देखें)**

- भारत में महापाषाणिक संस्कृतियों को किसी **एकल, समरूप या समसामयिक (contemporaneous) संस्कृति** के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

8.2. भौगौलिक संकेतक दर्जा

(GI Tags)

नाम	राज्य	प्रमुख विशेषताएं
पलानी पंचामिर्थम (Palani Panchamirtham)	तमिलनाडु	• तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाड़ियों में अवस्थित **अरुल्मिगु धान्दयुथापनी स्वामी मंदिर** के पीठासीन देवता **भगवान धान्दयुथापनी स्वामी (Lord Dhandayuthapani Swamy)** के अभिषेक से जुड़े प्रसाद को पलानी पंचामिर्थम कहते हैं। • इस अत्यंत पावन प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में पांच प्राकृतिक पदार्थों, यथा- केले, गुड़-चीनी, गाय के घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। • इसे **बिना किसी परिरक्षकों या कृत्रिम पदार्थों की मिलावट के प्राकृतिक विधि से तैयार किया जाता है** तथा यह अपने धार्मिक उत्साह और प्रसन्नता हेतु सुविख्यात है। • यह **पहली बार है जब तमिलनाडु के एक मंदिर के प्रसाद (प्रसादम) को** GI टैग प्रदान किया गया है। • इसे भारत सरकार के एक उपक्रम **केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (Central Food Technological Research Institute: CFTRI), मैसूर** द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत निर्मित किया जाता है।
तवलोहपुआन (Tawlhlohpuan)	मिजोरम	• तवलोहपुआन **मिजोरम** का एक भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र है जो अपने तने हुए धागे, बुनाई और जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है। • मिजो भाषा में तवलोह से तात्पर्य - दृढ रहना और पीछे की ओर कदम न रखना। • मिजो समाज में तवलोहपुआन का विशेष महत्व है और इसे पूरे मिजोरम राज्य में तैयार किया जाता है। आइजोल और थेनजोल शहर इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं।
मिजो-पुआनचेई (Mizo Puanchei)	मिज़ोरम	• यह मिज़ोरम का एक रंगीन मिज़ो शॉल / वस्त्र है। • यह राज्य का एक महत्वपूर्ण विवाह परिधान है। • यह **मिज़ो उत्सव नृत्यों और आधिकारिक समारोहों में सर्वाधिक प्रयुक्त पोशाक भी है।** • बुनकर इस सुंदर और आकर्षक वस्त्र के निर्माण हेतु बुनाई के समय पूरक धागों के प्रयोग द्वारा **डिजाईनों एवं रूपांकनों का समावेश** करते हैं।
तिरुर (Tirur)	केरल	• तिरुर एक पान (betel vine) है जिसका कृषि केरल के मलप्पुरम जिले के तिरूर, तनूर, तिरुरंगडी, कुट्टिपुरम, मलप्पुरम और वेंगरा ब्लॉक पंचायतों में की जाती है। यह अपने **मृदु उत्तेजक स्वाद व औषधीय गुणों** (श्वास दुर्गन्ध और पाचक विकार नाशक गुण) के कारण मूल्यवान है। • यह अपनी ताजा पत्तियों में कुल क्लोरोफिल और प्रोटीन की विशिष्ट रूप से उच्च मात्रा के कारण भी अद्वितीय है। • इसे सामान्यतया चबाने वाले पान मसालों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है। • **यूजेनॉल (Eugenol)** तिरुर पान की पत्तियों से प्राप्त प्रमुख तेल है जिसके कारण इसमें तीक्ष्णपन आता है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. असहमति का अधिकार

(Right to Dissent)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने लोकतंत्र में **असहमति और रचनात्मक आलोचना के मूल्य** पर बल दिया।

असहमति को समझना (Understanding Dissent)

- असहमति (डिसेंट) से तात्पर्य एक गैर-समझौतावादी दर्शन या मनोभाव अथवा किसी प्रचलित विचार (जैसे- सरकार की नीतियों) या किसी सत्ता/संस्था (जैसे- एक व्यक्ति या राजनीतिक दल जो इस तरह की नीतियों का समर्थन करता/करती है) के प्रति विरोध प्रकट करने से है।
- कुछ राजनीतिक प्रणालियों में, **असहमति को औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रतिरोध के माध्यम से व्यक्त** किया जा सकता है, जबकि दमनकारी राजनीतिक शासन व्यवस्था द्वारा किसी भी प्रकार की असहमति को प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जा सकता है। इससे अंततः असहमति का दमन और सामाजिक या राजनीतिक सक्रियता (विरोध-प्रदर्शन) को बढ़ावा मिल सकता है।
- असहमति को प्रायः **दो अन्य अवधारणाओं, समालोचनात्मक चिंतन (क्रिटिकल थिंकिंग) और सहिष्णुता** से भी जोड़कर देखा जाता है।
- असहमति, प्रभावी सार्वजनिक तर्क-वितर्क को विकसित करने का एक शक्तिशाली स्रोत भी है, जो स्वयंमेव किसी राज्य/राष्ट्र की संस्थानों अथवा उसकी कार्यवाहियों और साथ ही, किसी समाज के रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं की वैधता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- धार्मिक प्रथाओं को लेकर व्यक्त असहमति के प्रति सहिष्णुता, किसी राज्य के भीतर समावेशन और सहमति के दायरे का विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, जिससे राज्य के कानूनों और नीतियों की वैधता को बढ़ावा मिलती है।

असहमति के अधिकार का महत्व

- **लोकतंत्र की आधारशिला:** लोकतंत्र को शासन के सर्वाधिक स्वीकार्य पद्धति के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह एक नागरिक को पीड़ित होने के भय के बिना असहमति का अधिकार प्रदान करता है (जब तक कि इस प्रकार की असहमति किसी अमानवीय या असंवैधानिक कार्यवाही का कारण नहीं बनती)। असहमति का अधिकार वस्तुतः संविधान में यथा प्रकल्पित **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार** के दायरे में आता है।
    - लोकतंत्र में असहमति के महत्व को रेखांकित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णित किया है कि **"असहमति वस्तुतः लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है"।**
    - **विरोध-प्रदर्शन** किसी भी प्रगतिशील लोकतंत्र के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक **महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन** करता है। उल्लेखनीय है कि **गांधीजी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला** के शांतिपूर्ण प्रतिरोध ने (अपने संबंधित) देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में आमूल-चूल सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **एक मौलिक मानवीय गुण के रूप में असहमति:** एक दूसरे के साथ असहमत होना एक मूलभूत मानवीय गुण है। कई दार्शनिकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, एक बालक सार्थक रूप से 'स्वयं' की भावना को तभी ग्रहण करता है, जब उसे 'मैं' (आई) और 'मेरा' (माइन) की अवधारणा का बोध होता है तथा जब वह प्रथम बार 'नहीं' (नो) कहना आरंभ करता है। इस प्रकार वाक् की स्वतंत्रता को प्रत्येक व्यक्ति के आत्म-विकास के अधिकारों और उसकी पूर्ति के लिए एक अभिन्न पहलू के तौर पर देखा जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, जिस रूप में हमारा समाज और राष्ट्र असहमति को ग्रहण करता है, हमें उसी रूप में एक सशक्त पहचान प्राप्त होती है। जो भी समाज, असहमति को उन्मूलित करता है, वह वस्तुतः स्वयं को उन्मूलित करने की ओर अग्रसर होता है।
- असहमति नवीन ज्ञान और नई समझ के सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है: विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई प्रगति असहमति के बिना संभव नहीं थे, क्योंकि इस क्षेत्र में हुआ विकास वस्तुतः दूसरों के विचारों में दोष को ढूँढने से ही संभव हुआ, जिससे अंततः नवीन ज्ञान का सृजन हुआ है। इसलिए यह कहा जाता है कि, बुद्ध और महावीर सबसे पहले भिन्न-मतावलंबी (dissenters) थे और उसके बाद वे दार्शनिक थे।

सुप्रसिद्ध कथन और उद्धरण

"विज्ञान के तर्कानुसार, हज़ारों व्यक्तियों पर शासन करने वाले प्राधिकरण का विचार, एक अकेले व्यक्ति के विनम्र तर्क जितना मूल्यवान नहीं होता।" **- गैलीलियो गैलिली**

"मुझे सभी स्वतंत्रताओं से परे, सूचित होने, बोलने और अपने अंतःकरण के अनुसार स्वतंत्र रूप से तर्क करने के लिए स्वतंत्रता दो।" **- जॉन मिल्टन**

"मानव को परमात्मा से जोड़ने वाला यदि कुछ है, तो वह अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने का साहस है, भले ही सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया हो।" **- अब्राहम लिंकन**

VISION IAS

"अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना व्यक्ति की नैतिक ज़िम्मेदारी है।" **- मार्टिन लूथर किंग जूनियर**

“अपने सामाजिक परिवेश के पूर्वाग्रहों से भिन्न सम्यक् मत को अभिव्यक्त करने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे मत सृजित करने में असमर्थ हैं। " **- अल्बर्ट आइंस्टीन**

"सरकार से प्रश्न पूछना प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व है।" **- बेंजामिन फ्रैंकलिन**

"मौन तब कायरता बन जाता है जब अवसर संपूर्ण सत्य बोलने और उसके अनुसार कार्य करने की माँग करता है।" **- महात्मा गांधी**

“राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों के मत की एकरूपता या लोगों के मध्य देशभक्ति की भावना से नहीं आंकी जाती है, अपितु, किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति तब आंकी जाती है जब वह अपने नागरिकों द्वारा व्यक्त क्रांतिकारी विचारों से खतरा महसूस नहीं करता है; जहाँ सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र और मुक्त प्रेस विद्यमान होता है; और जहाँ नागरिक केवल एक विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त करने के कारण अपने साथी नागरिकों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। यह तब संभव होता है जब हम वाक् की स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके होते हैं। तब जाकर हम वास्तव में स्वतंत्र होंगे।” **- जस्टिस ए. पी. शाह**

असहमति का नीतिशास्त्र: असहमति के अंतर्गत एक बुनियादी नैतिक सिद्धांत समाहित होता है और इसलिए जब भी कोई भी समाज असहमति पर अंकुश लगाता है, तो वह अनैतिक तरीके से कार्य कर रहा होता है। असहमति से संबद्ध दो नैतिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- अहिंसात्मक असहमति का सिद्धांत, प्राचीन काल से लेकर गांधी और अंबेडकर के समय तक भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है।
- असहमति समाज के उन सभी लोगों की अभिरक्षा हेतु एक नैतिक साधन है, जो उत्पीड़ित एवं हाशिए पर स्थित हैं। यहाँ नैतिक सिद्धांत यह है कि किसी समाज में निम्न स्तरीय जीवन यापन करने वाले (बुनियादी सुविधा से वंचित) व्यक्ति के पास असहमत होने और विरोध करने का अधिक अधिकार है, भले ही अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति उस असहमति से सहमत न हो अथवा सहानुभूति नहीं रखता हो।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्वचन (असहमति का अधिकार सहित)

मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978): इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि, सूचना एकत्र करना एवं न केवल भारत अपितु विदेशों में भी दूसरों के साथ अपने विचारों का विनिमय करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015): यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें IT अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जो हमारी संवैधानिक योजना के तहत सर्वोपरि है।

असहमति के अधिकार की सुरक्षा (Safeguarding right to dissent)

- **विधिक संरचना में सुधार:** सरकार को उन सभी विधियों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना चाहिए जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हुए उन्हें अपराध की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी विधियों को निरस्त या संशोधित करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और उन संधियों में भारत द्वारा व्यक्त दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक ऐसी अनुपयुक्त विधियाँ कानून की पुस्तकों में बनी रहेंगी, वे आलोचकों को परेशान करने और वाक् की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के संदर्भ में सरकारों या स्थानीय सत्ता-धारियों के लिए एक उपकरण के तौर पर कार्य करेंगी।
- **प्रशासनिक मशीनरी को संवेदनशील बनाना:** सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि वे अनुचित और अप्रासंगिक मामलों को दर्ज न करें। न्यायाधीशों (विशेष रूप से निचली अदालतों के) को शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति मानकों (peaceful expression standards) के बारे में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे वाक् की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले वादों (cases) को खारिज कर सकें।
- **संचार के मुक्त माध्यमों को उपलब्ध कराना लोकतंत्र और अभिशासन के लिए अत्यावश्यक है:** अवरुद्ध माध्यम (Clogged channels) और विकृत सूचना प्रवाह (garbled information flows), शासित और शासक दोनों को असाध्य नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में सिविल सोसायटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ गैर-सरकारी संगठन सूचित और तर्कपूर्ण तरीके से असहमति को एक उपयुक्त मंच प्रदान करते हैं। वे शासितों को शासकों पर नियंत्रण रखने हेतु एक तंत्र प्रदान करते हैं।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Short)

10.1. हांगकांग में विरोध प्रदर्शन

(Hong Kong Protests)

- **मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पण की अनुमति दिए जाने की विवादास्पद योजना** के कारण हांगकांग में महीने भर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
- मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में यह उल्लेख है कि यह कानून "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट या उसके किसी अन्य भाग की सरकार" पर लागू नहीं होगा।
- परन्तु, प्रस्तावित परिवर्तन हांगकांग सरकार को यह अनुमति देंगे कि वह आपराधिक संदिग्धों के प्रत्यर्पण के लिए किसी देश (चीन, ताइवान और मकाऊ सहित) के अनुरोध पर विचार करे। इन परिवर्तनों के कारण हांगकांग सरकार को उन देशों के अनुरोध पर भी विचार करना होगा, जिनके साथ इसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
- इन विरोध प्रदर्शनों ने "एक देश, दो प्रणाली" (one country, two systems) पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके तहत हांगकांग शासित है।
- वर्ष 1997 में जब यूनाइटेड किंगडम (UK) द्वारा हांगकांग को चीन को हस्तांतरित किया गया था, तब दोनों पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत हुए थे कि यह शहर आगामी 50 वर्षों तक **मूल कानून (Basic Law),** (इसके लघु-संविधान) के तहत एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र बना रहेगा।
- मूल कानून हांगकांग के लोगों को उनके मुख्य भूमि चीन के समकक्षों की तुलना में अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- हांगकांग में अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस, गैर-विनियमित इंटरनेट और अल्प-नियंत्रित न्यायपालिका है। परन्तु हाल के वर्षों में चीन ने शहर के लोकतंत्र समर्थक समूहों की चिंताओं में वृद्धि करते हुए शहर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया है।
- यह विरोध आंदोलन नेतृत्वविहीन है। प्रदर्शनकारी अब अधिकाधिक लोकतंत्र और विगत प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित पुलिस क्रूरता की जांच की मांग कर रहे हैं।

10.2. सबका विश्वास - विरासत विवाद समाधान

(Sabka Vishwas – Legacy dispute Resolution)

- हाल ही में "सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना, 2019" अधिसूचित की गई है।
- सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना वस्तुतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विगत विवादों के **परिसमापन के लिए एकबारगी उपाय** है।
    - उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (Central Excise and Service Tax) को GST (वस्तु एवं सेवा कर) में सम्मिलित कर दिया गया है। हालांकि, विभिन्न मंचों (यथा- न्यायालयों/अधिकरणों) पर मुकदमेबाजी में यह अभी भी एक पक्ष बना हुआ है।
- यह योजना करदाताओं को बकाया कर का भुगतान करने और कानून के तहत किसी अन्य परिणाम से मुक्त होने का अवसर भी प्रदान करती है।
- यह योजना **1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक** 4 महीने की वैधता के साथ लागू हुई है।

10.3. अंगीकार अभियान

(Angikaar Campaign)

- हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी {PMAY(U)} के लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए **'अंगीकार अभियान'** प्रारम्भ किया है।
- यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को सभी PMAY(U) शहरों में प्रारम्भ किया जाएगा तथा मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर 2019) के अवसर पर इसका समापन होगा।
- इसे PMAY(U) के तहत निर्मित घरों के लाभार्थियों के लिए जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सैनिटेशन व स्वच्छता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **सामुदायिक गतिशीलता** के माध्यम से **सामाजिक व्यवहार** में परिवर्तन लाने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया है।
- इस उद्देश्य हेतु, यह अभियान उक्त विषयों से निपटने के लिए विभिन्न शहरी मिशनों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं/सेवाओं के साथ अभिसरण करेगा।
- यह अभिसरण PMAY(U) के लाभार्थियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए **आयुष्मान भारत** पर और गैस कनेक्शन हेतु **उज्ज्वला** पर ध्यान केंद्रित करेगा।

VISION IAS

10.4. सतत संकल्प परियोजना

(Project SU.RE)

- हाल ही में, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया और IMG रिलायंस के साथ सतत संकल्प परियोजना आरम्भ की गई है।
- सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः **सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने** के लिए **भारतीय परिधान उद्योग** सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है।
  - SU.RE का अर्थ है - **'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution)** - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है।
- इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030),** विशेष रूप से **उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG -12,** में योगदान देना है।
- यह **तेजी से जागरूक होते उन उपभोक्ताओं** की आवश्यकताओं का समाधान करेगा, जो ऐसे ब्रांड से खरीद को प्राथमिकता प्रदान करेंगे, जो पर्यावरण के प्रति सजग (environmentally conscious) हो और **पर्यावरण संरक्षण में संलग्न हो।**

10.5. मेघदूत ऐप

(Meghdoot App)

- हाल ही में, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** और **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मेघदूत (MEGHDOOT)** नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है, जो किसानों को स्थानीय भाषाओं में स्थान, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करेगा।
- यह ऐप **छवियों, मानचित्रों और चित्रों के रूप में जानकारी प्रदान करेगा।** इसके अतिरिक्त इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ-साथ किसानों को आपस में विचार-विमर्श करने में सहायता करने की दृष्टि से भी एकीकृत किया गया है।
- इसे **भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical meteorology)** तथा **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research)** के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है।

10.6. पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क

(Information Network for Animal Productivity & Health: INAPH Project)

- **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board: NDDB)** द्वारा एक **पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (Information Network for Animal Productivity & Health: INAPH)** विकसित किया गया है।
- यह सूचना प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है, जो सभी स्वदेशी, नॉनडिस्क्रिप्ट, संकर तथा किसानों को प्रदत्त विदेशी दुधारू पशुओं के **प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता आदि सुविधाएं प्रदान करता है।**
- इसका उद्देश्य **पशुओं की उचित पहचान और उनके उत्पादों तक पहुँच को सक्षम बनाना है।**
- प्रत्येक पशु को **12-अंकों की UID (पशु आधार) वाली एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन ईयर टैग प्रदान किया जाएगा।**
- इसके द्वारा संग्रहित किए जा रहे डेटा में **प्रत्येक पशु की प्रजाति, नस्ल और वंशावली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पशु जनन (calving), दुग्ध उत्पादन, कृत्रिम वीर्यारोपण, टीकाकरण और आहार/पोषण से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित है।**
- इसके माध्यम से, किसान, संसाधक, पशुपालन विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, पशुधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकते हैं।
- यह **पशु-जनित रोगों (Zoonotic Diseases) से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे और अन्य चुनौतियों को भी चिन्हित करने में सहायता करेगा,** जो भारतीय पशुधन उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच स्थापित करने में बाधक बना हुआ है।

10.7. नियामकीय सैंडबॉक्स

(Regulatory Sandbox)

- हाल ही में, **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा नियामकीय सैंडबॉक्स से सम्बन्धित **दिशा-निर्देशों** को सुदृढ़ बनाने वाला एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। हालाँकि नियामकीय सैंडबॉक्स को स्थापित करने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी।
- सैंडबॉक्स एक **क्लोज्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट** होता है, जिसे वेब या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- इस अवधारणा का उपयोग **डिजिटल अर्थव्यवस्था** के क्षेत्र में **नियामकीय सैंडबॉक्स** के रूप में किया जा रहा है। ये उन **नए व्यापार मॉडल के लिए परीक्षण का आधार** है जो वर्तमान विनियमन द्वारा संरक्षित नहीं हैं अथवा नियामक संस्थानों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
- इनोवेटर सभी प्रासंगिक प्रणालियों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करने में सहायता करने हेतु वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर उत्पादन परिवेश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विशेषताओं की नकल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
- यह विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है। इसका उद्देश्य सामूहिक रूप से आरंभ किए जाने वाले किसी प्रोजेस्ट (mass launch) हेतु आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व कठोर वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- इस प्रकार यह फिनटेक क्षेत्र के विकास और उपभोक्ता संरक्षण के मध्य संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

10.8. सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन

(Sulphur Dioxide Emmissions)

- ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जिसका वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन में योगदान लगभग 15 प्रतिशत से अधिक है।
- विद्युत संयंत्रों एवं औद्योगिक अवसंरचनाओं द्वारा किया जाने वाला जीवाश्म ईंधनों का दहन, वायुमंडल में SO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।
- **SO2 के उत्सर्जन के लघु स्रोतों में शामिल हैं**: अयस्क से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएँ; प्राकृतिक स्रोत जैसे कि ज्वालामुखी; इसके अतिरिक्त इंजन, जहाज एवं अन्य वाहन तथा भारी उपकरण जो उच्च सल्फर युक्त ईंधन का दहन करते हैं।
- भारत के उच्च उत्सर्जन का प्राथमिक कारण विगत एक दशक में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का विस्तार है। भारत में अधिकांश विधुत संयंत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु फ्लु-गैस डिसल्फराइजेशन तकनीक (flue-gas desulfurization technology) का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अन्य प्रदूषकों और आर्द्रता के साथ संयोजन से सल्फर डाइऑक्साइड अधिकांश नोबल धातुओं (जैसे- चांदी और सोना) एवं मिश्र धातुओं को छोड़कर सभी धातुओं के लिए उच्च प्रतिरोधकता एवं दृश्य संक्षारण परतों हेतु जिम्मेदार होता है।
- SO2 गैस **अम्ल वर्षा** के निर्माण में योगदान देती है। यह सल्फेट एरोसोल (निलंबित कण) के लिए भी पूर्ववर्ती कारक के रूप में कार्य करती है। ज्ञातव्य है कि सल्फेट एरोसोल बादलों के गुणों को प्रभावित कर सकता है तथा मानसिक व्यग्रता एवं अन्य स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण बन सकता है।

10.9. टाइड वाटर ग्लेशियर

(Tidewater Glaciers)

- हालिया अध्ययन के अनुसार, **पिछले अनुमान की तुलना में जलमग्न टाइड वॉटर ग्लेशियर के पिघलने की दर 100 गुना तीव्र** हुई है।
- **टाइड वॉटर ग्लेशियर के बारे में**
  - ये समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाले घाटी हिमनद (valley glaciers) होते हैं।
  - महासागर से टाइड वॉटर ग्लेशियर अपने काल्विंग फ्रंट (जहां पर हिमनद अपने किनारे पर बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगता है) पर मिलते हैं, जहाँ बर्फ पिघल कर समुद्र में मिल जाती है और आइसबर्ग समुद्र में टुकड़ों के रूप में टूटकर प्रवाहित होने लगते हैं।
  - जीवाश्म ईंधन के दहन, तेल एवं गैस की ड्रिलिंग, बर्फ तोड़ने वाले जहाजों आदि जैसे कारकों के कारण इनके पिघलने की दर में वृद्धि हुई है।
  - पिघलने की वर्धित दर के परिणामस्वरूप गंभीर बाढ़, जैव-विविधता की हानि, प्रवाल भित्तियों का विनाश, ताजे जल की कमी आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- **समुद्री बर्फ और हिमनद के मध्य अंतर?**
  - **समुद्री बर्फ समुद्र में निर्मित होती है और समुद्र में ही पिघल** जाती है जबकि **हिमनद का निर्माण स्थलीय भागों** पर होता है। आइसबर्ग, हिमनदीय बर्फ के टुकड़े होते हैं जो हिमनदों से टूट-कर समुद्र में प्रवाहित होते हैं।
  - चूँकि हिमनदों का जमाव स्थलीय भागों पर होता है, इसलिए हिमनदों के पिघलने और समुद्र में इसके प्रवाहित होने से समुद्र में जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाती है।
  - दूसरी ओर, समुद्री बर्फ की तुलना प्राय: एक जल के गिलास में बर्फ के टुकड़े से की जाती है। जब यह टुकड़ा पिघलता है, तो इससे गिलास के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

10.10. टार्डीग्रेड

(Tardigrade)

- हाल ही में चंद्रमा पर उतरते वक्त क्षतिग्रस्त हुए इजरायली अंतरिक्ष यान बेर्सेट (Beresheet) के बोर्ड पर हजारों टार्डीग्रेड (एक प्रकार का जीव) मौजूद थे।
- टार्डीग्रेड को जलीय भालू (water bear) या मॉस पिगलेट (moss piglet) भी कहा जाता है, जो कि फाइलम टार्डीग्राडा से संबंधित मुक्त-जीवित अकशेरुकी जीवों की 1,100 से अधिक प्रजातियों में से एक को संदर्भित करता है।
- इन्हें आर्थ्रोपोड्स (जैसे- कीड़े, क्रस्टेशियन) के ही समान प्रजाति वाला जीव माना गया है
- ये लगभग 1 मिमी (0.04 इंच) या उससे कम आकार वाले सूक्ष्म जीवों के समान होते हैं।
- टार्डीग्रेड्स पृथ्वी पर अत्यधिक जटिल और सुनम्य (resilient) परिस्थितियों में अनुकूल बने रहने वाले जीव हैं, क्योंकि ये अत्यधिक उष्ण और शीत तापमान की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। टार्डीग्रेड्स **अब तक ज्ञात सभी पाँच विलुप्त (five mass extinctions) चरणों में अपना अस्तित्व बनाए रखने** वाला एकमात्र जीव है।
- इनके विभिन्न पर्यावासों में शामिल हैं: जैसे- आर्द्र मॉस वाले क्षेत्र में, पौधों पर (पुष्प वाले), रेत में, ताजे जल और समुद्र में।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में, वे **एक "ट्यून" स्थिति ("tun" state)** में चले जाते हैं जो एक प्रसुप्त अवस्था को दर्शाती है- जिसमें इनका शरीर सूख जाता है और जीवन रहित एक गेंदनुमा (या ट्यून) आकार ले लेते हैं।
- इस अवस्था में टार्डीग्रेड की उपापचयन दर, सामान्य दर से 0.01 प्रतिशत तक कम हो जाता है। शुष्क परिस्थितियों से बाहर आने के लिए टार्डीग्रेड ट्यून्स स्थिति में अर्थात् प्रसुप्त अवस्था में अपने आपको समायोजित कर वर्षों या दशकों तक जीवित रह सकते हैं।
- सामान्यत; ये अपने आहार हेतु पौधे और पशु कोशिकाओं के तरल पदार्थों पर निर्भर होते हैं। साथ ही इन्हें बैक्टीरिया भक्षण हेतु भी जाना जाता है।

10.11. अंतरिक्ष में रूस द्वारा प्रेषित मानवरूपी रोबोट

(Russia Sends Humanoid Robot Into Space)

- हाल ही में, रूस द्वारा **फेडोर** नामक ह्यूमनॉइड रोबोट (जिसे एक स्काईबॉट F850 रोबोट के रूप में भी जाना जाता है) को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए अंतरिक्ष में 10 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- फेडोर अंतरिक्ष में प्रेषित रूस का पहला रोबोट है। इससे पहले 2011 में नासा द्वारा **रोबोनॉट 2** (एक मानवरूपी रोबोट जिसे जनरल मोटर्स के साथ मिलकर विकसित किया गया था) तथा 2013 में जापान द्वारा **किरोबो** (टोयोटा के साथ मिलकर जापानी भाषा में बातचीत करने वाला) नामक एक छोटा रोबोट भेजा गया था।

10.12. आईसीएआर-फ्यूजीकॉण्ट

(ICAR-FUSICONT)

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में केले की फसल को प्रभावित करने वाली **"पनामा विल्ट"** नामक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए **ICAR-FUSICONT** नामक एक नवीन तकनीक विकसित की है।
- पनामा विल्ट रोग की उत्पत्ति का कारण मुख्यतः कवक होते हैं जिनके परिणामस्वरूप 50% से अधिक फसल नष्ट हो जाती है।

10.13. शगुन

(Shagun)

- हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऑनलाइन मंच **'शगुन'** का शुभारम्भ किया गया है।
- यह भारत सरकार और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों और वेबसाइटों के लिए एक मंच के रूप में निर्मित किया गया है जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।
- इसकी मदद से लोग प्रत्यक्ष रूप से स्कूलों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि होगी और जवाबदेही तथा पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
- ध्यातव्य है कि यह MHRD की अन्य पहल **"शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल"** से भिन्न है, जो सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रगति की निगरानी/निरीक्षण करती है, इसके विपरीत शगुन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं के अधिग्रहण और साझाकरण पर बल देती है।

10.14. बायोमैट्रिक डेटा आधारित नाविक पहचान दस्तावेज

(Bio-Metric Data Based Seafarer Identity Document)

- भारत, **बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़ (Biometric Seafarer Identity Document: BSID)** जारी करने वाला **विश्व का पहला देश** बन गया है।
- यह नई फेशियल बायोमैट्रिक्स तकनीक, दो अंगुली या आंख की पुतली आधारित बायोमैट्रिक्स डेटा से बेहतर है।
- SID के अंतर्गत नाविक के बायोमैट्रिक एवं जनसांख्यिकीय विवरणों का संग्रह, उनका सत्यापन और फिर उन्हें कार्ड जारी करना शामिल है।
- नया दस्तावेज़ हमारे नाविकों को एक सुरक्षित पहचान प्रदान करेगा, जो उनके संचलन को सुविधाजनक बनाएगा और नौकरी प्राप्त करने को सरल करेगा तथा विश्व में किसी भी स्थान से उन्हें पहचानने में सहायता करेगा।
- जारी किए गए प्रत्येक SID का रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय डेटाबेस में रखा जाएगा और इसकी संबंधित जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगी।
- भारत में BSID परियोजना को **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC)**, मुम्बई के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
- नया पहचान पत्र BSID पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 185 के अनुरूप है। **भारत ने अक्टूबर 2015 में इस अभिसमय अभिपुष्टि की थी।**

10.15. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी

(World anti-Doping Agency)

- प्रयोगशालाओं के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के कारण **विश्व डोपिंग विरोधी संस्था (WORLD ANTI-DOPING AGENCY: WADA)** ने नेशनल स्टैंडर्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL) के प्रमाणन को छह महीने तक के लिए निलंबित कर दिया है।
- WADA की स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल के तहत एक फाउंडेशन के रूप में की गई थी।
  - **यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में डोपिंग का निवारण हेतु प्रोत्साहन एवं समन्वय करने का प्रयास करती है।**
  - यह वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की भी निगरानी करता है।
  - यूनेस्को के **खेल में डोपिंग के विरुद्ध अभिसमय (International Convention against Doping in Sport)**, इस संहिता (कोड) प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सहायता करता है। यह सम्मेलन इस कोड की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। **भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।**
  - चूंकि यह कोड एक गैर-सरकारी दस्तावेज है जो केवल खेल संगठनों के सदस्यों पर लागू होता है, जबकि यह अभिसमय कानूनी एक ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत सरकारें डोपिंग समस्या से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों का समाधान कर सकती हैं जो खेल गतिविधि के डोमेन से बाहर हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, **नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA)** की स्थापना वर्ष 2005 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1890 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी।
  - यह **युवा मामले और खेल मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य WADA कोड के अनुसार एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करना, डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है।
- NDTL, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत एक निकाय है जो डोप विश्लेषण के क्षेत्र में नमूनों के विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है।

10.16. राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची

(National Essential Diagnostics list)

- हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research: ICMR) द्वारा भारत की **पहली** राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (National Essential Diagnostics List: NEDL) को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
- इस सूची का उद्देश्य **वर्तमान नियामक प्रणाली में विद्यमान अंतराल को समाप्त करना है।** ज्ञातव्य है कि मौजूदा सूची के अंतर्गत सभी चिकित्सा उपकरणों और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस (IVF) को शामिल नहीं किया जाता है।
  - यद्यपि WHO की आवश्यक निदान सूची (EDL) NEDL के विकास हेतु एक संदर्भ बिंदु (reference point) के रूप में कार्य करती है, इसके बावजूद भी भारत की निदान सूची को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं के परिदृश्य के अनुसार अनुकूलित और निर्मित किया गया है।

- इसके साथ ही, भारत इस प्रकार की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जो सरकार को गाँवों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता वाले नैदानिक परीक्षणों को सम्पन्न करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
    - यह स्वास्थ्य मंत्रालय की नि:शुल्क निदान सेवा पहल और अन्य निदान पहलों के आधार पर निर्मित की गई है जिसका उद्देश्य नैदानिक परीक्षणों की इस सूची का विस्तार करना है।
    - इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs) जैसे नए कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों को भी शामिल किया गया है।

10.17. सुपरा योजना

(SUPRA)

- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) ने **वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement: SUPRA)** नामक एक नई योजना अनुमोदित की है।
    - इसका एकमात्र उद्देश्य, हमारी मूलभूत वैज्ञानिक समझ पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ-साथ **वैश्विक प्रभाव डालने वाले नए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग खोजों (नवाचार) को बढ़ावा देने हेतु वित्त पोषण** प्रदान करना है।
    - इस योजना को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रस्तावों को आकर्षित करने (जिनमें नई अवधारणाओं अथवा मौजूदा चुनौतियों शामिल हों) तथा आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तपोषण किया जाएगा, जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आंकलन के बाद 2 वर्ष (अधिकतम 5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
- SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा और वित्त पोषण प्रदान करना है।

10.18. पश्मीना उत्पादों को BIS प्रमाणन की प्राप्ति

(Pashmina Products Receive BIS Certification)

- हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards: BIS) ने उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने और पश्मीना उत्पादों की पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए एक भारतीय मानक प्रकाशित किया है।
- चांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली देशज बकरी की एक विशेष नस्ल है।
- इन्हें अति-उत्तम कश्मीरी ऊन (बालों की एक मोटी परत होती है, जो बकरी को ऊष्मा बनाए रखने में मदद करती है) के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है।
- इन वस्त्रों को हाथ से तैयार (handspun) किए जाते हैं तथा जिसे पहली बार कश्मीर में तैयार किया गया था।
    - खानाबदोश पश्मीना चरवाहे (जिसे चांगपा कहा जाता है) जो चांगथांग के प्रतिकूल और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः पश्मीना पर निर्भर रहते हैं।

10.19. नेशनल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट

(National order of Merit)

- हाल ही में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान 'द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ मेरिट' से सम्मानित किया गया।
- राष्ट्रपति को उनके असाधारण योगदान के लिए, जैसे- भारत और गिनी के मध्य समग्र संबंधों में प्रगति, आपसी सहयोग के विकास और दोनों देशों के लोगों के मध्य मित्रता तथा साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

10.20. बाल कल्याण सूचकांक

(Child Well Being Index)

- हाल ही में, वर्ल्ड विजन इंडिया (एक गैर-सरकारी संगठन) तथा IFMR LEAD (भारत में एक शोध संस्थान) द्वारा **बाल कल्याण सूचकांक** (Child Well Being Index) जारी किया गया है।
- इसके तहत स्कोर/अंको की गणना 3 आयामों (स्वस्थ व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक संबंधों और सुरक्षात्मक संदर्भों) में विभाजित 24 संकेतकों के उपयोग के आधार पर की जाती है।
- केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान; जबकि मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश निचले स्थान पर हैं।
- संघ शासित प्रदेशों में, पुडुचेरी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।

10.21. रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए कार्य योजना

(Action Plan for Antimicrobial Resistance)

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Anti-Microbial Resistance: AMR) के प्रबंधन हेतु एक कार्य योजना विकसित करने के मामलें में केरल के बाद मध्य-प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है।
- रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बहु-क्षेत्रीय भागीदारी के माध्यम से AMR की रोकथाम करने हेतु "रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश राज्य कार्य योजना" (Madhya Pradesh State Action Plan for Containment of Antimicrobial Resistance: MP-SAPCAR) मुख्यत: 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on AMR : NAP-AMR) के अनुरूप है, जो जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य स्तरीय कार्य योजना विकसित किए जाने हेतु राज्यों को निर्देशित करती है।

10.22. सन साधन हैकथॉन

(San Sadhan Hackathon)

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से और साथ ही, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 91 स्प्रिंगबोर्ड के सहयोग से सन-साधन हैकथॉन (San-Sadhan hackathon) का आयोजन किया गया है।
- यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक पहल है। इसके लिए दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय बनाए जाएंगे जो स्मार्ट, सुलभ और उपयोग में सुगम होंगे।
- शॉर्टलिस्ट किए गए शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही और नवाचारी छात्रों, तथा उद्योग विशेषज्ञों को दो-दिवसीय हैकथॉन के दौरान एक टॉयलेट प्रोटोटाइप (Prototype) विकसित करन होगा।

10.23. आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन

(Coalition For Disaster Resilient Infrastructure)

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में अपने सहायक सचिवालय कार्यालय के साथ मिलकर **आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI)** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन** में इसे प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकार द्वारा CDRI के लिए 480 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है, जिसके लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल है:
  - जारी अनुसंधान परियोजनाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - सचिवालय कार्यालय की स्थापना करना।
  - आवर्ती व्यय (recurring expenditures) को शामिल करना।
- CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित होगा तथा इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके ज्ञापन और उप-नियमों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority:NDMA) द्वारा तैयार और अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
- CDRI के चार्टर दस्तावेज़ को NDMA द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

10.24. हीलियम हाइड्राइड

(Helium Hydride)

- वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में हीलियम हाइड्राइड अणु (HeH+) की खोज की गई है।
- हीलियम हाइड्राइड आयन या हाइड्रिडोहेलियम (1+) एक धनायन (धनात्मक आवेशित आयन) अणु होता है जिसका रासायनिक सूत्र HH+ है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हीलियम परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसके एक इलेक्ट्रॉन को हटाने पर यह प्रोटोनेटेड हीलियम के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है।
- यह अत्यंत हल्का विषम नाभिकीय आयन (heteronuclear ion) है तथा ऐसा माना गया है कि यह बिग बैंग घटना के पश्चात् ब्रह्मांड में निर्मित होने वाले प्रारंभिक यौगिकों में से एक है।

VISION IAS

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना

(Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **श्रम और रोजगार मंत्रालय** ने **"प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना" (PMLVM)** नामक एक नई योजना प्रारम्भ की है, जिसके तहत व्यापारिक समुदाय को पेंशन कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
व्यापारिक समुदाय को पेंशन कवरेज प्रदान करना।	• 18 से 40 वर्ष आयु के ऐसे व्यवसायी, जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना हेतु पात्र हैं। • यह योजना उन लघु व्यापारियों पर भी **लागू होगी**, जो स्व-नियोजित हैं तथा दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, छोटे होटलों व रेस्तरां के मालिक और अन्य लघु व्यापरियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। • **किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं,** जैसे- कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) आदि **के अंतर्गत शामिल कोई व्यक्ति** या **आयकर निर्धारिती (income-tax assessee), इस योजना हेतु पंजीकृत होने के पात्र नहीं है।**	• यह योजना वस्तुतः **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना** का एक विस्तार है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को **प्रति माह 3,000 रुपये की मासिक पेंशन** प्रदान की जाती है। • इसमें **वर्ष 2019-2020 में 25 लाख और वर्ष 2023-2024 तक 2 करोड़ ग्राहकों के नामांकन** का लक्ष्य रखा गया है। • यह **ऐसे लघु व्यापारियों के परिचालनों** को लाभ प्रदान करेगा, जो आम तौर पर परिवार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, लघु स्तर के व्यवसायों, श्रम गहन उद्यमों, अपर्याप्त वित्तीय सहायता वाले उद्यमों, मौसमी प्रकृति और व्यापक अवैतनिक पारिवारिक श्रम की विशेषता धारण करने वाले उद्यमों से संबंधित हैं। • **भारतीय जीवन बीमा निगम**, जोकि पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, पेंशन राशि के संवितरण के लिए उत्तरदायी है। • ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एक मासिक राशि का योगदान करना होगा, यह योगदान योजना में प्रवेश करने के समय उनकी आयु के आधार पर अलग-अलग होगा, वहीँ सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। • **निहित तिथि (superannuation) से पूर्व लाभार्थी की स्थायी विकलांगता के मामले में,** जीवनसाथी परिदाय अवधि (loan tenure) पूरी होने तक शेष राशि का भुगतान करके योजना को जारी रख सकते हैं। ○ यदि कोई जीवनसाथी नहीं है, तो ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान लाभार्थी को किया जाएगा। • **सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् मृत्यु की स्थिति में**, जीवनसाथी को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग प्राप्त होगा। यदि पेंशनभोगी और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस निधि को नोडल एजेंसी में वापस जमा किया जाएगा। • इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, हालांकि, इसके पूर्व लाभार्थी अन्य योजनाओं के लिए पहले से

VISION IAS

		ही उपलब्ध **सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres: CSCs)** के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

11.2. निष्ठा (राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल)

(Nishtha- National Initiative For School Heads and Teachers Holistic Advancement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्राथमिक स्तर पर अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) को बेहतर करने के लिए **"निष्ठा" (राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल)** (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement: NISHTHA) नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
देश भर के 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	इसके तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के सभी स्कूली शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (State Councils of Educational Research and Training: SCERTs) व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Education and Training: DIETs) के संकाय सदस्यों (फैकल्टी मेंबर्स) और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रखंड संसाधन समन्वयकों तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयकों को कवर किया जाएगा।	• **मानक मॉड्यूल:** राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विकसित किए गए हैं। • **गतिविधि-आधारित मॉड्यूल:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- शैक्षिक खेल और क्विज़, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण, प्रेरक बातचीत, टीम निर्माण, स्कूल-आधारित मूल्यांकन के लिए तैयारी, आंतरिक सतत प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा प्रभाव विश्लेषण। • **पोस्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल:** इस एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण-उपरांत मार्गदर्शन (मेंटरिंग) को भी शामिल किया गया है। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** NCERT द्वारा मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: MOODLE) पर आधारित एक मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Learning Management System: LMS) विकसित किया गया है। ○ LMS का उपयोग मानव संसाधन और शिक्षकों के पंजीकरण, संसाधनों के प्रसार, प्रशिक्षण अंतराल तथा प्रभाव विश्लेषण, निगरानी, सलाह एवं प्रगति का ऑनलाइन आकलन करने के लिए किया जाएगा।

11.3. समर्थ योजना

(Samarth Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने **समर्थ योजना (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना)** (Scheme for capacity building in the textiles sector) के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए 16 राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

VISION IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मांग आधारित व रोजगार उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework: NSQF) प्रदान कर, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और संगठित टेक्सटाइल व संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के प्रयासों का पूरक बनने हेतु, कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण उपयोगिता श्रृंखला को शामिल करना। • हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के **पारंपरिक क्षेत्रों** में कौशल तथा कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। • मजदूरी या स्व-रोजगार के द्वारा स्थायी आजीविका का प्रावधान करके देश भर में समाज के सभी वर्गों को सक्षम बनाना।	• इस योजना के तहत 10 लाख लोगों (9 लाख संगठित क्षेत्र में और 1 लाख पारंपरिक क्षेत्र में) को **प्रशिक्षित करने का लक्ष्य** रखा गया है। • इस योजना के तहत निम्नलिखित रणनीतियों को व्यापक रूप से अपनाया गया जाएगा: ○ **आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली;** तथा मूल्यांकन के लिए न्यूनतम 80% उपस्थिति की आवश्यकता। ○ संसाधन सहायता एजेंसी (Resource Support Agency: RSA) द्वारा ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर्स (ToT) प्रमाणन वाले **प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण।** ○ RSA द्वारा सूची में सम्मिलित की गई मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा **तृतीय पक्ष मूल्यांकन** और प्रमाणन। ○ संगठित क्षेत्र (70%) और परंपरागत क्षेत्र (50%) में अनिवार्य वेतन रोजगार और एक वर्ष के लिए पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग सहित प्लेसमेंट लिंक्ड स्कीलिंग प्रोग्राम। ○ हाशिए पर स्थित सामाजिक समूहों और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता। ○ लोक शिकायत निवारण प्रणाली। ○ स्वरोजगार के लिए, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ऋण** प्रदान किया जाएगा। • **कार्यान्वयन एजेंसियों** के अंतर्गत वस्त्र उद्योग, वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकारों के ऐसे संगठन/संस्थान सम्मिलित हैं जिनके पास प्रशिक्षण अवसंरचना मौजूद है साथ ही नियोजन (प्लेसमेंट) हेतु वस्त्र उद्योग, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों (NGOs) आदि के साथ संपर्क (tie-up) स्थापित किया हैं, सम्मिलित हैं।

11.4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

{Deendayan Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक प्रमुख मिशन **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** को इसके **पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस (Portal for Affordable Credit and Interest Subvention Access: PAiSA)** के लिए **प्रतिष्ठित SKOCH गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड** से सम्मानित किया गया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों का उत्थान करना।	• शहरी गरीब ○ स्ट्रीट वेंडर्स (फुटकर विक्रेता) ○ झुग्गीवासी ○ निराश्रय ○ कूड़ा बीनने वाले (Rag pickers) • बेरोजगार • दिव्यांगजन	• NULM को वर्ष 2013 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation: MHUPA) द्वारा मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं: ○ शहर के आजीविका केंद्रों के माध्यम से **कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।** ○ सदस्यों को प्रशिक्षण देने एवं पारस्परिक सहयोग के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups: SHGs) के गठन के माध्यम से **सामाजिक गतिशीलता और संस्थान विकास।** प्रत्येक समूह के लिए 10,000 रूपए का प्रारंभिक समर्थन उपलब्ध कराया जाता है।

VISION IAS

		○ **शहरी गरीबों के लिए सब्सिडी:** व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए 2 लाख रूपए और समूह उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के अतिरिक्त 5%-7% की ब्याज सब्सिडी। • **शहरी निराश्रयों के लिए आश्रयों** (आवास) के निर्माण की लागत, इस योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है। • **अन्य साधन:** वेंडर्स मार्केट (विक्रेता बाजारों) का विकास तथा बुनियादी ढांचा की व्यवस्था कर विक्रेताओं के लिए कौशल को बढ़ावा देना एवं कूड़ा बीनने वालों व दिव्यांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं। • आवास मंत्रालय ने **पैसा (PAiSA)** नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह DAY-NULM के तहत लाभार्थियों के बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता को संसाधित करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

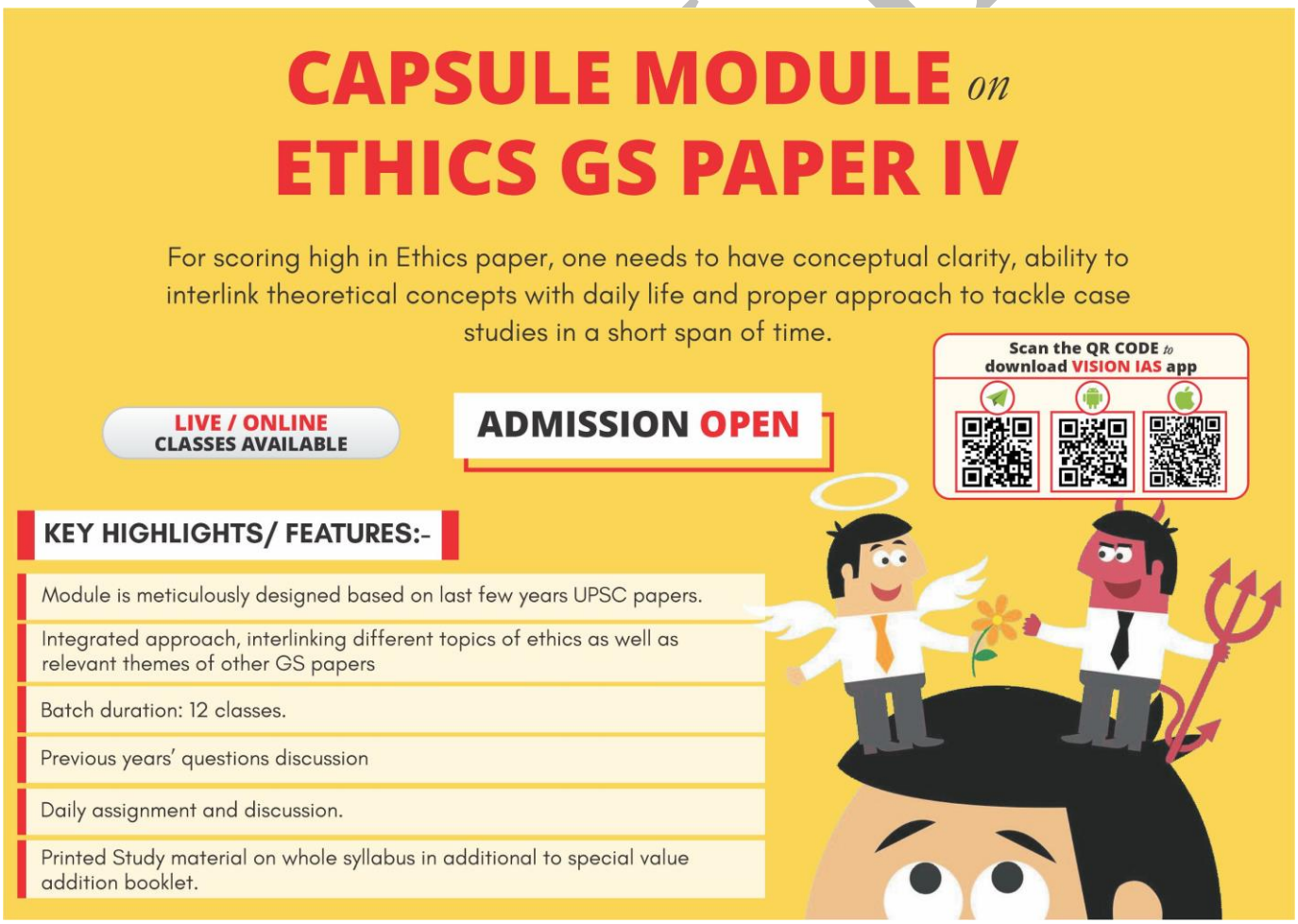

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS